

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**


KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

<b>BORROWER'S No.</b>	<b>DUE DTATE</b>	<b>SIGNATURE</b>

# समाजवाद : पूँजीवाद

३९२४-४९



लेखक

श्री शोभालाल गुप्त

नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर

प्रकाशक --

गोकुलदास धूत

नवयुग साहित्य सदन

खजूरी बाजार, इन्दौर ।

संस्करण

१९४० : २०००

१९४५ : १०००

मूल्य

दो रुपया

मुद्रक—

अमरचन्द्र जैन,

राजहस प्रेस,

सदर बाजार दिल्ली

## दो शब्द

समार में इस समय दो विचार-धारायें—पूँजीवाद और समाज-वाद—प्रवाहित हो रही हैं। यह एक अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है कि किस विचार-धारा को अपनाने से मानव-समाज का अधिक-से-अधिक कल्याण होगा। यह प्रश्न हरेक व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध रखता है। यदि उसे अपने भविष्य का—और वह भी उज्ज्वल भविष्य का—निर्माण करना है, तो उसे समाज को वर्तमान और भावी व्यवस्था पर विचार करना और यह निश्चय करना होगा कि वह उसके निर्माण में क्या भाग अदा करे। ऐसा देखा गया है कि जब लाग राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने हैं तो आवश्यक सामग्री के अभाव में अपना मार्ग तय करने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। वे बेसमझे पूँजीवाद की निन्दा और साम्यवाद की प्रशंसा में बड़े-बड़े नारे सुनते हैं। विशेषकर इन विचार-धाराओं के सम्बन्ध में जो साहित्य पाया जाता है, उसकी मनोभूमिका विदेशी होने के कारण और उसको उपस्थित करने का तरीका सरल न होने के कारण सामान्य लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इसलिए अब मैंने विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकार बर्नार्ड शा की 'The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism' नामक पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता लगा कि उन्होंने इस विषय को अत्यन्त सरल रूप में हमारे सामने पेश किया है और यदि उन विचारों को भारतीय पाठकों के सामने लाया जाय तो एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो सकता है। इस पुस्तक द्वारा मैं छापनी इमी कल्पना को व्यावहारिक रूप दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि पूँजीवाद और समाजवाद के बारे में पाठक इस पुस्तक द्वारा यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

अजमेर,

( तिलक पुस्तकालय )

१ अगस्त १९४०

—श्रीभालाल गुप्त

## विषय-सूची

### खण्ड पहला : समाजवाद

	४४
१. फिर विचार करें !	१
२. विभाजन कैसे करे ?	५
३. विभाजन की सात योजनायें	१०
४. निर्धनता या धनिकता ?	२३
५. असमान आय के दुष्परिणाम	३३
६. समान आय की आपत्तियों	४८
७. समाजवाद का आचरण कैसे करें ?	६५

### खण्ड दूसरा : पूँजीवाद

१. समाजवाद और पूँजीवाद का अन्तर	७२
२. पूँजीवाद में गरीबों की स्थिति	७७
३. पूँजी और उसका उपयोग	९०
४. पूँजी के अत्याचार	१०१
५. पूँजी और श्रम का संघर्ष	११६
६. पूँजीवाद में निजी पूँजी	१३२
७. सिंका और उसकी सुविधाएँ	१४१

### खण्ड तीसरा : बदलें कैसे ?

१. उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीयकरण	१४८
२. क्रांति बनाम वैध पद्धति	१६५
३. कितना समय लगेगा ?	१७०
४. रूसी साम्यवाद	१७२

# समाजवाद : पूँजीवाद

: १ :

फिर विचार करें !

कुछ ही पीढ़ियों में ऐसे-ऐसे नवीन परिवर्तन हो गये हैं जिनका पहले किसी को गुमान भी नहीं होता था। आज जाति-पाँति तोड़कर विवाह और विधवा विवाह होते हैं, ऊँच और नीच का भेद-भाव मिट रहा है, जहाजों में बैठ कर समुद्र पार की यात्रा की जाती है, कुछ ही दिन में रेलों द्वारा चांगे धाम की यात्रा हो जाती है, बड़े-बड़े कारखानों में लाखों मजदूर काम करते हैं और भीमकाय मशीनों द्वारा एक दिन में ही इतनी उत्पत्ति कर लेते हैं जिनकी हाथा से महोनों में भी नहीं हो सकती और स्त्रियाँ पर्दा छोड़ कर नौमिला में जाती हैं और बफालत करती हैं। ये बातें हमारी समाज-व्यवस्था की स्वाभाविक श्रृंग बनती जा रही हैं। हम समझने लगे हैं कि हमेशा से ऐसा ही होना आया है और आगे भी होता रहेगा, किन्तु यदि यहाँ बात हमारे दादा परदादाओं से कही जाती तो वे कहने वालों को अवश्य पागल समझते।

हम सब लोग दुनिया में बिना खाद्य, पिये और पहिने नहीं रह सकते, इसलिए हम सभी को यह फिक्र तो रहनी ही है कि हम जैसे भी हो जैसे, जहाँ से भी हो वहाँ से, इतना धन तो पैदा कर ही लें कि हमारा आराम से गुजर हो जाय। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनके पास उनके पूर्वजों की सगृहीन या स्वयं उपार्जित इतनी सम्पत्ति है कि उन्हें अपने निर्वाह की अधिक चिंता नहीं है या कुछ को बिल्कुल नहीं है; किन्तु ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं जिन्हें न तो भरपेट उचित खाना ही मिलना है, न पहिने को काफी कपडे और न रहने को साठी और छोट्टी भोंपड़ी ही। यह सब देखने में भी कष्टकर है ! अब सभी लोगों को खाने, पीने, पहिने और रहने की समान जरूरत है तो फिर क्या कारण है कि हरएक की आवश्यकता समान रूप से पूरी नहीं होनी ? आय की

इस विषमता से दुनिया दुखी है। समाजवाद उसके इस दुख को दूर करने का उपाय बताता है। यह कहता है कि हमको राष्ट्र की सम्पत्ति इस प्रकार बाँटनी चाहिए कि जिससे सब लोग समान रूप से सुखी रह सकें।

आप कहेंगे कि सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध में हमें सोचने की क्या जरूरत है? कानून जो है! हर एक व्यक्ति को वर्ष भर में उत्पन्न हुई सम्पत्ति का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, यह कुछ तो हमारी परम्परागत रीति-रिवाजों से तय होना आ रहा है और जहाँ भगडा होता है वहाँ कानून हमारी मदद करने को तैयार रहता है।

किन्तु हमारा कहना यह है कि अबतक आय के विभाजन के सम्बन्ध में जो निर्णय हुआ है वह सब के लिए सन्तोषप्रद नहीं है, इसलिए इस प्रश्न पर फिर विचार करने की जरूरत है। हमें अपने दिमागों में से यह खयाल निकाल देना चाहिए कि हमारे वर्तमान रीति-रिवाज, जिनमें आय को विभाजित करने और लोगों को वस्तुओं के मालिक बना देने के हमारे कानूनी तरीके भी शामिल हैं, ऋतुओं की भाँति स्वाभाविक हैं। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। हमारी छोटी सी दुनिया में सर्वत्र उन कानून कायदों का अस्तित्व है, इसलिए हम यह मान बैठते हैं कि उनका सदा अस्तित्व रहा है, आगे भी रहेगा और यह कि वे स्वाभाविक हैं। यह हमारी भयंकर भूल है। वास्तव में वे अस्थायी और तात्कालिक उपाय हैं; और यदि पास में पुलिस और जेल न हो तो उनमें से कितनों ही का मदाशयी लोग भी पालन न करेंगे। हम उनसे सन्तुष्ट नहीं हैं, इसलिए सभी देशों में धारा-सभाओं द्वारा उनमें लगातार हेर फेर किया जा रहा है। कभी पुरानों के बजाय नए कानून बनाए जाते हैं, कभी उनमें संशोधन किए जाते हैं, और कभी-कभी बेहूदा समझ कर बिल्कुल ही रह कर दिये जाते हैं। नए कानूनों को उपयोगी बनाने के लिए अथवा यदि न्यायाधीशों के लिए वे रुचिकर न हों तो उन्हें अनुपयोगी बनाने के लिए अदालतों में उनका खींचतान भी जाती है। इस प्रकार गड़ करने, संशोधन करने और पुनर्निर्माण करने का कोई

अन्त नहीं है। जिन कामों की लोगों ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी उन्हें को मजबूरन कराने के लिए नए कानून बनाए जाते हैं। कितने ही पुराने कानूनों को इसलिए रद्द कर दिया जाता है ताकि लोगों को उन कामों के करने की आजादी मिल जाय जिनके लिए वे पहले दण्डित किए जाते थे। जो कानून रद्द नहीं किए जाते उनमें इतने सरोधन किए जाने हैं कि उनके प्रारम्भिक स्वरूप का शायद ही कोई निह्न बच रहता है। चुनाव के समय कितने ही उम्मीदवार तो यह कह कर लोगों से मत प्राप्त करते हैं कि हम अमुक नए कानून बनाएंगे और अमुक पुराना को रद्द कर देंगे। कुछ यह भी कहते हैं कि हम मौजूदा स्थिति का कायम रखेंगे। किन्तु यह असम्भव है। मौजूदा स्थिति कायम नहीं रह सकती।

इसलिए अब हम यह अध्ययन करने लगे कि वह सम्पत्ति जिसे हम प्रतिवर्ष उत्पन्न करते हैं हमारे बीच में कैसे बाँटी जाय तब हमें बच्चों की तरह न तो यह मानना चाहिए कि इस समय जैसा है वह स्वाभाविक है, हमेशा था और आगे भी रहेगा और न दादा-परदादाओं की तरह से यही खयाल करना चाहिए कि इस पर परिवर्तन होने का खयाल करना पागलपन है। हम को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि धारा-सभाओं के अधिवेशन होते रहते हैं और सम्पत्ति के हमारे हिस्सों में भी एक या दूसरे स्थान पर नित्य ही परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार उन्नीसवीं सदी और इस समय की साम्प्रतिक स्थिति में इतना अन्तर है कि जिनकी बहादुरशाह ने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक उसी प्रकार सम्पत्ति का विनया भाग आज हमारे पास है वह हमारे जीवन-काल में ही कम या अधिक हो जायगा। सम्पत्ति का हमारा वर्तमान विभाजन यदि हमें स्थायी मालूम पड़े तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि मारी गई है। हमारे कानूनों में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का यह फल होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से किसी की जेब में से पैसा निकल कर दूसरी की जेब में चला जाता है। हमारी विनिमय की दर में घटा-बढ़ी होने से किसानों की प्राय में तुरन्त घटा-बढ़ी हो जाती है।



तो इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो कुछ हमारी पुरानी प्रथाओं के अनुसार या वर्तमान कानून-कायदों के अनुसार हमारे हिस्से में आया हुआ है उस में परिवर्तन होगा। ये पुरानी प्रथाएँ और कायदे कानून ही जब अस्थायी हैं तो फिर इनके अनुसार होने वाला आय का हमारा विभाजन कैसे स्थायी हो सकता है, विशेषकर उस दशा में जब हम उससे सन्तुष्ट भी नहीं हैं ? इसलिए हमारा इस प्रश्न पर फिर विचार करने का दर्वाजा हमें खुला ही समझ कर चलना चाहिए।

जब कानून-कायदों के परिवर्तन से हमारी आय में बड़ा-बढ़ी होती है और आगे भी होगी तो अब हमें यह मालूम करना चाहिए कि वे कौन से परिवर्तन हैं जो दुनिया को निवास करने के लिए श्रेष्ठतर स्थान बना देंगे। साथ ही हमें यह भी तय करना चाहिए कि ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जो हमारे लिए या दूसरों के लिए घातक हैं और जिनका हम को प्रतिरोध करना चाहिए। इस तरह हम किसी निश्चय पर पहुँच जाएँगे और वह लोकमत के रूप में एक प्रेरक शक्ति बन जाएगा, जो किसी भी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है।

किन्तु कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं सोच सकता, जैसे एक व्यक्ति दूसरे के लिए रखा नहीं सकता। हर एक को अपने विचार स्वतन्त्र बनाने की जरूरत है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें अन्य सब लोगों के विचारों की आर से आँखें मूँद लेनी चाहिए। ऐसी कितना ही बातें होती हैं जिनमें दूसरों को सम्मनियों पर निर्भर रहना होता है। अतः दूसरे लोगों ने जो कुछ सोचा है, हमें उसमें भी लाभ उठाना चाहिए।

हर एक आदमी को खुद सोचने की जरूरत इसलिए है कि वास्तव में निर्णीत प्रश्न कभी निर्णीत नहीं होते। उनके उत्तर सदा अधूरे और पूर्ण मन्थ से दूर होते हैं। हम नियमों और संस्थाओं का निर्माण करते हैं इसलिए कि उनके बिना हम समाज में नहीं रह सकते; किन्तु चूँकि हम स्वयं अपूर्ण हैं, इसलिए हम उन संस्थाओं को पूर्ण नहीं बना पाते। यदि हम पूर्ण संस्थाओं का निर्माण कर भी लें तो उन्हें नित्य और

सर्वत्रिक नहीं बना सकते । कारण, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं । इस प्रकार हम जब स्थायी कानून नहीं बना सकते तो उनसे सम्बन्धित प्रश्नों का हल भी स्थायी नहीं निकल सकता ।

हम कह सकते हैं कि हमें तो इस स्थिति में युग बीत गए ! यह सच है, किन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि जिन प्रश्नों पर लोगों का ध्यान कभी युगो तक नहीं जाता. वे लोगों के सामने यकायक भूकम्प की तरह आ खड़े होते हैं और उन पर उन्हें विचार करना ही होता है । सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न एक ऐसा ही प्रश्न है । वह युगों के बाद यकायक लोगों के सामने आया है । इसलिए उस पर फिर विचार करना ही होगा ।

जब हम यह कहते हैं कि लोगों का ध्यान इन प्रश्नों की ओर युगों में नहीं गया तब हम को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि विचारशील लोगों का ध्यान इस ओर सदा गया है । पश्चिम में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने लोगों को धनी और गरीब आलमी और अनिश्चयी—इन दो भागों में विभक्त करने का विरोध किया है । उन लोगों का वह अरण्य-रोदन ही था । मामूली लोगों ने उसे तब सुना जब यूरोप की धारममात्रों में साधारण राजनातिशों ने चिह्ला-चिह्ला कर कहा कि सम्पत्ति का वर्तमान विभाजन इतना विषम, भोग्य, हास्यास्पद, असहनीय और दुष्टतापूर्ण है कि उसमें भारी परिवर्तन किए बिना सभ्यता को नारा से नहीं बचाया जा सकता ।

इसलिए सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न अत्यावश्यक और अभी तक अनिश्चित है । इस पर हमें फिर विचार करना चाहिए ।

: २ :

## विभाजन कैसे करें ?

देश में सम्पत्ति हर साल पैदा होती है और हम उसी से जीवित रहते हैं । रुपया वास्तव में सम्पत्ति नहीं है । वह तो मोने, चादी, तांबे या कागज का टुकड़ा मात्र है । उसके द्वारा आदमी को अमुक परिमाण

में अन्न, वस्त्र आदि, जो भी वह चाहे, स्वरीदने का कानूनी हक मिल जाता है। हम रुपये को खा नहीं सकते और न पी या पहिन ही सकते हैं। अतः वास्तविक सम्पत्ति तो वे चीजे ही हैं जिन पर हम निर्वाह करते हैं और जो हर साल पैदा होती हैं। यदि यह असली सम्पत्ति हर साल पैदा न की जाय तो कोई भी जाति जीवित न रह सकेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि समस्त जाति जब तक वह जीवित है, क्या कर खावे। इस प्रकार जो कुछ भी कमाया जाय उसे सब लोगों में इस तरह से बाँट देना चाहिए कि हर एक को उसका न्यायानुमोदित भाग प्राप्त हो जाय। यही साम्यवाद है। किन्तु सवाल तो यह है कि न्यायानुसार उसमें से हर एक को कितना धन मिले और किन शर्तों पर उसको उस पर अधिकार रखने दिया जाय ? यह नियम बनाया जा सकता है कि जो काम न करे, उसका खाने को भी न मिले। किन्तु उस दशा में बच्चों का क्या हो ? यदि उनको न खिलाया जाय तो दुनिया में मनुष्य-जाति नष्ट ही हो जायेगी; अतः इस नियम से काम न चलेगा।

एक विधवा है जो बड़ी मेहनत करती है और जिसके छः बच्चे हैं। वह अपना और उनका आधा पेट मुश्किल से भर पाती है। किन्तु दूसरी और एक आलसी और इन्द्रियासक्त धनी युवक है जो खान-पान, सवारी मिनेमा और विलासिता में एक दिन में ही इतना खर्च कर डालता है जितना कि छः मजदूर परिवारों के लिए एक महीने तक काफी हो सकता है। क्या यह सम्पत्ति के विभाजन का बुद्धि-संगत तरीका है ? क्या यह अधिक अच्छा न होगा कि विधवा को अधिक और इन्द्रियासक्त युवक को कम दिया जाय ? इन प्रश्नों का निर्णय खुद नहीं हो जाता। कानून के द्वारा हमको उनका फैसला करना पड़ेगा। यदि विधवा युवक के हिस्से का कोई पदार्थ ले ले तो पुलिस उसको जेलखाने में भेज देगी और उसके बच्चे भूरे-भूरे फिरेंगे या किसी अनाथालय की शरण लेंगे। यह क्यों होगा ? इसलिए कि वर्तमान कानून के अनुसार, उसके हिस्से में अधिक सम्पत्ति नहीं आई। अधिकतर लोगों को जब यह मालूम हो जाता है तो वे मोचते हैं कि कानून बदला जाना चाहिए।

आज हमारे देश में अनेकों ऐसी विधवायें हैं जो चक्की पीस कर सूखे टुकड़ों पर और चिथड़ों में अपने दिन काटती हैं ! अगणित लोग दिन भर श्रम करने के बाद भी मुश्किल से आधा पेट खाना पाते हैं; किन्तु दूमरी और मालदार घरानों की सेठानियों मोने से लदी हुई हवेलियों में बिना कुछ काम-धन्दा किये बैठी रहती हैं। उनके बच्चों के विवाह-शादियों में हजारों रुपये खर्च होते हैं। जब लोग यह सब देखते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा विभाजन भीषण अन्याय है, दुष्टता है और मूर्खता है।

धनियों के अलावा, जिनकी सख्या बहुत थोड़ी है, सभी अच्छा विभाजन चाहते हैं। उनमें से भी ऐसे महदय कितने ही हैं जा इस स्थिति की बुराई को स्वीकार करते हैं। अतः हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि सम्पत्ति के वर्तमान विभाजन के सम्बन्ध में लोगों में आम असंतोष है।

रुपया, कागज या धातु का एक टुकड़ा मात्र है, यह सहा है, किन्तु उसमें वर्तमान कानून के कारण अमली सम्पत्ति के खरीदने की शक्ति है, इसलिए जब हम धनी लोगों की पिजूलखर्चियों की चर्चा करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि वे धातु या कागज के उन टुकड़ों के रूप में देश की अमली सम्पत्ति को ही चर्चा करते हैं। इससे हमें रोष भी आता है। हम कहने लगते हैं कि देश की आय में से सेठ रघुमलजी को तो ६००० रुपये रोज मिलते हैं और फत्ता जाट को, जो खेती करता है, केवल छः पैसे। बेचारा सूखी रोटियाँ भी नहीं खा पाता। उसके फटे कुत्ते में से उसकी नङ्गी हड्डियाँ नजर आती हैं। यह भीषण अन्याय है। इतना कहने भर से काम नहीं चल सकता। हमें ठीक-ठीक सोचना होगा कि देश की आय में से सेठ रघुमलजी को कितना और फत्ता जाट को कितना मिलना चाहिए और क्योंकि रुपयों से ही चीजें खरीदी जाती हैं इसलिए हमें अमली सम्पत्ति अन्न, वस्त्र आदि का उचित बटवारा करने रुपये को ही उचित रूप में बाँटना चाहिए।

किन्तु जब हम सम्पत्ति को बाँटने की बात कहते हैं तो हम को यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सम्पत्ति श्रम से पैदा होती है। उसे भी

तो बॉटना चाहिए। पहिले काम होगा तभी तो हमारे पास सम्पत्ति होगी। यदि किसान श्रम न करें तो हम क्या खाएंगे ? उन टापुओं की बात जाने दीजिए जिनमें स्त्री-पुरुष धूप में पड़े रहते हैं और बन्दरों द्वारा तोड़ कर नीचे डाले हुए नारियलों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किन्तु जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ यदि हम लोग नित्य श्रम न करें तो भूखे मर जाएंगे। एक व्यक्ति आलसी होगा तो वह अपने हिस्से का श्रम अन्य किसी से कराएगा। यदि दोनों में से कोई भी श्रम न करेगा तो दोनों ही भूखों मरेंगे। प्रकृति ने हम पर श्रम करने का भार डाला है; इसलिए हमें सम्पत्ति की तरह श्रम का विभाजन करना पड़ेगा।

किन्तु यह आवश्यक नहीं कि सम्पत्ति और श्रम का विभाजन एकसा हो। एक व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक काम सकता है अन्यथा नाबालिग बच्चों को नहीं खिलाया जा सकता और जो वृद्ध और रोगी काम नहीं कर सकते वे भूखे मर सकते हैं। इस यत्र-युग में श्रम का अच्छा संगठन करके एक व्यक्ति पहले की अपेक्षा सैंकड़ों गुना अधिक पैदा कर सकता है, इसलिए वह अपने श्रम से कई श्रम करने में असमर्थ व्यक्तियों का निर्वाह आसानी से कर सकता है।

यंत्रों का प्राकृतिक शक्तियों जैसे वायु, जल और कोयलों में रहने वाली गर्मी के साथ संयोग करने से जा श्रम बचता है उससे मनुष्यों को श्रवकाश प्राप्त होता है। हमें इस श्रवकाश का भी विभाजन करना पड़ेगा। यदि एक आदमी दस घण्टे श्रम करके दस आदमियों का निर्वाह कर सकता है तो वे दसों आदमी इस श्रवकाश को कई तरह से विभाजित कर सकते हैं। वे एक आदमी से दस घण्टे काम लेकर शेष नौ को बिना श्रम भोजन, वस्त्र और पूरा आराम दे सकते हैं अथवा हरएक एक घंटा रोज काम करके नौ घण्टे श्रवकाश पा सकता है। वे ऐसा भी कर सकते हैं कि तीन आदमी काम करें और तीस के लिए निर्वाह-सामग्री पैदा कर दें, ताकि अन्य सातों को कुछ भी न करना पड़े। वे चौदह जितना खा सकें, तेरह नौकरों को खिला सकें और शेष तीन को काम पर लगाये रख सकें।

दूसरी व्यवस्था यह भी सम्भव हो सकती है कि वे सब जितना आवश्यक हो उससे नित्य अधिक काम करें, इस शर्त के साथ कि वे ज़रतक जवान न हों जायें और पढ़ लिख न जायें उन्हें काम न करना पड़ेगा और पचास वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद वे काम बंद कर शेष जीवन आराम में बिता सकेंगे। इस प्रकार श्रम, अयकाश और सम्पत्ति के न्याय विभाजन और पूर्ण दासता के बीच दीर्घियों तरह की भिन्न-भिन्न व्यवस्थाये हो सकती हैं। दास प्रथा, जर्माटारी प्रथा, पूँजीवाद, समाजवाद आदि सभी मूल में सम्पत्ति-विभाजन की भिन्न-भिन्न योजनाएँ हैं। इन प्रचलित विभाजन प्रथाओं को अपने हित में बदलने के लिए उनमें असतुष्ट व्यक्तियों और वर्गों ने घोर संघर्ष किये हैं, जिन्हें हम भ्रान्तियों कहते हैं।

सम्पत्ति-विभाजन के प्रश्न को हल करने के लिए कई योजनाएँ सामने आई हैं। यूरोप में ईसाई देवदूतों और उनके अनुयायियों ने एक कौटुम्बिक योजना का प्रचार किया था। उसके अनुसार उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी सारी सम्पत्ति एक सयुक्त भंडार में डाल देता था और अपनी आवश्यकतानुसार उसमें से लेता रहता था। छोटी छोटी धार्मिक जानियों में, जहाँ लोग साथ-साथ रहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, उस पर आज भी अमल किया जाता है। वे कुटुम्ब में इसका आशिक ही पालन करते हैं। जो कुछ कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे अपनी निर्जी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रख लेते हैं और शेष कुटुम्ब के स्वर्च के लिए दे देते हैं। अतः कुटुम्ब में भी शुद्ध साम्यवाद नहीं होता।

इस कौटुम्बिक साम्यवाद का पड़ोस में ही रहने वाले लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। हर एक घर में अलग पाना बनता है। दूसरे उसके लिए स्वर्च नहीं उठाते और न उनको उसमें हिस्सेदार बनने का ही हक होता है। आधुनिक नगरों में पानी आवश्यक सब लोगों की साम्य-वादी पद्धति से ही मिलता है। हर एक घर में पानी पहुँच सके, इसके लिए सभी लोग सामुदायिक कोष में जल-धर के नाम से पैसा जमा कराते हैं

और अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा पानी लेते हैं।

इसी तरह सड़के बनाने, उन पर रोशनी करने, पुलिस के सिपाहियों के गश्त लगाने, नदियों पर पुल बाँधने, कूड़ा-कंकड़ हटाने आदि कामों के लिए लोग पैसा देते हैं। कोई यह नहीं करता कि 'मैं रात में कभी सड़क पर नहीं जाता, मैंने पुलिस से अपने जीवन में कभी सहायता नहीं ली, नदी के उस पार मुझे कोई काम नहीं है और न मैं कभी पुल पर से गया ही हूँ, इसलिए मैं इन चीजों के खर्च के लिए कुछ नहीं दूँगा।' हर एक आदमी को मालूम है कि मिना रोशनी, सड़को, पुलो, पुलिस और सफाई के नगरों का काम नहीं चल सकता। सभी लोगों को इन सार्वजनिक सेवा-साधना से लाभ पहुँचता है। जो बात पुलिस के सम्बन्ध में, वही राष्ट्रीय सेना के सम्बन्ध में, यूनिवर्सिटी भवनों और कौंसिलों तथा ग्रामपंचायतों के भवनों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इन सभी का खर्च सार्वजनिक कोष से दिया जाता है, जिसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के कर दे कर भरते हैं, इसलिए इन सभी का साम्यवादी रूप है। इनसे सम्पत्ति का विभाजन सव-हित की दृष्टि से होना है। ✓

इस साम्यवाद को कायम रखने के लिए जब हम कर देते हैं तो हम सार्वजनिक कोष में अपना सर्वस्व नहीं दे डालते, अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं, जिसका अनुमान हमारी चल-थचल सम्पत्ति से किया जाता है। इस प्रकार कुछ बहुत कम देते हैं और कुछ बहुत अधिक; किन्तु लाभ सब समान ही उठाते हैं। अजनबी और बेघर वाले देते कुछ नहीं; किन्तु लाभ उतना ही उठाते हैं। जवान और बूढ़े, राजा और रंक, धर्मात्मा और दुरात्मा, काले और गोरे, मितव्ययी और खर्चाले, शराबी और समझदार, भिखारी और चोर, सब इन साम्यवादी सुभीतो और साधनों का, जिन पर इतना खर्च होता है, समान उपयोग करते हैं।

हम जब पुनो से नदी पार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो ये कुदरती हैं। जब सड़क पर चलते हैं तो भी हमें यह भान नहीं होता कि उस पर हमने कुछ खर्च किया है; किन्तु यदि पुलों को टूट जाने दिया जाय और हमें तैर कर या नाव के सहारे नदी को पार करना पड़े तो हमें

साम्यवाद की उपयोगिता का पता लग जायगा। यदि सड़कों की जगह फ़र्शा रेतीला रास्ता ही रहने दिया जाय तो हमारी तागा, बग़ी आदि सवारियों और बोझा ढोने वाली बैलगाड़ियों हमें दूधी कष्टकर प्रतीत होगी। तब हमें मालूम हो जायगा कि साम्यवाद वास्तव में एक सुविभाजनक व्यवस्था है। साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार स्वचंच की हुई सम्पत्ति से सभी लोगों को समान सुख मिलना है।

पुल की तरह जिस चीज का व्यवहार हर एक आदमी करता है, हम राष्ट्रीय सम्पत्ति में से उसी की व्यवस्था कर सकते हैं, या जिससे हर एक को लाभ पहुँचे वही चीज सामाजिक सम्पत्ति बनाई जा सकती है। पानी की तरह हम शराब का ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते कि उसे शराबी जितनी चाहे उतनी पा सके। ऐसी शरीर और मस्तिष्क को बिगाड़ देने वाली और बुराइयों को जन्म देने वाली चीज के लिए तो लागू कर न दे कर जेल जाना पसन्द करेंगे। इसलिए जिस चीज को सब काम में नहीं लेते या जिसको सब पसन्द नहीं करते उसे समाज की सम्पत्ति बनाने से तो भगड़े ही उटेंगे।

लोग बागों, तालाबों, खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, चित्रशालाओं, अन्वेषणालयों, प्रयोगशालाओं और अजायबघरों के लिए कर दे सकते हैं; क्योंकि वे इन्हे उपयोगी और मभ्यता के लिए आवश्यक समझते हैं।

चीजों का इतना विभाजन कुछ तो कौटुम्बिक साम्यवाद द्वारा और कुछ सड़कों, पुलों आदि विषयक कर-दाताओं के आधुनिक साम्यवाद द्वारा किया जा सकता है; किन्तु अविर्काश वेंटरा हमें रुपये के रूप में ही करना पड़ेगा। क्योंकि रुपये से हम जो चाहे खरीद सकते हैं, दूसरों को नहीं सोचना पड़ता कि हमें क्या चाहिए।

दुनिया में क़रना एक अत्यन्त सुविभाजनक वस्तु है। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। कहते हैं कि रुपया सब बुराइयों की जड़ है; किन्तु यह उसका अपराध नहीं है कि कुछ लोग उसे मूर्खता या बर्ज़ावश अपनी आत्माओं से भी अधिक प्यार करते हैं।



## विभाजन की सात योजनायें

समर्पित के विभाजन की सबसे अच्छी योजना क्या है, यह मालूम करने के लिए हमको सभी सम्भव योजनाओं पर विचार कर लेना चाहिए।

यह योजना बहुधा पेश की जाती है कि प्रत्येक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समर्पित का उतना भाग मिल जाया करे, जितना उसने अपने श्रम से पैदा किया हो। जैसे दिखने में यह पहली योजना योजना ठीक प्रतीत हाता है: किन्तु जब हम इसको व्यावहारिक रूप देने लगते हैं तो अनेक कठियाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। प्रथम तो यह मालूम करना ही कठिन होता है कि हरएक ने कितना पैदा किया। दूसरे टोस पदार्थों का निर्माण ही दुनिया में एकमात्र काम नहीं है। समाज में अधिकतर काम सेवा के रूप में होता है।

एक पिन बनाने का कारखाना है। उसमें एक मशीन से लाखों पिन तैयार होती हैं और मैकडॉग आदमी काम करते हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि मशीन चलाने वाले व्यक्ति के श्रम से कितनी पिन बनी; कितने पिन मशीन के आविष्कारक को और कितनी मशीन के इंजीनियर को मिलनी चाहिए। एकान्त जगल में रहने वाला कह सकता है कि अपनी कुटिया मैंने खुद बनाई है। उसमें किसी दूसरे का श्रम नहीं लगा; किन्तु सम्य समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कुर्सी, मेज, मोटर आदि जिन वस्तुओं का वह नित्य उपयोग करता है, वे उसके अकेले के श्रम से बनी हैं। वास्तव में उन चीजों के बनाने में उसके निजी श्रम के अलावा दर्जनों आदमियों का श्रम लगा होता है। ऐसी दशा में जो जितना पैदा करे, उसको उतना ही देने की कोशिश करना ठीक वैसा ही सिद्ध होगा जैसा किसी तालाब में से पानी की उतनी

ही बूट्टे निकालने की कोशिश करना जितनी वर्षों के समय उसमें गिरी हो ।

यह सम्भव हो सकता है कि हरएक को काम के घंटों के हिसाब से पैसा दे दिया जाए, किन्तु उन दशा में कुछ चर पसे घन्टा मांगेंगे, कुछ चार रुपया घन्टा और कुछ चार सौ रुपया घन्टे में राजी न होंगे । ये भाव इस बात पर निर्भर रहते हैं कि काम करने वालों की संख्या कितनी है और वे गरीब हैं या धनी । जब मजदूरों की संख्या अधिक होती है और उन्हें काम नहीं मिलता तो वे इतनी थोड़ी मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं कि जिसमें वे दो समय केवल अपना पेट भर सकें । कुछ स्थानों में तो नित्य की बेकारी के कारण माध्यम मजदूरी की दर इतनी थोड़ी रह गई है कि लोगों का पेट भी नहीं भरता । उदाहरण के लिए चार पैसों में हम एक मजदूर से घंटा भर लम्बी बिरवा सकते हैं अथवा एक माल बोझा उठवा सकते हैं । इसके विपरीत हमारा डाक्टर हम से एक घन्टे के चार रुपये माँग सकता है और एक बेसिन्टर एक घंटा पैसा कमाने के लिए चार सौ रुपये में भी आनकाता कर सकता है । हम डाक्टरों और बैरिस्टर्स को इतना अधिक क्यों देते हैं ? इसलिए कि ऐसे लोगों की संख्या कम होती है और दुनिया में ऐसे मजदूरों और मुकदिलों की कमी नहीं है जो उन्हें बड़ी-बड़ी रकमें देते रहते हैं । जो बड़ी रकमें नहीं दे पाते, उन्हें उनसे मदद भी नहीं मिलती । अर्थशास्त्र की भाषा में यह उचित और माँग का नियम कहलाता है ।

किन्तु इस नियम से जो परिणाम पैदा होते हैं, उनका हम वाञ्छनीय नहीं कह सकते । यदि एक व्यक्ति को एक घंटे में सिर्फ चार पैसा मिले और दूसरे को चार सौ रुपया तो क्या समझि का यह विभाजन उचित होगा, नैतिक होगा ? पश्चिमी देशों में मुन्दर मृत्पाकृति और हाव-भाव वाला एक बालक, जो अभिनय कला में थोड़ी गति रखता हो, माध्यम व्ययमाय में दिन-रात धिम धिम करने वाले अपने बाप को अपेक्षा से बड़ा गुना अधिक कमा सकता है । आज कौन नहीं जानता कि एक मुन्दर बुद्धो पतिव्रता स्त्री को तुलना में दुःखतरण द्वारा क्या अधिक कमा सकती है ?

डाक्टर और वैरिस्टर जब सामान्य मजदूर की अपेक्षा अधिक पैसा माँगते हैं तो वे कह सकते हैं कि उनके एक-एक मिनट के पीछे उनकी वपों की मेहनत लगी हुई है। हर एक आदमी यह स्वीकार करेगा कि साधारण मजदूर और डाक्टर-वैरिस्टर की मजदूरियों में अन्तर रहता है; किन्तु यह कह सकना बड़ा कठिन है कि समय अथवा रुपये पैसे के रूप में उन अन्तर का ठीक परिमाण क्या है और क्या होना चाहिए। इसी-लिए हमको उत्पत्ति और माँग के नियम का आश्रय लेना पड़ता है।

कुछ काम का ठोस परिणाम निश्चलता है और कुछ का नहीं। उदाहरण के लिए, किसी ग्वाती ने जानवरों को खेत में जाने से रोकने के लिए लकड़ी का एक पाटक बनाया। यह उसकी मेहनत का ठोस फल हुआ, जिसको तबतक वह अपने कब्जे में रख सकता है जबतक उस को उसके बनाने की मजदूरी न मिल जाय। किन्तु वह देहाती लकवा, जो खेत पर पत्ती उड़ाने के लिए हल्ला किया करता है, अपने काम का ऐसा कोई परिणाम नहीं बना सकता; हालाँकि उसका काम खाती के काम बिना ही आवश्यक होता है। डाकिया कुछ नहीं बनाता, वह चिट्ठियाँ और पासले बाँटा है। पुलिस का मिपाही कोई चीज नहीं बनाता और मैजिक न केवल बनाता ही नहीं है, उल्टा पदार्थों को नष्ट करता है। डाक्टर, वकील, पुरोहित, धारा मन्त्रियों के सदस्य, नौकर, राजा गनी और अभिनेता—ये सभी कौनसी ठोस चीजे बनाते हैं? जब ये काम कर चुकते हैं तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, जिसे तोला या मापा जा सके और तदनुसार उनको मजदूरी दी जा सके। अतः यह स्पष्ट है कि हर एक अपने श्रम से जितना पैसा करे, उसको उतना देने की अथवा हर एक के समय का मूल्य रुपये, आने, पाई में आँकने की कोशिश करना बेकार है। उसमें हम सफल नहीं हो सकते।

• कुछ लोगों का यह कहना है कि योग्यता के अनुसार सम्पत्ति का विभाजन होना चाहिए। उस दशा में आलसियों और दुष्टों को कुछ न मिलेगा और वे नष्ट हो जायेंगे तथा जो कुछ सम्पत्ति होगी, वह भले-परिश्रमी और क्रियार्थी लोगों को मिलेगी और वे पले-पूलेगे।

जो लोग आराम से रहते हैं, उन में से बहुत से समझते हैं कि आज-कल ऐसा ही होता है। उनकी यह धारणा रहती है कि पगिभमी, समझदार और मितव्ययी लोगों को कमी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता और आलमी, शरान्गोर, जुएचाज, वेईमान दूसरी योजना और दुश्चरित्र कगाल होने हैं। वे कह सकते हैं कि सदाचारी मजदूर की अपेक्षा दुर्गचारी मजदूर का काम प्रान करने में अधिक कठिनाई होती है, जो किमान या जर्मादार जुआ खेलता है और अनाप-शनाप खर्च करता है उसकी जमीन हाथ से निकल जाता है और वह कगाल हो जाता है तथा जो व्यापारी मुश्न होता है और अपने धन्ये की तरफ ध्यान नहीं देता, वह दिवालिया हो जाता है; किन्तु इसमें यह सिद्ध नहीं होता कि उन को जो कुछ मिलता है वह उनका योग्य हिस्सा होता है। इसमें इतना ही पता चलता है कि कुछ कमज़ारियों और बुगड़ियों के कारण मनुष्य दरिद्र हो जाता है। किन्तु साथ ही कुछ ऐसी बुराइयों भी हैं जिनके कारण मनुष्य धनी बन जाता है। कठोर, स्वार्थी, लालची, निर्दयी और अपने पड़ोसियों से लाभ उठाने के लिए मदा नत्पर रहने वाले लोग, यदि इतने बुद्धिमान हों कि अपने हाथों से अपने पापों पर कुल्हाड़ी न मारे लें, शायद ही धनवान बन जाते हैं। इस के विपरीत गरीब घर में पदा हुए उदारचेता, ममाज-सेरी और मिलनसार लोग, अतक उन में असाधारण प्रतिभा न हो, गरीब ही रहते हैं। इतना ही नहीं, आज जैसी स्थिति है, उस में कुछ गरीब ही पैदा होते हैं और कुछ माने के पालने में जन्म लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे चरित्र-निर्माण के पहले ही धनी और गरीब की श्रेणियों में बंट जाते हैं। यह स्पष्ट है कि आज योग्यतानुसार सम्पत्ति का विभाजन नहीं होता। इस समय आम हालत यह है कि थोड़े से आलमी बहुत मालदार हैं और अनेक कठोर परिश्रम करने वाले अल्पन्त कगाल हैं। भारतीय किसान, जिनकी भर-पेट भोजन और तन ढकने लायक काफी कपड़ा भी नहीं मिलता और जो मिट्टी के मामूली कच्चे घर और भोंसड़ियों में दिन बिताने हैं, वे उन दुकानदारों और धनवानों में

अधिक चरित्रवान् हैं जा कुछ श्रम नहीं करते, घर खाते, पहनते और अर्वादि करते हैं और अँची-ऊँची हवेलियों में रहते हैं।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि आज सम्पत्ति का विभाजन योग्यता के आधार पर नहीं होता है तो क्यों न ऐसी कोशिश करे जिससे भले आदमी धनी और बुरे आदमी दरिद्र हो जायें ? किन्तु इसमें कई कठिनाइयों हैं। प्रथम तो क्रिमी की योग्यता का मूल्य रूपों में कैसे आँका जा सकता है ? एक गाँव है, जिसमें लुहार भी रहता है और पुजारी भी। योग्यता के अनुसार उन दोनों में हमको सम्पत्ति का विभाजन करना है। लुहार को पुजारी जितना दिया जाय या पुजारी से दूना या आधा या कितना कम या कितना अधिक ? पुजारी का दावा है कि वह 'हनूमान चालीसा' का पाठ करके भूत-प्रेत को भगा सकता है; किन्तु लुहार के पान तो अपने धन के निवा कुद्व नहीं। हाँ, वह घोड़े की नाल अत्यन्त श्रेष्ठ बना सकता है। यह काम पुजारी सत जन्म में भी नहीं कर सकता। तो सबाल यह है कि 'हनूपान चालीसा' की कितनी चौपाइयों घोड़े की एक नाल के बराबर मानी जायें ? हम यह मालूम कर सकते हैं कि बाजार में सेंसर भर घी के बदले कितना अन्न मिल सकता है, किन्तु अन्न मानव प्राणियों का मूल्य आँकने तो हमें मानना होगा कि ईश्वर के दान में उन सब का समान मूल्य है। उनकी योग्यता के अनुसार सम्पत्ति का बंटवारा करना मनुष्य की माय और निर्णय-शक्ति के बाहर की बात है।

सम्पत्ति के विभाजन की तीसरी योजना उन लोगों की है जो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाले उसी पुराने और मीधे सादे नियम में विश्वास रखते हैं; किन्तु इस नियम की घोषणा राजसूय नीमरी योजना क्वचित ही की जाती है। वे कहते हैं कि हर एक अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार ले ले; किन्तु इससे दुनिया में शान्ति और सुरक्षितता का नामोनिशान भी न रहेगा। यदि हम सब बल और चालाकी में समान हों तो हमें समान अवसर मिल जायेंगे, किन्तु जिस दुनिया में बालक, वृद्ध और रोगी भी रहते हों और समान

अवस्था तथा शक्ति वाले तन्दुरुस्त बरस्क लोग भी लालच और दुष्टता में एक-दूसरे से बहुत भिन्न हो, उसमें यह योजना नहीं चल सकती। कुछ ही समय में हमें उनसे हार माननी होगी। समुद्री लुटेरों और जंगली डाकुओं के दल तक लूट के माल के विभाजन के लिए धागामस्ती के बजाय शान्ति-पूर्ण निर्धारित समझौते को पसन्द करते हैं।

हमारे सम्य समाज में यद्यपि उकैती और हिंसा का निषेध है, फिर भी हम व्यवसाय को ऐसे मिद्धान्त पर चलने देते हैं जिसके अनुसार दूसरे का कुछ भी खयाल किए बिना हरएक चाहे जितना नफा कमा सकता है। एक दूफानदार या व्यापारी हमारी जेब भले हाँ न काटे, किन्तु वह अपनी चीजों की इच्छानुसार मनमानी कीमत ले सकता है। व्यवसाय में हम बात की स्वतन्त्रता मिली हुई है कि वह जिस हद तक आदक को राज़ कर सके उस हद तक अपने रुपये के बदले अधिक ले सकता है या कम दे सकता है। मकानों की कीमत अथवा किरायेदारों की दरिद्रता का कुछ भी खयाल किये बिना मकानों का किराया बढ़ाया जा सकता है। दुनिया की उद्योग-धन्धों में आगे बढ़ी हुई जातिपों अपनी तैयार चीजें उद्योग-धन्धों में पिछड़ी हुई जातियों पर थोप कर मालदार हो सकती हैं।

सम्पत्ति के विभाजन की चौथी योजना यह है कि केवल कुछ लोगों को बिना कुछ परिश्रम कराये धनी बना दिया जाय और बाकी सब से सव मेहनत कराई जाय। उनके परिश्रम से जो पैदा चौथी योजना हो उसमें से उन्हें केवल इतनी मजदूरी दी जाय कि वे जीवित भर रह सकें और मरने या बुढ़्दे होने के बाद मुलामी कर्ने के लिए बाल-बच्चे पैदा कर जायें। मोटे तौर पर आजकल यही होता है। हम प्रतिशत लोग देश की ६० प्रतिशत सम्पत्ति पर अधिकार जमाये हुए हैं। जेब ६० प्रतिशत में से अधिकश के पाम कोई सम्पत्ति गरी है। वे अत्यन्त अल्प मजदूरी पर कालों की हालत में जीवन निर्वाह करते हैं। हम योजना का यह लाभ बतलाना जाता है कि

यह उनके बीच में धनिकों का एक वर्ग पैदा कर देती है जो नवचौली शिक्षा द्वारा अपने को नुसन्हुत बना लेता है और उससे ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि देश पर शासन कर सके; कानून बना कर उनकी रक्षा कर सके; राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना संगठित कर उसका संचालन कर सके; विद्या, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, धर्म और उन चीजों को जो मनुष्य सभ्यता और प्रामाण्य जीवन के अन्तर को स्पष्ट करती हैं, सरक्षण देकर जीवित रख सके; प्रिण्टाल भवन निर्माण करा सके, मङ्कीली पोशाक पहिन सके; गवारा पर रोब गाँठ सके और सभ्यता तथा शौकीनी के जीवन का उदाहरण पेश कर सके। जैसा कि व्यवसायी खगल करते हैं, सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आवश्यकता से अधिक देकर उन्हें बड़ी मात्रा में अतिरिक्त रूपया बचाने का अवसर देते हैं। इसी रूपसे को पूँजी कहते हैं।

यह योजना, जिसे अल्प जन-सन्तावाद कहते हैं, समाज को भद्र और साधारण दो भागों में विभक्त करती है। भद्र लोग सभ्यता पर और साधारण लोग श्रम पर जीवन निर्वाह करते हैं। यह कुछ को धनी और बहुता को कगाल बना देने वाली योजना है, जो दीर्घकाल से चली आई है और अब भी चल रही है। यह स्पष्ट है कि यदि धनिकों की आमदनी छीन कर गरीबों में बाँट दी जाय तो भी उनकी गरीबी में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा; किन्तु इससे पूँजी का मिलना बन्द हो जायगा, कारण फिर कोई कुछ भी बचा न पायगा। धनिकों को प्रामाण्य अट्टालिकाओं की हालत विगड जायगी और विज्ञान, कला, साहित्य तथा सारी सभ्यता का लोप हो जायगा। यही कारण है कि इतने अधिक लोग वर्तमान पद्धति का समर्थन करते हैं और स्वयं कगाल होने हुए भी धनिक वर्ग का साथ देते हैं।

किन्तु इस योजना से भयंकर बुरादर्यो पैदा होती हैं। ये भद्र लोग उन कामों को नहीं करते जिनकी करने के लिए उन्हें बड़ा बनाया गया था। उद्देश्य श्रेष्ठ होने हुए भी वे देश का शासन बुरी तरह से करते हैं; कारण, वे जन-साधारण से इतने अलग रहते हैं कि उनकी

आवश्यकताओं को समझते ही नहीं। वे जन-साधारण को और भी कठिन परिश्रम करने और कम वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। वे खेलों, दावतों और तडक-भडक पर रुपयाँ के दरिया बहा देते हैं और विज्ञान, कला और शिक्षा पर बहुत कम खर्च करते हैं। वे उत्पादक श्रम के बजाय व्यर्थ के व्यक्तिगत कामों में अपव्यय करते हैं और बड़े परिमाण में दरिद्रता को जन्म देते हैं। वे मैनिक कर्तव्यों से जी चुराते हैं या सेना का देश में अन्याचार करने और विदेशों में लोगों को गुलाम बनाने का माधन बना लेते हैं। अपनी प्रशंसा की त्वाँतिर तथा अपने दुष्कृत्यों पर परदा डालने के लिए वे विश्वविद्यालयों और स्कूलों की शिक्षा को भ्रष्ट कर देते हैं। धर्ममस्थाओं के माथ भी वे ऐसा ही करते हैं। अपने अस्तित्व को और भी अनिवार्य सिद्ध करने के लिए वे जनसाधारण को द्रष्टि, मृग और पराधीन बनाये रखने की चेष्टा करते हैं। अन्त में उन्हें कतथ्य उनके हाथों से छुड़ाने पड़ते हैं।

जब ऐसा होता है तो इस धनी वर्ग का कायम रखने के सामूहिक और राजनीतिक मारे कारण गायब हो जाते हैं। फिर भी दूसरों के हिता का बलिदान कर अत्यधिक धनियों का एक वर्ग बनाये रखने के पक्ष में एक कारण शेष रह जाता है। व्यवसायी उसको मत्र से प्रबल कारण समझते हैं। वह कारण यह है कि उससे पूर्ण जी उपलब्ध होनी है। वे कहते हैं कि यदि आय अधिक समान रूप से बँटी जायगी तो सभी लोग अपनी सारी आय खर्च कर देंगे और यंत्रा, रेलों, टानों और कारखानों के लिए कुछ न बचेगा। अवश्य ही महान् सम्यता के लिए कृपया बचाया जाना चाहिए; किन्तु उसके लिए प्रस्तुत पद्धति से बढ कर अपव्ययी पद्धति की कल्पना नहीं की जा सकती। अत्यन्त मालदार लोगों के शरों में कहा जा सकता है कि जबतक खर्च करना सम्भव हो तबतक वे रुपया बचाना शुरू नहीं करते। वे निरन्तर नवीन और महंगी किन्नूल-गुनियों का आग्रिष्कार करते रहते हैं। इस तरह लोग उन्हें जो रुपया व्ययमार आदि के लिए देने हैं उनका बड़ा भाग वे भांग दिनामों में हूँक देते हैं। इस व्ययसा के बजाय तो मरकार अपनी आय का एक



भाग पूँजी के तौर पर खव छोड़ने के लिए हमें मजबूर कर सजती हैं । वे ढँको को राष्ट्रीय सम्पत्ति बना सकती हैं । व्यवसायों के लिए पूँजी जुटाने की समस्या का हल इस प्रकार अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है ।

अब हम सम्पत्ति के विभाजन की पाँचवीं योजना पर विचार करेंगे । इसके समर्थक कहते हैं कि समाज को श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाय

श्रोग विभिन्न श्रेणियों के बीच असमानता चाहे भले पाँचवीं योजना ही रहे, किन्तु एक श्रेणी में हरएक को बराबर मिले ।

उदाहरणार्थ साधारण मजदूर को १५ रुपये मासिक, कुशल कारीगर को २५ या ३० रुपये मासिक, न्यायाधीशों को ५०० रुपये मासिक और मंत्रियों का ४ हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाय ।

कहा जा सकता है कि आजकल भी तो ऐसा ही होता है । अवश्य ही बहुत बार ऐसा होता है, किन्तु ऐसा कोई कानून नहीं है कि अलग-अलग तरह का काम करने वालों को एक-दूसरे से कम या अधिक दिया जाय । इस तरह सोचने की हमारी यादत ही पड गई है कि अशिक्षित लोगों की अपेक्षा जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, अध्यापकों, डाक्टरों और न्यायाधीशों को शिक्षित होने के कारण अधिक देना चाहिए, किन्तु आजकल एक एजिन-ड्राइवर, जो न तो भद्र पुरुष होने का दावा करता है और न जिसने कालेज की शिक्षा ही पाई होती है, कई अध्यापकों और कुछ डाक्टरों से अधिक कमाता है । इसके विपरीत कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध डाक्टरों को चालीस साल की अवस्था तक जीवन-निर्वाह के लिए कठोर मंथन करना पडता है । इसलिए हमको यह गलत खयाल न बना लेना चाहिए कि शारीरिक शक्ति और स्वाभाविक चतुराई की अपेक्षा भद्रता और शिक्षा के लिए हमको आजकल अधिक देना चाहिए या हम हमेशा अधिक ही देते हैं । बहुत पडे-लिखे लोग बहुधा थोडा या कुछ नहीं कमा पाते और याजीविता-इच्छुक व्यक्ति के लिए कुलीनता सम्पत्ति के अभाव में सुविधा के बजाय बाधा सिद्ध हो सकती है । व्यापारिक जगत में ऐसे आदमी बहुधा लम्बपति या करोडपति हो जाते हैं जिनके पास

कुर्लानिता या शिक्षा कुछ नहीं होती और सत्पुरुषों अथवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भयंकर दरिद्रता में जीवन बिताया है और मरने के पहिले उनकी महानता को किसी ने जाना तक नहीं।

हमें इस खयाल को भी घटा ब्रता देनी चाहिए कि कुछ काम करने वालों को दूसरों की अपेक्षा जीवन-निर्वाह के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। जितना भाजन-भक्षा एक मजदूर को स्वरथ रखने के लिए काफी होगा उतना ही एक राजा के लिए भी काफी होगा। बहुत से मजदूर एक राजा की अपेक्षा बहुत ज्यादा खाते-पीते हैं और उन सबके कपड़े भी तो घड़ी बल्दा फट जाते हैं। यदि हम राजा का भक्षा दूना कर दें तो वह न दूना खाने-पीने लगेगा और न दूनी निश्चिन्तता से सोयेगा।

यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर हम कुछ को आवश्यकता से अधिक और कुछ को कम क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि हम बहुत करके उन्हें देने नहीं हैं। हमने व्यवस्था नहीं की कि हरएक को कितना मिले। भाग्य और शक्ति पर छांड़ दिया है, इसलिए उनको मिल जाता है। हाँ, राजा और दूसरे राज्याधिकारियों के लिए जरूर व्यवस्था की गई है कि उनको खामी रकम मिलनी चाहिए। कारण, हम चाहते हैं कि उन का विशेष रूप से आदर-सम्मान हो; किन्तु अनुभव बताता है कि सत्ता श्राव के परिमाणानुसार नहीं है। पोप के बराबर यूरोप में और किसी का भय नहीं माना जाता, किन्तु कोई भी पोप को धनी आदमी खयाल नहीं करता। कभी-कभी तो उसके माता-पिता और भाई-बहिन बहुत विनम्र होते हैं और वह स्वयं अपने दर्जा और पमारी में भी गरीब होता है। जहाज़ का कप्तान प्रति-दिन ऐसे लोगों के साथ भाजन करने बैठता है जो उसके वेतन जितना रुपया पानी में फेंक दे और बरा भी चिंता न करें; किन्तु उसकी सत्ता इतनी विस्तृत होती है कि घमण्डी-से-घमण्डी यात्री भी उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने का साहस नहीं कर सकता। किसी पौजो प्लटन का कप्तान भले ही गरीब-से-गरीब क्यों न हो और उसके हरएक अधीनस्थ की आदरनी उसकी अपेक्षा दूनी से भी अधिक क्यों न हो; किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी अधिकार में वह

उनका अफसर होता है। रुपया अधिकार या सत्ता की कुञ्जी नहीं है। हम में से जो लोग व्यक्तिगत सत्ता का उपभोग करते हैं, उनको भी किसी तरह धनी नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश-ब्रिटिश मोटरगाड़ियों में फिन्ने वाले करोड़पति पुलिम के सिपाही की आज्ञा मानते हैं।

अवश्य ही धनिकों की शक्ति भी बहुत वास्तविक होती है। धनी आदमी अपने नौकरों में से जिस पर भी अप्रसन्न हो जाय उसको काम से अलग कर सकता है, यदि किसी व्यापारी का व्यवहार उसके प्रति सम्मानपूर्ण न हो तो वह उसका माल खरीदना बन्द कर दे सकता है; किन्तु अपनी शक्ति द्वारा दूसरे को बर्बाद करने की सुविधा पा लेना बिल्कुल दूसरी बात है और समाज में कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक सत्ता का होना दूसरी बात है। हम उस डकैत की बात मान सकते हैं जो हमारे सीने पर पिस्तौल तान कर कहे कि 'या तो सीधे हाथ से रुपया रख दो, नहीं तो उड़ा दिए जाओगे।' इसी तरह हम उस जमींदार की आज्ञा भी मान सकते हैं जो कहे कि या तो अधिक लगान दो, नहीं तो बाल-बच्चों सहित घर से निकल जाओ। किन्तु यह सत्ता के आगे नहीं, धमकी के आगे सिर झुकाना हुआ। वास्तविक सत्ता का रुपये के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। वास्तव में उनका व्यवहार राजा से लेकर चौकीदार तक ऐसे लोगों द्वारा होता है, जो अनेक शामिल लोगो की अपेक्षा दरिद्र होते हैं।

अभी जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय, यह सम्पत्ति-विभाजन की छठी योजना है। अधिकतर लोग इसके पक्ष में मत देते हैं। जिस बात में वे आदी हो गए हैं, उसको वे पसन्द न करते हैं तो छठी योजना भी वे परिवर्तन से डरते हैं कि स्थिति कहीं और भी बुरी न हो जाय; किन्तु कोई भी समझदार आदमी यह न मानेगा कि उदासीन रह कर स्थिति यथावत् रक्खी जा सकती है यह तो बदलेगी, हमारे देखते-देखते ही बदल गई है और निरन्तर बदल रही है। दूसरे वह इतनी खराब है कि कोई भी आदमी, जो यह जानता है कि वह खराब है, उसको ज्यों-की-स्यों रहने देना स्वीकार न करेगा।

जब स्थिति ज्यों-की-त्यों नहीं रहेगी, वह बदलेगी, तब उसकी तरफ से थोपें मूँद लेने से काम न चलेगा। इसलिए जरूरत इस बात की-है कि हम स्थिति को यों ही लुढ़कने न दें। रोक कर ठीक दिशा में चलाएँ। विचारपूर्वक सम्पत्ति का विभाजन करें। जैसा विभाजन इस समय हो रहा है, वह ठीक नहीं है।

सम्पत्ति-विभाजन की सातवी योजना माध्यवादी योजना है और वह यह है कि बिना इस बात का विचार किए कि अनुक आदमी कैसा है, उसका कितनी उम्र है, किस तरह का काम करता है, कौन है, सातवी योजना उसका पिता कौन था, हरएक को बराबर-बराबर हिस्सा दे दिया जाय। केवल यही योजना ठीक-ठीक काम देगी। सब से सन्तोषजनक योजना यही है। विभाजन की पहली का यही माध्यवादी हल है। समान आय में हमें भले ही सुन्दरता दिवाई न दे; किन्तु हम असमान आय के भयकर दुष्परिणामों को देख सकते हैं। जिन बुराइयों से हमें नित्य सघर्ष करना पड़ता है वे असमान आय के कारण ही पैदा होती हैं। इसलिए हमें राष्ट्रीय सम्पत्ति का विभाजन सब में समान हो करना चाहिए।

: ४ :

## निर्धनता या धनिकता ?

बुद्ध माधु-सन्तों के अलावा हरएक आदमी यही कहेगा कि जो योजना दरिद्रता का नाश न कर सके वह ग्राह्य नहीं हो सकती। (उन लोगों की दरिद्रता भी मजबूरन नहीं, स्वेच्छा से ग्रहण की हुई होती है।) इसलिए सबसे पहिले थोड़ी देर के लिए हम दरिद्रता का ही विचार कर लें।

यह आम तौर पर माना जाता है कि गरीब लोगों के लिए दरिद्रता अत्यन्त कष्ट-दायक और अभिशाप रूप सिद्ध होती है; किन्तु गरीब लोग, जो कड़ी भूख और ठंड से पीड़ित न हों, धनियों से अधिक दुःखी नहीं होते। गृध्रा वे सुखी ही अधिक होते हैं। हमें ऐसे लोग आमाना से

मिल सकते हैं जो बीस वर्ष की अवस्था की अपेक्षा साठ वर्ष की अवस्था में दस गुने अधिक धनी हो गए हैं; किन्तु उनमें से एक भी नहीं कह सकेगा कि उसके मुँह की मात्रा भी दस गुनी बढ़ गई है। सभी विचारशील लोग हमको विश्वास दिलाएंगे कि मुख-दुख मन और शरीर की स्थिति पर निर्भर करते हैं, रुपये के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। रुपया भूख का इलाज कर सकती है; किन्तु दुख को दूर नहीं कर सकती। भोजन क्षुधा को मिटा सकता है; किन्तु आत्मा को मन्तोप नहीं दे सकता। प्रसिद्ध जर्मन समाजवादी फर्डिनेण्ड लामाले ने कहा है कि गरीबों को दरिद्रता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उत्तेजन देने के मेरे प्रयत्न इसलिए सफल नहीं होते कि गरीब किसी बात की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते। अवश्य ही वे मन्तुष्ट नहीं हैं; किन्तु वे इतने असन्तुष्ट नहीं हैं कि अपनी स्थिति को बदलने के लिए भारी कष्ट उठाने को तैयार हो जायें। रहने के लिए आलीशान कोठी हो, शशारा पाते ही दौड़ने के लिए दस-बीस नौकर हों, पहिने के लिए नित्य नये-नये वस्त्राभूषण मिलते हों और खूब स्वादिष्ट पकवान खाने को मिले तो कौन ऐसा मन्दभागी धनी होगा जो अपने को सुखी न समझे? किन्तु बात यह है कि धनी इन चीजों से भी अघा जाते हैं। सवेरे दिन चढ़े उठना, शौच जाने और मुखमार्जन करने से पहिले ही चाय पान करना, उबटन और स्नान, भोजन और आराम, हवाखोरी और रात के बारह बजे तक नाटक-सिनेमा में वक्त गुज़ार देना अधिक सुखी होने की निशानी नहीं है। पश्चिमी देशों में यदि गरीब औरत को एक बड़ा मकान, बहुत सारे नौकर, दर्जनों पोसाकें, सुन्दर चेहरा और अच्छे बाल मिल जाएँ तो वह फूली न समावेगी; किन्तु धनी महिला जिसको ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं, बहुधा उन चीजों से दूर रहने के लिए अपने समय का बड़ा भाग कष्टकर स्थानों में भ्रमण करने में बिताती है। शाम-तौर पर एक नौकरानी की सहायता से नहाने-धोने, कोंच-कयी करने और बनने-ठनने में दिन के दो-तीन घंटे खर्च कर देना उन लोगों की तुलना में जो सिपाहियों की भाषा में ऐसे 'श्रमकारक' कामों में केवल पाँच ही मिनट खर्च करते हैं, प्रकटतः अधिक

सुखी होने की निशानी नहीं है। नौकर इतना हैरान करते हैं कि बहुत-सी महिलाएँ जब एक साथ मिलती हैं तो नौकरों की चर्चा के अतिरिक्त और किसी विषय पर शायद ही बात होती है। शराबी माधारण आदमों की अपेक्षा अधिक सुखी होता है, इसीलिए तो लोग शराब पीने लगते हैं। ऐसे द्रव्य भी मिलते हैं जिनका सेवन कर हम आनन्द में विभोर हो सकते हैं, किन्तु वे हमारे शरीर और आत्मा का नाश कर देंगे। हम किस मिट्टी के बने हैं यही देखने की बात है, हम इसकी चिन्ता कर ले। फिर मुख हमें स्वयं टूट लेगा। जो लोग ठीक ढाँचे में टले होते हैं वे जब नक स्थिति को ठीक रास्त पर नहीं ले आते आराम से नहीं बैठते किन्तु वे इतने स्वस्थ होते हैं और अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि सुख की चिन्ता ही नहीं करते। आधुनिक दरिद्रता वह दरिद्रता नहीं है जिसकी ईसा ने अपने पहाड़ पर के उपदेश में प्रशंसा की थी। आपत्ति यह नहीं है कि वह लोगों को दुखी बनाती है, बल्कि यह है कि वह लोगों को पतित करती है। वे इस पतन में भी उतनी ही खुशी मानते हैं जितनी उनमें अच्छी अवस्था वाले अपने बचपन में। यह और भी बुरा है। जब शैक्स्पियर ने अपने एक पात्र के मुँह से कहा—

Then happy low lie down

Uneasy lies the head that wears a crown.

(जब गरीब सुख को नाद मोते हैं तब वह बेचैन होता है जिम्मे सिर पर छत्र रक्खा है) तब वह भूल गया कि गरीबी में सुख मिलता है, यह कोई दलील नहीं है। केवल सुख की रिश्तत पास पतन के आगे सिर मुझाने के विषय हमारी दैवी चिन्तगारी कीध उठती है। वैसा सुख तो कोई ग़ूरर या शराबी भी पा सकता है।

हमारे सभी बड़े-बड़े शहरों में आज जैसी दरिद्रता मौजूद है वह गरीबों को पतित बनाती है और जहाँ गरीब रहते हैं उसके आम पान सर्वत्र पतन की छूट फैलती है। जो चीज पास-पड़ोस को पतित बना सकती है, वही देश को, महाद्वीप को और अन्त में सारी सम्प दुनिया को पतित बना सकता है; कारण, दुनिया भी एक विस्तृत पड़ोस ही तो है।

उसके दुष्परिणामों से धनी नहीं बच सकते। जब दरिद्रता से खतरनाक सन्नामक रोग फैलते हैं (आगे या पीछे वे हमेशा फैलते ही हैं) तो धनी भी उनके शिकार होते हैं और अपने बच्चा को अपने मुँह आगे मरता देखते हैं। इसी तरह उससे जब ग्रपराधों और हिंसा की बाढ़ आती है तो धनी दोनों ही के डर से भागते हैं और उन्हें अपनी और अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए बहुत साग रुपया खर्च करना पड़ता है। धनिकों के बालको को चाहे कितनी ही सावधानी के साथ अलग कबों न रक्का जाय, दरिद्रता के कारण पैदा होने वाली बुरी आदतों और गन्दी जवान को वे गरीबों से तुरन्त मीटा लेते हैं। यदि गरीब धरों की सुन्दर युवतिया समझें (वे समझती हैं) कि ईमानदारी से काम करने की अपेक्षा वे दुराचरण द्वारा अधिक रुपया कमा सकती हैं तो वे धनी युवकों के रक्त को विषमय कर देगी। ये ही युवक जत्र शादी करेंगे तो अपनी पत्नियों और बच्चों को भी उसी बीमारी की छूत लगा देंगे और उनको हर तरह के कष्ट पहुँचाने के कारण दनेगे। कभी-कभी अग-अग, नेत्र-हीनता और मृत्यु तक की नौबत पहुँचेगी। अन्यथा कुछ-न-कुछ उत्पात तो सदा होगा ही। यह पुगना खयाल है कि लोग अपने आप में मस्त रह सकते हैं और पड़ोम में या सौ मील दूर होने वाली घटनाओं का उन पर कुछ असर न होगा; किन्तु यह बहुत गलत खयाल है। हम आपस में भाई-भाई हैं। यह कोरी धार्मिक उक्ति नहीं है जो बिना किसी मतलब के धर्म स्थान में दुहराए जाने की गरज से कह दी गई हो। वह मूर्तिमान सत्य है। नगर का धनी हिस्सा गरीब हिस्से से दूर रह सकता है, किन्तु जब प्लेग आएगी तो गरीब हिस्से के साथ वह भी मरेगा, बच नहीं सकेगा। दरिद्रता का अन्त कर चुकने के बाद ही लोग अपने आप में मस्त रह सकेगे। जवनक ऐसा नहीं होता, वे दरिद्रता के दृश्यों, शोर-गुल और दुर्गन्ध को नित्य घूमने जाते समय अपनी आँखों से दूर नहीं रख सकेगे और न सुख की नीद सो सकेगे। दरिद्रता-जनित अत्यन्त भयानक और घातक बुराइयों का उन्हें सदा डर रहेगा जो उनकी मज़बूत पुलिस-चौकियों को पौर करके कभी उन तक पहुँच सकती हैं।

साथ ही जत्रतक दरिद्रता की सम्भावना रहेगी, हम विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकते कि हम कभी भी उस के शिकार न होंगे। यदि हम दूसरों के लिए खड़टा खादें तो स्वयं भी उस में गिर सकते हैं। यदि हम दरार का खुली छोड़ दें तो ग्वेलते समय हमारे बच्चे उसमें गिर सकते हैं। हम रोज ही देखते हैं कि अत्यन्त निर्दोष और भले कुटुम्ब दरिद्रता के खुले हुए खड्डे में गिर रहे हैं, ऐसी दशा में हम कैसे कह सकते हैं कि अगली दफा हमारी बारी नहीं होगी ?

जिन अपराधों के लिए लोगों को जेल भेजना चाहिए उन अपराधों के लिए दरिद्रता के रूप में सजा देने की कोशिश करना किसी भी राष्ट्र के लिए सम्भवतः सब से बड़ा मूर्खता होगी। किसी आलसी आदमी के बारे में यह कहना आसान है—रहने दो उसको गरीब, आदमी होने का उसे उचित पुरस्कार मिला है। गरीबी उसको अच्छा सबक सिखा देगी। ऐसा कह कर हम स्वयं इतने आलसी बन जाते हैं कि नियम बनाने के पहले थोड़ा भी नहीं सोचते। चाहे वे मुग्न हों या तेज, मद्यपी हों या मद्यविराधी, धर्मात्मा हों या दुरात्मा, मितश्रयी हों या लापरवाह, बुद्धिमान हों या मूर्ख, हम किसी भी अवस्था में लोगों को गरीब नहीं रहने दे सकते। यदि वे सजा के पात्र हैं तो उन्हें और किसी तरीके से सजा देंगे; कारण, केवल दरिद्रता जितना नुकसान उनके निर्दोष पढ़ामिया को पहुँचाएगी, उसका आधा भी उनको न पहुँचाएगी। यह सांख्यिक खतरा और व्यक्तिगत दुर्भाग्य दोनों ही हैं। इस को सहन करना राष्ट्रीय अपराध है।

अतः हम को यह मान लेना चाहिए कि सम्पत्ति के उचित विभाजन की यह एक आवश्यक शर्त है कि हर एक को उस का इतना हिस्सा मिले कि वह गरीबी से दूर रह सके। इंग्लैण्ड में यह कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। रानी ऐलिजाबेथ के जमाने से इंग्लैण्ड का यह कानून रहा है कि किसी को भी दरिद्रावस्था में न रहने दिया जाय। कोई भी चाहे वह कितना ही नालायक क्यों न हो, यदि गरीबों के सरदारों के पास कगाल की हैसियत से सहायता माँगने जाय, तो उन्हें उसके भोजन-यत्न और



निवाम के लिए प्रबन्ध करना ही पड़ता है। वे अनिच्छा और कठोरता से काम ले सकते हैं, जितनी उनसे बनें उतनी नागवार और अभमानजनक शर्तें जोड़ सकते हैं, वे कगाल को यदि बड़े स्वस्थ हो तो घृणास्पद और अर्थहीन काम में लगा सकते हैं और इन्कार करने पर जेल भेज सकते हैं, रहने के लिए ऐसा मकान दे सकते हैं जिस में बूढ़े और जवान, स्वस्थ और गंभी, निर्दोष बालक-बालिकाएँ तथा पुरानी बेरियाएँ और भिगरी एक दूसरे को विगाडने के लिए भेड़-बकरियों की तरह वेतरतीबी से भर दिए जाते हैं। यदि कगाल को मत देने का अधिकार हो तो मताधिकार छीन कर उस पर सामाजिक कलक लगा सकते हैं और कुछ सरकारी नौकरियों या पद पाने से बाधित कर सकते हैं। सत्तेप में, वे अधिकारी और सम्पन्न पुरुष गरीब को इतना मजबूर कर दे सकते हैं कि वह हर तरह की कठिनाइयाँ झलना मजूर कर ले; किन्तु सहायता न माँगे। यह सब कुछ होते हुए भी यदि कगाल मदद माँगे ही तो उन्हें भय मार कर देनी पड़ेगी। इस सीमा तक इंग्लैण्ड का विधान मूलतः साम्यवादी विधान है। किन्तु जिस कठोरता और दुष्टता के साथ उस पर अमल होता है, वह गम्भीर दोष है, कारण कि इंग्लैण्ड को दरिद्रता के गर्त से उबारने के बजाय वह दरिद्रता को और भी पतनकारी बना देता है। फिर भी मूल सिद्धान्त तो उस में है ही। रानी ऐलिजाबेथ ने कहा था कि इंग्लैण्ड में भूल के कारण या आश्रय के अभाव में कोई न मरने पाए। धनी या दरिद्र समस्त जाति पर होने वाले दरिद्रता के भीषण दुष्परिणामों का अनुभव ले चुकने के बाद आज हम का और आगे बढ़ कर कहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे। जय हम नित्य प्रति सर्पत्ति का विभाजन करे तो सब से पहले इस बात का ध्यान रखें कि हर एक को इतना तो मिल ही जाय कि जिससे वह साधारणतः सम्मान और आराम के साथ रह सके। यदि वे कोई ऐसा काम करे या न करे जिससे कहा जा सके कि वे कुछ भी पाने के अधिकारी नहीं हैं तो जिस प्रकार हम दूसरी तरह के अपराधियों को रोकते या विवश करते हैं उसी प्रकार उनको भी रोक या विवश किया जा सकता है। किन्तु उनको

गरीब रहने देकर हम ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें कि अपनी कमियों के वे कारण और सबको नुकसान पहुँचा सकें।

अब हम यह मान सकते हैं कि किसी भी देश में लोगों को गरीब नहीं रहने देना चाहिए, फिर भी हमको इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि उन्हें धनी बनने दिया जाय या नहीं। जब दरिद्रता न रहेगी तो क्या हम भोग-विलास और फिज़लखर्ची होने देंगे ? इसका उत्तर देना मुश्किल है, कारण, भोग-विलास की अपेक्षा दरिद्रता की परिभाषा आसानी से की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति भूखी हो, पेटे कपड़े पहिने हो और उसके पास आवश्यक सामग्री से युक्त एक भी स्वतन्त्र कमरा न हो, जिसमें वह सो सके तो कहना होगा कि स्पष्टतः वह दरिद्रता से पीड़ित है। यदि एक जिले में दूमेरे की अपेक्षा बाल-मृत्युओं अधिक होती हों, लोगों की औसत आयु प्राचीन धर्म पुस्तकों में वर्णित सौ वर्ष से बहुत कम हो, भले प्रकार लालित पालित होने वाले बच्चों की अपेक्षा उन बच्चों का औसत वजन, जो किसी तरह मृत्यु के प्रास से बच जाते हैं, कम हो तो, हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि उस जिले के लोग दरिद्रता से पीड़ित हैं। किन्तु धन से होने वाली पीडा इतनी आसानी से नहीं नापा जा सकती। जो लोग धनिका के निकट सम्पन्न में आए हैं उनमें यह बात छिपी नहीं है कि वे भी काफी दुख भोगते हैं। वे इतने अस्वस्थ रहते हैं कि सदा किसी न-किसी तरह के इलाज के पीछे दौड़ते रहते हैं। बीमार नही होने हैं तो भी ममभ लेते हैं कि वे बीमार हैं। उनको हजारों तरह की चिन्नाए घेरे रहती हैं। सम्पत्ति की, नौकरी की, दरिद्र सम्बन्धियों की, कारवार में लगी हुई थूँजी की, सामाजिक मान-मर्यादा कायम रखने की, कई बच्चे हों तो सबके लिए सुविधाओं के साधन जुटाने की और न जानें किम-त्रिम बात की उन्हें चिन्ता नहीं रहती। बच्चों का सवाल सब से टेढ़ा है। इंग्लैण्ड में यदि पचास हजार वार्षिक आय वाले एक धनी के पांच बच्चे हों तो उनका पालन-पोषण पचास हजार के हिमाय से होगा और वे वैसे ही समाज में प्रवेश करेंगे, किन्तु बाद में हर एक का १० हजार वार्षिक से अधिक न मिलेगा। धनी कुटुम्बों में उनकी शादियाँ हो जायं

तो दूसरी बात है, अन्यथा इसका फल यह होगा कि वे अपनी आय से अधिक खर्च करेंगे और शीघ्र ही सिर तक कर्ज में डूब जायेंगे। कारण, उनको क्या पता कि कम खर्च में कैसे काम चलाया जाता है। वे अपनी सन्तति को विरामत में और कुछ दे या न दे—बर्चाली आदतें, धनी मित्र और कर्ज—ये तीन चीजें तो दे ही जाते हैं। इस तरह पीढ़ी-दर-पीढ़ी हालत अधिकाधिक खराब होती जाती है। यही कारण है कि वहाँ हर जगह ऐसी महिलाएँ और भद्र पुरुष दिव्वाड़े देते हैं जिनके पास अपनी मान-मर्यादाओं कायम रखने के साधन नहीं होते और इसलिए वे साधारण गरीबों से कहीं अधिक सक्रम में रहते हैं।

हम जानते हैं कि कुछ ऐसे सम्पन्न कुटुम्ब भी हैं जो धनिका के कारण पीडित नहीं हैं। वे टूँ-टूँ कर नहीं खाते, ऐसे काम करते हैं जिससे स्वस्थ रह सकें। मान-मर्यादा की चिन्ता नहीं करने, सुरक्षित स्थान में पूँजी लगाते हैं, कम व्याज पर ही सन्तोष कर लेते हैं और अपने बच्चा को मादगा से रहने और उपयोगी काम करने की शिक्षा देते हैं। किन्तु इसका ता यह अर्थ हुआ कि वे धनी आदमियों की तरह तिलकुल नहीं रहते। इसलिए उनको मामूली आय भी काफी हो सकती है। अधिकांश धनी नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए, फलतः वे समाज में होने वाले नाच रंगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन के लिए यह चक्कर इतना कठिन हाता है कि वे नौकरों से भी अधिक थक जाते हैं। चाहे खेलों के प्रति उन की रुचि न हो; किन्तु अपनी सामाजिक स्थिति के कारण घुबड़ीज और शिकार पार्टियों में जाने के लिए वे विवश होते हैं। गाना सुनने का शौक न हो तो भी उन्हें नाटकों और रंगीन गायन मडलियों में जाना पड़ता है। वे न तो इच्छानुसार पोशाक ही पहिन सकते हैं और न इच्छानुसार काम ही कर सकते हैं। वे धनी हैं, इसलिए जो दूसरे धनी करे, वही उन्हें भी करना चाहिए। और करे भी तो क्या करे ? करने के लिए कुछ हो भी ? काम वे अलबत्ता कर सकते हैं, किन्तु काम को हाथ लगाया नहा, और वे मामूली आदमी बने नहीं ! इस प्रकार इच्छानुसार वे कर नहीं सकते।

इसलिए जो करते हैं उनी को पसन्द करने की चेष्टा करते हैं और कल्पना करते हैं कि हम मौज में हैं। किन्तु असलियत यह है कि चहल-पहल से उनका जी उच्य रहा है, डाक्टर उनको वेवकृफ बनाते रहते हैं और व्यापारी लूटते रहते हैं तथा अपने से अधिक धनियों के हाथों हुए अपमान के बदले उन्हें गरीबों का अपमान कर बुगी तरह सन्तोष मानना पडता है।

इस बांझ से बचने के लिए वहाँ के योग्य और उत्साही धनिक पार्लैमेंट में, राजनैतिक विभाग में या सेना में दाखिल हो जाते हैं, या अपनी जागीर और कारोबार को अपने बकीलों, दलालों और प्रतिनिधियों के भरोसे छोड़ने के बजाय उसका स्वयं प्रबन्ध और विमर्श करते हैं या भारी परिश्रम और खतरे का सामना कर अज्ञात देशों की खोज करते हैं। फलस्वरूप उनका जीवन उन लोगों के जीवन से बहुत भिन्न नहीं होता, जिन्हें ये सब काम अपनी जीविका के लिए करने होते हैं। इस तरह ये धनी हो जाते हैं और यदि हमारी भाति उनको भी गरीब बन जाने का लगातार डर न बना रहता तो वे अधिक सम्पत्ति की चिन्ता रखने के फेर में न पडते। दूसरा जो अपेक्षा अधिक धनी होने में वे लोग ही विशेष सन्तोष अनुभव करते हैं जो आलस्य में पडे रहने में आनन्द मानते हैं, अपने पडोसियों से अपने को बड़ा मानते हैं और उनसे तदनुसार व्यवहार की आशा रखते हैं। किन्तु कोई भी देश इस प्रमाद को सन्तुष्ट नहीं कर सकता। आलस्य और मिथ्याभिमान कोई गुण नहीं हैं कि जिनसे प्राप्तिदान दिया जाय। वे दुर्गुण हैं, और दूर किए जाने चाहिए। इसके अलावा आलसी और निरुत्सुक पडे-पडे गरीबों पर हुकम चलाते रहने की इच्छा उचित भी हो तो भी यदि गरीब न हो तो वह कैसे तृप्त की जा सकती है ? हम न गरीब आदमी चाहते हैं और न धनी आदमी, हम सली आदमी चाहते हैं, जिनके पास काफी सम्पत्ति हो और काफी से भी कुछ अधिक हो।

किन्तु फिर वही पुराना सवाल उठता है कि जीवन के लिए कितना काफी होगा ? यह ऐसा सवाल है कि जिसका उत्तर नहीं दिया जा

सकता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का जीवन बिताना चाहते हैं। जो मिथ्या जीवन के लिए काफी होगा, वही अत्यन्त सम्य जीवन के लिए काफी न होगा। सम्य जीवन के साथ व्यक्तिगत शौक तथा गायन-कला, साहित्य, धर्म, विज्ञान और तत्वज्ञान का वातावरण लगा रहता है। इन चीजों के विषय में हम कभी भी नहीं कह सकते कि कम, काफी हो गया। कुछ-न-कुछ नए आविष्कार का और कुछ-न-कुछ पुरानी व्यवस्था में सुधार करने का काम सदा रहता ही है। सक्षेप में, किसी विशेष समय रोगी या जूते जैसी चीजों की भले ही सीमा निर्धारित की जा सके, किन्तु सम्यता की कोई सीमा नहीं बनी जा सकती। यदि गरीब होने का यह अर्थ हो कि हम में अच्छी वस्तुओं की चाह बनी रहे तो यह कहना कठिन है कि इसके अलावा और कौन सी भावना गरीबों का परिचय दे सकती है। हमारे पास चाहे जितना रुपया बचा न हो, हमें अपने आपको सदा गरीब ही समझना चाहिए। कारण, हमारे पास यह या वह चीज काफी हो सकती है, किन्तु सभी चीजें कभी काफी परिमाण में न होंगी। फल-स्वरूप कुछ लोगों को काफी और कुछ को काफी से अधिक देने का विचार किया जायगा तो वह योजना असफल होगी। कारण, कोई भी मनुष्य न हा पायगा और नारा रुपया खर्च हो जायगा। हर एक आदमी शौकीन लोगों का एक उर्ध्वक वर्ग स्थापित करने और उसको कायम रखने के उद्देश्य से अधिकाधिक माँगता ही रहेगा। अन्त में यह वर्ग भी अपने दरिद्रतर पड़ोसियों की अपेक्षा अधिक असन्तुष्ट हो जायगा।

अतः सम्पत्ति-विभाजन की साम्यवादी योजना के अनुसार बराबर-बराबर बाँटने पर हर एक को जो कुछ मिलेगा वही हम में से हर एक के लिए काफी होगा। हम बड़ी बराबरी का रिश्ता चाहते हैं, न निर्धनता चाहते हैं, और न धनिकता।

## असमान आय के दुष्परिणाम

किमी गृहस्थ को मत्र से पहिले यह तय करना पडता है कि उसको किन-किन चीजा की मत्र से अधिक आवश्यकता है और कौनसा काम वह बिना कष्ट उठाए कर सकता है । इसका यह अर्थ हुआ कि गृहस्थ को अपनी आवश्यकतानुसार चीजों का क्रम प्राथमिक नियत कर लेना चाहिए । उदाहरण के लिए, घर में तो आवश्यकताओं काफ़ी भोजन भी न हो और घर की मालकिन इत्र की की उपेक्षा शीशी और नकली मोतियों की माला खरीदने में अपना सारा रुपया खर्च कर दे तो वह मिथ्याभिमानिनी, मर्गा और कुमाता कहलायगी, किन्तु दूरदशा महिला केवल इतना ही कहेगी कि वह कुप्रबन्धक है, जिसे यह भी नहीं मालूम कि रुपया पास हो तो पहिले क्या खरीदना चाहिए । जिम स्त्री में यह समझने की भी शक्ति न हो कि पहिले भोजन, बस्त्र, मकान आदि की आवश्यकता होती है और इत्र की शीशी और नकली अथवा असली मोतिया की माला की बाद में, वह गृहस्था का भार ग्रहण करने योग्य नहीं है । हमारा यह मतलब नहीं कि सुन्दर चीजें उपयोगी नहीं होती । अपने उचित क्रम में वे बहुत उपयोगी और विलुल ठीक हैं, किन्तु उनका नम्बर पहिले नहीं आता । किमी बालक के लिए उसकी धर्म-पुस्तक बहुत उपयोगी हो सकती है, किन्तु भूखे बालक को दूध-रोटी के बजाय धर्म-पुस्तक देना पागलपन होगा । स्त्री के शरीर की अपेक्षा उसका मन अधिक आश्चर्यजनक होता है, किन्तु यदि शरीर को भोजन न दिया जाय तो मन कैसे टिक सकता है ? इसके विपरीत यदि उसके शरीर को भोजन दे तो मन अपनी और शरीर दोनों की चिन्ता कर लेगा । भोजन का नम्बर पहिला है ।

हम को ममस्त देश को एक बड़ा घर और सारा जाति को एक बड़ा

कुटुम्ब मान कर चरना चाहिए ( वास्तव में यह है भी ऐसा ही । ) और तब हमें उसका प्रबन्ध करना चाहिए । हमको क्या दिखाई देता है ? सर्वत्र बालक अधभूखे, फटे-टूटे कपड़े पहिने, गन्दे घरों में पड़े हैं । जो रुपया उनको योग्य भोजन, वस्त्र और मकान देने में खर्च होना चाहिए, वही लाखों की तादाद में इत्र की शीशियों, मोतियों की मालाओं, पालतू कुत्तों, मोटर गाड़ियों और हर तरह के व्यर्थ कामों में खर्च होता है । इंग्लैण्ड में एक बहिन के पास केवल एक फटा टूटा जूता है, सड़ों के मारे उसकी नाक सदा बहती रहती है, उसको पोछने के लिए एक रुमाल का त्रिथड़ा भी उसके पास नहीं है । दूसरी के पास चालीसों जूते-जोड़ियाँ और दर्जनों रुमाल हैं । एक और एक छोटा भाई है, जो पैमे के चना पर गुजर करता है और अधिक के लिए बराबर मागता रहता है और इस तरह अपनी माँ के दिन को तोड़ता रहता है और उसके श्वस को थका देता है । दूसरी और एक मोटा भाई है जो एक ब्रिटिया होटल में प्रातःकाल के भोजन पर पाच-छः गिल्लियों खर्च कर देता है, शाम को रात्रि-क्लब में खाता है और डाक्टर की दवा लेता है; कागम्, वह बहुत अधिक खाता है !

यह अत्यन्त बुरी अर्थ-व्यवस्था है । जब विचारहीन लोगो से इसका कारण पूछा जाता है तो वे कहते हैं : ओह, चालीस जूते-जोड़ियाँ खन्ने वाली महिला और रात्रि-क्लब में शराब पीने वाले आदमी को उनके पिता द्वारा रुपया मिला है । यह रुपया उसने खर्च के सट्टे में कमाया था । और फटे-टूटे जूते वाली लडकी और अपनी माँ के हाथों मार खाने वाला उन्वःती लडका दोनों मजदूर मुहल्ले के केवल कुड़ा-बर्कट मात्र हैं । यह नहीं है, किन्तु जो जानि अपने बच्चों के लिए पर्याप्त दूध का प्रबन्ध करने से पहिले ही रोम्पेन शराब पर रुपया खर्च करती है अथवा जब कार्फी पोषण न मिलने के कारण हज़ारों ही बच्चे काल के ग्राम घन रहे हों, तब भी सिलिडेम, अल्सेथियन और पैकिंगी कुत्तों को ब्रिटिया-ब्रिटिया भोजन देती है, वह निस्सन्देह अव्यवस्थित-हतबुद्धि; मिथ्याभिमानी, मूर्ख और अज्ञ है । उसका पतन निश्चित है ।

किन्तु इन सब हानिकारक वेहृदगियों का कारण क्या है ? किसी समझदार आदमी ने कभी भी इनकी जानने की इच्छा नहीं की। बात यह है कि जब कभी दूसरों की अपेक्षा कुछ कुटुम्ब बहुत अधिक धनी होंगे तभी इन भुराइयों का जन्म होना निश्चित है। धनी आदमी जब पति और पिता बन कर स्त्री को अपने साथ घसीटता है तब वह भी यही करता है। तब अन्य लोगों की भांति वह भी पहिले भोजन, वस्त्र और मकान का प्रबन्ध करता है। गरीब आदमी भी यही करता है। किन्तु अपनी शक्तिभर खर्च कर डालने पर भी गरीब आदमी की ये आवश्यकताएँ पूर्णतः पूरी नहीं होती, भोजन पूरा नहीं पडता, कपडे पुराने और मैले रहने हैं, रहने के लिए एक कोठरी या उसका कुछ भाग मिल पाता है और वह भी अस्वास्थ्यकर होता है। दूसरी आँध धनी आदमी शानदार कोठी में रहता है, खूब खाता और पहनता है। फिर भी उसके पास अपनी रुचियों और कल्पनाओं को मनुष्ट करने तथा दुनिया में बढप्पन जमाने के लिए काफी रुपया बच रहता है। गरीब आदमी कहता है—“मुझे और रोटी, और बपडे, तथा अपने कुटुम्ब के लिए अधिक खर्चा घर चाहिए, किन्तु मेरे पास उमके लिए खर्च करने को कुछ नहीं है।” धनी आदमी कहता है—“मुझे कई मोटरें, जल नोकाएँ, पत्नी और पुत्रों के लिए हारे-मोती और घने जगल में एक शिकारगाह चाहिए।” स्वभावतः व्यवसायी मोटरें और जल-नोकाएँ बनाने में जुट पडते हैं, अफरीम में जाकर हीरे खुदवाते हैं, समुद्र की तह से मोती निकलवाते हैं और मिनटों में शिकारगाह खर्ची कर देते हैं। गरीब आदमी की ओर कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी आवश्यकताएँ तात्कालिक होती हैं, किन्तु जिसकी जेबें खाली रहती हैं।

इसी बात को दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं। गरीब आदमी जिन चीजों का कभी अनुभव करता है उनको बनाने के लिए मजदूर लगाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग पकाने, बुनने, सीने और मसान बनाने का काम करें। किन्तु वह पाक-शास्त्रियों और बुनकर-मास्टरों को इतना रुपया नहीं दे सकता जिससे वे अपने अधीन काम



करने वालों की मजदूरी चुमा सके । उधर धनी आदमी अपनी पसन्द के काम करवाने के लिए खासी मजदूरी देता है । इस तरह की मजदूर पाने वाले सब लोग कठोर परिश्रम क्यों न करते हों; किन्तु उसका फल यह होता है कि भूखों को भोजन मिलने के बजाय धनिकों के घन में ही वृद्धि होती है । वह श्रम उचित स्थान पर नहीं होता, व्यर्थ जाता है और देश को गरीब बनाए रखता है ।

इस स्थिति के पक्ष में यह दलील नहीं दी जा सकती कि धनी लोगों को काम देते हैं । काम देने में कोई विशेषता नहीं है । हत्यारा फार्म लटकाने वाले को काम देता है, और मोटर चलाने वाला बच्चा पर मोटर चलाकर टोली ले जाने वाले को, डाक्टर को, कपन बनाने वाले को, पादरी को, शोफ़र-बूचक पोशाक सीने वालों को, गाडो खींचने वाले को, कब्र ग्यारने वाले को । सक्षेप में, इतने मारे योग्य लोगों का काम देता है कि जब वह आत्म-हत्या करके मर जाता है तो सार्वजनिक हित-साधक के नाते उसकी मूर्ति खड़ी न करना कृतघ्नता की निशानी प्रतीत होता है । यदि रुपए का समान विभाजन हो तो जिस रुपए से धनी गलत काम करवाते हैं उससे योग्य काम करवाया जा सकेगा ।

यदि भविष्य को साधारण ब्रियों आज की उच्च-से-उच्च धनी महिल्याश्रमों से अच्छी न होगी तो वह सुवार हमारे धार असन्तोष का कारण होगा, और वह असन्तोष होगा दैवी असन्तोष ! अतः हम विचार करे कि मानव प्राणी होने की हैमियत से लोगों के चरित्र पर समान श्राय का क्या असर होगा ।

कुछ लोग कहते हैं कि यदि हम लोग अधिक अच्छे आदमी चाहते हैं तो जिस तरह पश्चिम में उत्तम घोडों का और उत्तम सूत्रों की नस्ल पैदा करते हैं, उसी तरह आदमियों की भी पैदा करे । निस्सन्देह हमको ऐसा करना चाहिए, किन्तु इस में दो कठिनाइयाँ हैं ; पहिले तो जैसे हम गाय बैलों, घोड़े-घोड़ियाँ, गुर्रर-सूत्ररियों की जोड़ियाँ मिलाते हैं, वैसे स्त्री पुरुषों को जोड़ियाँ मिला उनसे हम विषय में चुनाव की स्वतन्त्रता दिए नहीं मिला सकते । दूसरे, यदि मिला भी सके तो जोड़ियाँ

कैसे मिलनी चाहिए, इसका हमें ज्ञान न होगा । कारण, हमको पता न होगा कि हम किस तरह के आदमी पैदा करना चाहते हैं । किसी घोड़े या गूथर का मामला बहुत साधा है । दौड़ के लिए बहुत तेज और घोभा रीचने के लिए बहुत मजबूत घोड़े का जरूरत होनी है । और गूथर के लिए तो इतना ही चाहिए कि वह खूब मोटा हो । यह सब सीधा होते हुए भी इन जानवरों की नस्ल पैदा करने वाले किसी के भी मुह से हम सुन सकते हैं कि चाहे जितना सावधान रहने पर भी बहुत बार शान्छनीय परिणाम नहीं निकलता ।

यदि हम स्वयं भी मोचे कि हमें कैसा बानक चाहिए तो लडके या लडकी की पमन्द करने के अलावा उसी क्षण हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको मालूम नहीं । अधिक-से अधिक हम कुछ प्रकार गिना सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए । उदाहरण के लिए हमका लुले-लगाडे, गुगे-बहरे, अन्धे, नामर्द, मिरगी के रोगी और शराबी बच्चे नहीं चाहिए । किन्तु हमको यह नहीं मालूम कि ऐसे बच्चे की उत्पत्ति रोकनी कैसे जाय । कारण, इन अभागों के माता-पिताओं में बहुधा कोई दृश्य खराबी नहीं होती । अब जो हमें नहीं चाहिए, उनको छोड़ कर जो हमें चाहिए; हम उन पर आए । हम कह सकते हैं कि हमें अच्छे बालक चाहिए । किन्तु अच्छे बानक की परिभाषा यह है कि वह अपने माता-पिता को कोई दृष्ट न देता हो, और कुछ बहुत उपयोगी स्त्री-पुरुष बालकपन में बहुत उत्पाती रहे हैं । क्रियाशील, बुद्धिसाली, उद्यमी और बहादुर लडके अपने माता-पिताओं की दृष्टि में हमेशा शरारती होते हैं, और प्रतिभासान पुरुष मरने से पहले क्वचित ही पमन्द किए जाने हैं । हमने सुकरात को विष पिलाया, ईसा को सूली दी और जॉन आब आर्क को लोगों की हर्ष ध्वनि के बीच जीवित जला दिया; क्योंकि जिम्मेदार विधान-वेत्ताओं और पादरियों द्वारा मुकदमे करवाने के बाद हमने तब किया कि वे इतने दुष्ट हैं कि उन्हें जीवित नहीं रहने दिया जा सकता । इस सब को ध्यान में रखते हुए हम शायद ही अच्छाई के निर्णायक हो सकते हैं और उसके लिए हृदय में सबा प्रेम रख सकते हैं ।

यदि हम जाति को उन्नत बनाने के लिए पति-पत्नी चुनने का काम राजनैतिक सत्ता के हाथ में सौंपने को तैयार हो भी जाय तो अधिकारियों की कठिनाइयों का पार न होगा। वे मोटे तौर पर इस तरह शुरू कर सकते हैं कि क्षय, पागलपन, गर्मी-सुजाक, या मादक द्रव्यों की जिन लोगों को ज़रा भी छूत लग गई तो उन्हें शादी न करने दें। किन्तु आज कर्तव्य-कर्तव्य कोई कुटुम्ब ऐसा नहीं मिलेगा जो इन रोगों में सर्वथा मुक्त हो, फलतः किसी का भी विवाह न हो सकेगा और नैतिक श्रेष्ठता का वे कौनसा नमूना वाञ्छनीय समझेंगे ? दुनिया में भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्य बसते हैं। एक सरकारी विभाग यह मालूम करने की कोशिश करे कि मनुष्य के कितने प्रकार होने चाहिए। और फिर यथायोग्य शादियों द्वारा उनको पैदा कराए ! यह खयाल मनोरंजक तो अवश्य है, किन्तु व्यावहारिक नहीं है। सिवा इसके कि लोगों को अपनी जोड़िया आप बना लेने दी जाए और सत्यपरिणाम के लिए प्रकृति पर भरोसा किया जाय, इसका और कोई उपाय नहीं है।

आजकल पश्चिमी देशों में जब जोड़ी चुनने का प्रसंग आता है तो हर एक कितनी पसन्द से काम लेता है ? पहिली ही दृष्टि में प्रेमासक्त करके प्रकृति किसी स्त्री को उसका ऐसा जोड़ीदार बना दे सकती है, जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हो, किन्तु यदि स्त्री के पिता और जोड़ीदार की आय में समानता न हो तो जोड़ीदार स्त्री के वर्ग से बाहर हो जाता है, सम्पत्ति के हिसाब से नीचे या ऊंचे वर्ग में चला जाता है और उसको नहीं पा सकता। स्त्री अपनी पसन्द के पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती, बल्कि जो मिल सके उसे उसके ही साथ शादी करनी पड़ती है और बहुधा यह पुरुष अपनी पसन्द का ही पुरुष नहीं होता।

पुरुष की भी यही दशा है। लोग जानते हैं कि प्रेम के बजाय रुपये या सामाजिक पद के लिए विवाह करना अप्राकृतिक है। फिर भी वे रुपये या सामाजिक पद-प्रतिष्ठा या दोनों ही के लिए विवाह करते हैं। कोई स्त्री भगी के साथ शादी नहीं कर सकती और उमराव उसके साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि उनके कुटुम्बियों का और उनकी आदतें और रहन सहन

कं दग समान नहीं होते और भिन्न आचार-विचारों के लोग एक साथ नहीं रह सकते, आय की भिन्नता के कारण ही आचार-विचार की भिन्नता पैदा होती है। स्त्रियाँ प्रायः अपनी पसन्द के पति नहीं पा सकती और इसलिए जो उपलब्ध है, अन्त में उमी के साथ विवाह कर लेने को मजबूर होती है।

ऐसी परिस्थिति में अच्छी नस्ल कभी पैदा नहीं की जा सकती। यदि प्रत्येक कुटुम्ब के पालन-पोषण में बराबर रुपया रुच हो तो हमारे आचार-विचार, संस्कृति और रुचियाँ सब समान होंगे। तब रुपये के लिए कोई विवाह न करेगा, कारण, उस समय विवाह में न तो रुपये का लाभ होगा न हानि। अपने प्रियतम के दरिद्र होने के कारण ही किसी स्त्री को उससे विरत होने की आवश्यकता न पड़ेगी और न उस कारण उसकी कोई उपेक्षा ही कर सकेगा। तब दिल-मिले जोड़े बन सकेंगे और उन से अभीष्ट सन्तान पैदा हो सकेगी।

असमान आय के कारण सबको निष्पक्ष न्याय भी सुलभ नहीं होता। यद्यपि कानूनी न्याय का पहिला सिद्धान्त ही यह है कि व्यक्तियों का पक्षपात नहीं किया जाएगा। मजदूर और बरोड-न्याय में पति के बीच निष्पक्ष होकर न्याय-तुला पकड़ी जायगी। पक्षपात न्यायाधीश और उसके सहवर्गी पक्षों के निर्णय के अतिरिक्त और किसी तरह व्यक्तियों की जिन्दगी या स्वाधीनता नहीं छीनी जायगी। किन्तु इंग्लैण्ड में तथा अन्यत्र भी आजकल मजदूरों का न्याय मजदूर-पक्ष नहीं करते, कर-दाताओं के पक्ष उनका न्याय करते हैं, जिनके दिलों में वर्गीय पक्षपात की भावना काम करती रहती है। कारण, उनको आय होती है और इसलिए वे अपने आपको श्रेष्ठ समझते हैं। धनी आश्रमियों का साधारण पक्ष न्याय करते हैं तो उन्हें भी उन पक्षों की वर्गीय भावना और ईर्ष्या का सामना करना होता है। इसलिए यह आम कहावत चल पड़ी है कि धनी के लिए एक कानून है और गरीब के लिए दूसरा। किन्तु मूलतः यह ठीक नहीं है, कानून सब के लिए एक ही है। लोगों की आयों में परिवर्तन होना चाहिए। दीवानों

कानून के द्वारा समझौतों का पालन कराया जाता है और मान-हानि तथा चोट पहुँचाने के मामलों का निपटारा होना है, किन्तु उस कानून के द्वारा कार्रवाई करवाने के लिए इतने कानूनी ज्ञान और वाक्-चातुर्य की आवश्यकता होती है, कि इन गुणों से हीन माधारण व्यक्ति वकीलों को नियुक्त करके ही उसका लाभ उठा सकता है। हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहाँ निर्धनता हृद-दर्जे की है गरीब लोग न्याय प्राप्त करने में प्रायः सफल नहीं होते। उनके पास अपने वकीलों को देने के लिए बड़ी-बड़ी रकमें नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि धनी आदमी की माँगें पूरी न हों तो वह गरीब को अदालत में जाने की धमकी दे कर डरा सकता है। वह गरीब के अधिकारों की उपेक्षा कर सकता है और उसको कष्ट सकता है कि यदि वह असन्तुष्ट है तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि गरीब को दरिद्रता और अज्ञान के कारण कानूनी सलाह और सरक्षण नहीं मिल सकेंगे।

यद्यपि भौजदारी कानून के अनुसार कार्रवाई कराने के लिए पुलिस वादी पक्ष से कुछ लेनी नहीं है, किन्तु फिर भी धनी कैदियों के साथ पक्षपात होता ही है। वे बहुत सारा रुपया खर्च करके अपनी वकालत कराने के लिए प्रसिद्ध-प्रसिद्ध वकील-वैरिस्टर नियुक्त कर सकते हैं, गवाहों को डरा या ललचा सकते हैं और अपील के प्रत्येक सम्भव प्रकार और देर करने के उपाय शेष नहीं छोड़ते। अमेरिका के धनियों के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो यदि गरीब होते तो कभी के फाँसी पर लटक कर या विद्युत द्वारा मार डाले गए होते, किन्तु ऐसे आदमी तो कितने ही हरएक देश की जेलों में पड़े होंगे जिनके पास यदि खर्च करने को कुछ सौ रुपया होते तो वे छोड़ दिये गए होते।

कानून मूलतः भी विशुद्ध नहीं है। कारण, वे धनियों द्वारा बनाए गए हैं। ( हिन्दुस्तान में उनका निर्माण अहिन्दुस्तानियों द्वारा हुआ है, यह अन्य देशों की अपेक्षा विशेष है। ) इंग्लैण्ड में कहने के लिए सब वयस्क स्त्री-पुरुष पार्लमैण्ट में चुने जा सकते हैं और यदि किसी लोगों के मत प्राप्त कर सकें तो कानून भी बना सकते हैं। पार्लमैण्ट के सदस्यों

को अत्र वेतन मिलता है और चुनाव के कुछ वर्षों भी सार्वजनिक कोष में से दे दिए जाते हैं। किन्तु उर्मीदवार को १५० गिल्लिया तो शुरू में ही जमा करानी होती है और ५०० से लेकर १००० तक उसके बाढ़ चुनाव लड़ने के लिए खर्च करनी होती है। फिर यदि उसे सफलता मिल भी जाय तो पार्लमैण्ट के सदस्य को लन्दन में जैसा जीवन बिताना होता है उसके लिए ४०० गिल्ली सालाना तनख्वाह काफी नहीं होती। इसमें पेंशन का तो सवाल ही नहीं है, भविष्य में कोई आशा भी नहीं रहती है। अगले चुनाव में हार हुई कि वेतन मिलना बन्द हुआ। यही कारण है कि इंग्लैण्ड में गरीबों का ६० प्रतिशत बहुमत होने पर भी पार्लमैण्ट में उनके प्रतिनिधि अल्प-मत हैं। क्योंकि इन सुविधाओं से भी धनी ही लाभ उठा सकते हैं।

जो आदमी चीजों को काम में लेता है या दूसरों की सेवा तो ग्रहण करता है; किन्तु स्वयं उतनी ही चीजें पैदा नहीं करता या उसी परिमाण में दूसरों को उतनी सेवा नहीं करता, वह देश की उतनी ही हानि करता है, जितनी एक चोर। वास्तव में चोरी का यही अर्थ है। हम अपनी लोगों को, क्योंकि वे धनी हैं, वेदल इसलिए चोरी करने, डाका डालने, हत्या करने, लड़कियाँ उड़ाने, मजानों में घुस आने, जल या थल पर डुबाने, जलाने और नष्ट करने की छुट्टी नहीं देते। किन्तु हम उनके आलस्य को सहन करते हैं, जो एक ही वर्ष में इतना नुकसान कर देते हैं जितना कानून द्वारा दण्डनीय दुनिया के सब अपराध दस साल में भी नहीं कर पाते। धनी लोग अपने पार्लमैण्टी बहुमत द्वारा गंध, जालमाजी, मृथानत, गठकटी, उठाईगोरी, डकैती और चोरी जैसे अपराधों के लिए धोर कठोरता से दण्ड देते हैं, किन्तु धनिकों के आलस्य पर कुछ नहीं बोलते। उलटे वे उसे जीवन का अत्यन्त सम्मानपूर्ण प्रकार मानते हैं और आजीविका के लिए भ्रम करने को इल्फेन, और अपमान की निशानी समझते हैं, यह प्रकृति के क्रम को उलट देने और "बुराई नू मेरी भलाई हो जा!" को राष्ट्रीय मंत्र मान लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

अतएव असमान आय रहेगी तबतक न्याय में पक्षपात भी रहेगा,

क्याकि कानून अनिवार्यतः धनिकों द्वारा बनाए जायेंगे। सब लोगों को काम करना पड़े, भला यह कानून धनी लोग कैसे बना सकते हैं !

पश्चिमी देशों में जो लोग नये-नये धनी होते हैं, उनके बच्चे महा-आलसी होते हैं। जिसे वहाँ उच्च-जीवन कहा जाता है, वह पुराने धनिकों के लिए एक मंस्कृत-कला है जिसे सीखने के लिए कठोर उम्मेदवारी की जरूरत होती है। किन्तु उन अभाग्यवानों को न तो शारीरिक व्यायामों की शिक्षा मिली जाती है और न वे पुराने धनिकों की सामाजिक रीति-नीति में ही परिचित होते हैं। वे मोटरों में बैठ कर होटलों के चक्कर काटा करते हैं। उनका अर्थहीन भटकना, चाबलेटी मलाई खाते फिरना, सिगरेट फूंकना और पचमेली शराब पीना, मूर्खता-पूर्ण उपन्यासों और सचित्र समाचार-पत्रों से मनोरंजन करना सचमुच दयनीय होता है।

हिन्दुस्तान में भी रईसों के लड़के कुत्ते मारते फिरते हैं। तारा, शतरंज खेलने में अपना वक्त गुजारते हैं। जितने ही जुए में बर्बाद हो जाते हैं। रईसों को भी पड़े-पड़े खाने और भांग-विलास में लिप्त रहने के सिवा और कोई काम नहीं होता। उनका काम उनके मुर्नाम और कारिन्दे करते हैं। यही कारण है कि उनकी तौंदे बढ़ जाती है और वे हमेशा बीमार रहते हैं।

किन्तु ऐसे धनी भी होते हैं जो अपनी शक्ति में अधिक परिश्रम करते हैं। उन्हें पुनः स्वस्थ रहने के लिए आराम लेने की जरूरत आ पड़ती है। जो लोग जीवन को एक लम्बी छुट्टी बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जीवन से भी छुट्टी लेने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। आलस्य में जीवन बिताना इतना स्वभाविक और भार-स्वरूप होता है कि पश्चिमी देशों में आलसी धनिकों की दुनिया में भी अत्यन्त थका देने वाली हलचलें बराबर होती रहती हैं। वहाँ की लाइब्रेरियों में ऐसी पुरानी पुस्तकें मिल सकती हैं जिनमें उनके धनी लेखकों या लेखिकाओं ने अपने राग-रग के दैनिक कार्य-क्रम का उल्लेख कर धनिकों

के आलसी होने के आरोप का निराकरण किया है। किन्तु उस राग-रग का शिकार होने के बजाय तो सड़क पर भाड़ू लगाना वही अधिक अच्छा है।

इसके अलावा कुछ धनी आवश्यक सार्वजनिक कार्य भी करने हैं। यदि शासक-वर्ग को राजनैतिक सत्ता अपने हाथ में रखनी हो तो उसे वह काम भी करना ही चाहिए। उमने लिए वेतन नहीं दिया जाता और यदि दिया भी जाता है तो इतना कम कि सम्पत्तिवान लोगो के अलावा उसको और कोई नही कर पाता। इंग्लैण्ड में उच्च विभागीय सिविल सर्विस को पगेत्ताये ऐसी रकवा जाती हैं कि केवल बहु-व्यय-साध्य शिक्षा पाने वाले व्यक्ति ही उसको पाम कर सकते हैं। इन उपायों द्वारा वह काम धनियों के हाथों में रक्वा जाता है। पार्लमैण्टो पदा पर मुख्यतः धनी लोगों के होते हुए भी जब कभी उन पदा के लिए काफी वेतन निश्चित करने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने उसका विरोध किया। सेना में भी उन्होंने ऐसी स्थिति पदा करने की भगसक कोशिश की कि जिसमें एक अफसर अपने वेतन पर निर्वाह न कर सके। इसका वे अपने वर्ग के आलसी देने रहने के अधिकार की रक्षा के लिए पार्लमैण्ट, राजनैतिक विभाग, सेना, अदालतों और स्थानीय सार्वजनिक मन्थाया में काम करते हैं। इस प्रकार काम करने वाले धनियों को हीक अर्थों में आलसी धनिक नहीं कहा जा सकता; किन्तु सार्वजनिक हित की दृष्टि से यह कहा अधिक अच्छा होगा कि वे अपने वर्ग के अधिमोक्ष धनिका की भांति राग-रग में अपना समय बितावें और शासन का काम उन मुवेतन-भोगी-कर्मचारियों और मधियों पर छोड़ दें जिनके और जनसाधारण के हित समान हैं।

पश्चिमी देशों में इस आलसी वर्ग की बहुत-सी म्त्रियाँ आजकल मन्तनि नियमन के अप्राकृतिक उपायों का आश्रय लेती हैं। किन्तु उनका उद्देश्य बच्चों की सख्या और उत्पात्ति के समय का नियमन करना नहीं होना। वे तो बच्चे ही पैदा करना नहीं चाहती! होटलों में ग्याती-पीती हैं या अपने घरों का प्रमन्ध अन्य गृह-प्रमन्धिकार्यों से कराती हैं। वे



रनोईधर और वच्चों के लालनपालन के लिए इतनी ही अनुपयुक्त होनी हैं, जितने अनुपयुक्त हम इन कार्यों के लिए पुष्पां को समझते हैं। वे अपने अनर्जित धन को भोग विलास और व्यर्थ के कामों में सुरी तरह खर्च करती हैं।

तो इस आलसी वर्ग में मन्चे आलसियों के अलावा वे लोग भी शामिल हैं जो श्रम तो करते हैं, किन्तु उससे कोई उपयोगी चीज उत्पन्न नहीं होती। वे कुछ न करने के बजाय कुछ न करने के लिए अपने को योग्य बनाए रखने के लिए मदा कुञ्ज-न-कुञ्ज करते रहते हैं और उनसे दुखी भी रहते हैं।

इंग्लैण्ड में धनिकों ने पार्लमैण्ट और अदालतों की भाँति गिर्जों पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। वहाँ पादरी ग्राम्य-स्कूल में प्रायः ईमानदारी और समानता का पाठ नहीं धर्म संस्थाओं; पढ़ाता। वह केवल धनिकों के प्रति श्रद्धा-भक्ति रखना स्कूलों और सिखाता है और उस श्रद्धा-भक्ति को ही धर्म बताता श्रवणों का है। वह जमींदार का मित्र होता है जो न्यायाधीश पतन की भाँति धनिकों की पार्लमैण्ट द्वारा धनिकों के हित में बने कानूनों का पालन कराता है और उन्हीं को न्याय कहता है। परिणाम यह होता है कि ग्रामवासियों का दोनों के प्रति आदर-भाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वे उन्हें शरॉक दृष्टि से देखने लगते हैं। वे भले ही आदरपूर्वक उनके लिए टोप झुंटे और सिर मुकाने रहें, किन्तु वे एक दूनरे के साथ यह कानाफूसी करने से नहीं चूकते कि जमींदार गरीबों को चूमने और सताने वाला है और पादरी पाखंडी है! बड़े दिन के अवसर पर उपहार आदि देने में जमींदार चाहे जितनी उदारता क्या न दिखावे, किन्तु हमका उन पर कुछ अंतर नहीं होता। क्रान्तियों के दिनों में ऐसे अदालु किमान ही जमींदारों की कोठियों और पादरियों के बगलों को जलाते हैं और मूर्तियों को सडित करने, रंगीन काच की खिड़कियों को तोड़ने-फोड़ने और वाद्य-यंत्रों को नष्ट करने के लिए गिर्जाघरों को दौड़ पड़ते हैं।

इंग्लैण्ड के स्कूलों में यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को अपने देश के प्रति उनके कर्तव्य के विषय में ऐसे प्रारम्भिक सत्य सिखाना है कि जो स्वस्थ वयस्क बिना व्यक्तिगत रूप में सेवा-कार्य किए समाज पर अपना बोझ डालते हैं, उन्हें अपराधी मान कर निंदा और दंड का पात्र समझ जाय, तो उसे तुरन्त उसके पद से हटा दिया जाना है और कभी-कभी उस पर अभियोग भी चलाया जाता है। इस प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली अत्यन्त गहन और तात्त्विक शिक्षा तक में यह भ्रष्टता घुम गई है। विज्ञान का काम उन नीम-इर्काम दवाओं का प्रचार करना हो गया है जो धनिकों की पूँजी से चन्ने वाली कम्पनियों द्वारा गरीबों और अमीरों के रोगों के लिए तैयार की जाती हैं। अमल में गरीबों को तो आश्चर्यना है अच्छे भोजन, दवाओं और स्वच्छ मकानों की, और अमीरों को आश्चर्यकृत है उपयोगी काम की। वस, दोनों इतने में ही स्वस्थ रह सकते हैं। अर्थ-विज्ञान सिखाता है कि गरीबों का मजदूरी नहीं बढ़ाई जा सकती आत्मों धनिकों के बिना पूँजी न रहेगी और बिना काम हम नष्ट हो जायेंगे और यदि गरिब अथवा बच्चे पैदा न करें तो इस पराव-ने-पराव दुनिया में मर टोक हो जायगा: किन्तु यह मर निवृत्ततापूर्ण है।

साधन सम्पन्न माता-पिता स्वभावतः अपने बालकों को जिसे हम शिक्षा कहते हैं, उमें दिलाने का प्रबन्ध करते हैं, किन्तु उनके बच्चों को इतने सफेद भूट मिखाये जाते हैं कि उनका भूटा ज्ञान जगती लोगों के अशिक्षित स्वाभाविक ज्ञान से कहीं अधिक खतरनाक हो जाता है। भूतपूर्व कैमर ने जर्मन स्कूलों और विश्वाद्यालयों से उन सब शिक्षकों को निम्नलिखित था जिन्होंने यह नहीं मिखाया कि इतना, विज्ञान और धर्म दोनों के अनुसार हंदिनजालन वरा अर्थात् उनके ही धनी कुटुम्ब का शासन मानव-ज्ञानि भर के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन है। किन्तु हमारे देश में ऐसे सफेद भूट भूखे और भौंक अण्णापन्न द्वारा कितने ही मिलाए जाते हैं।

लोग समाचार-पत्रों के आधार पर अपनी रायें इतनी अधिक स्थिर

करते हैं कि यदि समाचार-पत्र स्वतन्त्र हों तो स्कूलों के भ्रष्ट हो जाने की भी चिन्ता करने की जरूरत न रहे। किन्तु समाचार-पत्र स्वतन्त्र नहीं हैं। उनमें बहुत रुपया लगता है। अतः वे धनिकों के अधिकार में हैं। वे धनिकों के विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं, किन्तु जो स्वतन्त्र भी होते हैं उनके दरिद्र मालिक और मन्हाद्रक धनिकों द्वारा खरीदे जा सकते हैं। उनमें से कोई ही धनिकों के हितों के विरुद्ध कुछ व्यापता है। फल यह होता है कि दृढतम, अत्यन्त स्वतन्त्र प्रकृति और मौलिक आदमी ही झूठे सिद्धान्तों के उस ढंग से अपने आपको बचा सकते हैं जो अदालतों, गिर्जाओं, स्कूलों और समाचार-पत्रों की मयुक्त और सतत सूचनाओं और प्रेरणाओं द्वारा उनके दिलों पर जमता रहता है। हमको गलत रास्ते पर चलाया जाता है ताकि हम गुलाम बने रहते रहें, विद्रोही न हो जायें।

कुछ हद तक धनिकों के हितों और सर्वसाधारण के हितों में कोई अन्तर नहीं होना है, इसलिए बहुत कुछ तो सत्य ही होता है, किन्तु उसके साथ झूठी शिक्षा भी मिलानी जानी है। फलतः इस प्रकार सत्य के साथ झूठ मिला होने के कारण इस धोखे का पता चलाना और उस पर विश्वास करना और भी कठिन हो जाता है।

सवाल उठ सकता है कि जब ऐसा है तो धनी सहे तो सहे, किन्तु गरीब भी यह क्यों सहन करने हैं और इसे पूर्ण लाभदायक समाज-

नीति मान कर इसका उत्कटतापूर्वक समर्थन करते हैं ?

सहने का  
कारण

किन्तु वह समर्थन सर्वसम्मत नहीं होता; लोकहितैषी सुधारक और असहनीय अत्याचारों द्वारा पीड़ित व्यक्ति उस पर एक या दूसरी जगह आक्रमण करते ही रहते

हैं। यदि सामूहिक दृष्टि से उन पर विचार किया जाय तो कहना होगा कि कानून, धर्म, शिक्षा और लोकमत को इतना अधिक भ्रष्ट और मिथ्या बना दिया गया है कि साधारण बुद्धि के लोग इस पद्धति से होने वाले नगण्य लाभों को तो आमानी से समझ लेते हैं, किन्तु उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। जो आदमी धनिकों के घरों में नौकर रहते हैं, वे उन्हें दयालु और सत्पुरुष समझते हैं; क्योंकि वे अपने धनी मालिकों

से कमी-कमी वेतन के अभाववा कुट्ट इनाम भी पाने रहते हैं। कोई धनी यश की आकांक्षा से यदि अपने पड़ोसी मध्यमवर्ग के लोगों को कोई भोज दे देता है, या उनके लिए कोई पुस्तकानुष खाल देता है, या कुश्ना-बापड़ी बनवा देता है, या एक धर्मशाला खड़ी कर देता है, या किसी स्कूल या अन्य सार्वजनिक संस्था के लिए कुछ धन दे देता है तो धनिकों की उम हृदयहीनता, अनुदारता और शोषक-वृत्ति (जिनसे कि धनी धनी बनते हैं) अपरिचित लोग कहते हैं कि वे बड़े दयालु हैं, बड़े दानी हैं, बड़े उदार हैं ! धनियों के राग-रगों से शहरों और कस्बा में जो चुटल होती है, लोग उसमें बखुशी शामिल होते हैं और जगह-जगह उसकी चर्चा करते हैं। वही धनिका का प्रचुर व्यय सदा लोक-प्रिय होता है। धनी घरानों में काम करने वाले नीचर अपने मालिकों की इन फिजूलगर्बिया पर और उनके यहाँ अपने नौकर होने पर गर्व करते हैं और बेचारे भोले-भांगे गरीब लोग उनके इन राग-रगों की चकाचोढ़ में असलियत को देख नहीं पाते। वे नगरे समझ मसते कि इन धनिका की फिजूलगर्बियों और शोकीनी की पूजा करने के लिए उनमें से बिनना हा के मुँह के दौर लड़ान लिए जाते हैं और उनके शरीर पर के चिथड़े उतार लिए जाते हैं। निरम यह है कि अत्यन्त कम लागू का मनुष्योचित खाना न मिल जाय तबतक कोई इस तरह भोजन बर्बाद न करे और जबलक सत्रके शरीर न टंक जाए तबतक कोई हीरे, मोती और जेवर न पहिने। धनी लोग अपने को अन्य लोगों में सुखी देग कर सन्तोष मान मकते हैं, किन्तु वे यह नहीं कह सकते कि गरीबों के दुखों के अमल्य हो जाने पर उनके हृदयों की आग कभी नहीं धधक उठेगी।

हमारे इस नीति के साथ चिन्ते रहने का एक कारण यह भी है कि हम निर्मा मीके से धनी बन जाने के स्वप्न देना करते हैं और मोचने हैं कि तब हम भी ऐसा ही करेंगे। हम अपने एक अनिश्चित लाभ की वृष्णा में उन लोगों हानियों को भूल जाते हैं जो लाचो-करोड़ी अमागों को उटानी होती हैं।

कुछ गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जो आशा करते हैं कि उनके बच्चे

शिक्षा पाकर किन्हीं ऊँचे श्रोहदों पर नौकर हो जायगे और दरिद्रता की कीचड़ से निकल सकेंगे। जैसे तैस उन्हें पढ़ाते हैं या उनके कुछ बच्चे छात्रवृत्तियों प्राप्त कर लेते हैं और पढ़-लिख कर बढ़े हो जाते हैं। किन्तु ऐसे उदाहरण अपवाद ही होते हैं। वे सामान्य लोगों को आशा का कोई संदेश नहीं देते और दुनिया में सामान्य लोग ही ज्यादा रहते हैं। साधारण धनी का बच्चा और साधारण गरीब का बच्चा दोनों समान स्वस्थ मस्तिष्क ले कर जन्म ले सकते हैं, किन्तु युवा हाते-हाते एक का मस्तिष्क शिक्षा मिलाने से विकसित हो चुकता है, वह उससे योग्यता का कोई भी काम कर सकता है। किन्तु दूसरे को कोई ऐसी नौकरी भी नहीं मिल सकती कि वह सुसंस्कृत मनुष्यों के सम्पर्क में भी रह सके। इस तरह देश की बहुत-सी मस्तिष्क शक्ति नष्ट होती है। यह ठीक है कि अच्छे मस्तिष्क सभी को नहीं मिलते, किन्तु वे थोड़े से धनिकों में से जितने बच्चों को मिलते हैं उनसे कई गुने अधिक बच्चों की गरीबों में से मिलते हैं; क्योंकि वे धनिकों की अपेक्षा कई गुने हैं, किन्तु आय की असमानता के कारण उनका विकास नहीं हो पाता। परिणाम यह होता है कि योग्यता के मारे काम में उनकी जगह बिना योग्य-अयोग्य का उपालक्षण धनिकों को ही भर दिया जाता है, जो गरीबों पर हुकूम चला देने की आदत मारने होते हैं।

: ६ :

## समान आय को आपत्तियाँ

राष्ट्रीय आय को सब लोगों में समान रूप से विभाजित करना सम्भव है, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। कारण, दीर्घकालीन प्रयोग द्वारा उसकी परीक्षा हो चुकी है। सम्य दुनिया के दैनिक काम का अधिकांश हिस्सा समान वेतन पाने वाले व्यक्ति-समूह क्या समान द्वारा सम्पन्न होता है, मदा हुआ है और आगे भी आय सम्भव है? हमेशा होना चाहिए। वे लम्बे हाँ या नाटे, गोरे हाँ या वाले, तेज हाँ या धीमे, युवक हाँ या वृद्धावस्था के

किनारे पहुँचे हुए, शराब विरोधी हा या शराबी, सनातनी हो या सुधारक, विवाहित हा या अविवाहित, क्रोधी हो या शान्त-स्वभाव वाले, संन्यासी हो या दुनियादार—संक्षेप में, उन सब भेदों का जो एक मनुष्य को दूसरे में असमान बनाते हैं, जरा भी खयाल नहीं किया जाता। हर व्यवसाय में परिमाणित (Standard) मजदूरी दी जाती है। हर मार्बजिनिक विभाग में कर्मचारियों को परिमाणित वेतन मिलता है और स्वतंत्र पेशे में फीस टम तरह निश्चित की जाती है कि उस धंधे को करने वाला कुलीनता के एक स्वाम परिमाण के अनुसार जीवन-निर्वाह कर सके। यह परिमाण समस्त धंधे के लिए एक-सा होता है। पुलिसमैन, मिपाही और डाकियों के वेतन, मजदूर, नाला और राज की मजदूरी और न्यायाधीश तथा धारा-सभा के सदस्य के वेतन में अन्तर हो सकता है, उनमें से कुछ को साल में तीस रुपये में भी कम और कुछ को पाँच हजार से भी अधिक मिल सकता है, किन्तु सब मिपाहियों को एक-सा वेतन मिलता है, न्यायाधीशों और धारा-सभा के सदस्यों के लिए भी वही बात है। यदि किसी डाक्टर से पृछा जाय कि वह पाँच रुपये, दस रुपये, पचास रुपये या पाँच सौ रुपये के बजाय चार रुपये, दस रुपये, एक रुपया या आठ ही आना फीस क्यों लेता है तो वह गिरा इसके और कोई अच्छा कारण न बता सकेगा कि मैं वही फीस लेता हूँ जो दूसरे डाक्टर लेते हैं और दूसरे डाक्टर इतनी फीस इसलिए लेते हैं कि उससे कम में वे अपनी स्थिति कायम नहीं रख सकते। 11473

जब हमें कोई अविवेकी व्यक्ति नोते की मति यह दुहराता हुआ मिले कि यदि हरएक को धरार रुग्ण देंगे तो भी माल भर के भीतर-भीतर वे पहिले की तरह धनी और गरीब हांजायेंगे, तो उसे केवल इतना ही कह देना चाहिए कि यह अपने चारों ओर देख ले, उसे समान वेतन पाने वाले ऐसे लोगों आदमी मिलेंगे जो जीवन भर उसी अवस्था में रहते हैं, उनमें वैसा कोई परिवर्तन नहीं होता। गरीब आदमियों के धनी बनने के उदाहरण बहुत कम होते हैं और, यद्यपि धनी आदमियों

के गरीब बनने के उदाहरण सामान्य होते हैं, किन्तु वे भी कमी-नमी ही होते हैं। नियम यह है कि एक ही दर्जे और पेशे के मजदूरों को समान वेतन मिलता है और उनकी स्थिति गिरती है, न बढ़ती है। वे एक-दूसरे से कितने ही भिन्न क्यों न हों, उनमें से एक को दो रुपये और दूसरे को आठ आना इस विश्वास के साथ दिया जा सकता है कि श्रम में उनकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। हा, यह हो सकता है कि कोई बड़ा भारी घूर्णन या बड़ा भारी प्रतिभावान पुरुष दूसरों को अपेक्षा बहुत अधिक धनी या बहुत अधिक दगिद्र होकर हमें आश्चर्य-चकित कर दे। ईसाम्मसोह ने शिकायत की है कि 'मैं लोमडियों और पक्षियों से भी अधिक गरीब हूँ। कारण, उनके रहने के लिए बिल और घोंसले तो होने हैं, मेरे पास आश्रय पाने के लिए मकान तक नहीं है।' नेपोलियन तो सम्राट बन गया ! किन्तु अपनी सामान्य योजना बनाते समय हमें ऐसे असाधारण पुरुषों का उमसे अधिक खयाल नहीं करना चाहिए जितना तैयार कपड़ों का बनाने वाला अपनी मूल्य-सूची बनाते समय बहुत लम्बे और बहुत नाटे आदमियों का करता है। हमें विश्वास के साथ इस बात को व्यावहारिक अनुभव द्वारा निर्णीत मान लेना चाहिए कि यदि हम देश के समस्त निवासियों में आय को समान रूप से विभाजित करने में सफल हो जाय तो जिस प्रकार डाकियों में अपने समुदाय को भिखमगी और लखपतियों में बाटने की प्रवृत्ति नहीं है वैसे ही उनमें भी अपने आप को धनिकों और कगालों में बाटने की जरा भी प्रवृत्ति नहीं होगी। नवीनता केवल इतनी-सी चाही जाती है कि पोस्टमास्टर को जितना मिलता है उतना ही डाकियों को भी मिले और पोस्टमास्टरों को और किसी से कम न मिले। यदि हमको मालूम पड़े, कि जैसा पड़ता है, कि सब न्यायाधीशों को बराबर वेतन देने और सब जहाजी कप्तानों को बराबर वेतन देने से काम चल सकता है तो फिर जहाजी कप्तानों से न्यायाधीशों को पांच गुना अधिक क्यों दिया जाय ? यही तो जहाजी कप्तान जानना चाहेगा ! यदि उसे यह कह दिया जाय कि यदि न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जायगा तो भी वह साल खत्म होने से पेश्तर उतना

ही गरीब होगा जितना कि पहले था, तो वह उत्तर में बहुत ही कटु और मही भाषा का प्रयोग करेगा ।

तो समान विभाजन केवल क्षण भर के लिए ही नहीं, बल्कि स्थायी-तौर पर भी बिल्कुल सम्भव और व्यावहारिक है । वह सादा और समझ में आने योग्य भी है । वह मानव-प्राणियों में प्रचलित और सुविदित है । हर एक को कितना मिले, उस विषय के मत्र विवादों का भी वह खात्मा कर देता है ।

समान आय में योग्य व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के यथार्थ प्रदर्शन का अधिक प्रमाण होना है, इसलिए उन्हें उसके कारण उचित महत्व भी मिल जाना है । किन्तु आय की भिन्नता के कारण दो आदमियों

की योग्यता का अन्तर जितना छिपता है उतना और क्या योग्यता का किमी कारण से नहीं छिपता । उदाहरण के लिए एक ग्याल नदी कृत्ज राष्ट्र है, जो किमी महान् अन्वेषक, आविष्कर्त्ता करने या सेनापति को अपनी धारा-मभा द्वारा २० हजार रुपया देने का निश्चय करता है । पुरस्कार पाने वाला

उमरी घोषणा सुनकर खश होता हुआ अपने घर को जाता है, किन्तु बीच में ही उसे कोई कुप्रसिद्ध मूर्ख, अथवा निन्दनीय विलासी या कोई माधारण चरित्र वाला मनुष्य मिल सकता है जिसके पाम न केवल २० हजार रुपया हो हों, बल्कि जिसकी २० हजार रुपये की आय और हो । उस महान् व्यक्ति को २० हजार रुपये ने वर्ष भर में केवल १ हजार रुपया ही प्राप्त होगा और इस कारण वह बंचारा समाज में व्यापारियों, धनपतियों और मिथ्याभिमानियों द्वारा भुकड़ ही ममका जायगा । इन धनपतियों के पास उमरी अपेक्षा कई गुना धन मिलेगा । कारण, उन्होंने पूर्ण स्वार्थपरता के साथ, सम्भवतः दुर्च्यगनों द्वारा या अपने देशवासियों की भ्रदालुता से अनुचित लाभ उठाकर रुपया कमाने के अतिरिक्त अपने जीवन में और कुछ नहीं किया । एक आदमी है जो गराव चीजें बेच कर या गरीबी हुई चीजों पर दूना-तिगुना मुनाफा लेकर या भूटे विज्ञापनों के प्रचार के लिए बेहूदा पत्र और पत्रिकाओं को रुपया दे कर धूर्तता से



तीस-चालीस लाख रुपये का मालिक बन बैठा है। ऐसे आदमी का आदर-सम्मान किया जाता है, उसे पार्लमैण्ट में भेजा जाता है और लाइब्ररी दिया जाता है। दूसरी ओर ऐसे आदमी हैं जिन्होंने मानव-ज्ञान की वृद्धि के लिए या मानव-हित के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का उपयोग किया है या अपने जीवन तक को व्यतरे में डाल दिया है। किन्तु उनके पैसों और उपयुक्त धनवानों के रूपों की तुलना कर उनका महत्व कम किया जाता है। यह कितना बुरा है।

जहाँ आर्थिक समानता हो वहीं योग्यता का अन्तर स्पष्ट हो सकता है। यदि पदवियों, आदर-सम्मान और ख्याति रुपये द्वारा खरीदी जा सकें तो उससे लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी। इंग्लैण्ड की रानी विक्टोरिया ने कहा था कि जिसके पास पदवी धारण करने जितना रुपया न होगा उसे पदवी नहीं दी जा सकेगी। किन्तु इसका फल यह हुआ कि पदवियों सर्वश्रेष्ठ लोगों को नहीं, धनिकों ही को मिलीं। एक हजार रुपया सालाना पाने वाले मनुष्य को केवल सौ रुपया पाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अनिवार्यतः प्राधान्य मिल जाता है, चाहे वह उससे कितना ही हीन क्यों न हो।

समान आय वाले व्यक्तियों में योग्यता के भेद के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं होता। वही रुपये का कोई मूल्य नहीं होता, चरित्र, आचरण और क्षमता ही सबकुछ माने जाते हैं। सब मजदूरों को मजदूरों के निम्न परिमाणों पर लाने और सब धनिकों को आय के शौकीनी परिमाणों पर ले जाने के बजाय समान आय की पद्धति में हर एक अपने को स्वाभाविक सम सतह पर स्थित पायगा। उस समय महान व्यक्ति और छोटे आदमी सभी होंगे, किन्तु महान व्यक्ति वे ही होंगे जो बड़े काम करेंगे। वे मूर्ख नहीं जिनको माता पिताओं के आवश्यकता से अधिक लाइ-प्यार ने त्रिगुण दिया हो और जो उनके लिए १ लाख रुपया चार्जिक छोड़ गये हों। संकुचित विचार और नीच चरित्र के लोग छोटे आदमी कहलायेंगे, न कि वे गरीब जिन्हें जीवन में एक भी अवसर नहीं मिलता है।

यह सच है कि ऐसे लोग हैं जो काम करते हुए हर क्षण नाक-भौं  
 सिकंड़ते रहते हैं, किन्तु इस कारण उन्हें अपने हिस्से के काम से मुक्त  
 नहीं किया जा सकता है। जो आदमी अपने हिस्से से  
 क्या काम कम काम करता है और फिर भी श्रम द्वारा उत्पन्न  
 की प्रेरणा सम्पत्ति का अपना पूरा हिस्सा लेता है, वह चोर है।  
 मिलेगी ? उसके साथ भी बड़ी व्यवहार होना चाहिए जो अन्य  
 किसी प्रकार के चोरों के साथ होता है।

किन्तु कोई गोरू गणेश कह सकता है कि मुझे काम में घृणा है।  
 मैं कम लेने को तैयार हूँ और दरिद्र, गन्दा, चिथड़ैल और नङ्गा तक रह  
 लूँगा, थोड़ा काम लेकर मेरा पिंड छोड़ दो ! किन्तु ऐसा नहीं होने दिया  
 जा सकेगा, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की गई  
 दरिद्रता उतनी ही हानिकारक है जितनी बाहर से लायी गई दरिद्रता।

अधिक काम—समान आय में समान श्रम ही अभीष्ट है, इसलिए  
 यह सोचना तो व्यर्थ है कि जब एक को दूसरे से अधिक नहीं पाने दिया  
 जायगा तो उसको अधिक श्रम करने की प्रेरणा न मिलेगी। किन्तु  
 जिनको काम किए बिना चैन न पजा हो यदि वे आत्म-तुष्टि के लिए  
 अतिरिक्त काम चाहे तो उन्हें फिर यह दाग नहीं करना चाहिए कि यह  
 उनके लिए अधिक बुरा है, इसलिए इसके लिए उन्हें पैसा देना  
 चाहिए। यह होना चाहिए कि वे अपनी अतिरिक्त शक्ति का अपनी रुचि  
 के कामों में उपयोग करें।

सर्वश्रेष्ठ काम—प्रथम श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं में यथाशक्ति सर्वश्रेष्ठ  
 काम करवाने के लिए किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती।  
 उनकी कठिनाई यह है कि वे उसके द्वारा क्वचित ही आजीविका पैदा कर  
 पाते हैं। दूसरे नम्बर के काम के लिए जितना पैसा मिल सकता है,  
 उतना सर्वश्रेष्ठ काम के लिए पा सकता सम्भव होता है। और जब  
 सर्वश्रेष्ठ काम के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो सामान्य काम ने आजी-  
 विका पैदा करने हुए उसके लिए अवसर पा सकने की कठिनाई रहती  
 है। लोग उद्योग काम के लिए जब अपने को योग्य समझते हैं तो क्वचित

ही उससे विमुख होने हैं। वे इन्कार तभी करते हैं जब उच्चतर काम के लिए इतना कम वेतन दिया जाता हो या वह उनकी सामाजिक स्थिति के इतना विपरीत हो कि वे उसे न कर सकें। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड की सेना का एक साधारण अफसर कभी-कभी कमीशन-पद लेने से इकार कर देता है। जब वह ऐसा करता है तो उसका कारण यही होता है कि निम्न पद में उच्च पद में वह अधिक स्वच्छ और कम आराम सम्भक्ता है। दोनों पदों में समान आय-व्यय और आराम होने की दशा में वह खुशी से कमीशन-पद स्वीकार करता, क्योंकि उससे उसकी प्रतिष्ठा भी तो बढ़ती है।

**गन्दे काम**—हम लोगों ने एक खयाल बना लिया है कि गन्दे कामों को गन्दे और गरीब आदमी करते हैं, इसलिए हम उन्हें करना अपमानजनक समझते हैं। हमारे खयाल में यदि गन्दे और अपमानित लोगों का एक स्वतंत्रवर्ग न हो तो वह काम हो ही नहीं। यह बेहूदा खयाल है। पदबो-वारी सर्जन और डाक्टर जो सुरिक्षित और सुवेतन-भोगी होते हैं तथा ऊँचे-से-ऊँचे समाज में आते-जाते हैं दुनिया का कुछ गन्दे-से-गन्दा काम करते हैं। नर्सों जो सर्जनो और डाक्टरों की मदद करती हैं सामान्य शिक्षा में बहुधा उनके बराबर और टर्जों में कभी-कभी उनसे भी बड़ी हाती हैं। शहरी दफ्तरों में टाइपिस्ट का काम कहीं स्वच्छतर होता है, किन्तु कोई यह कल्पना भी नहीं करता कि उनकी अपेक्षा उन नर्सों का कम वेतन दिया जाय या उनका कम आदर किया जाय। प्रयोगशालाओं का काम और शरीर-विच्छेदन का काम, जिममें मृतशरीरों की चीर-फाड़ और जीवित प्राणियों के रक्त, मल-मूत्र आदि का विश्लेषण करना पड़ता है, एक स्वच्छ गृहस्थी के दृष्टि-बिन्दु से कर्मा-कभी बहुत ही गन्दा होता है, फिर भी व्यावसायिक भद्र स्त्री-पुरुष उसमें करते ही हैं। हरएक स्वच्छता-प्रेमी जानता है कि गन्दा काम हुए बिना धरा को स्वच्छ नहीं रखा जा सकता। बच्चों को पैदा करना और उनका पालन-पोषण करना किसी भी तरह साफ काम नहीं है, किन्तु कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह अत्यन्त सम्मानपूर्ण

नहीं है और न अत्यन्त नरुरेवाज शौकीन स्त्रियां अक्सर आने पर उससे मुँह ही मोड़ती हैं।

किन्तु बहुत मारा काम तो अब इतीलिए गन्दा है कि वह गन्दे लोग के हाथा बेइमोजन सं हाता है। उतो काम को साफ सुधरे आदमी साफ-सुधरे ढग से कर सकते हैं। प्रयत्न करने पर दुनिया का आवश्यक काम इतनी कम गन्दगी के साथ किया जा सकता है कि जिसे सब श्रेणियों के स्वस्थ लोग सहन कर लेंगे। और सत्य तो यह है कि लोग दरिद्रता और पतन के साथ काम के सम्बन्ध को जितना बुरा समझते हैं, उतना बुरा काम का नश समझते। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड में कोई सम्प कुलीन अपनी मोटर स्वय चलाने में कोई आपत्ति न करेगा, किन्तु वह डाक्टर की पोशाक पहिनना मजूर न करेगा। इसी तरह कोई भी कुलीन महिला अपना घर स्वय बिना संच भाङ्-बुहार देगी, किन्तु वह नौकरानी के लिबास को पहिन कर किमी के सामने जाने के चजाय मर जाना मजूर कर लेगी। यद्यपि डाक्टर और नौकरानी की पोशाके साफ सुधरी होती हैं और कुछ खराब भी नहीं दिखती; किन्तु उन्हें पहिनने में मध्य कुलीन को और कुलीन महिला को आपत्ति इसलिए हांती है कि वे भूतकाच में निम्न स्थिति की सूचक और असम्मानपूर्ण समझी जाती थी।

अप्रिय काम—अप्रिय कामों को रुचिकर बनाने की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है और कुछ से तो बिल्कुल पिंड ही लुझाया जा सकता है। यदि उन कामों को करने के लिए दरिद्र और अशिक्षित लोगों का एक वर्ग न होता तो उनसे कमी का पिंड छूट गया होता। ऐसे बहुत से तरोके हैं जिनके द्वारा आज जो काम अरुचिकर हैं वे ऐसे बनाए जा सकते हैं कि सामान्य आवश्यक श्रम करते समय जितनी कठिनाई अनुभव होती है उससे अधिक कठिनाई उन कामों में अनुभव न होगी। किन्तु जयन्तक ऐसा नश हाता तबतक सत्र लाग वे ही काम करना पसन्द करेंगे जो अधिक सुखकर होंगे, शरतें कि उनकी कोई ऐसी खास रुचि न हो जैसी कि किमी ग्रास चलवान आदमी को रोज ३० मील पैदल ढाक ले

जाने की होनी है, या एक दयावान लडकी की मैले-कुचैले सब्ते हुए रोगी की सेवा करने की होती है।

किन्तु एक उपाय ऐसा मौजूद है कि जिनमे विभिन्न व्यवसायों के प्रति समान आकर्षण पैदा किया जा सकता है। वह है अवकाश या स्वतंत्रता। भूतदूर जब राम के दस घंटों के बजाय आठ घंटों के लिए आन्दोलन करते हैं तो वास्तव में वे १४ घंटे के बजाय १६ घंटे का अवकाश चाहते हैं ताकि वे उसमें अपनी रुचि और मनोरंजन के काम तथा पूरा आराम कर सकें। वही कारण है कि हम लोगों को आराम की नौकरी के बजाय, जिस में उनको कम सरलता नहीं मिलती, ऐसी कठिन और कड़ी नौकरी पसन्द करने देखते हैं। जिसमें उन्हें अवकाश का समय थोड़ा अधिक मिल जाता है। कारखाने वाले शहरों में (यदि बेकारी न हो तो) बहुधा कुशल और ममकदार घरेलू नोकर या तो मिलते ही नहीं या मुश्किल से मिलते हैं। यद्यपि कारखाने का काम बड़ा होता है और घरेलू नोकर का आमान, किन्तु कारखाने में एक मिश्रित समय के बाद वे स्वतंत्र होते हैं, पर घरेलू नोकर का अपना कोई समय नहीं होता, वह हमेशा घन्टी की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठा रहता है। तो रुचिकर और सरलतम काम करने वालों की अपेक्षा जिन लोगों को कम रुचिकर और कम सरल काम करना पड़ता है उनकी क्षतिपूर्ति उन्हें अधिक अवकाश देकर जल्दी पेंशन-भण्डा वर्ग में दायित्व करके, अधिक छुट्टियाँ देकर की जा सकती है। ऐसा होने पर कम रुचिकर कामों के लिए कम अवकाश देने वाले अधिक रुचिकर कामों की भाँति लोग मिलने लगेंगे।

मनोरंजक काम—कुछ काम जो परिस्थितियों के कारण मनोरंजक होते हैं जैसे बहुत तेजी से न चलने वाले कारखानों का काम, जो रसोई घर में बैठे-बैठे रोटियाँ पकाते रहने के काम से अधिक सामाजिक होता है। यही कारण होता है कि उद्योग-प्रधान देशों की लड़कियाँ घरेलू काम की बनिस्वत कोलाहल-पूर्ण कारखानों के काम को अधिक पसन्द करती हैं। महलों, रेल की लाइनों, सड़क आदि पर काम करने वाले लोगों का काम खुले में होने के कारण कठिन होने पर दफ्तर की क्लर्कों

से अधिक मनोरंजक होता है। किन्तु कुछ काम स्वतः ही मनोरंजक और आनन्ददायक होते हैं जैसे नृत्यजानियां और भिन्न-भिन्न कलाकारों के काम। ये लोग बिल्कुल ही काम न करने के बजाय बिना किसी आर्थिक लाभ का विचार किए काम करेंगे। किन्तु समान विभाजन की पद्धति के अधिन यह अनिवार्य श्रम का नहीं, सम्भवतः अवकाश का फल होगा।

आजकल कितने ही मनोरंजन व्यर्थ धका देने वाले और मूर्खतापूर्ण होते हैं, किन्तु उन्हें क्लेशपूर्ण श्रम की नीरमता मिटाने और परिवर्तन की खातिर लोग सहन कर लेते हैं। कार्नेवाल लुई ने तो कहा है कि यदि ये व्यर्थ के मनोरंजन न होते तो जीवन अधिक सुखमय होता। कार्नेवाल लुई में यह समझ मरुने की बुद्धि थी कि ये शहरी-मनोरंजन मनोरंजन नहीं करते और रुपये की खर्चा करते हैं और स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। एक स्वस्थ पुरुष के लिए समय खर्चा जाने से बढकर और कोई खराब बात नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि स्वस्थ बालक जबतक थक नहीं जाते तब तक कुछ-न-कुछ बनाने या करने का प्रयास करते हैं। हम भी अगला समय बिताने और स्नायु समूह और मन को गति देने के लिए ऐसा श्रम करना चाहते हैं जिसमें कुछ आनन्द और अनुराग भी हो।

हमको श्रम और अवकाश का और अवकाश और आराम का अन्तर भी जान लेना चाहिए। श्रम वह जो हमें करना चाहिए, अवकाश वह जिसमें हम यथारुचि काम करें और आराम वह जिसमें कुछ न किया जाय, मन और शरीर को थकान उतारने दी जाय। बहुधा हमारी रुचि का काम भी उतना ही श्रमकारक होता है जितना वह काम जो हमें करना चाहिए। जैसे फुटबाल या हार्की के खेल हैं। दूरों को काम करते हुए देखना, लिखने की तरह नहीं, पुस्तक पढ़ने की तरह आराम करना है। किन्तु अनिवार्य श्रम के अलावा (जिसका न करना अपराध माना जायगा) जो सम्भवतः दो-तीन घण्टे का ही रह जायगा, जो अवकाश हमें मिलेगा, उसमें हम न तो फुटबाल या हार्की ही खेलते

रहेंगे और न दूसरों को काम करता हुआ ही देखते रहेंगे, न स्वयं पुस्तक ही पढ़ते रहेंगे। उनमें हम अपने मनोरंजन की खातिर राष्ट्र-हित का बहुत सारा काम ऐसा कर देंगे जिसे आज प्रेम या रुपये की खातिर नहीं कराया जा सकता। अपने प्रिय कार्यों में कितने ही लोग तो इतने व्यस्त रहते हैं कि उनसे उनके स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं और वे जल्दी ही मर भी जाते हैं, इसलिए तत्ववेत्ता हर्बर्ट स्पेन्सर ने कहा कि लोगों को काम के पीछे पागल भी न बन जाना चाहिए।

आय के समान विभाजन के विरुद्ध एक और मूल आपत्ति यह है कि उनके लाभ यदि होंगे तो शीघ्र ही कई बच्चों वाले दम्पति उन्हें हड़प कर जायेंगे। इसका तो यह अर्थ हुआ कि वे क्या समान यह मानकर चलते हैं कि दुनिया में वर्तमान दरिद्रता आय में अधिक का कारण आबादी की अधिकता है अर्थात् आज की आबादी का दुनिया में जितने लोग रहते हैं, पृथ्वी उतनी खाद्य गुंजुग होगा? सामग्री पैदा नहीं करती।

यदि थोड़ी देर के लिए इसे सत्य भी मान ले तो भी इससे आय के समान विभाजन की आवश्यकता नहीं है, यह निश्चय नहीं होगा। कारण, जितनी कम सामग्री हो, उतना समान विभाजन उतना ही अधिक आवश्यक हो जाता है, जिससे वह यथा-सम्भव सर्वत्र पहुँचाई जा सके और कमी की बुराईया के अलावा असमानता को बुराईयाँ पैदा न हों। किन्तु यह सच नहीं है। दरिद्रता का कारण अत्यधिक आबादी और कम उत्पात्ति नहीं है, बल्कि यह है कि लोग जो सम्पत्ति और अयकाश पैदा करते हैं उसका इतना असमान विभाजन होता है कि जन-संख्या का कम-से-कम आधा भाग अपनी आजीविका स्वयं पैदा करने के बजाय दूसरे आधे भाग के श्रम पर जीवन-निर्वाह करता है।

इंग्लैण्ड में मई महीने का उत्सव होता है ता एक युवा दम्पति का, जो अत्यन्त धनी समाज में रहता है, नौ नौकरों के बिना काम नहीं चलता, चाहे उनके एक भी बच्चा न हुआ हो। फिर भी वहाँ हर एक आदमी जानता है कि जिन आमागे युवकों को नौ नौकरों के रहने का प्रबन्ध करना

पडता है और उनके बीच शान्ति कायम रखनी होती है, उनकी अपेक्षा एक नौकर रखने वाले या अधिक-से-अधिक दो नौकर रखने वाले अधिक सेवा-शुभ्रूपा पाते हैं और अपने घरों में अधिक आराम से रहते हैं। कारण, धनी समाज में रहने वाले युवक के नौकर अपने मालिक का काम करने के बजाय अधिकतर एक दूसरे का काम करते हैं, इसमें कोई मन्देह नहीं। यदि लोकरोति के खयाल से वहाँ किमी के लिए खानसामा और चपरासी आवश्यक हो ही तो उसे उनके भोजन पकाने और विस्तर करने के लिए भी किसी को रखना पड़ेगा। घर की मालिकिन को सेवा की जितनी जरूरत होती है उतनी ही प्रधान नौकरानियों और परिचारिकाओं को भी, क्योंकि वे अपने काम के अलावा और किसी काम को हाथ न लगाने का बहुत अधिक खयाल रखती हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि घर में दो आदमियों का काम करने के लिए नौ आदमियों का होना दास्यात्यद है। वास्तव में घर में ग्यारह आदमियों का काम होता है। और वह सब नौ आदमियों को आपस में करना पडता है। यही कारण है कि वे लोग नौ नौकर होने पर भी बग़र शिकायत करते रहते हैं कि उनसे उनका काम नहीं चलता! वे अल्प समय के लिए और नौकर, फुटकर काम करने वाले दर्जा और खबर ले जाने वाले लडके बढ़ाते रहते हैं। यहाँ तक किमा धारण सख्या और असाधारण आय वाले कुटुम्बों के यहाँ तीस-तीस नौकर इकट्ठे हो जाते हैं, किन्तु वे सब कम या अधिक एक-दूसरे का काम करते रहते हैं, फलतः नौकरों की सदा कमी बनी रहती है।

यह स्पष्ट है कि ये भुँड-के-भुँड नौकर अपना निर्वाह स्वयं नहीं करते। उनका मालिक उनका निर्वाह करता है और यदि वह मालगुजारी और कम्पनियों में लगी हुई अपनी पूँजी के हिस्सों के मुनाफों पर गुज़र करने वाला आलसी धनिक है अर्थात् उसका निर्वाह किसानों और कम्पनियों के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के भ्रम से होता है तो वह, उसके नौकर तथा अन्य कारवारी लोग स्वाश्रयी, स्वावलम्बी नहीं होते। उनके रहने के लिए दुनिया आज से दस गुनी बड़ी बना दी जाय तो भी



वे स्वावलम्बी नहीं होंगे ! इस तरह आज की दुनिया में बहुत अधिक आदमी होने के बजाय बहुत अधिक आलसी हैं और बहुत सारे काम करने वाले इन आलसियों की हाजिरी में रहते हैं । यदि इन आलसियों और काम करने वालों को उपयोगी कामों पर लगा दिया जाय तो हमें यह आवाज बहुत समय तक सुनाई न देगी कि दुनिया में आबादी बहुत बढ़ गई है । सम्भव है कि वह फिर सुनाई भी न दे ।

इसी बात को इस तरह भी समझाया जा सकता है । कल्पना कीजिए, २० आदमी हैं जिनमें से हर एक अपने श्रम द्वारा १०० गिन्नी सालाना पैदा करता है और स्वेच्छा से या कानून से विवश होकर ५० अपने जमींदार को देना स्वीकार कर लेता है । इस प्रकार मालिक को काम के लिए नहीं, जमीन का मालिक होने के कारण १००० गिन्नी सालाना की आय होगी । इसमें से ५०० वह अपने पर स्वर्च कर सकता है जिससे वह उन बीस आदमियों में से किसी की भी अपेक्षा बीस गुना धनी हो जायगा । शेष ५०० गिन्नी में ६ आदमियों और १ लडके को ७५ गिन्नी सालाना पर नौकर रख सकता है जो उसकी हाजिरी बजाएँ और जब कभी उन बीस आदमियों में से कोई बगावत करने का प्रयत्न करे और ५० गिन्नीयों न दे तो उसको दवाने के लिए हथियारबन्द टुकड़ी का काम भी दे । ये ६ आदमी ५० गिन्नी आय वाले आदमियों का पद नहीं लेंगे । कारण, उन्हें ७५ गिन्नीया मिलती हैं । उनमें इतनी बुद्धि भी नहीं होती कि वे सब मिलकर मालिक को उखाड़ फेंकें और कुछ उपयोगी काम करें जिसे कि उनमें से हर एक १०० गिन्नीयाँ पैदा कर सके ।

यदि हम २० श्रमिकों और ६-७ नौकरों को लाखों से गुणा करें तो हम को हर एक देश की वर्तमान व्यवस्था की मूल योजना मालूम हो जायगी । सब जगह मालिकों का एक दल है जिनकी सम्पत्तियों की रक्षा के लिए पुलिस और फौजे हैं, आशा-पालन के लिए बड़ी तादाद में नौकर हैं, उनके श्राम की चीजें बनाने के लिए भुँड-के-भुँड मजदूर हैं और इन सबका निर्वाह धस्तुतः उपयोगी श्रम करने वाले मजदूरों के श्रम

मे होता है जिन्हें स्वयं अग्रगण्य निर्वाह भी करना होता है। जन-संख्या की वृद्धि किसी देश की सम्पत्ति में वृद्धि करेगी या दरिद्रता में, यह पृथ्वी की प्राकृतिक उपज-शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि अतिरिक्त लोगों को उपयोगी श्रम पर लगाया जाता है या नहीं। यदि वे उपयोगी श्रम पर लगाए जायेंगे तो देश की सम्पत्ति बढ़ेगी और यदि वे निरूपयोगी श्रम पर लगाए जायेंगे, अर्थात् वे सम्पत्तिवानों के नौकर बनाए जायेंगे, या उनके अधिकारों के मरान्त्र सरक्षक बनाए जायेंगे या उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य किसी व्यवसाय या कार्य में लगाए जायेंगे तो देश और भी दरिद्र होगा। सम्पत्तिवान और भी धन हो सकते हैं और उनके नौकरों को भी अधिक वेतन मिल सकता है, किन्तु ये बातें देश की दरिद्रता को न ठँक सकेंगी।

श्रम-विभाजन के कारण यह स्वाभाविक है कि जितनी अधिक जन-संख्या होगी उतना ही देश अधिक धनी होगा। श्रम के विभाजन का अर्थ यह है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के काम भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग द्वारा हों, क्योंकि इस तरह लोग अपने-अपने कामों में बहुत कुशल हो जाते हैं। कारण, उन्हें उन कामों के अलावा और कोई काम नहीं करना पड़ता। इसके अलावा उनके कामों को दूसरे लोग संचालित भी कर सकते हैं जो अपना सारा दिमाग इसी दिशा में खर्च करते हैं। इस तरह से जो समय बचे उसका मशीनें, सड़क, तथा अन्य साधन बनाने में उपयोग किया जा सकता है ताकि आगे चल कर और समय तथा श्रम बच सके। इन उपायों से बीस आदमों दस आदमियों की अपेक्षा दुगुने से अधिक और सौ आदमों बीस आदमियों की अपेक्षा पचगुने से कहीं अधिक पैदा कर सकते हैं। यदि सम्पत्ति और उसके लिए होने वाले श्रम का समान विभाजन हो तो दस आदमियों की बस्ती की अपेक्षा सौ आदमियों की बस्ती कहीं अधिक अच्छी दशा में रह सकती है। यही नियम कबोड़ों की आधुनिक बस्तियों पर भी लागू होता है। किन्तु यदि उनकी हालत अच्छी नहीं है तो इसका कारण यह है कि आलसों लोग और उनके अश्विंत उपयोगी श्रम करने वालों को लूटते रहते हैं।

किन्तु हमसे यह न समझना चाहिए कि समान आय होने की दशा में दूर एक व्यक्ति को सम्पत्ति मदा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि योग्य परिस्थितियाँ मिलने पर मानव-प्राणी अपनी संख्या बड़ी जल्दी बढ़ा लेता है। यदि आने वाली पीढ़ियाँ अपना काम इस तरह से करे कि युद्ध, प्लेग और अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़े तो केवल ४०० वर्षों के भीतर ही केवल एक ही दम्पति की दो करोड़ प्रजा जीवित मिल सकती है। इस समय जितने दम्पति जीवित हैं यदि वे इस क्रम में बढ़ें तो निस्सन्देह शीघ्र ही पृथ्वी पर अन्न पैदा करने के खेत तो क्या खड़े रहने तक के लिए स्थान भी न मिलेगा। पृथ्वी से एक सीमा तक ही खाद्य-सामग्री पैदा की जा सकती है। यदि जनसंख्या की वृद्धि की कोई सीमा न हो तो अन्त में हम को विदिन ही जायगा कि अधिक प्राणी पैदा करके हम भोजन के अपने हिस्से को बढ़ाने के बजाय घटा रहे हैं। हमसे यह परिणाम निकला कि किसी-न किसी दिन हमको यह तय करना पड़ेगा कि पृथ्वी पर ठीक तरह से अधिक-से-अधिक इतने मनुष्य रह सकते हैं।

किन्तु बच्चे पैदा करने में स्त्रियों को गर्भ धारण, प्रसव-वेदना, मृत्युभय और अस्थायी असमर्थता का सामना करना होता है और पुरुष को अपनी मर्णादित आमदनी का, इसलिए लोग अपने कुटुम्बा को सीमित रखते हैं। यह दूसरी बात है कि वे उन्हें सीमित रखना न जानते हों या अप्राकृतिक साधनों द्वारा सन्तति-नियमन को धर्म-विरुद्ध समझते हों।

जब हम सन्तानात्मिक और बच्चों के पालन-पोषण के विषय में खयाल करते हैं तो हमें मालूम होता है कि समान आय में बच्चों का भार माँ-बापों पर नहीं डाला जा सकेगा। यदि हम डालेंगे तो परिणाम यह होगा कि जिन लोगों के ज्यादा बाल-बच्चे होंगे वे जल्दी गरीब हो जायेंगे। इसलिए आय के समान-विभाजन की पद्धति में बालक जन्म के साथ ही आय के अपने हिस्से का अधिकारी हो जायगा और उससे ठीक प्रकार से पाला-पोसा जा सकेगा।

किन्तु यह सम्भव हो सकता है कि ऐसी सुखपूर्ण परिस्थितियों के

कारण, जबकि शादियाँ जल्दी होंगी और वर्तमान भयङ्कर बाल-मृत्युओं का भी लोप हो जायगा, जन-संख्या में वाञ्छनीय से भी अधिक वृद्धि हो जाय अथवा वृद्धि बहुत शीघ्र गति से हो जो अत्यधिक वृद्धि के समान ही अमुविधाजनक होती है। उस अवस्था में हमें जन-संख्या को जान-बूझकर नियमित रखना आवश्यक हो जायगा।

इस समय जबकि आय का विभाजन असमान रूप से होता है जन-संख्या किस प्रकार सीमिति रखी जाती है? उमें सीमिति रखने के वर्तमान उपाय अत्यन्त दुष्टतापूर्ण और भयानक हैं। उनमें युद्ध, महामारी दरिद्रता आदि का समावेश होता है। दरिद्रता के कारण लाखों बच्चे एक वर्ष की अवस्था के पत्रिले ही आहार, वस्त्र और निवासस्थान की योग्य व्यवस्था के अभाव में मर जाते हैं। सन्तति-नियमन के अप्राकृतिक साधनों से पश्चिम के फ्रान्स आदि कितने ही देशों का जन संख्या शोचनीय रूप से घट रही है। भ्रूण-हत्या का पापमय प्रथा भी प्रचलित है। पूर्वीय देशों में बच्चों की-विशेषतः कन्याओं को-खुले में मरने के लिए छोड़ देने की घटनाएँ अभी तक होती हैं। दयावान् इजरात मुहम्मद अरबों को इस दुष्कृत्य से रोकने के लिए ही बड़े गये हैं कि 'क्यामत के दिन परित्यक्ता कन्याएँ उठ बैठेंगी और पूछेंगी कि उन्होंने क्या अपराध किया था।' किन्तु एशियाई देशों में अब भी बच्चे खुले में छोड़ दिये जाते हैं। जन-संख्या सीमिति रखने के इन सब उपायों में सन्तति नियमन के अप्राकृतिक साधन ही ज्यादा अच्छे हैं; क्योंकि बच्चों को पैदा करने और इस तरह मार डालने के बजाय तो यह अच्छा है कि चाहे जिन साधनों से काम लिया जाय और बच्चे पैदा ही न किए जायें।

दुनिया में अब भी बहुत मारा स्थान खाली है, किन्तु आय के समान विभाजन ने समय से पूर्व ही सन्तति नियमन का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। कनाडा और आस्ट्रेलिया में बहुत-सा स्थान खाली पडा मालूम होता है, किन्तु वहाँ के लोग कहते हैं कि वह अनुपयोगी स्थान धमने योग्य नहीं है। जापान में आयादी बहुत घट गई है, इसलिए जापानी कह सकते हैं कि अच्छा, तुम उममें नहीं धमते हो तो उसमें हम

बम जायेंगे। किन्तु वे इंग्लैण्ड की सैनिक धाक के कारण ऐसा कहने का साहस नहीं करते। जहाँ सन्तति-नियमन का धर्म-सम्बन्धों द्वारा घोर विरोध होता है वहाँ भी उसका प्रचार है या हो रहा है। केवल एक ही उपाय है जिसके द्वारा उन पर अक्रुश लग सकता है। वह है, अस्वाभाविक दरिद्रता का नाश, जिससे कि उसे समय से पहिले जन्म दिया है। आय का समान विभाजन दरिद्रता का नाश कर सकता है।

यह कोई नहीं कह सकता कि समन आने पर जनसंख्या पर आवश्यक प्रतिबन्ध किस प्रकार लगाया जायगा। सम्भव है प्रकृति ही इस समस्या को हल कर दे। हम देखते हैं कि पैदा हुए बच्चों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक होती है। यह उन सम्भावना की सूचक है। जब बालकों को ऐसे खतरों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उनमें से बहुत कम के जीवित बचने की आशा की जा सकती है, उस समय प्रकृति बिना किसी हस्तक्षेप के इतनी अधिक संख्या में बच्चे पैदा करती है कि मानव-जाति का पूर्णतः लोप न हो जाय। दग्ध, क्षुब्ध, कमजोर और विकार-युक्त लोगों में (जिनके बच्चे छोटी अवस्था में ही बड़े तादाद में मर जाते हैं) अधिक बच्चे पैदा होते हैं।

यदि प्रकृति अत्यधिक मरण से प्राणियों का लोप न होने देने के लिए उत्पत्ति में वृद्धि कर सकती है तो हम उसमें क्या सन्देह होना चाहिए कि वह अत्यधिक आबादी के कारण होने वाले प्राणियों के नाश को रोकने के लिए उपाय भी कर सकती है? जो लोग यह कहते हैं कि यदि हम दुनिया की दशा सुधार देंगे तो उनमें आवश्यकता से अधिक आबादी बढ़ जायगी, वे प्रकृति के उस रहस्यमय दग को नहीं समझते। किन्तु समाजवादी लोग भी निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि समाजवादी युग में बिना कृत्रिम सन्तति-नियमन के प्रकृति जन-संख्या को सीमा में रखेगी ही। बुद्धि मगत मार्ग तो यह है कि दुनिया की दशा सुधारी जाय और देखा जाय कि होता क्या है। अत्यधिक आबादी को कठिनाई अभी पैदा नहीं हुई है। जो कुछ है वह उसका कृत्रिम रूप है जो आय के

असमान विभाजन से पैदा हुआ है और जिसका परिमार्जन आय के समान विभाजन से हो सकता है ।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जबतक दो आदमी एक आदमी की अपेक्षा और बीस लाख आदमी दस लाख आदमियों की अपेक्षा दुगुने से अधिक पैदा कर सकेगे, तबतक पृथ्वी अधिक उत्पत्ति के नियम के अधीन रहेगी । यदि कभी जन-संख्या उस सीमा तक पहुँच जाय कि पृथ्वी उसका योग्य निर्वाह न कर सके तो पृथ्वी न्यून उत्पत्ति के नियम के अधीन होगी । इस समय पृथ्वी अधिक उत्पत्ति के नियम के अधीन है । कुछ अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं कि आजकल पृथ्वी न्यून उत्पत्ति के नियम के अधीन है । ऐसे अर्थशास्त्रियों को यह उल्टा पाठ धनिकों के बालकों के लिए निर्मित विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया है । यह उनका भ्रम है, जो आय के समान विभाजन में कभी दूर हो जायगा ।

: ७ :

## समाजवाद का आचरण कैसे करें !

यहाँ तक हम यह तय कर चुके कि एक स्वतन्त्र समाज में समान-विभाजन की योजना ही स्थायी और समृद्धिकारक हो सकती है किन्तु अब सवाल यह उठता है कि इस योजना पर आचरण कैसे किया जाय । जिन्हें इन पंक्तियों को पढ़ कर यह उम्माह मिलेगा कि देश में समाजवाद चाहिए उनमें से कुछ लोगों का खयाल होगा कि ऐसा करने के लिए समाजवादियों में मिल जाना चाहिए, किन्तु इसमें एक आपत्ति है और वह यह कि समाजवादी कई तरह के होते हैं । उनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी । उनमें ऐसे आदमी भी मिल जायेंगे जो हमारा क्या निमन्त्रण पाकर हमारे यहाँ आएँ और हमारी निगाह समाजवादियों चूक जाय तो हमारे घर की चीजें भी उठा ले जायं । मैं मिलकर ? कुछ ऐसे नीतिभ्रष्ट भी होंगे जो सदाचार और दुराचार, सत्य और असत्य में कम अन्तर करते हैं । कारण, प्रायः

समाजवादी कहलाने वाले लोगों में और दूसरे लोगों के बाह्य व्यवहार में कोई अन्तर नहीं होता । इसलिए हर एक आदमी को, जो समाजवादियों अथवा किसी अन्य वाद-विशेष के मानने वाले लोगों में से अपने सहकारी चुनना चाहता है, यह मान कर चुनना चाहिए कि उनके अच्छाई का कोई बिल्ला नहीं लगा है और वे बिल्कुल अपरिचित हैं ।

बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने आपको समाजवादी कहते हैं, किन्तु जो स्पष्टतया और पूरी तरह जानने भी नहीं कि समाजवाद क्या है । यदि ऐसे लोग से कहा जाय कि हम देश की आय को सब लोगों में समान रूप से बाँटना चाहते हैं और ऐसा करते समय हम अमीर और गरीब, बालक और बूढ़, पण्डित और भगी, और पापी और पुण्य-आत्मा में कोई भेद नहीं करगे तो वे अवश्य ही हमारे इस कथन पर आश्चर्य प्रकट करेंगे, या हम विश्वास दिलायेंगे कि यह सब अशतापूर्य और भ्रमभरा है और यह कि कोई भी शिक्षित समाजवादी ऐसे पागलपन में विश्वास नहीं करता । वे कहेंगे कि उनके मतानुसार समाजवाद में 'अवसर की समानता' भी चाहिए । इससे शायद उनका तात्पर्य यह होता है कि यदि हर एक को पूँजीपति बनने का समान अवसर मिले तो पूँजीवाद कुछ नुकसान न करेगा । किन्तु वे यह नहीं समझ सकते कि आय का समान विभाजन हुए बिना अवसर की यह समानता कैसे स्थापित की जा सकती है । अवसर की समानता असम्भव है । यदि हम एक लडके को फाउन्टेनपैन और कागज की एक रिम देकर कहे कि उसको अमुक नाटककार के समान नाटक लिखने का समान अवसर है तो वह हमारे इन मूर्खतापूर्ण प्रश्न का क्या उत्तर देगा ? तो हमें निश्चयपूर्वक यह जान लेना चाहिए कि समाजवाद का उद्देश्य आय की समानता के अपरिचित और कुछ नहीं है ।

भूतकाल में समाजवाद के बड़े-बड़े पंडित हो गए हैं और आज भी कितने ही लोग समाजवाद का अच्छा ज्ञान रखने वाले मौजूद हैं, किन्तु यदि वे आय की समानता नहीं चाहते तो वे कोई ऐसी बात नहीं चाहते जिससे सन्ध्या की रक्षा हो सकेगी । 'भूखे भजन न होय गोपाला, यह

लो अपनी कटी माला !' यह बात किमी हिन्दू फकीर ने योही नहीं कह दी है। यदि लोगो की आवश्यकता पूर्ति का खयाल न रक्खा जायगा तो वे अच्छे-मे-अच्छा काम करने में अपने आप को असमर्थ पायेंगे। ईसा, प्लेटो और पश्चिम के भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायो के भिन्न-भिन्न साम्यवाद सब आर्थिक समानता को पृथ्वी पर स्वर्ग-राज्य (Kingdom of Heaven) स्थापित करने की प्रथम शर्त मानते हैं। इसलिए जो कोई किमी भी मार्ग में इस परिणाम पर पहुँचे, वह समाजवादी है और जो कोई न पहुँचे वह समाजवादी नहीं है, फिर चाहे वह अपने आप को लेला और भाषणा द्वारा कितना ही समाजवादी घोषित क्यों न करे।

वास्तव में समाजवाद कम लोग हैं। उनमें मिला जा सकता है, किन्तु उनमें मिलने से समाजवाद नहीं आ सकता। कारण, उनके हाथ में कोई शक्ति न होगी। हाँ लोग, चाहे तो ऐसे मिल कर समाजवाद के लिए आन्दोलन कर सकते हैं।

इस समय जिन लोगो ने योडा बहुत भी समाजवाद के विषय में जाना है वे प्रायः असमानता को धनिका का अपराध समझते हैं और इसलिए वे, जब कभी भी बालने या निम्बने का मौका पाते हैं, धनिको का कोमने, खोटी-खरी सुनाने से नहीं चूकते। दूसरी क्या दान पुण्य और ऐसे धनिक भी हैं जो अपने को धनी होने के द्वारा ? कारण अपराधी अनुभव करते हैं और लज्जित होते हैं। वे अपने आप को अपराधी-भाव और लज्जा के बोझ से हल्का करने के लिए गरीबों और गरीबों की सस्थाग्रा को दान भी देते हैं। बहुधा वे समाजवाद को गरीबों के हित के लिए होने वाला पुण्य कार्य समझते हैं ! इससे बढकर असत्य और क्या हागा ? समाजवाद तो दरिद्रता से घृणा करता है और गरीबों को निःशेष कर देना चाहता है। समाजवाद में गरीब रहने वालो पर उसी तरह मुकदमे चलाए जायेंगे जिन तरह कि आज पश्चिमी देशों में नगे रहने वालो पर चलाए जाते हैं। भिक्षा कंगालों को स्वाभिमान-शून्य बनाती है और दाताओं को घमडी; वह दोनों में घृणा भर देती है। साथ ही



समाजवाद यह भी मानता है कि जिस देश की व्यवस्था न्याय और विवेक के साथ होती हो वहाँ गरीब के लिए न तो भिन्ना चाहने का कोई कारण होगा और न धनिकों के लिए भिन्ना देने का कोई अवसर ही। जो लोग परोपकारी बनना चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि बिना चोरी किए कोई परोपकार नहीं कर सकता।

जो सद्गुण लोगों के कष्टों द्वारा वृद्धि पाते हैं उन्हें सद्गुण नहीं कहा जा सकता। कितने ही लोग भूकलां, अस्पतालों, धर्मशालाओं, कुँआँ आदि के निर्माण में और अनेक परोपकारी मस्याओं तथा पीडित सहायक कौश्यों में अत्यधिक दिलचस्पी लेते हैं, किन्तु, यदि उन प्रकार के परोपकारों की आवश्यकता ही मिटा दी जाय तो वे अपने आचार-विचारों के सुधारने में अपनी शक्तियों का सद्व्यय कर मनेंगे और दूसरों की चिन्ता छोड़कर अपनी फिर रखना सोच जायेंगे। दया के लिए दुनिया में हमेशा गुँजाइश रहेगी; किन्तु वह निवारणीय लुधा और रोगों पर बर्बाद न की जानी चाहिए। महानुभूति का प्रयोग करने के लिए ऐसी भयंकरताओं को अस्तित्व में रखना ठीक ऐसा ही है जैसा कि अपने घरों में आग लगा कर अग्नि बुझाने वाले ऐजिनो की शक्ति और उनके सचालकों के साहस का उपयोग करना। किन्तु इस तरह तो समाजवाद आ भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो अत्रतक होना ही आया है।

आय की समानता करने का काम एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का काम नहीं है, यह तो सार्वजनिक काम है। बिना सब लोगों की सहायता के अर्थात् कानून की सहायता के आय की समानता नहीं हो सकती। किन्तु केवल एक कानून द्वारा ही यह सब कुछ न हो जायगा, बल्कि उसके लिए एक के बाद एक इन तरह अनेक कानूनों की आवश्यकता होगी। केवल ऐसा आदेशात्मक कानून कि 'तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी से अधिक या कम न मिलेगा' काफी न होगा। इसका करीब-कानून ही केवल करीब पालन कराने के लिए भी अन्य कितने ही कानून उपाय हैं नये बनाने होंगे, पुराने रद्द करने होंगे, नये राजकाय विभाग स्रष्टित और संचालित करने पड़ेंगे, असख्य स्त्री-पुरुषों को

सार्वजनिक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करना होगा। हमे बालकों को इस तरह की शिक्षा देना होगी कि वे अपने देश के प्रश्नों पर नए ढंग से विचार कर सकें। हम को पग-पगपर अशुद्धता, मूर्खता, परम्परा, पक्षपात और धनिकों के स्थापित मन्वत्त्वों के विरोध का सामना करना पड़ेगा।

थोड़ा देर के लिए मान लिया जाय कि एक बहुमत द्वारा निर्वाचित सरकार है जो इस पुस्तक के विचारों से तो सहमत है; किन्तु कोई दूसरा परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। उसके सामने एक भूखा आदमी जाता है और कहता है कि “मुझे दान नहीं चाहिए, काम चाहिए जिससे मैं अपने भोजन का मूल्य ईमानदारी के साथ चुका सकूँ।” तो वह सरकार आज की सभी पूँजीवादी सरकारों की तरह से उत्तर दे देगी कि उमके पास काम की कमी है, इसलिए वह उसे काम नहीं दे सकती। हाँ, भोजन दे सकती है।

निजी व्यवसायियों और विदेशियों के हाथ में आज जितने काम के साधन हैं, उन पर जबतक राष्ट्रीय सरकार अधिकार न कर ले तबतक वह भूखे लोगों को काम नहीं दे सकती। उन साधनों पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रीय सरकार को खुद राष्ट्रीय भू-स्वामी, राष्ट्रीय-कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय व्यवसायी बनना होगा। दूसरे शब्दों में, जबतक विभाजन करने के लिए राष्ट्रीय श्राय निजी व्यवसायियों और विदेशियों के हाथ में होने के बजाय उसके हाथ में न हो, तबतक वह श्राय का समान विभाजन नहीं कर सकती और जबतक ऐसा न हो तबतक कोई भी व्यक्ति समाजवाद का अधिक-से-अधिक या पूरा आचरण नहीं कर सकता।

जबतक किसी देश में समाजवाद नहीं आ जाता तबतक व्यक्ति समाजवादी नहीं हो सकते। कारण, उन्हें असमाजवादी समाज में रहना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति समाजवाद के सिद्धान्तों समाजवाद पर को पढ़ कर अपनी सचित पूँजी को बॉट दे तो व्यक्तिगत मौजूदा समाज जो समाजवाद पर प्राचरण नहीं करता आचरण है, उसे ऐसा काम देगा ही, जिससे उसका भले प्रकार निर्वाह हो सके, इसकी कोई गारण्टी नहीं है। जबतक ऐसा है तबतक

लोग पेंजी का सचय करेंगे ही । ईसाभर्मीह ने कहा था कि 'दुमको अपने कल के भोजन-बन्ध की चिन्ता न करनी चाहिए ।' किन्तु आज हरएक ईमानदार समाजवादी जानता है कि इसका पालन कितना कठिन है । एक गृहस्थ जिनको अपने परिवार के निर्वाह के लिए एक निश्चित रकम के लिए हर रोज आठ या दस घण्टे काम करना पड़ता है, यदि कल की चिन्ता न करेगा तो काम छूट जाने पर, झोमार हो जाने पर या अन्य किसी कारण से कमाने वाला न रहने पर वह अपने परिवार का पोषण क्या भीख माँग कर करेगा ? फिर उसे यह भी खयाल रहता है कि यदि वह मर गया तो उसके परिवार की क्या दशा होगी । हरएक आदमी जगतक कि वह पहिले दर्जे का आस्तिक न हो, इस बन्धु-स्थिति ने अपनी आँखें नहीं मूँद सकता ।

व्यवहार में समानता लानी चाहिए, वह ठीक है, किन्तु इससे हम यह नहीं कर सकते कि बाजार में, जिनके पास अपने पास के रुपये से अधिक रुपया हो, उनको लूट लेना चाहिए और उनका बाँट देना चाहिए जिनके पास हम से कम है । यदि हम ऐसा करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि या तो हमें उसके लिए जेलखाने की हवा खानी पड़ेगी या पागलवाने की सैर करनी होगी । कारण, कुछ काम ऐसे हैं जिनको कानून द्वारा सरभार ही कर सकता है, जिन्हें व्यक्तिगत करने की छुड़ी किसी को नहीं दी जा सकती ।

राजनैतिक दृष्टि से मध्य लोगों को पदिलो बात यह सीखनी चाहिए कि वे कानून को हाथ में न लें । समाजवाद शुरू से लेकर अन्त तक कानून का विषय है । वह आलसियों से काम करावेगा, किन्तु यह भार व्यक्तियों को अपने सिर पर लेनेकी आजादी नहीं दे सकता, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने अधीनस्थ लोगों को उनमें काम लेने के लिए पीठने लगेंगे तो समाज में बड़ी अव्यवस्था फैल जायगी ।

इन सब दलीलों का भार यह है कि यदि हम समाजवादी हैं तो हमें समाजवाद का अधिक-से-अधिक पूरा आन्तरण करने के लिए तबतक ठहरना होगा, जबतक कि हमारा राष्ट्र समाजवादी नहीं हो जाता । हमें कई बार

सुनाई देता है कि 'अमरु व्यक्ति बड़े जमींदार हैं या पूजापति हैं और मोटर रखते हैं, किन्तु फिर भी वे समाजवादी हैं,' लोगों के ऐसा कहने का मतलब यह होता है कि उनका आचरण एक समाजवादी का-सा नहीं है।

किन्तु उन्हें कोई यह राय नहीं दे सकता कि वे अपनी जमींदारी को छोड़ दे या अपनी पूजा का गरीबों ने धॉट दे। कारण यह है कि लोग जानते हैं कि मौजूदा समाज समाजवादी नहीं है। वह निर्धन होने का दशा में उन्हें नाम नहीं देगा। फलतः वे भूखे मर सकते हैं। अतः जबतक सारा राष्ट्र समाजवादी नहीं हो जाता तबतक लोग बिना किसी तरह की जोखिम उठाए समाजवाद का अधिक-से-अधिक पूरा आचरण नहीं कर सकते। हाँ, जमींदारी और पूजा के रखते हुए वे अपने आन्तरिक जीवन में समाजवाद का आचरण कर सकते हैं। यदि उन्हें मोटर अत्यावश्यक न हो तो वे मोटर न रखें।

हम चाहे तो पूजापति होने हुए भी रहन-सहन सादा रखें, गरीबों का खून न चूम कर उन्हें वर्तमान परिस्थिति में जिनकी अधिक-से-अधिक सम्भय हो उतनी मजदूरी दे, अपनी पूजा को अपनी न समझे, सार्वजनिक समझें और सार्वजनिक हित के लिए उसका उपयोग करें तथा स्वयं कमा कर खाएँ। अपने परिवार को भी परिश्रम की आदत डालें और उसे सिखाएँ कि दुनिया में अपनी मेहनत की कमाई खाना ही न्याय्य है। वर्तमान परिस्थिति में हर एक आदमी, जो सच्चा समाजवादी है, अधिक-से-अधिक यही कर सकता है !

---

## दूसरा खण्ड

: १ :

### समाजवाद और पूँजीवाद का अन्तर

पूँजीवाद को समाजवाद में परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले पूँजीवाद और समाजवाद का अन्तर समझ लें। हमने समाजवाद को तो पहिले खण्ड में समझने का प्रयत्न किया है। इस दूसरे खण्ड में हम पूँजीवाद को समझने का प्रयत्न करेंगे। इस अध्याय में तो हम समाजवाद और पूँजीवाद में जो मौलिक अन्तर हैं, उन्हीं का जिक्र करेंगे।

पूँजीवाद के विषय में पहिली बात जो कहने लायक है, यह यह है कि पूँजीवाद का 'पूँजीवाद' नाम गलत रखा गया है। वह हम को भ्रम में डाल देता है। उसका योग्य नाम तो 'दरिद्रवाद' है। उससे भयकर दरिद्रता का जन्म होता है। यही कारण है कि जो लोग पूँजीवादी पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं उनमें से अधिकांश निष्पत्तु लोग उसका अन्त कर देना चाहते हैं।

पूँजीवादी लोग जिस तरह 'दरिद्रवाद' को पूँजीवाद का नाम दे कर सच्चाई को छुपाते हैं, उसी तरह मौजूदा समाचार-पत्र समाजवाद के सम्बन्ध में यह गलत खयाल फैलाते हैं कि समाजवादी पूँजी का अन्त कर देना चाहते हैं और सभी लोगों को गरीब बना देना चाहते हैं, जबकि पूँजीपति पूँजी की रक्षा करना चाहते हैं, और लोगों को धनी बनाना चाहते हैं।

आज हम जब 'पूँजीवाद' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा मतलब होता है 'वह पद्धति जिसके द्वारा देश की ज़मीन राष्ट्र के हाथों में नहीं रहती, बल्कि उन लोगों के हाथों में रहती है जिन्हें हम जमींदार कहते हैं।' उन्हें यह हक होता है कि वे चाहे तो उस पर किमी को रहने दें और चाहे तो न रहने दें। चाहे तो उसका उपयोग किसी को करने दें,

चाहे तो न करने दे। वैसे कहा यह जाता है कि जमीन व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। कारण, राजा मत्र जमीन का स्वामी है। वह चाहे जय उस पर अपना अधिकार कर सकता है। किन्तु आजकल राजा तो ऐसा नहीं करता, जमींदार ऐसा करते हैं। इसलिए कानून के अनुसार चाहे जैसा हो, किन्तु वास्तव में जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व है।

इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह बताया जाता है कि उससे जमींदार इतने मालदार हो जाते हैं कि वे अनिश्चित रूपया या पूँजी जमा कर सकते हैं। यह पूँजी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है, इसलिए इस पूँजी से जो उद्योग धन्धे चलाए जाते हैं, वे भी व्यक्तिगत सम्पत्ति होते हैं। किन्तु उद्योग, धन्धे श्रम के बिना नहीं चल सकते हैं, इसलिए उनके मालिकों को अपनी गरज पूरा करने के लिए उन लोगों को काम देना पड़ता है जिनको दंष्ट्र (Proletarian) कहते हैं। उन्हें लोगों को इतनी मजदूरी तो देनी ही पड़ती है कि वे जीवित रह सकें और शादिया करके अपने ही जैसे अन्य जीव पैदा कर सकें। यह मजदूरी इतनी कम होती है कि वे नियमित रूप में हमेशा काम पर आने को बाध्य होते हैं। सभी औद्योगिक देशों की ऐसी ही दशा है।

इस अनर्थकारी पद्धति से श्राय को अत्यधिक विषमता पैदा होती है, इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि जन-संख्या को उम हद तक मर्यादित रखा जाय जिम हद तक मालिक उसे काम दे सके तब तो दूमरी बात है अन्यथा जन-संख्या की वृद्धि के कारण श्रम सस्ता होता है, लोगों में असन्तोष बढ़ता है, वे भयंकर रागों में पसते हैं और कष्ट पाने तथा अपराधी बनते हैं। यदि ऐसा बहुत दिन तक होता रहने दिया जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि लोग हिसात्मक विद्रोह करेंगे। किन्तु इसके विरुद्ध धनी लोग यह दलील देते हैं कि “यदि पूँजीवाद की इस पद्धति के अनुसार पूँजी इकट्ठी न की जायगी तो लोग स्वभावतः इतने स्वार्थी हैं कि वे सारी पूँजी को ही चट कर जायेंगे और महान सभ्यता के विकास और सूरक्षण के लिए कुछ न छोड़ेंगे। इस कारण हमको ऐसा करना हांता है।”

यह सिद्धान्त 'मैन्चेस्टर के विचारकों का सिद्धान्त' कहा जाता था किन्तु पीछे जब वह नाम बदनाम हो गया तो उसे पूँजीवाद कहा जाने लगा।

पूँजीवाद में सरकार का कर्तव्य होता है कि वह जमीन पर और पूँजी पर व्यक्तियों का अधिकार बनाये रखे तथा व्यक्तियों के स्वार्थों के पक्ष में व्यक्तियों ने आग्रह में जो भी इफ़ारा कर रखे हो उनका पालन अपने पुलिस, जैन और कचहरी आदि महकमा द्वारा कराये। इसके सिवा सरकार को देश में शान्ति बनाये रखने के लिए तथा बाहरी देशों पर आक्रमण करने के लिए जल तथा स्थल की सेनाएं भां रखनी ही चाहिए।

समाजवाद में, इसके विपरीत, आर्थिक समानता बनाये रखना सरकार का पहिला कर्तव्य है। समाजवादी पद्धति के अनुसार सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए और न व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्भोटों का पालन व्यक्तियों के स्वार्थ पूरे करने को दृष्टि में होना चाहिए। उनके अनुसार राष्ट्र-हित का स्थान पहिला है। समाजवाद में यह दर्शाई नहीं किया जा सकता कि एक मनुष्य तो पतनकारण दरिद्रता में अति भ्रम करने करते प्रकाल में ही काल-कवलित हो जाय और दूसरा उसके भ्रम के फल को पड़ा पड़ा खाता रहे। यह मिलकुल मही है कि समाजवाद में ऐसे अनर्थ न होने दिए जायेंगे।

सम्पत्ति पर व्यक्तियों का अधिकार दो रूपों में होता है या दो कहना चाहिए कि सम्पत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो वह सम्पत्ति जिसका व्यक्ति निजी कामों में उपयोग करते हैं; जैसे कांट, जूता, छाता, खाना, थोडा पैसा आदि और दूसरी सम्पत्ति वह होती है जिससे वे चीजें खरीदी जाती हैं, जैसे अधिक धन, जमीन, कारखाने आदि। पहिली सम्पत्ति को हम मुविधा के लिए साधारण सम्पत्ति कह सकते हैं और दूसरी को विशेष सम्पत्ति। समाजवाद में साधारण सम्पत्ति में वृद्धि होगी, ऐसी आशा की जाती है, किन्तु उसमें विशेष सम्पत्ति, जो असली सम्पत्ति है, न रहे पायगी।

जो चीजें हमारी साधारण सम्पत्ति हैं हमें उनका भी सदुपयोग ही करने का अधिकार है। हम उनका भी मनमाना उपयोग कदापि नहीं करने दिया जा सकता। हमें अपने छूते की नाक से निर्मी की आँख नहीं फोड़ने दी जा सकती और न अपने भोजन में उममें विष मिला कर निर्मी के प्राण लेने दिये जा सकते हैं, यद्यपि उन पर हमारा पूर अधिकार है, किन्तु जो चीजें हमारी विशेष सम्पत्ति हैं अर्थात् जो वान्धव में व्यक्तिगत नहीं कही जा सकती उनका उपयोग हम इतनी बुरी तरह से करते हैं कि हमें उसे अमानुषिक कहना चाहिए। इंग्लैण्ड में जमींदार अपने कच्चे की जमीन पर से उममें बसे हुए लोगों को निकाल सकते हैं, और उसमें भेड़ों और हिरनों को चरने के लिए रख सकते हैं; क्योंकि उन्हें मनुष्यों को उस जमीन पर रहने देने की अपेक्षा भेड़ों और हिरनों को उममें चरने देने में अधिक लाभ होता है। यह जमीन पर जमींदारों के अधिकार की अधिकता बतलाता है। वे जमीन का उपयोग इस तरह करते हैं कि हमारी साधारण सम्पत्ति उतनी व्यक्तिगत नहीं मालूम होती जितनी कि उनकी विशेष सम्पत्ति। कहने का मतलब यह है कि जमींदार चाहते हैं तो अपने कच्चे की जमीन से अपराध करते हैं जबकि हम अपने छूते की नाक में या अपने भोजन से उसे विषेला करके अपराध नहीं कर सकते। इसीलिए समाजवादी कहते हैं कि 'विशेष सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार जितना कम हो उतना ही अच्छा होगा।'

वैसे क्या समाजवादी और क्या पूँजीवादी दोनों का ही यह दावा है कि 'हम मानव-जाति की अधिक-से-अधिक सेवा करेंगे।' किन्तु जिन मिद्धान्तों पर वे टिके हुए हैं उनमें वे एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। पूँजीवादी जमीन और पूँजी में व्यक्तिगत अधिकार रखना, व्यक्तियों के स्वार्थों को ध्यान में रख कर किए गए समझौता या इकरारों का पालन करना और शान्ति-रक्षा के अतिरिक्त उद्योग धन्धों में निर्मी भी तरह का राजकीय हस्तक्षेप न होने देना आवश्यक समझते हैं; किन्तु समाजवादी आय की समानता को (जिसे व्यक्तिगत विशेष सम्पत्ति के बजाय व्यक्तिगत साधारण सम्पत्ति और व्यक्तियों के बीच हुए समझौता और इकरारों के बजाय



पूर्णतः राष्ट्रहित की दृष्टि से हुए समझौते और इक्वारा शामिल हैं, जब कभी आय की समानता पर आक्रमण हो तो पुलिस के हस्तक्षेप को और उद्योग-धन्धों तथा उनकी उत्पत्ति पर सरकार के पूर्ण नियंत्रण को आवश्यक समझते हैं।

स्पष्टतः दोनों पद्धतियों के आधारभूत सिद्धान्त परस्पर-विरोधी हैं। इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट में इन दोनों पद्धतियों के दो प्रतिनिधि-दल हैं। अनुदार-दल को पूँजीवादी पद्धति का प्रतिनिधि और मजदूर-दल को समाजवादी पद्धति का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। यह ठीक है कि उन दलों के सदस्यों में से ऐसे कम होते हैं जिन्होंने अपनी-अपनी पद्धतियों के सिद्धान्तों का अध्ययन किया होता है। बहुत से मजदूर-सदस्य समाजवादी नहीं होते। बहुत से अनुदार सदस्य भ्रू सत्तावादी जरूर हैं, जिन्हें 'टोरी' भी कहते हैं। वे सब-के-सब किसी सिद्धान्त या पद्धति पर चलने के बजाय एक कटिनाई से निकल कर दूसरी में उलझते और उसे मुलभ्रंते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अधिक-से-अधिक यह कहा जा सकता है कि यदि अनुदार दल की कोई नीति है तो वह पूँजीवादी नीति है और मजदूर-दल की यदि कोई नीति है तो वह समाजवादी नीति है। वहाँ यदि कोई पूँजीवाद का समर्थन करना चाहे तो वह अनुदार-दल के सदस्य को अपना मत दे, यदि समाजवाद का समर्थन करना चाहे तो मजदूर-दल के सदस्य को।

ठीक ऐसा ही हम हिन्दुस्तान में भी कर सकते हैं। यहाँ इस प्रकार के दो दल मौजूद हैं, एक गरीबों से सहानुभूति रखने वाला और दूसरा उसका विरोधी, किन्तु इस देश की परिस्थिति राजनैतिक पराधीनता के कारण इंग्लैण्ड की अपेक्षा भिन्न होने से यहाँ विरोधी यानी अनुदार दल कई शक्तियों का मपात स्वरूप है।

## पूँजीवाद में गरीबों की हानि

राष्ट्रीय आय के असमान विभाजन से हम अपने दैनिक जीवन में जो घाटा उठाना पड़ता है, वह हमारे रोजमर्रा के अनुभव की चीज है।

हम गेहूँ, घो. राक, कड़ा, नेल या पुस्तक कोई भी खरीददारी में चीज खरीदें, हमें वह केवल लागत मूल्य में कभी नहीं मिलती। हमें मदा उसके लागत मूल्य से कुछ-न-कुछ अधिक देना पड़ता है। हम जितना पैसा अपनी खरीद में अधिक देते हैं उतना, हमको मालूम होना चाहिए कि, उन लोगों के घरों में चला जाता है जो हमारा कोई काम नहीं करते हैं।

हम में से हर एक आदमी यह भली भाँति जानता है कि चीजों की लागत कीमत जितनी होती है उससे कम में हमें चीजें कभी नहीं मिल सकती हैं; किन्तु हम यदि यह जान ले कि जो लोग चीजों के बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें तो दाना वरु भरपेट खाना भी नहीं मिलता और जो आलसी हैं वे हमारे इस अनिरीक्त पैसों को विनाशिता के कामों में बेरहमी से खर्च करने के लिए अपने पास रख लेते हैं, तो यदि हमारा बस चले तो हम वह अनिरीक्त पैसा उन्हें देने को कभी राजी न होंगे।

समाजवादी क्या चाहते हैं ? यही कि लोगों को लागत मूल्य में चीजें दिलाई जाय। किन्तु यह बात आलसी धर्मियों और उन पर निर्भर रहने वाले लोगों को इतना डरा देती है कि वे भाषणों और समाचार पत्रों द्वारा लोगों को यह बतलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण अनैतिक है, अत्याभाधिक है और देश को बर्बाद कर देने वाला है। किन्तु ये सब धोंधी बातें हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्थल सेना और जन सेना, शासन-प्रबन्ध, डाक, तार, टेलीफोन. सबके पुल, समुद्री प्रकाश, बन्दरगाह तथा हवियारखाने आदि सब राष्ट्रीय

व्यवसाय हैं। इनका राष्ट्रीयकरण कभी से है। यदि कोई कहे कि इनके कारण वे देश वर्धा हो रहे हैं तो उसे तुरन्त प्रान्तीय पागलखाने में भेजने की व्यवस्था करना पडगी जो कि खुद एक राष्ट्रीय संस्था है।

हमारे शहरों में म्यूनिस्पैलिटीयों शहरों के बहुत से कामों का प्रबन्ध करती हैं। वह स्थानीय राष्ट्रीयकरण है। शर्लमैरटे या सार्वदेशिक सभों सार्वदेशिक कामों को पूरा करती हैं, वह सार्वदेशिक राष्ट्रीयकरण है। महकमा डाक उसका एक उदाहरण है।

आजकल कितने ही काम कुल्लू तो निजी कम्पनियों और दूकानों द्वारा होते हैं और कुल्लू सार्वजनिक रूप में। उदाहरण के लिए लन्दन के एक जिले में मिजनों के प्रकाश का प्रबन्ध निजी कम्पनियों करती हैं तो दूसरे में म्यूनिस्पैलिटीयों। उनमें म्यूनिस्पैलिटीयों का प्रकाश ही सन्ना पडता है; क्योंकि उनका काम ईमानदारी और योग्यता के साथ होता है, वे अपनी पूर्जा पर थोडा व्याज लगाती हैं और मुनाफा विल्कुल नहीं लेती।

हिन्दुस्तान का डाक विभाग तमाम हिन्दुस्तान में चिट्ठियों पहुँचाना है और शहरी देशों में भी भेजता है। वह रूढ़ काम पहिले थोडे महसूल में करता था, किन्तु अब उसने महसूल पहिले की अपेक्षा अधिक कर दिया है। फिर भी वह कमी भी निजी खर लाने ले जाने वालों की अपेक्षा बहुत कम पैसा लेता है। निजी कम्पनियों यदि डाक लाने ले जाने का प्रबन्ध देश के थोडे हिस्से में करे तो वे राष्ट्रीय डाक-विभाग की अपेक्षा प्रति चिट्ठी कम पैसा भी ले सकती हैं, क्योंकि पास में चिट्ठी भेजने में इतना कम खर्च पडगा कि उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। सम्भव है वे चार पैसे में तो चिट्ठी के हिमात्र से या इन्से भी कम में चिट्ठियों ले जा सके, किन्तु यदि डाक विभाग निजी कम्पनियों को डाक लाने-ले जाने की इजाजत दे दे तो इसका परिणाम यह होगा कि वे पास-पास की चिट्ठियों को राष्ट्रीय डाक विभाग की अपेक्षा थोडे महसूल में ले जाकर और ला कर मुनाफा कमा लेगी और दूर-दूर की चिट्ठियों का राष्ट्रीय डाक विभाग के लिए ह्रास देगी, जिन्हे लाने-ले जाने में राष्ट्रीय

डाक-विभाग को हानि उठानी पड़ेगी। परिणाम यह होगा कि डाक-विभाग डाक-महसूल को बहुत अधिक, शायद दूना या तिगुना, कर देने को बाध्य होगा, जो हमें अत्यन्त अव्यवहारिक होगा। उससे डाक-विभाग की वर्तमान सुव्यवस्था और मुग्धता जाती रहेगी। यही कारण है कि निर्जा डाक-विभाग खोलना कानूनन अपराध है।

राष्ट्रीय डाक-विभाग को पास की चिट्ठियों लाने ले जाने में नियत महसूल से बहुत कम गृह्य करना पड़ता है और दूर की चिट्ठियों में नियत महसूल से बहुत अधिक। वह पास की चिट्ठियों में होने वाली वृत्त से दूर की चिट्ठियाँ में होने वाली क्षति पूर्ति करता है, इसलिए वह इतने कम महसूल में दूर की चिट्ठियाँ को भेज सकता है।

हमारी जर्मरत की मुख्य मुख्य चीजें हैं हमें उनका राष्ट्रीयकरण करना ही होगा। कारण, हम उनमें बहुत अधिक लुटते हैं। इंग्लैण्ड के लोगो के सामने इस समय कोयले की खाना के राष्ट्रीयकरण की समस्या एक मुख्य समस्या है। वहाँ समाजवादी लोग तो कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण इसलिए चाहते हैं कि श्रम की समानता के लिए वह जरूरी है, किन्तु दूसरे लोग उनका राष्ट्रीयकरण इसलिए चाहते हैं कि उन्हें कोयला सस्ता मिले। इंग्लैण्ड के जलवायु में कोयला एक बहुत जरूरी चीज है, किन्तु वहाँ उसका भाव बहुत महंगा रहता है। इसका कारण यह है कि वहाँ कई प्रकार की खानें हैं। कुछ खानों में तो कोयला बिल्कुल ऊपर ही मिल गया है और कुछ खानों में कोयले तक पहुँचने के लिए समुद्र के नीचे मीलों तक सुरंगें खोदनी पड़ती हैं। जिन खानों में कोयला बहुत नीचा है उनमें से वह तभी निकाला जाता है, जब कोयले की कीमत ऊँची हो, क्योंकि उनमें बहुत गृह्य करने पर कम कोयला निकलता है। किन्तु जिन खानों में कोयला ऊँचा है और बहुत अधिक है उनमें काम करने पर मालिकों को सदा लाभ ही रहता है। खानों को चालू करने में ३५० गिन्नी से १० लाख गिन्नी तक गृह्य होता है, किन्तु होता यह है कि सभी खानों का कोयला महंगी खाना के कोयले से कम कीमत पर कभी नहीं बेचा जाता।

यहाँ कोयले की कीमत घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है । इसका कारण यह है कि जब कोयले कम होते हैं तो महंगे और जब अधिक होते हैं तो सस्ते हो जाते हैं । किन्तु कोयले कम क्यों हो जाते हैं ? इसका कारण यह है कि एक तो आजकल कोयला बड़ी-बड़ी व्यावसायिक भट्टियों और जहाजों में बनाया जाता है । इससे कोयले की कीमत अधिक हो गई है और कोयले की कीमत बढ़ जाने से समुद्र के नीचे खाने खोदना भी लाभप्रद हो गया है । इन खानों पर बहुत अधिक खर्च पड़ता है । इससे जब कोयले की कीमत इतनी गिर जाती है कि इन खानों में से निकाला हुआ कोयला लाभ से न निक सके तो इनमें काम बन्द कर दिया जाता है और फिर तबतक शुरू नहीं किया जाता जबतक बाजार में कोयला कम रह जाने से उसका भाव फिर इतना चढ़ नहीं जाता कि उनमें से निकाला हुआ कोयला लाभ के साथ निक सके । इस प्रकार कीमत हमेशा ऊँची रहनी जाती है ताकि अच्छी खाने हमेशा मुनाफा उठा सकें ।

यदि इन सभी खाना को, जिम तरह एक पोस्ट मास्टर-जनरल के अधीन डाकखानों को रक्खा जाता है, वैसे एक कोल-मास्टर-जनरल के अधीन कर दे तो वह सभी लोगों को कोयला औसत मूल्य में देने का प्रबन्ध कर सकता है । वह सस्ती खानों के मुनाफे से महंगी खानों को सदा चालू रख कर बाजार में हमेशा काफी कोयला रख सकता है और कोयले का एक स्थिर भाव रख सकता है । किन्तु कोयले की खानों के मुनाफागार मालिक राष्ट्रीयकरण के इस काम को बोल्शेविकों का दुष्टतापूर्ण आविर्भाव बताते हैं ।

हमने देखा कि इंग्लैण्ड के लोगो को कोयले की खानों पर व्यक्तिगत अधिकार होने से किस प्रकार सदा गाठ कटानी होती है । गेहूँ, चाकू, छुरी, काल काग़ा आदि चीज़ें खरीदने में लोगो का इसी प्रकार घाटे में रहना होता है । काग़ा, इन सभी चीज़ों पर व्यक्तिगत अधिकार है । इससे वे हमें डाक के टिकटों की तरह औसत मूल्य में नहीं मिलती । यदि इन चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो गरीबों को आलसो लोग लूट कर न म्हा मकेगे ।

लोग म्यूनिसिपल करा के बारे में बहुत चख-चख करते हैं। कारण, उनके बदले में प्रत्यक्षतः उनको कुछ नहीं मिलता और जो मिलता है उसका वे और सब लोगों के साथ उपभोग करते हैं जिससे उसके ऊपर

उन्हें अपने कपड़ों, मकानों तथा अपनी अन्य चीजों सरकारी करों में की तरह अपने निजी स्वामित्व का अनुभव नहीं होता। किन्तु यदि सबके कुटी हुई न हों, उन पर

रोशनी और पुलिस का प्रबन्ध न हो, जल पहुँचाने तथा मोरियों की व्यवस्था तथा दूसरे सेवा-साधन न हों तो वे बहुत समय तक अपने कपड़ों, मकानों तथा अपनी अन्य चीजों का निश्चिन्ततापूर्वक उपयोग न कर सके। इन सारी चीजों की व्यवस्था उमी रुपये से तो होती है जिसे हम म्यूनिसिपल करों के रूप में देने हैं। यह जानकर हर एक समझदार आदमी कहेगा कि जितना रुपया वह खर्च करता है उसमें सबसे अधिक प्रतिफल उसको हम रुपये का ही मिलता है। म्यूनिसिपैलिटी उससे उतना ही रुपया लेती है जितना कि वह वास्तव में इन सांख्यिक सेवा साधनों पर खर्च करती है। वह उससे कोई मुनाफा नहीं उठाती।

राजकीय करों के पक्ष में भी हम लाभ का दावा किया जा सकता है। जिन सांख्यिक सेवाओं के लिए हम करों के रूप में पैसा देते हैं उन सब के लिए यह कहा जा सकता है कि उनमें प्रत्यक्ष रीति से कोई मुनाफा नहीं उठाया जाता। जो खर्च सरकार को करना पड़ता है उसी पर वे हमें भिन्न जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वे निजी कंपनियों के हाथ में हों तो उस समय हम को जितना देना पड़ता, उससे यह बहुत कम है।

किन्तु वास्तविकता यह है कि पूँजीवाद में हम जिस प्रकार सफलतापूर्वक दूकानदारी में लूटे जाते हैं उसी प्रकार सफलतापूर्वक म्यूनिसिपल और राजकीय करा में भी लूटे जाते हैं। सरकार और स्थानीय अधिकारियों को अपनी सांख्यिक व्यवस्था चलाने के लिए निजी मुनाफाखोरी से बहुत बड़े परिमाण में माल खरीदना पड़ता है जो लागत मूल्य से अधिक कीमत वसूल करते हैं। इस तरह जो अनिश्चित मूल्य देना पड़ता है यह

राजकीय और म्यूनिसिपल करदाताओं की हैसियत में हम से ही वसूल किया जाता है। किन्तु इस अनिरीक्त खर्च के लिए सरकार अनर्जित आय आदि पर कर लगा कर कुछ दरया धनिकों से भी वसूल कर लेती है।

करों के मामले में गरीबों की भलाई के लिए धनी भी अविकर रूप से देते हैं। इंग्लैण्ड में सरकार करों द्वारा धनिका की एक-चौथाई या एक-तिहाई आय और बहुत अधिक धनिकों को आधी से अविकर आय किसी विशेष कार्य के लिए नह, बल्कि बिना किसी प्रतिफल के विशुद्ध राष्ट्रीय-करण के लिए बलान् अपने अधिकार में ले लेती है। इसके लिए धनी इस हद तक कभी इन्कार नहीं करते कि उनका सामान कुर्क करने को नौबत आ जाय। यहा इन कार्यों की स्वीकृति देने वाले कानून ग्रथ विधान आदि नामों से हर माल पास किए जाते हैं, जबकि वास्तव में वे स्वत्वापहारी कानून होते हैं।

अभी उनकी एक-तिहाई या आधी आय जन्त होती है तो कभी आगे चल कर नौ-दशॉश या सय-फी मव जन्त होने लगे तो वहाँ के कानून, रीति-रिवाज, पार्लैमेंट-प्रणाली और नैतिकता में ऐसी कोई बात नहीं है जो उसे रोक सके। वहा जब कोई बहुत धनी आदमी मग्ता है तो सरकार अगले आठ सालों तक उसकी सम्पत्ति की समस्त आय को जन्त कर लेती है।

कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष कर भी होते हैं जिन्हें धनी और गरीब दोनों ही देते हैं। उनमें से कुछ, जो खाने-पीने की तथा ऐसी ही दूसरी चीजों पर लगे होते हैं, खरीदते समय चीजों की कीमत के साथ चुमा दिए जाते हैं। दूसरे स्ट्याम्प-कर है। यदि किसी धनी या गरीब को दम्-गन्ध रुपये की रसीद भी देनी हो तो उसे उस पर टिकट लगाना पडेगा, अन्यथा वह बेकार हांगी। कुछ कागजों पर, जिनका गरीब कभी उपयोग नहीं करते, सैकड़ों रुपये के स्ट्याम्प लगाने होते हैं। इस तरह धनिकों की पूँजी अनेकों रूपों में उनकी जेबों से निकल कर राष्ट्रीय कोष में जाती है। ये सब विशुद्ध समाजवाद के काम हैं। इन से सरकार कौनों रुपये प्रतिवर्ष इकट्ठा करती है।

धनी लोग पूछ सकते हैं कि इस रुपये का उन्हें क्या प्रतिफल मिलता है ? सरकार इसी रुपये से तो फौज, पुलिस, न्यायालय, जेलें आदि सारे सार्वजनिक सेवा-साधन उपलब्ध करती है जिनमें लाखों लोग काम करते हैं। इंग्लैण्ड में इसी रुपये में से दस करोड़ गिनी से अधिक रुपया पेंशनां और बेकार-वृत्तियों के रूप में उन लोगों को भी दिया जाता है, जिनकी थोड़ी आय होती है या बिल्कुल नहीं होती।

आय का यह पुनर्विभाजन विशुद्ध समाजवाद है। इसमें धनिकों से रुपया लेकर गरीबों में बाँटा जाना है और उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं का कोई ख्याल नहीं किया जाता।

युद्ध की शुरुआत में इंग्लैण्ड में मुनाफाखोरों का प्रभाव इतना अधिक था कि उन्होंने गोले-गोलियाँ राष्ट्रीय कारखानों में बनाने देने के बजाय स्वयं बनाने की इजाजत सरकार से ले ली। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रलविन्च के गोले-गोलियाँ बनाने वाले सरकारी कारखाने के मजदूर बेकार बैठे रहे और उन्हें सरकारी कोप से पूरा वेतन चुकाया गया। यह रुपया सार्वजनिक ही था। यह इसलिए हुआ कि मुनाफाखोर कम्पनियाँ मुनाफा कमा सकें। इस सौदे में उन्होंने जो नफा कमाया वह भी करदाताओं ने ही दिया और उनके मजदूरों की मजदूरियाँ दीं। किन्तु उनका तैयार किया हुआ सामान शीघ्र ही नाकाफी, अनावश्यक रूप से महंगा और रद्दी साबित हुआ। गोलों के हमेशा न फटने के कारण फ्लैण्डर्स के युद्ध-क्षेत्र में काफी अंगरेज मारे गए। अन्त में सरकार को यह काम फिर अपने हाथ में लेना पड़ा। सरकार अच्छा सस्ता सामान काफी परिमाण में बनवा सकी। यह राष्ट्रीयकरण के पक्ष की एक बड़ी विजय थी। किन्तु युद्ध खत्म हो जाने के बाद पूँजीवादी अखबारों ने इन सरकारी कारखानों को रखना सरकार का अपव्यय बताना शुरू किया। फल यह हुआ कि वे नाममात्र मूल्य में मुनाफाखोरों को बेच दिए गए। राष्ट्रीय मजदूर निकाल दिए गए, जो सेना से निकाले हुए मजदूरों के साथ २० लाख की सख्या में सड़कों पर फिरते थे। इनको सरकारी कोप से बेकार वृत्तियाँ देनी होती थीं।



अब हमने देख लिया कि हम जब राजकीय कर देते हैं तो हम से सार्वजनिक कार्यों का लागत मूल्य ही नहीं लिया जाता, हमें और भी बड़ी-बड़ी रकमें देनी होती हैं जो अनावश्यक और अत्यधिक मुनाफे के रूप में निजी व्यवसायियों के पास जाती हैं, जमादारों और पूँजीपतियों के पास भी जाती हैं जो व्यवसायियों को जमीन और पूँजी देते हैं। हमको भी सरकारी-महायना-भोगी होने के कारण, या व्यवसायों में हिस्से खरीदने के कारण उसका कुछ अंश मिल सकता है, किन्तु अन्त में हम हिसाब लगाने पर सरकारी करों में रहते बहुत घाटे में ही हैं।

म्यूनिसिपल कर भी हरएक आदमी समान रूप से नहीं देता है। सरकार की भांति स्थानीय अधिकारियों को भी यह मानना होता है कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक दे सकते हैं। वे करदाता की जमीन-जायदाद का मूल्य अर्ध कर उसके अनुसार करों का परिमाण स्थिर करते हैं। इस प्रकार जो जितना ज्यादा धनी होता है, उसको उतना ही अधिक म्यूनिसिपल कर देना होता है।

इसके अलावा कमानुगत आय-कर भी आते हैं, किन्तु साथ ही राष्ट्रीय-भ्रष्टाचार की तरह म्यूनिसिपल-भ्रष्टाचार भी होते हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल-पैलिटियाँ सार्वजनिक कार्यों को ठेके देने में केन्द्रीय सरकारों के समान ही सुस्त और निजूलगर्च होती हैं। इसलिए हम पूँजीवादी-पद्धति के कारण जिस प्रकार राजकीय करों में लुटते हैं, उसी प्रकार म्यूनिसिपल करों में भी घाटे में रहते हैं।

इस पद्धति में म्यूनिसिपल करों से आय की विषमता और भी बढ़ती है। कारण, म्यूनिसिपल समाजवाद का वास्तविक अर्थ तो म्यूनिसिपल करों से सच्चाई के साथ अपना काम चलाना है, किन्तु वह कुछ अत्यन्त धनी और कुछ अत्यन्त दरिद्र लोगों पर लागू किया जाता है। इससे भौल, पार्क जैसी उन चीजों के लिए, जिनका उपयोग केवल मोटरों और घोड़ों वाले, धनी ही कर पाते हैं, उन दरिद्रों को भी कर देना होता है जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। इससे तो अच्छा यह हो कि इन

स्थानों में धनियों पर प्रवेश-शुल्क लगा दिया जाय जिससे उनको कायम रक्खा जा सके ।

सार्वजनिक कामों पर होने वाला व्यय स्वयं अनिवार्य व्यय है, जिसे सबको समान रूप से देना पड़ना है, किन्तु जबतक आय समान न हो, सब लोग उस व्यय का भार नहीं उठा सकते । इसका इलाज यह नहीं है कि ये स्थान रक्खे शी न जाय । यदि हम ऐसा करे तो हमारा जीवित रहना कठिन हो जायगा । इसका ठीक इलाज तो आय का समीकरण ही है । किन्तु जबतक वह नहीं हो जाता तबतक हमें म्यूनिसिपल-कर का अपना हिस्सा खुशी-खुशी देना चाहिए ।

इंग्लैण्ड में जहाँ बेकारों को बेकारी का भत्ता देने की प्रथा है, कर-दाता के पैसे से धनी दूसरे प्रकारों से भा लाभ उठाते हैं । धनी नौकर रखते हैं तो वे कुछ को तो नियमित काम देते हैं और कुछ को कभी-कभी । कुटकर काम करने वाले कुछ घन्टे के लिए या एक दिन के लिए रक्खे जाते हैं । उसके बाद मजदूरी दे कर अलग किए जाते हैं । उन्हें जबतक उतना ही छोड़ा दूसरा काम न मिल जाय तबतक वे बाजारों में इधर-से-उधर फिरते रहते हैं । यदि वे बीमार होते हैं तो भी उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं होता । ऐसे काम करने वाले, जिनके श्रम का पूरा फायदा धनियों ने उठाया, बुढ़ापे में जब काम करने योग्य नहीं रहते तो म्यूनिसिपल-करों में से मिलने वालों के कार-वृत्ति पर निर्वाह करते हैं । यदि करदाता इन लोगों के निर्वाह का भार अपने ऊपर न लेता धनियों को उन्हें उनके श्रम का या तो अधिक परिश्रमिक देना चाहिए या बुढ़ापे में पैन्शन, किन्तु धनी ऐसा नहीं करते और अपने धरेलू खर्च का एक भाग करदाताओं से दिलाते हैं ।

ऐसा ही बन्दरगाहों की कम्पनिया करती हैं । वे जहाँजहाँ से माल उतारने और उनमें लादने का काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देती हैं, किन्तु उनसे काम बहुत जोगिम का और कबा लेती हैं । वे उन्हें घन्टों के हिसाब से काम देती हैं । इन मजदूरों को भी हालत ऐसी ही होती है । उनमें से कितने ही म्यूनिसिपल दरिद्रशालाओं में

आश्रय लेने को विवश होते हैं और जब काम करते समय दुर्घटना के शिकार होते हैं तो म्यूनिसिपल अस्पतालों में सार्वजनिक खर्च पर इलाज कराने को भेज दिए जाते हैं ।

इंग्लैण्ड में जेला का संचालन भी म्यूनिसिपैलिटियों करती है । उनके साथ पुलिस, अदालतों और न्यायाधीशों का अत्यन्त खर्चोला कारबार भी जुड़ा रहता है । ये सस्थाएँ जिन अपराधों का प्रतिहार वहाँ करती हैं उनका एक बड़ा भाग शराबखोरी के कारण पैदा होता है । और शराब का व्यापार अत्यन्त लाभकारी है । शराब का व्यवसायी लोगों को शराब पिलाकर उनके पास जो कुछ होता है वह तो उनसे छीन लेता है और नशे में गर्क होने पर उन्हें खींचकर सड़क पर डलवा देता है । फिर शराबी चाँह जा शराबत करे, अपराध करें, खुद को और अपने कुटुम्ब को रोगी बनाये, कगाल हो जावें; इन सबका खर्च कर-दाता को उठाना पड़ता है । यदि इन सबका खर्च शराब के मुनाफे में से वसूल किया जाय तो वह इतना होगा कि शराब के व्यवसायियों का मारा मुगफा ही खत्म हो जायगा, किन्तु यह सब करदाताओं के ही सिर मढ़ा जाता है ।

जहाँ म्यूनिसिपैलिटियाँ बिजली की रोशनी का प्रबन्ध करती हैं, वहाँ उन्हें बिजली के कारखाने स्थापित करने के लिए कर्ज भी लेना होता है और साथ ही वापिस देना भी शुरू करना होता है ताकि वह एक खास अवधि के भीतर बिलकुल चुक जाय । निजी कम्पनियों को यह नहीं करना होगा; किन्तु फिर भी म्यूनिसिपैलिटियों की दी हुई बिजली सस्ती पड़ती है । म्यूनिसिपैलिटियों इससे मुनाफा कमाती हैं और उनका उपयोग म्यूनिसिपल करों को कम करने में करती हैं । अर्थात् जो दूकानदार वगैरह लोग बिजली की रोशनी के लिए अधिक पैसा देते हैं वे उन लोगों के करों का हिस्सा देते हैं जो बिजली का उपयोग नहीं करते, या कम करते हैं । बिजली की रोशनी के लिए अधिक पैसा गरीब ही देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानों में भरपूर रोशनी करनी होती है ।

इन तरह से हमको राज्य-करों की तरह से ही म्यूनिसिपल करों में

भी पूँजीवाद के कारण कुछ हद तक लुप्तना पड़ता है ।

चर हम म्यूनिस्चिपल और राजकीय करों के रूप में सार्वजनिक बोधाध्यक्ष को रूपया देते हैं तो वह मार्बत्रनिक सेवा के रूप में उनका एक अंश हमें लौटा देता है किन्तु किराये के मामले में ऐसी बात नहीं है । किराये का रूपया सीधा धनियों के पास जाता है

किराये में और वे उसका मनमाना उपयोग करते हैं । इससे आय की अममानता घटने के बजाय बढ़ती है । यदि हम

किसी शहर में जमीन का एक टुकड़ा किराये पर लेकर उस पर काम करते हैं तो यह बिल्कुल साफ है कि जर्मादार हमारी कमाई पर निर्वाह करता है । हम उसको इससे नहीं रोक सकते । कारण, कानून ने उसको सत्ता दे रखी है कि यदि हम जमीन को काम में लाने के लिए पैसा न दें तो वह हमें निकाल बाहर करे । यदि कोई आदमी ट्वा, धूप और समुद्र पर अधिभार जताने लगे तो हम अवश्य ही उसको पागल कहेंगे, किन्तु वह आदमी जमीन को अपनी मिल्कियत समझता है । हमें भी यह बात असाधारण प्रतीत नहीं होंगी, क्योंकि हम उसे स्वाभाविक समझने लगे हैं । इसके अलावा हमें मकान का किराया भी देना पड़ता है जो उचित प्रतीत होता है । हम उसका पता, यदि मकान का बीमा करा लिया गया हो तो, उससे लगा सकते हैं, क्योंकि बीमा मकान की जितनी कीमत होती है उतनी ही रकम का कराया जाता है । उस रुपये का जितना वार्षिक व्याज होता है, वही मकान का ठीक किराया होता है । इस किराये से अधिक हम जो कुछ देते हैं वह हम से जमीन का किराया लिया जाता है ।

बम्बई, लन्दन—जैसे शहरों में यह किराया मकान के असली किराये से इतना अधिक होता है कि उनकी एक-दूसरे के साथ तुलना करना व्यर्थ है । महत्त्वहीन स्थानों में यह अधिकता इतनी कम होती है कि मकान बनाने के स्वर्च पर उचित मुनाफा भी मुश्किल से निरुलता है । किन्तु सब मिलाकर जमीन के किराये की यह रकम इंग्लैण्ड में करोड़ों पाँड होती है । यह मकानों का किराया नहीं है, बल्कि जर्मादारों ने जमीन

पर रहने की इजाजत दी है, उसकी कीमत है।

किन्तु बकौन हमें बताएंगे कि जमीन इस तरह से निजी सम्पत्ति है ही नहीं, पर यह सही है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक आलस और सम्भवतः बदनाम आदमी पुलिस के बल पर किसी भी परिश्रमी और प्रतिष्ठित पुरुष को सोधा जाकर कह सकता है कि 'या तो अपनी कमाई का चतुर्थांश मुझे दे दो, अन्यथा, जमीन से निकल जाओ।' वह किराया लेने से भी इन्कार कर सकता है और जमीन से निकल जाने की आज्ञा दे सकता है। दक्षिण अफ्रीका और किमानों को संकुटग्रस्त करने देशों में अमेरिका के जंगल-प्रदेशों में हथकड़ी लगा दी गई थी। कारण, जिस जमीन में वह रहते थे उनको जमींदार हिरनों का जंगल बनाना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका में भेडा के लिए स्थान खाली कराने के लिए लोगों का लावा की सख्या में गाँवों से निकाल दिया गया था, क्योंकि जमींदारों को आदिमियों की अपेक्षा भेडा से अधिक मुनाफा होता था। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं।

बड़े बड़े बस्ती और शहरों में मारसाना, दफ्तरों और मुख्य बाजारों के पास के मकानों का किराया ज्यादा रहता है। उसके मुकाबिले आस-पास की उपबस्तियों में मकान सस्ते होते हैं। हम सोचते हैं कि चलो, शहर के बाहरी हिस्सों में ही रह लेंगे, किन्तु लागा, ट्राम आदि में इतना खर्च होता है कि साल के अन्त में हम मालूम हो जाता है कि हमने बाहर रह कर भी किराये में बचत नहीं की है। मकानों के मालिक यह बात जानते हैं, इसीलिए वे कामकाजी मुद्दलों में मकानों का किराया अत्यधिक लेकर लागा की वेरसी से लाभ उठाने हैं और उनकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा उनसे छीन लेते हैं।

इस स्थिति की भयकरता वहाँ बढ जाती है जहाँ आवादी अधिक हो जाने के कारण अच्छी जमीन पहिले ही से थिरी होती है। जो लोग बाद में आते हैं, उन्हें मालूम होता है कि खराब जमीन पर कब्जा करने के बजाय अच्छी जमीन किराये पर लेने में अधिक लाभ है। यह किराये की रकम ही अच्छी और खराब जमीन की उत्पत्ति का अन्तर है। ऐसे मौकों पर

अच्छी ज़मीन के मालिक अपनी जमीनों किराये पर उठा देते हैं और काम करना बन्द करके किराये पर या जैसा कि वे कहते हैं, ज़मीन की मालिकी पर अर्थात् दूसरा के श्रम पर निर्वाह करते हैं।

जब बड़े-बड़े नगर बनते हैं और उद्योग खड़े होते हैं तो ज़मीन बहुत तेज हो जाती है। लन्दन के खास-खास बाजारों में ज़मीन के टुकड़े दस लाख गिन्नी प्रति एकड़ के दिसाम से बिकते हैं। ज़मीन को एक आदमी ने किराये पर लिया, दूसरे को कुछ मुनाफा लेकर उठा दिया, दूसरे ने तीसरे को उठा दिया। इस प्रकार किराये पर उठाने वालों की संख्या आधे दर्जन तक पहुँच सकती है, और इन सब के लिए रुपया उस आदमी को देना होता है जो अखीरी किरायेदार होता है। पिछले डेढ़ सौ वर्षों में यूरोप के गाँव दूसरे महाद्वीपों की पहिले दर्जे की बस्तियों में परिणत हो गए हैं और करोड़ों रुपये पैदा करते हैं, फिर भी उनके अधिकांश अधिवासी, जिनके श्रम से इनका रुपया पैदा होता है, कुछ अच्छी दशा में नहीं हैं। उनकी हालत उस समय से भी खराब है जबकि उनके गाँव बहुत छोटे थे और ज़मीन की कीमत भी एकड़ एक गिन्नी भी नहीं थी। किन्तु दस असें में ज़मींदार खूब मालदार हुए हैं। उन्हें दिन भर बेकार बैठ-बैठे इतना मिल जाता है जितना कि बहुत-सों को साठ साल की उम्र तक मेहनत करते रहने पर भी नमात्र नहीं होता।

यदि हम ने जोर दिया होता कि कानूनी सिद्धान्त के अनुसार ज़मीन राष्ट्रीय सम्पत्ति होनी चाहिए, सब किराये राष्ट्रीय-कोष में जमा होने चाहिए और उनसे सार्वजनिक सेवा-कार्य होना चाहिए, तो दुनियाँ में कहीं भी शहरों की हालत इतनी खराब न हुई होती जितनी कि यह आज है।

## पूँजी और उसका उपयोग

अतिरिक्त रुपये को पूँजी कहते हैं। यदि इस रुपये का भी ठीक उपयोग किया जाय तो जमीन की तरह से इसका भी किराया मिल सकता है। उसके मालिक, पूँजीपति कहलाते हैं, उसका पूँजी क्या है ? किराया लेते हैं। जमीन की तरह सम्पत्ति को निजी हाथों में देने और उससे किराया कमाने की इस पद्धति को पूँजीवाद कहते हैं। पूँजीवाद में हम में से जिनके पास कुछ है, वे भी चाहें जबरन गरीब बनाये जा सकते हैं या उनका रक्तरोषण हो सकता है। इसलिए हमको पूँजीवाद को समझ लेना जरूरी है।

पूँजीवाद न तो नित्य है और न बहुत प्राचीन, न असाध्य है, न दुस्साध्य। केवल वैज्ञानिक दृष्टि में उसका निदान होने की आवश्यकता है। वास्तव में सभ्यता पूँजीवाद-जनित एक रोग है जो अदूरदर्शिता और अनेकता के कारण पैदा हुआ है। यदि पुरानी नैतिक शिक्षाओं और धर्माज्ञाओं ने हमारी मदद न की होती तो पूँजीवादी जगत इसमें व भी का नष्ट हो गया होता। किन्तु वह अभी दुनिया में नवजात नाम्निष्ठा ही है, अधिक-से अधिक दो सौ वर्ष पुरानी। यदि हम असावधान रहेंगे तो उससे हमारी सभ्यताओं का नाश हो सकता है।

साधारण स्त्री-पुरुषों के पास जो अतिरिक्त रुपया जमा होता है वह यद्यपि देखने में पूँजीवाद की एक निदोष शुरुआत है, किन्तु उसी से दरिद्रता, दुःख, शराबखोरी, अपराध, दुर्गुण और अमानसिक मृत्यु का भारी बोझ पैदा होता है। यद्यपि अतिरिक्त रुपये को सब सुधारों का साधन बनाया जा सकता है, किन्तु वह अभी तो सब बुराइयों की जड़ है।

अतिरिक्त रुपया क्या है ? अपनी सामाजिक स्थिति के योग्य निर्वाह के लिए आवश्यक हर एक वस्तु खरीद लेने के बाद जो रुपया बच रहता है, वही अतिरिक्त रुपया है। यदि कोई पचास रुपया मासिक पर उस दंग

से रह सकता हो जिम दग से वह रहता है और रहने में सन्तुष्ट हो तथा उसकी आय पिचत्तर रुपा मासिक हो तो माम के अन्त में उसके पास पच्चीस रुपया बच रहेगा । वह उस हद्द तक पूँजीपति होगा । अतः पूँजीपति होने के लिए हमारे पास जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक से अधिक रुपया होना चाहिए ।

ऐसी दशा में गरीब आदमी पूँजीपति नहीं हो सकता । गरीब आदमी वह है जिसके पास जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक से कम रुपया हो । यदि गरीब के पास इतना रुपया हो कि वह अपने बच्चों को ठीक प्रकार से खिला-पिला और पहिना भां न सके और न स्वस्थ रख सके तो उसे कभी नहीं बचाना चाहिए । खर्च करना न केवल पहिली आवश्यकता है, बल्कि पहिला कर्तव्य है । किन्तु गरीब लोग भी बचाते हैं । इग्लैण्ड के सेविंग बैंकों, इमारती सस्थाओं, महयोग समितियों और सेविंग सार्पें-फिन्डेयों में करोड़ों अतिरिक्त रुपया लगा है । यह सब रुपया श्रमजीवी-यों के नाम पर जमा मिलता है तो बड़ा विस्मयोत्पादक प्रतीत होता है । किन्तु वह व्यवसायों में लगे हुए कुल रुपये की तुलना में इतना नगन्य है कि यदि धनिका की पूँजी के साथ साथ वह भी एक सार्वजनिक कोष में डाल दिया जाय तो उसके गराब मालिक फायदे में ही रहेंगे । अगरेजी पूँजी का बड़ा भाग—उस पूँजी का जो महत्व रखती है—उन लोगों का अतिरिक्त रुपया है, जिनके पास जीवन-निर्वाह के लिए काफी से अधिक रुपया है । मालिक का बिना कष्ट पहुँचे वह स्वतः बच जाता है ।

अब यह प्रश्न उठता है कि पूँजी का उपयोग किस तरह किया जाय ? क्या उसे जरूरत के वक्त के लिए डाल रक्खा जाय ? अवश्य ही कोष

**पूँजी का उपयोग** के नोट, बैंक नोट, धातु के सिक्के, चैक बुक और बैंक की बहियों में जमा नामे की रकम सुरक्षित रखनी रहेंगी,

किन्तु यह सब चीजे हमारे लिए आवश्यक सामान, मुख्यतः भोजन के लिए कानूनी अधिकार-मात्र हैं । भोजन, जैसा कि हम जानते हैं, रक्खा न रहेगा और जब खाना ही सड़ जायगा तो यह अतिरिक्त रुपया किस काम आयगा ?



हम अब यह जानेंगे कि रुपये का वास्तविक अर्थ है वे चीजें, जो रुपये के द्वारा खरीदी जा सकती हैं, और यह कि इन में से ज्यादातर चीजें नाशवान हैं, तो हम समझ लेंगे कि अनिश्चित रुपया बचाया नहीं जा सकता, वह तुरन्त खर्च किया जाना चाहिए। जो यह बात न जानते होंगे वे कहेंगे कि रुपया हमेशा रुपया ही रहता है; किंतु उनका यह खयाल गलत है। यह सही है कि मोने के मिक्कों का मूल्य हमेशा उसी धातु के बराबर होगा, जिसके वे बने होंगे, किंतु आजकल तो कागजी रुपया बहुत चलता है, जिसका मूल्य हमेशा उतना ही नहीं रहता। यूरोप में महायुद्ध के बाद कागजी मिक्का अधिक चला। इंग्लैण्ड में कागजी रुपये का मूल्य इतना घटा कि उससे एक शिलिंग में उससे अधिक सामग्री नहीं खरीदी जा सकती थी, जितनी युद्ध से पहिले ६ पैंस में खरीदी जा सकती थी। यूरोप के कई अन्य देशों में हजारों पौण्ड देकर भी एक डाक का टिकट नहीं खरीदा जा सकता था और पचास हजार पौण्ड में मुश्किल से ड्रामभाडा चुकाया जा सकता था। यूरोप भर में जो लोग अपने और अपने बच्चों के लिए आयु भर के लिए निश्चिन्तता अनुभव करते थे वे ही कगाल हो गए और इंग्लैण्ड में अपने पिताओं के बीमों पर आराम से रहने वाले लोगों का मुश्किल से गुजारा होता था। रुपये में विश्वास रखने का यह परिणाम हुआ।

एक ओर तो सरकारें थोड़े नोट (जिनके पीछे सोना या चाँदी नहीं रक्खा जाता था) छाप कर धोखे से लोगों का बचा हुआ रुपया छीन रही थीं, दूसरी ओर कितने ही धनी व्यवसायी उधार माल लेकर और उसका मूल्य उस मूल्यहीन रुपये में चुका कर धनी हो रहे थे। उन्होंने अपने स्वार्थ-माधन के लिए अपनी सारी सत्ता और अपना सारा प्रभाव इस दिशा में खर्च किया कि सरकारें अपने भूटे नोट छापना जारी रख कर अपनी हालत खराब-से-खराब कर लें। इसके विपरीत जिन धनी लोगों ने दूसरा को कर्ज दे रक्खा था उन्होंने प्रतिकूल दिशा में अर्थात् सरकार नोट न छापे, इसके लिए अपना प्रभाव खर्च किया। खराब राय की हमेशा जीत हुई। कारण, स्वयं सरकारों को भी रुपया देना

या। वे सस्ते कागजी टुकड़ा में अपना कर्ज चुका कर खुश क्यों न होती ?

इस सबसे सभी समझदार आदमी इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि रुपया इकट्ठा करना उसको बचाने का सुरक्षित तरीका नहीं है। यदि उनका रुपया तत्काल खर्च न हो गया तो वे कभी यह भरोसा नहीं रख सकते कि दस साल बाद या दस सप्ताह बाद या युद्ध के दिनों में दस दिन या दस मिनट बाद उनका मूल्य कितना रह जायगा ?

किन्तु दूरदर्शी आदमी कहेंगे कि 'हम तो अपना अतिरिक्त रुपया खर्च करना नहीं चाहते, बचाना चाहते हैं।' यदि उनको कोई चीज चाहिए तो वह उस रुपये से खरीदी जा सकती है, किन्तु तब वह अतिरिक्त रुपया न कहलायगा। फिर यदि कोई आदमी अच्छा भोजन करके उठा हो तो उसको यह सलाह देना बेकार भी होगा कि अपने रुपये का कुल्लु-न-कुल्लु उपयोग करने के लिए वह फिर भोजन मगवा ले और उसे तुरन्त खाले। इससे तो यही अच्छा होगा कि वह उसे उठा कर खिड़की के बाहर फेंक दे। तो वे कह सकते हैं कि 'अच्छा, हम उसे खर्च भी कर डालें और बचा भी ले। कोई ऐसा ही उपाय बताओ।' किन्तु यह असम्भव है। हाँ, हम यह कर सकते हैं कि उस अतिरिक्त रुपये को तो खर्च कर डालें और उससे अपनी आमदनी बढ़ालें।

यदि मुद्द खर्च चुकाने के बाद हमको कोई ऐसा आदमी मिल जाय जो एक साल के बाद हमको मुफ्त खाना खिला सके तो हम अपना अतिरिक्त रुपया उसको मुफ्त खाना खिलाने में खर्च कर सकते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि हम अपना बचा हुआ पाना ताजा हालत में दूसरे को खिला सकेंगे और फिर भी साल भर बाद ताजा खाना पा सकेंगे।

किन्तु हम अपना यह खाना ऐसे भूखों को नहीं खिला सकते जिनके खुद के भोजन का ही ठिकाना न हो। वे अगले साल हमारे लिए भोजन क्यों से लायेंगे ? इसका भी इलाज है। हमें चाहे ऐसे भरोसे वाले भूखे आदमी न मिल सकें, किन्तु हमारे बैंकर, पूँजी के दलाल या कानूनी सलाहकार हमारे लिए बहुत सारे कम या अधिक भरोसे वाले आदमी

तलाश कर लेगे। इनमें से कुछ बहुत धनी हो सकते हैं जिनका पेट भरा होने पर भी मदा भारी परिमाण में अतिरिक्त भोजन की जरूरत रहती है।

इस अतिरिक्त भोजन की जरूरत उन्हें किस लिए होती है ? हम भूखे आदमियों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे हमें अगले साल भोजन दे सकेंगे, किन्तु वे तत्काल कुछ-न-कुछ ऐसा काम अवश्य कर सकते हैं जिससे आगे चलकर रुपया पैदा हो सके। उन्हें इन आदमियों से काम कराने के लिए ही अतिरिक्त भोजन की जरूरत होती है।

कोई भी अतिरिक्त रुपये वाला आदमी, जिसमें पर्याप्त सूक्ष्म और व्यावसायिक योग्यता हो, भूखे आदमियों से काम ले सकता है। यदि किसी आदमी के पास एक बहुत बड़ा बाग है, जिसमें उसकी विशाल कोठी बनी हुई है वह बाग एक ग्यास कम्बे से दूसरे तक जाने वाली राह की रोके हुए है तथा उसका चक्कर काट कर जाने वाली सार्वजनिक सड़कें पहाड़ी टेढ़ी-मेढ़ी और मोटरो के लिए खतरनाक हैं, तो उस अवस्था में वह आदमी भूखे आदमियों को अपना अतिरिक्त भोजन देकर उनसे बाग के भीतर में मोटरो निकलाने के लिए सड़क बनवा सकता है। जब सड़क तैयार हो चुके तो वह भूखे आदमियों को छुड़ी दे सकता है और मोटरो के लिए उसे इस शर्त पर खोल दे सकता है कि जो मोटर वाला उसका उपयोग करे वही उसे आठ आना दे। स्पष्ट है कि वे सब समय बचाना चाहेंगे और भय तथा कठिनाई में बचेंगे, और अतः खुशी से आठ आठ आना देकर सड़क का उपयोग करेंगे। वह भूखों में से किसी एक को यह कर बमूल करने के काम पर नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार वह अपने अतिरिक्त रुपये को नियमित आय में परिवर्तित कर लेगा। शहरी भाषा में उसने अपनी पूँजी से सड़क बनाने का व्यवसाय किया।

अब यदि सड़क पर आमदरफ्त इतनी अधिक हो कि उससे मिलने वाला रुपया और अतिरिक्त भोजन उसके पास बड़ी तेजी से दकट्टे हो जाय और वह उनको खर्च न कर सके (या ग्या न सके) तो उसे उनको खर्च करने के नये तरीके ढूँढने पड़ेंगे ताकि नया अतिरिक्त भोजन खराब न हो जाय। उसे भूखे आदमियों को बुलाकर फिर कुछ-न-कुछ

काम देना पड़ेगा। वह उनको सड़क के किनारे-किनारे नये मकान बनाने के काम पर लगा सकता है, मकान बन जाने पर वह उस सड़क को स्थानीय अधिकारियों को सौंप सकता है, जो उसे मार्बलजिनिक सड़क के तौर पर कर-दाताओं के पैमे से कायम रखेंगे। फिर भी वह मकानों को किराये पर उठाकर पहिले से भी अधिक अतिरिक्त रुपया प्राप्त करके नज़दीक-से-नज़दीक कच्चे तक एक मोटर लगी चला सकता है, ताकि उसके किंगयेदार वहाँ जाकर काम कर सकें और मजदूर रह सकें। वह उसके मकानों को प्रकाशित करने के लिए विजली का छोटा कारखाना गोल सकता है, वह अपनी कोठी को होटल बना सकता है या उसको भूमिसात करके बाग में और उसके घेरे में नये मकान और सड़क बनवा सकता है। भूखे आदमी उसका यह सब काम कर देंगे। उसको केवल इतना काम करना पड़ेगा कि वह उनको समय-समय पर आवश्यक आज्ञायें दे दिया करे और उनको अपने अतिरिक्त भोजन पर निर्वाह करने दे।

यदि वह इतनी व्यावसायिक योग्यता नहीं रखता है तो आवश्यक योग्यता के भूखे स्त्री पुरुष उसके पास खुद आज्ञायें और प्रस्ताव करेंगे कि 'हम आपकी जागीर की उन्नति करेंगे और आपकी जमान और पूँजी का उपयोग करने के एवज में साल में आपको इतना रुपया देंगे।' वे सब शर्तें उसके कानूनी सलाहकार के साथ तय कर लेंगे। यह भी हो सकता है कि उसको अपने हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त अपनी छोटी श्रंगुली भी न हिलानी पड़े। व्यावसायिक भाषा में वह अपनी जागीर की उन्नति करने में अपनी पूँजी लगा सकता है।

ऐसा ही सारे देश में भी हो सकता है। जो लोग अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार हिस्से खरीदने का तैयार हों, ऐसे लोगों से देश में सर्वत्र बचे हुए रुपये की लाखों छोटी-बड़ी रकमें इकट्ठी करके बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ भूखे लोगों से वे खानें खुदवा सकती हैं जो समुद्र के नीचे चली गई हैं और कोयले तक पहुँचने के लिए जिनमें बीस-तीस साल तक काम करने की आवश्यकता होती है। वे रेलें और बड़े बड़े एन्जिन बनवा

सकती हैं। हज़ारों आदिमियों को लगा कर बड़े बड़े कारखाने खड़े करके उनमें यंत्र स्थापित कर सकती हैं। समुद्र के दूसरी पार तार लगा सकती हैं। तैयारियों पूरी होने और व्यवसाय स्वाश्रयी होने तक भूखे आदिमियों को खिलाने भर की जरूरत रहती है। इस काम के लिए कम्पनियों को जबतक अतिरिक्त भोजन उधार मिलता रहेगा तबतक उनकी कर्तृत्व-शक्ति का कोई अन्त नहीं आएगा।

कमी-कमी योजनाएँ अमफल हो जाती हैं और अतिरिक्त भोजन के मालिक घाटे में रहते हैं, किन्तु उनको यह खतरा उठाना ही पड़ता है। कारण, अतिरिक्त भोजन रखना न रहेगा। यदि उसका उपयोग नहीं किया जायगा तो वह वैसे ही नष्ट हो जायगा। इस प्रकार बड़े-बड़े व्यवसायियों और उनकी कम्पनियों को हमेशा अतिरिक्त रूपसे मिलता रहता है और बहुत गरीबों और थोड़े धनियों वाली यह सभ्यता हमेशा बढ़ती ही रहती है, जिनमें कारखाने, रेलें, खानें, जहाज, हवाई जहाज, टेलीफोन, महल, भवन, होटल और भूषण-सभ्यताएँ सभी हैं। यह याद रखना चाहिए कि इन सब का मूल-आधार खाद्य-सामग्री का बोया और काटा जाना है। सभ्यता की दीवार इसी पर खड़ी है।

अतिरिक्त पूँजी का यही चमत्कार है कि उससे जमीन और अतिरिक्त आय वाले आलसी लोग तो न जानने हुए भी अत्यधिक धनी हो जाते हैं और बिना जमीन वाले तथा धनहीन लोग अत्यधिक गरीब।

हम पूँजीवाद के लाभों से वस्तुतः इतने प्रभावित हैं कि पूँजीवाद के नाश को सभ्यता का नाश मान बैठे हैं। पूँजीवाद हमको अनिवार्य प्रतीत होता है। अतः हमें पहिले तो यह सोचना चाहिए कि पूँजीवाद की प्रणाली की हानियाँ क्या हैं और फिर यह कि कोई अन्य मार्ग भी है या नहीं।

एक तरह से दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिन व्यवसायों को स्वाश्रयी बनाने के लिए हफ्तों, महीनों या वर्षों काम करना पड़ता है, उन सब के लिए अतिरिक्त आजीविका की बड़े परिमाण में आवश्यकता होती है। यदि एक बन्दरगाह के बनाने में दस वर्ष या एक कोयले की

मान के तैयार करने में वीस वर्ष लगते हैं तो उनको बनाने वाले इस अर्थ में क्या खाते हैं ? दूसरे लोगों को बिना तात्कालिक लाभ की आशा के उनके लिए ठीक उनी प्रकार भोजन, वस्त्र और घर की व्यवस्था करना पड़ती है, जिस प्रकार माता-पिता अपने बड़े होने वाले बच्चों के लिए करते हैं। इस दिशा में हम चाहे पूँजीवाद के लिए मत दे चाहे समाजवाद के लिए, उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। यह प्रणाली समाभाविक आर्थिकता-जनित प्रणाली है जो न तो किसी राजनैतिक क्रान्ति द्वारा बदली जा सकती है और न किसी सामाजिक संगठन के किसी सम्भव उपाय द्वारा।

किन्तु हमका अर्थ यह नहीं है कि इन कामों के लिए निजी कम्पनियाँ, जिनका उद्देश्य अत्यधिक धनियों और साधारण हिसियन के लोगों से पैसा प्राप्त करके मनाफा कमाना होता है, अतिरिक्त आय का भंडार और उपयोग करे। अत्यधिक धनी लोगों के पास इतनी अधिक मुच-नामग्री होती है कि वे उसको खर्च नहीं कर सकते और साधारण स्थिति के लोग इतने दूरदर्शा होते हैं कि वे आपत्तिकाल के लिए कुछ रुपया बचा रखते हैं। निजी कम्पनियाँ इन दोनों श्रेणियों से रुपया लेकर व्यापार करती हैं।

पहिली बात तो यह है कि ऐसी बहुत-सी अत्यावश्यक चीजें हैं जिनमें निजी कम्पनियाँ और निजी व्यवसायी नहीं बनाते। कारण, उन चीजों के लिए वे लागों से पैसा वसूल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि समुद्री प्रकाश-स्तम्भ न हो तो हम समुद्र में जाने का शायद ही साहस करें, व्यापारी जहाजों को इतनी सावधानी के साथ और इतना धीरे-धीरे जाना पड़े और उनमें से इतने सारे नष्ट हो जायँ कि जो माल वे लाने-ले जाते हैं, उनका कीमत इस समय की अपेक्षा वही अधिक हो। इसलिए समुद्री प्रकाश-स्तम्भों से हम सब को और जो लोग कभी समुद्र में नहीं गये और न जाने की आशा ही रखने हैं उन सब को भी बहुत लाभ पहुँचता है, किन्तु पूँजीवादी प्रकाश-स्तम्भ कभी नहीं बनायेंगे। यदि

प्रकाश-स्तम्भों के मालिक उनके पास से निकलने वाले जहाजों से पैसा वसूल कर सकते तो वे समुद्र-तट और चट्टानों पर प्रकाश-स्तम्भ बड़ी तेजी से बना डालते। किन्तु ऐसा नश हो सकता, अतः वे समुद्री किनारों और चट्टानों को थोड़े-से ही छोड़ देते हैं। इसी कारण सरकार बीच में पड़ कर जहाजों से प्रकाश की कीमत के तौर पर अतिरिक्त आय का स्रष्ट करती है ( जो शायद ही न्याय्य है। कारण, प्रकाश-स्तम्भों से सभी को लाभ पहुँचता है ) और प्रकाश-स्तम्भ बनाती है। इंग्लैण्ड-जैसे सामुद्रिक देश के लिए जो चीज जावन की प्रथम आवश्यकताओं में से है, पूँजीवादी उसी की व्यवस्था करने में असफल हुए हैं।

किन्तु पूँजीवादी बहुधा ऐसे आवश्यक कार्य भी नहीं करते हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष रीति में कुछ रुपया पैदा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बन्दरगाह को ही ले लें। हर एक जहाज को बन्दरगाह में आने की फीस देना होती है, अतः कोई भी बन्दरगाह वाला रुपया कमा सकता है। किन्तु बन्दरगाह बनाने में कई वर्ष लगते हैं, समुद्र में लहरों के धग को तोड़ने के लिए, दीवारें बनाना हात हैं, समुद्र में आने-जाने के लिए मंच बनाने होते हैं, तूफान के समय बने काम के टिगड जाने का डर भी रहता है और फिर बन्दरगाह को फीस एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं ली जा सकती। यदि ऐसा किया जाय तो जहाज सस्ते बन्दरगाहों में जा सकते हैं। इन्हीं बातों के कारण निजी पूँजी बन्दरगाहों के निर्माण में नहीं लगती। वरत ऐसे व्यवसायों में लगती है जहाँ खर्च की रकम अधिक निश्चित होती है, देर कम लगती है और अधिक रुपया पैदा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शराखानों से बहुत लाभ होता है और शराब के तत्काल विक्राने की सदा ही आशा रहती है। किसी बड़े शराब के कारखाने का खर्च अनुमान करते समय अधिक से अधिक सौ मिली कम या अधिक आँका जा सकता है, किन्तु एक बड़ा बन्दरगाह बनाने में कितना खर्च होगा इसका अनुमान करते समय लाखों की भूल हो सकती है। इस सब का किसी भी सरकार पर कोई असर नहीं होता। कारण, उसे यह सोचना होता है कि राष्ट्र के भले के लिए शराब का

दूसरा कारखाना अधिक आवश्यक है या दूसरा बन्दरगाह । किन्तु निजी, पूँजीपतियों को राष्ट्र के भले की चिन्ता नहीं करनी होती । उनको तो केवल इतना ही साँचना होता है कि अपने और अपने कुटुम्ब के प्रति उनका क्या कर्तव्य है । यह कर्तव्य है अपना रुपया अधिक-से-अधिक सुरक्षित और लाभकारी व्यवसाय में लगाना । इसके अनुसार यदि इंग्लैण्ड के लोग पूँजीपतियों के ही भरोसे रहते तो वे अपने देश में बन्दरगाह न बना पाते ।

निजी पूँजीपति केवल यही नहीं देखते कि किम काम में अधिक-से-अधिक रुपया पैदा हो सकता है । वे यह ध्यान भी रखते हैं कि किस काम में कम-से-कम कठिनाई होती है अर्थात् वे कम से-कम रुपया और श्रम खर्च करना चाहते हैं । यदि वे कोई चीज बेचते हैं या कोई काम करते हैं तो उसे सस्ते-से-सस्ते के बजाय महंगे-से-महंगा बना देते हैं । विचारहीन लोग कहते हैं कि जितनी कम कीमत होती है उतनी ही अधिक बिक्री होती है और जितनी अधिक बिक्री होती है उतना ही अधिक मुनाफा होता है । यदि पूँजीपति ऐसा करे तो इसमें कोई हर्ज न हो; किन्तु वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि कुछ उदाहरणों में यह ठीक हो सकता है कि जितनी कम कीमत हो उतनी ही अधिक बिक्री होगी । किन्तु यह सही नहीं है कि जितनी अधिक बिक्री होगी उतना ही अधिक मुनाफा होगा । कीमत की घटा-बढ़ी के अनुसार ही यदि बिक्री के परिमाण में भी घटा-बढ़ी हो तो मुनाफे में कोई अन्तर न पड़ेगा ।

हम विदेशों को ख़बर भेजने के लिए समुद्र के आरपार लगाये गए तार का उदाहरण लेते हैं । कम्पनी उन ख़बरों के लिए प्रति शब्द कितना पैसा वसूल करे ? यदि प्रति शब्द एक रुपया लिया जाय तो बहुत कम लोग ख़बरें भेज सकेंगे और यदि एक आना लिया जाय तो तार पर दिन और रात ख़बरों का ढेर लगा रहेगा । सम्भव है फिर भी मुनाफा वही हो । यदि ऐसा हो तो एक आना प्रति शब्द के हिसाब से २५० शब्द भेजने की अपेक्षा एक रुपये का एक शब्द भेजना कम तकलीफ़ का काम होगा ।



इंग्लैण्ड में साधारण तार सविस जत्र निजी कम्पनियों के हाथ में थी तो वह मर्यादित और खर्चीली थी । जत्र सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया तो उसने तार की लाइनों का न केवल दूर-दूर तक विस्तार ही किया, बल्कि उसको सस्ता बनाया और मुनाफा नहीं उठाया । पूँजीपतियों की भाषा में वस्तुतः उसको घाटे पर चलाया । उसने ऐसा इसलिए किया कि तारों का सस्ता भेजा जाना सारे सम्राज के लिए इतने लाभ की बात थी कि उससे राष्ट्र को लाभ हुआ । वस्तुतः तार भेजने वालों से ली जाने वाली कीमत को लागत मूल्य से कम करके घाटे की पूर्ति सार्वजनिक करों से करना अधिक न्यायपूर्ण भी था ।

इस प्रकार की अत्यन्त वाञ्छनीय व्यवस्था निजी पूँजीवाद की शक्ति के त्रिकुल बाहर की बात है । पूँजीवादी अधिक-से अधिक मुनाफा कमाने के लिए कीमत यथासाध्य ऊँची रखते हैं । उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसके द्वारा वे लागत मूल्य उन सब लोगों पर डाल सकें जिनको लाभ पहुँचता है । जो लोग प्रत्यक्ष रूप से चीज खरीदते हैं या किसी साधन का उपयोग करते हैं उन्हीं पर खर्च का भारा बोझ उन्हें डालना पड़ता है । यह ठीक है कि व्यक्तियों लोग तारों और टेलीफोनों का खर्च चीजों की कीमत के रूप में अपने पाहों पर डाल सकते हैं । किन्तु तार और टेलीफोनों के काम का अधिकतर हिस्सा व्यवसाय से सम्बन्ध नहीं रखता । उसका खर्च भेजने वाले और किसी पर नहीं डाल सकते । सब-का-सब खर्च सार्वजनिक कोष पर डालने के विरुद्ध केवल एक ही आपत्ति है । वह यह कि यदि हम बिना पर्याप्त रूपया दिये चाहे जितने लम्बे तार भेज सकेंगे तो हम जहाँ डाक से काम चल सकेगा वहाँ भी तार से ही काम लेंगे और उसमें हर खर्च के अन्त में अपनी गली सुशी के समाचार भी अवश्य लिख दिया करेंगे ।

इन बातों को सभी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए । कारण, अधिकारा आदमी इतने सीधे होते हैं कि निजी पूँजीपति उन्हें सचमुच यह समझा देते हैं कि पूँजीवाद से मुनाफा होता है, इसलिए वह सफल व्यवस्था है और सार्वजनिक व्यवस्था ( अर्थात् समाजवाद ) असफल ।

कारण, उससे मुनाफा नहीं होता। मूर्ख लोग भूल जाते हैं कि मुनाफा उन्हीं की गाँठों में से आता है, इसलिए मुनाफे की बात जहाँ निजी पूँजीपतियों के लिए अच्छी है वहाँ उनके ग्राहकों के लिए बुरा है। मुनाफा नहीं होता, इसका इतना ही अर्थ है कि अतिरिक्त मूल्य नहीं लिया जाता।

: ४ :

## पूँजी के अत्याचार

पूँजीपतियों ने निजी पूँजी से भूखे लोगों को काम पर लगा कर उद्योग-धन्वों में कान्ति कर दी है। उन्होंने कुट्टिम में बैठे बैठे हाथ कंधों पर कपड़ा धुनने वाले जुनहों का काम अपने हाथ में उद्योगों में ले लिया है और उन्हीं द्वारा सञ्चालित स्वचालित यांत्रिक कर्षों वाली बड़ी-बड़ी मिन्ना में बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने चक्र वाले पनचक्की और पनचक्की छीन ली है और उसके बजाय अपनी बड़ी-बड़ी इमारतों में लोहे के बेलनों और शक्तिशाली इन्जिन वाली मिलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने लुहार के घन को हटा कर उसकी जगह 'ने' स्मिथ का आविष्कृत भारी घन चलाना शुरू कर दिया है जिनका हजारों लुहार मिल कर भी नहा उठा सकते। उनके कारखानों में लोहे की भारी-भारी चद्दरें इतनी आसानी से कतरी जाती हैं और लोहे के मोटे-मोटे डंडे इतना आसानी से काटे जाते हैं, जितनी आसानी से अपने हाथ से काम करने वाला लुहार एक मामूली डिव्हे का टक्कन भी नहीं खोल सकता। उनके बनाये लोहे के भारी भारी बहाज कलों के जोर से समुद्र में तैरते हैं। उनके पोलाद और कफरीट से तले ऊपर बनाये हुए ऐसे ऐसे मकान होते हैं जिनमें सौ-सौ परिवार बड़े आराम से रह सकते हैं। उन्होंने उनमें ऊपर जाने के लिए मिड्डियों की झरूरत नहीं रखी; खट्टों का प्रयत्न कर दिया है जिनमें बैठ कर उनमें रहने वाले लोग मुखपूर्वक ऊपर चले जाते हैं और अपनी-अपनी महिलों में उतर जाते हैं। वे हमें ऐसे यत्न देते हैं, जो हमारे घरों को भाड़-

बुझार देते हैं। वे बिजली से हमारे घरों को प्रकाशित करते हैं और जहाँ बरूरत होती है वहाँ गरमी भी पहुँचा देते हैं। उनकी दी हुई गरमी से हम अपने घरों में चाहे जो चीज़ उचाल सकते हैं, खाना पक़ सकते हैं और उनके दिये हुए ऐसे यंत्र पर रोटी सेक सकते हैं जो निक जाने पर रोटी को तुरन्त एक तरफ फ़रक देता है, जचने नहीं देता। इन सब चीज़ों को वे यंत्र की मदद से बनाते हैं। जूते, घड़ियों, पिनें, मुइयों आदि आदि सभी चीज़ों के निर्माण में वे यंत्रों का उपयोग करते हैं। वे पीता भी यंत्र से बनाते हैं और एक दिन में इतना बनाते हैं जितना हाथों से हजार औरते भी नहीं बना सकतीं।

ये यन्त्र-निर्मित चीज़ें शुरू-शुरू में हाथ बनी चीज़ों के मुकाबिले में मर्राव होती हैं, कभी कुछ अधिक अच्छी हो जाती हैं और कभी समान रूप से अच्छी होती हैं, कभी कम कीमत में मिलने के कारण खरीदने योग्य होती हैं और कभी दीर्घकालीन स्पर्धा के कारण हाथ-बनी चीज़ों का निर्माण बन्द हो जाने से केवल वे ही मिलती हैं। कारीगरों के छोटे-छोटे दल पुराना कारीगरियों को ज़िन्दा रखने का कोशिश अरश्य करते हैं, फिर भी हम बड़े-बड़े उद्योगों पर आश्रित हो जाते हैं और अन्त में हाथों से चीज़ें बनाना भूल जाते हैं। इन यन्त्र-निर्मित चीज़ों के बिगड जाने पर प्रायः इनके सुधार वाले भी नहीं मिलते, इस कारण हमें उनका फ़ेंक कर नई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं जिससे हमारी दुहरी हानि होती है। देखने में तो यह आता है कि यंत्रों की स्पर्धा के कारण हाथ की कारीगरियों के मिट जाने से अधिकतर लोग सस्ती और रही चीज़ें काम में ला रहे हैं।

बड़े-बड़े पूँजीपतियों ने इन यात्रिक साधनों से सम्पन्न होकर छोटे-छोटे साधनहीन उत्पादन-कर्त्ताओं को दुनिया से उठा देने का कोशिश की है। बिना भूखे लोगों की मदद के विविध-यन्त्रों से युक्त इन मिलों को कदापि खड़ी नहीं कर सकते थे। मजदूरों ने इन यंत्रों का आविष्कार किया और पूँजीपतियों ने उन आविष्कारों को उनसे सस्ता खरीद लिया; क्योंकि ऐसे आविष्कारक कम होते हैं जो पूँजीपतियों से अपने आविष्कार को

पुरी कीमत वसूल कर सके। उन्हें कई बार तो अपने आविष्कार का अधिक भाग आवश्यक नमूना और परीक्षणों का व्यय चुकाने के लिए कुछ नौ रूपों में ही बेच देना होता है। कोई कोई यन्त्रकला, निर्माण-कला तथा सगठन-कला में यह मजदूर खुद ही व्यवसायियों द्वारा खरीद लिए जाते हैं और उनके आविष्कारों की अच्छी भी कीमत देकर व्यवसाय में शामिल कर लिए जाते हैं, किन्तु सीधे-सादे आविष्कारक का भाग्य ऐसा नहीं होता। यूरोप में पूँजीपतियों ने चौदह साल के बाद सब आविष्कारों को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाने का एक साम्यवादी कानून भी जैसे-तैसे बनवा लिया है। इस अवधि के बाद वे आविष्कारकों को बिना कुछ दिये उनके आविष्कारों का उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार वे शीघ्र ही मान बैठते हैं कि इन यन्त्रों का आविष्कार स्वयं उन्होंने ही किया है और उनसे जो कमाई होती है, वह भी उनकी अपनी कमाई है।

यदि निजी रूपया अयोग्य हाथों में न होता तो यह अयोग्य विभाजन भी न हो पाता। यदि वह राष्ट्र के हाथ में होता और वह उसका उपयोग सर्व साधारण के हित के लिए करता तो भारी पूँजी से व्यवसायों का संचालन विशुद्ध लाभ की बात होती। उनसे आज की जैसी भयकर स्थिति कभी पैदा न होती।

अब भारी पूँजी से व्यवसायों का संचालन स्थायी हो चुका है। चार पैसे में धागे की गिद्धी मिल सके, इसके लिए लाखों की पूँजी लगेगी जाती है, किन्तु समाजवादी व्यवस्था में ये लाखों रुपये निजी नहीं; सार्वजनिक कोष से लंगे और धागे की गिद्धी का मूल्य दो पैसे से भी कम पड़ेगा। सन्तुष्ट में पूँजी से व्यवसाय चलाना एक बात है और पूँजीवाद त्रिकुत दूसरी बात। यदि हम पूँजी को ग्रहण निग्रहण में रक्खें तो व्यवसाय विशेष के लिए भारी पूँजी के संग्रह से हमको कोई हानि न पहुँचेगी।

पूँजी का न तो कोई अन्तःकरण होता है और न कोई देश। पूँजीवादी यदि अपने देश में मग्न निषेध कानून द्वारा मुनाफा कमाने से,

रोक दिए जाए तो वे अपनी पूँजी किसी असभ्य देश में भेज सकते हैं। जहाँ वे मनमानी करने को स्वतंत्र होने हैं। इंग्लैण्ड के पूँजीवादों पहले इल्की शराब द्वारा अपने ही देश को तबाह कर रहे थे, जब कानून द्वारा उनको ऐसा न करने के लिए विवश किया गया तो उन्होंने लाखों काले आदिमियों का पृथ्वी तल से नामनिशान मिटा दिया। यदि उनको यह नहीं मालूम हुआ होता कि काले स्त्री पुरुषों को विप देने की अपेक्षा बेच डालने में अधिक लाभ है तो उन्होंने अफ्रीका को शराबियों की हड्डियों से ढका हुआ नेगिस्तान बना डाला होता। शराब में व्यवसाय में लाभ तो था, किन्तु गुलामों का व्यवसाय उससे भी अधिक लाभकारी था। इसलिए उन्होंने हथियारों को जहाज़ों में भर-भर कर गुलामों की तरह बेचा और स्वयं मुनाफा कमाया। यदि यह व्यवसाय कानूनन निषिद्ध न ठहराया गया होता तो शायद अब तक भी पूँजीपति उससे विमुक्त न होने।

अवश्य ही इंग्लैण्ड के पूँजीपतियों ने यह काम स्वयं अपने हाथों से नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी पूँजी इस काम में लगाई। यदि उन्हें शराब की बनिश्चत लोगों को दूध पिलाने में और लोगों को गुलाम बनाने की बनिश्चत ईसाई बनाने में अधिक मुनाफा होता तो निस्संदेह उन्होंने दूध और बनिश्चत बेचने के व्यवसाय ही किये होते।

जब शराब की हद हो गई और गुलामों के व्यवसाय की भी इति हो गई तो उन्होंने मामूली उद्योगों का अपने हाथों में लिया। उन्होंने सोचा कि हथियारों को गुलाम बना कर बेचने की अपेक्षा उनसे काम लेने से भी मुनाफा हो सकता है। उन्होंने अपनी राजनैतिक सत्ता द्वारा ब्रिटिश सरकार को अफ्रीका के विशाल भू-भागों पर कब्जा करने और वहाँ के निवासियों पर ऐसे भारी-भारी कर लगाने के लिए प्रेरित किया जिन्हें वहाँ के लोग अंग्रेज पूँजीपतियों का काम किये बिना अदा नहीं कर सकते थे। इस तरह अंग्रेज पूँजीपतियों ने खूब कमाया। साम्राज्य का विस्तार किया। वे व्यवसाय के पीछे अपना झंडा और झण्डे के पीछे अपना व्यवसाय ले गए। परिणाम यह हुआ कि जिन देशों का थोड़ा

विक्रम हुआ था वे पूँजीवाद के भयकर परिणामों के बुरी तरह से शिकार हुए।

जिम पूँजी से इंग्लैण्ड की उत्पादक शक्ति बढ़ाई जा सकती थी, जिससे समाज के लिए कलक रूप गरीब मुहल्लों के भौंपड़ों की हालत सुधारी जा सकती थी, उसके विदेश जाने से इंग्लैण्ड में बेकारी की वृद्धि हुई, लोगों को विदेशों में जाना पड़ा और इंग्लैण्ड को चढी-चढी जल आंग स्थल सेनायें रखनी पड़ी। उनके मुकाबिले के लिए दूमरों का भी भारी-भारी सेनायें रखनी पड़ी जिनसे अंग्रेजों को मद्द भय रहता है। अंग्रेजी पूँजी से विदेशों में उद्योगों का विकास किया गया है जिससे इंग्लैण्ड की स्वावलम्बन शक्ति नष्ट होती है। टांजण् अमेरिका में रेल, खानें, और कारखाने बनाने में अंग्रेज पूँजीपतियों ने जितना धन खर्च किया है यदि इसका धोडा हिस्सा भी उन्होंने इंग्लैण्ड के प्राकृतिक संपदाओं तक मडके बनाने में और स्वाटलैण्ड तथा आयर्लैण्ड के निरुपयोगी समुद्रतटों को उपयोगी बनाने में खर्च किया होता तो ब्रिटिश टापुओं के लोग बेकारी से पीड़ित न होते।

लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश टापुओं में इन भयकर हानियों के होते हुए भी, उनकी जो पूँजी बढ़ गई है उसका मुनाफा तो आता ही है जिससे उनके वाशियों को काम मिलता है। जितना रुपया पूँजी के रूप में बाहर जाता है उससे अधिक रुपया निस्सन्देह उन टापुओं में मुनाफा के रूप में बाहर से आता है; किन्तु दूमरों के श्रम पर निर्वाह करना तो परोपजीवी कमाल होना है। यदि उन लोगों ने अपनी पूँजी को विदेशों में न भेज कर स्वदेश में ही खर्च किया होता तो उससे उतनी ही आय होता जितनी कि विदेशों में होनी है। यह ही सच्चा है कि पूँजीपतियों को उसका उतना हिस्सा न मिल पाता।

इंग्लैण्ड की पूँजी विदेशों में जाने से उनकी औद्योगिक उत्पत्ति बढ़ती है जिसका परिणाम यह होता है कि इंग्लैण्ड का कोई धानखाना, खपत का बाजार उसके हाथ से निकल जाने से बन्द हो जाता है तो उसके मजदूर बेकार हो जाते हैं। वे उत श्रवस्था में विदेशों से मुनाफा कमाने

वाले लोगों के यहाँ घरेलू नौकरों का काम कर सकते हैं, शौकीनी की चीजों की दूफानो पर सहायक रह सकते हैं; म्बियाँ होटलों में, मिलाई की दुकानों में, बढ़िया खाने पकाने वालों के यहाँ और ऐसे ही दूसरे कामों में जिनकी धनिकों को जरूरत हो सकती है; नौकरी कर सकती हैं, किन्तु वे वकायफ़ इन कामों को नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें वे काम आते नहीं। हाँ, उनके लडके लडकियाँ जल्द अभ्यास से इन कामों को कर सकते हैं और अपने कारखानों में मजदूरी करने वाले माँबापों से, जो अब बेकार हैं, अधिक अच्छी हालत में रह सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ समय बाद कारखाने वाले स्थानों में धनिकों में आमोद-प्रमोद के लिये बाग लहलहाएँ और खानों के स्थान पर रमणीक हो जायें, क्योंकि इंग्लैण्ड की पूँजी के बाहर जाने से उन में काम करना बन्द हो सकता है। जिन लोगों को इन में काम मिल जाय, वे इन परिवर्तनों को सुपरिचर्तन भी कह सकते हैं, किन्तु बात धाम्त्व में यह होगी कि तब इंग्लैण्ड विदेशी श्रम पर निर्भर रह कर जल्दी से जल्दी विनाश की ओर जा रहा होगा।

याद कोई राष्ट्र अपने असंस्कृत मिल-मजदूरों को सुशिक्षित, अच्छे कपड़े पहिनने वाला और अच्छा खाने वाला तथा अच्छी तरह से रहने वाला मिला-मजदूर बना दे, उनका योग्य सम्मान करे, जो सम्पत्ति ब्र पैदा करते हैं उसका उचित भाग उनको दे तो इस परिवर्तन द्वारा वह अधिक समल, धनी, सुखी और पवित्र बनेगा, किन्तु यदि वह उनको नौकरों और नौकरानियों में परिवर्तित कर दे तो वह अपनी ही कमर तोड़ेगा। वह आलसी और विलासी बन जायगा और किसी दिन उस की ऐसी हालत हो जायगी कि विदेशों से निर्वाह के लिए जो रकम उसे मिलती है, वह उसे भी बख़्त न कर सकेगा। वे देश जब उसको पोषण देने से इन्कार कर देंगे तो वह स्वावलम्बन की आदत न, रहने की दशा में भूखा मरेगा।

// और भूखे लोग क्या नहीं करेगे ? जिन लोगों के पुराने धन्ये छिन जायेंगे और बुढ़ापे के कारण नये धन्ये न सीख सकेंगे वे चाहे कितने

ही प्रतिष्ठित राजनैतिक विचार क्यों न रखते हो, खतरनाक आदमी मिद्ध होंगे। भूखे आदमी भूख के मारे प्राण देने के बजाय पुलिस पर हावी होने जितनी संख्या देंगे तो दंगे करेंगे, धनिकों को लूटेंगे और जलायेंगे। सरकार को उलट देने का प्रयत्न करेंगे।

इंग्लैण्ड में बेकारों को बेकार-वृत्तिये दी जाती है, लोगों को सन्तति-नियमन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और विदेशों में चले जाने के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। यह है पूँजीवाद का मिलक्षण परिणाम। पूँजीवाद के कारण देश के लोग ही देश का उन्नति में बाधक हो जाते हैं, उन्हें क्रीडो-मक्रोडो की तरह दूर फेंकना पड़ता है। दूसरों और पूँजीपति और उनके गौकर विदेशों से आई हुई भाजन-मामग्री तथा विलासिता के अन्य साधनों पर आलसी जीवन व्यतीत करते हैं। उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु ग्वच अन्धाधुन्ध किया जाता है, विशाल बाग-वर्गाचे लगाये जाते हैं और भव्य अट्टालिकाये बनाई जाती हैं।

ऐसे स्थायी परापजीवी राष्ट्र की स्थापना न तो कभी हुई और न कभी होगी जिसमें सब श्रमिक पूँजीपतियों की दौलत के मार्गादार होने के कारण सुखी और सन्तुष्ट हो। यदि पूँजीपति इतना ध्यान रखने लगेंगे कि उनके देशवासी सब स्वस्थ और सुखी रहें तो वे समाजवादी ही हो जायेंगे। किन्तु वास्तविक बात यह है कि वे इतनी दिक्कतें मोल नहीं ले सकते। अपने नौकर-चाकरों को यदि अपने ही समान रखने की चिन्ता की जाय तो फिर पूँजीपति रहने में क्या मजा रह जायगा? हाँ, नौकरों को तो इससे अवश्य सुविधा हो जायगी; क्योंकि उनकी फिर करने वाले भी दूसरे होंगे। इन्हीं असुविधाओं से बचने के लिए तो इंग्लैण्ड में धनिक वर्ग के चिन्ते ही लोग अपने सम्पन्न घरों को छोड़ कर होटलों की शरण लेते हैं, क्योंकि वहाँ उनको अपने नौकरों की चिन्ता करने के बजाय कुछ इनाम-इकराम देने पर ही भ्रष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अतः पूँजीवाद में असमानता, बेकारी, रक्तशोषण, समाज का वर्गों में विभाजन, तथा तज्जनित सन्तति रोग आदि बुराइयों का मूल तो रहेगा ही।



सभ्य देशों में जब कारखानों की बनी चीजों की खपत पूरी हो चुकती है तो पूँजीपतियों के पास केवल यही मार्ग रह जाता है कि वे अपनी चीजों का विदेशों में भेजे। किन्तु सभ्य देश तो भारी-अन्तर्राष्ट्रीय भारी तटकर लगा कर विदेशी चीजों को अपने भीतर क्षेत्र में आने नहीं देते। सरक्ष्यशून्य असभ्यदेश ही ऐसे रह जाते हैं जहाँ वे अपनी चीजों को खपा सकते हैं। जिन देशों के लोग सीधे-सादे हाते हैं उन्हें पूँजीपति और उनके कारिन्दे खूब लूटते हैं और तग करते हैं। जब वे लाग उनका मुकाबिला करते हैं तो वे अपनी शक्ति से उन्हें जीत लेते हैं और उन पर राज्य करने लग जाते हैं। इस तरह वे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए सदा नया-नया क्षेत्र हाँथिया लेने की ताकत में रहते हैं और जब मौका मिलता है तभी अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना ऐसे ही हुई है।

किन्तु अकेला ब्रिटिश साम्राज्य ही होता तो कोई बात नहीं थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अलावा भी दुनिया में ऐसे देश हैं जिन में साम्राज्यवादी स्वप्नदर्शी और विदेशी बाजारों में फैलने की चेष्टा करने वाले अत्यन्त कुशल व्यापारी रहते हैं जिनकी पाँठ ठाकने को उनमें बड़ी-बड़ी स्थल-सेनाएँ और जल-सेनाएँ भी होती हैं। जल्दी था देर से जब वे अपनी सोमात्रो की अफ्रीका और एशिया में बढ़ाते हैं तो उनमें आपस में सशय पैदा होता ही है। एक बार अफ्रीका में इंग्लैण्ड और फ्रांस में लड़ने का मौक़ा था, किन्तु पीछे उन्होंने सूडान को आधा-आधा बाँट कर उसे टाल दिया। इसके पहिले फ्रांस अल्जीरिया और वास्तव में तुर्निया को ले चुका था और स्पेन मोरक्को में घुम रहा था। इटली ने त्रिगाली पर धावा बोल दिया था और इंग्लैण्ड ने मिश्र और भारतवर्ष को लाल लिया था। जर्मनी ने देखा कि अब उसके लिए कुछ नहीं रहा है तो उसने सन् १९१४ में युद्ध का ऐलान कर दिया। सन् १९१८ तक खून लड़ाई हुई। एक ओर इंग्लैण्ड, फ्रांस और इटली था तो दूसरी ओर जर्मनी। जर्मन कारखानों की बनी चीजें खपाने के लिए जर्मनी को बाजारों की जरूरत थी जिन पर जर्मनी का प्रभुत्व हो। यह लड़ाई

वास्तव में इमीलिए हुई थी। अन्य देशों ने जो लड़ाई में भाग लिया वह तो एक-दूसरे की सहायता करने के लिए था।

उम युद्ध में बड़ा भीषण जन-महार हुआ, लाखों लोग मारे गए। उम सभ्य का वाग्ग दोगयुक्त पेंजीवादी प्रवृत्ति ही थी। जिन चीजों की इंग्लैण्ड में विक्री न होती थी उन चीजों को मुनाफे पर बेचने के लिए जो पहिला जहाज अफ्रीका गया उसने ही इस युद्ध की शुरुआत की थी और यदि हमने आनीविका के लिए पेंजीवादियों की नीति का ही अनुसरण किया तो आगे जितने भी युद्ध होंगे उनकी भी शुरुआत वही करेंगी।

किन्तु इसमें विदेशी व्यापार का दोष नहीं है। उद्यत सभ्यता की ऐसी किमती ही चीजें हैं जिनके बिना राष्ट्रों को अपनी सीमाओं के भीतर उपलब्ध नहीं हो सकती। वे उन्हें एक-दूसरे से खरीदना हीना है। इसलिए हमें दुनिया में सर्वत्र व्यापार और यात्रा करना चाहिए और एक दूसरे के सम्पर्क में आना चाहिए। किन्तु इन पेंजीपति व्यापारियों का हमके अलावा और कोई उद्देश्य न था कि जिन देशों में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था उन देशों के लोगों में भरसक मुनाफा कमाया जाय। उन्होंने अपने देशों को इसलिए छोड़ा था कि उन में अधिक मुनाफे की गुंजाइश न थी, अतः वह नहीं माना जा सकता कि वे अपना किनारा छोड़ते ही अपने स्वार्थ-भाव को भी वहीं छोड़ आए थे। यद्यपि उन्होंने दुनिया में चिला-चिला कर कहा कि वे उन देशों को, जिन पर वे राज्य करते हैं और जिन में रहने वाले लोगों से सब मुनाफा कमाते हैं, सभ्य बना रहे हैं, किन्तु जब उन देशों के बाशिन्दे सभ्य हो कर अपना राज्य स्वयं चलाने योग्य हो गए तो उन्होंने उनके देशों का प्रबन्ध उन्हें सौंपने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा, 'हम अपने जीते हुए प्रदेशों को पोंही न दे देंगे। हम उनकी रक्षा अपने लोह की अन्तिम बूँद गिरा कर करेंगे।' किन्तु फिर भी आधा उत्तरी अमेरिका इंग्लैण्ड वालों के हाथ से निकल गया। आयरलैंड, मिश्र और दक्षिण अफ्रीका ने स्वशासन का अधिकार बलपूर्वक अंगरेजों से ले लिया। आज भारतवर्ष को अपनी स्वाधीनता के लिए पेंजीवाद से ही सघर्ष करना पड़ रहा है।

इलैण्ड आदि देशों में कमी पिन बनाने वाले कारीगर बाजार से आवश्यक सामग्री खरीद कर पिन बनाने की शुरु से लेकर आखिर तक सब क्रियाएँ पूरी कर लेते थे, और बाजार में या घरों में जाकर उन्हें बेच भी आते थे। किन्तु पीछे जब उद्योगों में अर्थशास्त्र व्यक्तिगत जीवन के अनुसार विशेषीकरण हुआ तो उम्मी एक पिन के बनाने में शुरु से लेकर आखिर तक अठारह आदमी लगाये जाते थे। हर एक आदमी पिन बनाने के काम का एक रास हिस्सा ही करता था। फलतः उनमें से कोई भी पहिले के कारीगरों की तरह पूरा पिन नही बना सकता था, न उसके लिए सामग्री खरीद सकता था और न पिन तैयार होने पर उसे बेच ही सकता था। स्वतः जूह पुराने कारीगरों की अपेक्षा कम योग्य और कम जानकारी रखने वाला होता था। किन्तु इसमें एक लाभ यह था कि एक काम का एक ही हिस्सा बराबर करते रहने से वह अपने काम को बड़ी जल्दी-जल्दी कर सकता था। अठारह आदमी मिलकर दिन भर में करीब ५ हजार पिन बना सकते थे। इस कारण वे उन्हे पहिले के कारीगरों की पिनों को अपेक्षा अधिक सस्ती ओंग बहुतायत से दे सकते थे।

किन्तु इस पद्धति का परिणाम यह हुआ था कि योग्य आदमियों की योग्यता नष्ट हो गई थी और वे मशीनों की तरह से बिना बुद्धि का उपयोग किए काम करते थे। जिस प्रकार ऐंजिन को चलाने के लिए उसमें कोयला डाला जाता है वैसे उनसे काम कराने के लिए उनके पेटों को पूँजीपतियों के अतिरिक्त भोजन से भरा जाता था। इसीलिए मोल्डस्मिथ ने कहा था कि इस 'पद्धति से एक ओर तो धन-संग्रह होता है और दूसरी ओर मनुष्यों का नाश।'

आज उन अठारह हाइ-मॉस की मशीनों का स्थान लोहे की मशीनों ने ले लिया है जो लाखों पिन तैयार करती हैं। पिनो को गुलाब कागज में लगाने तक का काम मशीनें ही करती हैं। फलस्वरूप सिवा मशीनों के बनाने वालों के कोई यह नहीं जानता कि पिन कैसे तैयार होती हैं अर्थात् पिन बनाने वाले पुराने कारीगरों की अपेक्षा आजकल के पिन

बनाने वाले दर्शांश भी योग्य नहीं हैं। इसके द्वारा हमें जो प्रतिफल मिलता है वह यही कि पिनें अत्यधिक सस्ती हो गई हैं। उनके लागत मूल्य पर बहुत सारा नुनाफा चढ़ा देने पर भी एक अन्त में दर्जनो पिनें पारीदी आ सकती हैं।

सस्ती होने में टनों पिनें लापरवाही से फेक दी जाती है। इससे श्रमिकों की निपुणता का नाश होना है और वे पतित होते हैं, किन्तु इसका इलाज पूर्वस्थिति पर लौट जाना नहीं है। कारण यदि आधुनिक मशीनों के प्रयोग से बचने वाले समय का समान विभाजन हो तो वह पिनें बनाने या ऐसे ही दूसरे कामों की अपेक्षा उच्चतर कामों में मर्च किया जा सकता है। अबतक यह न हो तबतक स्थिति यह है कि पिनें बनाने वाले मजदूर स्वयं अपने आप कुछ नहीं बना सकते। वे अन्न और अमृत हैं। अबतक उनको काम पर लगाने वाले उनके लिए सारी व्यवस्था न कर दें तबतक वे अपनी छोटी अगुली भी नहीं खिला सकते। किन्तु जिन मशीनों से उनको काम देने वाले काम कराने हैं उनके विषय में वे खुद भी कुछ नहीं समझते, वे दूसरों को पैसा देकर उनसे मशीन वालों की सूचनाओं के अनुसार मशीनें चलवाते हैं।

कपड़े आदि अन्य चीजों के उपयोग के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है। उनमें हज़ारों सम्पत्ति के मालिक और लाखों मजदूरों पर काम करने वाले श्रमिक हैं, किन्तु उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कोई चीज बना सके या बिना किसी दूसरे के बताये कुछ कर सके। अत्यधिक अज्ञान बेगमी, भ्रम और मूर्खता की स्थिति का पूँजीवाद की अन्धी शक्तियों ने पैदा किया है। लोग बेचारे इसी में गोते खा रहे हैं।

कानून बाधा न डाले उस सीमा तक सब काम का भार एक वर्ग पर डाल कर और सारा अवकाश दूसरे वर्ग को देकर पूँजीवादी प्रणाली मशीनों की भाँति श्रमीतों को भी पगु बना देती है। अपनी जमीन और पूँजी को बिराये पर उठा कर वे बिना हाथ-पाँव हिलाये प्रचुर भोजन और सुख-नामश्री प्राप्त कर सकते हैं। उनके कारिन्दे जमीन का बिराया बगल करते हैं और उनके नामों पर बंधों में जमा करा देते हैं। इसी तरह

कम्पनियों भी उनकी पूँजी का अर्द्धवार्षिक किराया उनके नामों पर बैंकों में डाल देती हैं। उनको तो सिर्फ बैंकों पर दस्तखत भर करने होते हैं जिनके द्वारा वे हर एक वस्तु की कीमत चुकाते हैं। वे अपने निटल्लेपन के पक्ष में यह दलील दे सकते हैं कि उनके पूर्वजों ने तो उत्पादक श्रम किया था, मानों औरों के पूर्वजों ने तो उत्पादक श्रम किया ही नहीं था! सम्भव है उनके पूर्वजों ने खेतों में हल चलाया हो और अधिक धनी बनने के लिए अपनी पूँजी को जमीन में लगाने के नये तरीकों का आविष्कार किया हो; किन्तु अब जब उनके वंशजों को पता चला कि उनके लिए यह सब कष्ट तो दूसरे लोग ही कर देंगे तो उन्होंने जमीन और पूँजी को किराये पर उठाना शुरू कर दिया और बैठे-बैठे खाने लगे।

जो लोग इतना अधिक श्रम करते हैं और जिनको कम मनोरंजन मिलता है उनकी दृष्टि में धनिकों का निटल्लापन अत्यन्त सुखकर प्रतीत हो सकता है। वे इससे बढ़कर कल्पना नष्ट कर सकते कि जीवन एक लम्बी छुट्टी हो, किन्तु इस स्थिति में यह खराबी है कि जब धनिकों को अपनी आजीविका स्वयं कमाना पड़ती है तो वह उनको धन्धों की तरह निस्महाय बना देती है, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता कि जमीन कैसे जोनी जाती है, या कोई काम कैसे किया जाता है। यदि भूखे लोग न हो तो उन्हें कहना पड़ेगा कि 'हम खोद नहीं सकते और भोल मॉर्गने में हमें शर्म मालूम होती है।'

ज्यों-ज्यों सम्यता बढ़ती जाती है त्यों-त्यों श्रमहायावस्था बढ़ती जाती है। गाँवों में हमें ऐसे आदमी मिल सकते हैं जो चीजे बना सकते हैं और जिन चीजों को बना सकते हैं उनके लिए सामग्री खरीद सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। किन्तु शहरों में ऐसे लाखों धनी और मजदूर मिलेंगे जो कोई चीज बनाना नहीं जानते। केवल कुछ लोग होते हैं जिनको मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं। वे ही भौतिक, साहित्यिक और कलात्मक धन्धों के अतिरिक्त पूँजीपति देशों का प्रबन्ध, संचालन और निर्णय करने का समस्त काम करते हैं।

आज में सौ माल पहिले पूँजीपति, अर्मादार या श्रमिक प्रधान व्यक्ति

न थे। प्रधान व्यक्ति वे मध्यमवर्गीय कार्यदाता थे जो अधिकोश में सम्पत्तिवान् वर्ग में पैदा हुए थे, जिन्होंने सम्पत्तिवानों के समान ही शिक्षा, रुचि, स्वभाव, रहन-सहन, और ब्रॉलचाल समाज में पाई थी, किन्तु अब उस वर्ग में जगह न होने से शासन, तथा व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों को करते थे या स्वतंत्र व्यवसाय चलाने थे। वे पूँजी, जमीन और श्रम का उपयोग करते थे और उससे भूतों को कार्य देते थे। इन कार्यदाताओं ने पहिले मध्यमवर्गीय कर्मचारियों के रूप में शुरुआत की थी। पीछे उन्होंने कार्य का अनुभव होने पर कुछ नौ गिन्तियों इकट्ठी करके किन्हीं दूसरे कुशल कर्मचारियों की हिस्सेदार बनाकर कोई उद्योग खड़े किये और कार्यदाता बन गए।

किन्तु ज्यों-ज्यों पूँजी अधिकाधिक परिमाण में एकत्रित होने लगी और तदनुसार व्यवसायों का विस्तार बढ़ने लगा, व्याप्त्यो उद्योग अधिकाधिक बड़े पैमाने पर हाने लगे। यहाँ तक कि पुराने दग की छोटी-छोटी दुकानों को मालूम होने लगा कि उनके ग्राहकों को बड़ी सम्मिलित पूँजी से चलनेवाली कम्पनियाँ छुड़ाने लिए जा रही हैं जो अपनी बड़ी पूँजी और कीमती मशीनों की सहायता से न केवल सस्ते भाव में चीजें बेच ही सकती थीं, बल्कि कम मूल्य लेने के कारण अधिक मुनाफा भी कमा सकती थीं। वे विविध प्रकार की चीजें एक ही स्थान पर बेचने लगी थीं और इस प्रकार ग्राहकों के लिए उन दुकानों की बनिस्वत, जिनमें सब प्रकार की चीजें इकट्ठी नहीं रखी जाती, अधिक सुविधाजनक सिद्ध हो रही थीं।

किन्तु परिवर्तन इस रूप में भी हुआ कि देवनों में बड़े मालूम न पड़ सकता था। तेल या तम्बाकू की सौ पृथक-पृथक दुकानों पर एक ही कम्पनी का, जिसे ट्रस्ट कहते हैं, स्वामित्व होता था। जिस प्रकार सैकड़ों की पूँजी से चलने वाली दुकानें हजारों की पूँजी वाली कम्पनियों से पिछड़ गईं, उसी प्रकार हजारों रुपये वाली कम्पनियों को लाखों रुपये से चलने वाले ट्रस्टों के सामने हार खानी पड़ी। कई कम्पनियों को एक ट्रस्ट

के रूप में सङ्गठित हो कर अपनी रक्षा करने के लिए विवश होना पड़ा।

इससे मध्यमवर्गीय कार्यदाताओं पर यह असर पड़ा कि उन्हें पहिले की तरह थोड़ी पूँजी मिलनी बन्द हो गई। पहिले बैंकर लोग, जिनके पास अतिरिक्त रुपया होता है, कार्यदाताओं को अपनी मर्जी से रुपया देते थे जिसे उद्योगों में लगा कर वे उनकी पूँजी का व्याज, जमींदार की जमीन का किराया, मजदूरों की मजदूरी और बहुत सारा मुनाफा कमा लेते थे। कभी-कभी उनका यह मुनाफा इतना काफी होता था कि वे उसका द्वारा उमराओं की श्रेणी में पहुँच जाते थे। किन्तु अब कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा ने उन्हें भी कम्पनियों के रूप में सङ्गठित होने और 'कार्यदाता से कर्मचारी बन जाने के लिए विवश कर दिया। ऐसी स्थिति में वे उचित वेतन और कम्पनियों में अपने हिस्सों के मुनाफे के अतिरिक्त कुछ नहीं पाते। दूसरी ओर कम्पनी के हिस्सेदार जिनमें थोड़ी-थोड़ी पूँजी वाले बहुत से लोग होते हैं, अपनी पूँजी के रूढ़ के अतिरिक्त मुनाफे का हिस्सा भी पाते हैं।

इस प्रकार मध्यम वर्ग सम्पत्तिवान वर्ग से निकल कर सम्पत्तिहीन शिक्षित समुदाय बना। उसने सम्पत्तिकानों के बौद्धिक व्यवसायों और व्यापार द्वारा अपना निर्वाह किया। फिर वह धनी कार्यदाता बना और बेहद मुनाफा खाता रहा और अन्त में वह फिर इतना गिर गया कि उसका पहिले का सारा मुनाफा अब धन संयोजकों (जिनके नामों के प्रभाव से धन मिलता है) और हिस्सेदारों की जेबों में जाने लग गया।

पूँजीवाद में पूँजी का यह तो मध्यमवर्ग पर असर हुआ। अब रहा श्रमिक-वर्ग। इसे हम भूखा वर्ग, जनता, या असंस्कृत जन-समुदाय कुर्छ भी कहें। इन लोगों को अपने जीवन-निर्वाह के लिए अपने आप को किराये पर उठाना पड़ता है या कहना चाहिए कि वे अपना श्रम बेचकर अपना निर्वाह करते हैं। अपने श्रम के लिए यदि उनको अधिक मजदूरी मिले तो उनकी हालत अच्छी होगी और यदि कम मिले तो खराब होगी। कुछ न मिले तो वे भूखे मरेगें; किन्तु इंग्लैण्ड जैसे देशों में उन्हें बेकारवृत्ति मिल आयगी।

जहाँ श्रमिकों को अपना श्रम बेचते समय यह खयाल रहता है कि वे कम-से-कम इतना श्रम करें कि उनके श्रम खरीदनेवाले मालिकों को आपत्ति न हो और उसके बदले में उनमें अधिक-से-अधिक पैसा लें, वहाँ उनके कार्यदाता मालिकों को मग्न यह खयाल रहता है कि कम-से-कम पैसा देकर अधिक-से-अधिक श्रम प्राप्त किया जाय। चरम सीमा की सामाजिक बुराइयों का जन्म इसी से होता है। श्रम खरीदने वाले मालिक वही श्रम खरीदते हैं जो मस्ता होता है। उन्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि उसे बचचें करते हैं या स्त्रियों या पुरुष और उससे उनके स्वास्थ्य और सदाचार पर क्या असर होता है। वे इन बातों की तर्भा चिन्ता करते हैं जब इनसे उनके मुनाफों में कमी आती हो।

लन्दन की ड्रामों के प्रबन्धकों को जब ड्रामा में घोंडे जोते जाते थे तब यह तय करना था कि वे अपनी ड्रामा को खोचनेवाले घोंडों के साथ किस तरह का बर्ताव करें कि उनसे अधिक-से-अधिक रुपया कमाया जा सके। उन्होंने हिसाब लगाया कि घोंडों को अच्छा खिला-पिला कर और उनसे कम काम लेकर १८, २० साल या ड्यूक और बेलिंगटन के घोंडे की भांति ४० साल तक जिन्दा रखने के बजाय उन्हें ४ साल में बेकार कर देना अधिक लाभप्रद होगा। अमेरिका के गारे खेतिहरों ने अपने हब्शी गुलामों को ७ साल में बेकार कर देने में अधिक-से-अधिक लाभ समझा था और इसलिए उन्होंने अपने प्रबन्धकों को हब्शी गुलामों के साथ तदनुसार व्यवहार करने की आशा दी थी। उनको मार डालने में उन्हें नये घोंडों और गुलामों की भारी कीमत देनी होती थी; मितु बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को उनके कार्यदाता मामूली मजदूरियों पर कड़े-मे-कड़े कामों में लगा सकते हैं और जल्दी मार सकते हैं। इसके अनिश्चित यदि उनके पास काम न हो तो उन्हें घोंडों और गुलामों की तरह उनको खिलाने की भी आवश्यकता नहीं। वे उन्हें हफ्तों के हिसाब से काम पर लगा सकते हैं और जब काम न हो तो चाहें वे भूखों मरे चाहे कुछ और करें उन्हें छुट्टी दे सकते हैं। पूँजीवाद के मध्याह्न में, जब यह प्रणाली जोरों पर थी, छोटे-छोटे बालक चाबुको के जोर से काम लेकर



मार डाले जाते थे। लोग कहने लग गए थे कि ये कार्यदाता एक पीढ़ी के स्थान में नौ पीढ़ियों का खात्मा कर रहे हैं। खानों में स्त्रियों से पतनकारी परिस्थितियों के बीच काम कराया जाता था।

इसके बाद कुछ फैक्टरी-कानून बनाये गये जिनमें खानों और दूसरे उद्योगों का नियमन भी शामिल था। मालिकों ने पहिले तो उनके खिलाफ शोर मचाया कि ये कानून कारखानों को तबाह कर देंगे; किन्तु पीछे उन्होंने अधिक अच्छी व्यवस्था करके अधिक सख्या में और अच्छे यन्त्रों का उपयोग करके तथा काम जल्दी कराके पहिले से अधिक मुनाफा कमाया। शुरू-शुरू में तो मजदूरों ने भी इन कानूनों का विरोध किया था। कारण, उनसे व्यावसायिक कामों के सर्वथा अयोग्य छोटे-छोटे बालकों से अतिभ्रम कराना निषिद्ध हो जाता था, जिनकी आय श्रमिकों की मजदूरों के साथ मिल कर कुटुम्ब का गुजर चलाने में मदद देती थी। श्रमिकों ने यह अल्प मजदूरों स्वयं स्वीकार न की थी। पूँजीवाद के प्रभाव में मजदूरों की बर्दी हुई सख्याने उन्हें अल्प मजदूरी स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। पहिले उन्होंने बच्चों की छोटी आय क मिला कर इसकी कमी पूरा की, किन्तु पीछे उनके बच्चों की छोटी आयों को उनकी मजदूरियों को कम करने में व्यवहार किया गया।

स्त्रियों पर पूँजीवादी पद्धति का पुरुषों की अपेक्षा और भी खराब असर पड़ा है। यदि कारखानेदारों को उतनी ही मजदूरियों पर पुरुष मिलते तो वे स्त्रियों को न रखते। इसी कारण उनको पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी स्वीकार करनी पड़ी। दूसरे अविवाहित स्त्रियों पुरुषों से कम भी ले सकती थी, क्योंकि उनके ऊपर पुरुषों की तरह किन्हीं के पालन-पोषण का भार न होता था। इस प्रकार सामान्य नियम यह बन गया कि स्त्रियों को पुरुषों से कम दिया जाय। यदि कभी किन्हीं स्त्रियों ने समान काम के लिए समान मजदूरी की माँग की तो उन्हें जवाब दिया गया कि 'यदि तुम कम मजदूरी न लोगी तो बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो तुम्हारी जगह कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जायगी।'

या यह कि 'यदि मुझे तुमको पुरुषों के समान मजदूरी देनी पड़े तो मैं अपने काम के लिए पुरुष ही रख लूँगा।'

ऐसी बड़ी लड़कियाँ भी बहुत-सी थीं जो रहती तो थीं अपने पिताओं के साथ और पाँच शिलिंग प्रति सप्ताह पर काम करने चली जाती थीं कारखानों में। इस प्रकार जिन मजदूरों की एक बड़ी लड़की हुई उसकी आय में ५ शिलिंग, जिनकी दो हुई उसकी में १० शिलिंग, और जिसकी तीन हुई उसकी में १५ शिलिंग आसानी से जुड़ जाते। इससे वह उन्हें पहिले की अपेक्षा अच्छी तरह से रख सकता था। किन्तु इन शिलिंगों से उन लड़कियों का निर्वाह न हो सकता था। वे अपने खर्च का ३ अपने पिताओं पर डालती थीं। इसका वह अर्थ हुआ कि वे अपने पिताओं की आमदनी में से ३ लेकर उसका फल कारखाने के मालिक को देती थीं। ऐसी स्थिति में अधिक बच्चों वाली विधवा जब अधिक मजदूरी मागतो तो उसे कहा जाता कि 'यदि तुम इतने में काम न करोगी तो तुम्हारे बजाय कितनी ही लड़कियाँ इतने में काम करने को राजी हो जायगा।'

इसके अलावा मजदूरों की बिरों थोड़ी मजदूरी में घरों में थोड़े समय काम करने को राजी हो जाती थीं और वर्षानवृत्ती आधा दिन उस काम में खर्च कर देती थीं। इससे उनकी कौटुम्बिक आमदनी की कमी भर पूरी हो जाती थी; किन्तु इसमें भी दूसरी वन्दरतमन्द स्त्रियों की मजदूरियों में कमी होने में मदद मिली।

इन मजदूर स्त्रियों और लड़कियों के जेब खर्च के लिए काम करने को तैयार हो जाने से स्वतंत्र रूप से पृथक रहने वाली न्नी या विधवा की गिरी हुई मजदूरी में निवाह करना कठिन हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्त्रियों को अपने निर्वाह के लिए, जो मिले उसी से निर्वाह करने को बाध्य होना पड़ता है। यह खराब स्थिति है, किन्तु यह स्थिति इससे भी खराब है कि बिना विवाह किये भी कोई स्त्री अपने स्वाभिमान को छोड़कर किसी पुरुष की मजदूरी पर निर्वाह करती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को कहे कि मैं तुम्हें अपनी वैध पत्नी के रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता; किन्तु यदि तुम इतनी धन-राशि या

अमुक चीज के एवज में मुझमें अनुचित सम्बन्ध कर लो तो उसे सदा 'ना' नहीं सुननी पड़ेगी। यदि सदाचार का दण्ड क्षुधा और दुराचार का उपहार क्षुधा की निवृत्ति हो तो यह पतन के गड्ढे में उसे खींच ले जाने के लिए काफी मजबूत प्रलोभन है।

पूँजीवादी पद्धति में अनुचित सम्बन्ध प्रोत्साहन पाते हैं। यदि इंग्लैण्ड में किसी अविवाहित स्त्री के बच्चा पैदा हो तो उसके पिता को बच्चे की परवरिश के लिए १६ माल की उम्र तक ७॥ शिलिंग प्रति सप्ताह कानूनन देने चाहिए। इस बीच बच्चा माँ के अधिकार में ही रहता है (यदि वे दोनों विवाहित होते तो बच्चा पिता के अधिकार में होता)। माता को पिता की घर-गृहस्थी चलाने की भी कोई चिन्ता नहीं रहती। इसका परिणाम यह होता है कि यदि वह स्त्री दूरदर्शी, मायधान और कामुक हो तो वह ५-५ अवैध बच्चे पैदा करके ३७॥ शिलिंग प्रति सप्ताह अपनी साप्ताहिक मजदूरी के अनिश्चित निश्चितरूप से पा सकती है और ५ वैध बच्चों वाली विधवा की अपेक्षा जो अपने श्रम से गुजर करती है, सुखी रह सकती है।

कुछ व्यवसायों में स्त्रियाँ के लिए वेश्यावृत्ति अनिवार्य है, क्योंकि उनमें मजदूरी कम दी जाती है। जब वे यह कहती हैं कि इतने में तो हमारा गुजर न होगा तो उन्हें कहा जाता है कि जब दूसरी स्त्रियों का गुजर हो जाता है तो तुम्हारा क्यों न होगा? ऐसी स्थिति में वे या तो वेश्यावृत्ति स्वीकार कर या भूखी मरे। पूँजीवाद उनकी चिन्ता नहीं करता। यह पूँजीवाद का स्त्रियों पर अत्याचार है।

पूँजीवादी पुरुषों को यह नहीं कह सकते कि यदि तुम्हारी मजदूरी में तुम्हारा गुजर नहीं होता तो अपने शरीरों को बाजारों में बेचो। जब पुरुष इस माल का व्यापार करते हैं तो वे विक्रेता की नहीं खरीददार की हैसियत में होते हैं। वे तो स्त्रियाँ हैं जो पूँजीवादी प्रणाली की चरम-मीमांशों के कष्ट सहन करती हैं। उन्हें अपने शरीरों को बेचना होता है। लोग पश्चिमी देशों में दुकानों पर, नाटकघरों में, होटलों में, विधानसभों में सुन्दर स्त्रियों को रख कर उनकी वेश्यावृत्ति से अनुचित लाभ उठाते

हैं। वे प्रायः इतना कम वेतन देते हैं जितने में उनकी सजायत होनी भी मुश्किल होती है। वे जब उनसे उसकी शिकायत करती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि 'यदि तुम इतने में राजी नही हो तो तुम्हारी कितनी ही दूसरी बहने इतने में राजी हो जायगी। यह क्या कम है कि हम तुम्हें ३० शिलिंग साप्ताहिक देते हैं और तुम्हारे सौन्दर्य का रगमच पर या सजे हुए होटलों में सुन्दरता के साथ प्रदर्शन कर देते हैं ?'

: ५ :

## पूँजी और श्रम का संघर्ष

हमने यह देखा कि इंग्लैण्ड में पहिले अकेले व्यक्ति से जब कहा जाता कि यदि वह नियत मजदूरी पर काम नहीं कर सकता है तो उसके बजाय उसके दूसरे कितने ही भाई उसे करने वाले आजायेंगे, तो वह अपने मालिकों के खिलाफ कुछ न कर सकता संघर्ष का विकास था। वह तब योग्य मजदूरी और योग्य काम नहीं पा सकता था। योग्य मजदूरी और योग्य काम पाने के लिए उसे अन्य मजदूरों के साथ मिल कर किमी-न-किसी प्रकार का संघठन बना कर प्रभावकारक ढङ्ग से मालिकों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता थी। कई व्यवसायों में यह बात असम्भव थी। कारण, उनमें काम करने वाले मजदूर एक-दूसरे को जानने न थे और एक स्थान पर इकट्ठे होकर सामूहिक कार्यवाही करने के लिए महमत ढाने के उनके पास साधन नहीं थे। उदाहरण के लिए घरेलू-नौकर अपना सघ नहीं स्थापित कर सकते थे। वे देश भर में काम करते थे और व्यक्तिगत रमोई-घरों में प्रायः कैद-से रहते थे। वे अकेले या दो-दो तीन-तीन के समूहों में काम करते थे। अत्यधिक धनिकों के घरों में उनकी सख्या तीस या चालीस तक भी पहुँच जाती थी। इसी प्रकार खेतों में काम करने वाले मजदूर एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर काम करने के कारण कठिनता से उगठित किये जा सकते थे और उनके संघठन को अधिक समय तक बनाये रखना तो और भी कठिन था। कारखानों, खानों और रेलों के मजदूरों के

अलावा प्रायः अन्य सभी प्रकार के धन्धों में काम करने वाले मजदूरों के संगठन के सम्बन्ध में कम या अधिक यही बात कही जा सकती है।

कुछ व्यवसायों में वेतन और समाजिक स्थिति की भिन्नता के कारण उनमें काम करने वाले मजदूरों का संगठन कठिन होता है। रंग-मंच पर हैमलेट का अभिनय करने वाला अभिनेता कोई पदवीधारी अत्यन्त सम्पन्न पुरुष हो सकता है और पोरिया का अभिनय करने वाली अभिनेत्री कोई अत्यन्त उच्च धराने की पदवीधारी महिला हो सकती है। उन्हें सैकड़ों गिन्नियाँ प्रति सप्ताह वेतन के रूप में मिल सकती हैं। उनके साथ ऐसे लोग भी अभिनय करते हैं जो यदि एक भी शब्द मुँह से निकाल दे तो वे अपनी बोली से तुरन्त पहिचान लिए जायँ कि वे दरबारी पोशाक पहिने हुए होने पर भी दरबारी लाग नहीं हैं। उनको पर्दा गिराने वाले मामूली नौकरों के बराबर भी वेतन नहीं दिया जाता। यह भी हो सकता है कि किसी बुनकर या किसान को हैमलेट का अभिनय करने वाले अभिनेता की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता हो; किन्तु बुनकर या किसान का दैनिक व्यवहार हैमलेट के अभिनेता की अपेक्षा इतना असम्भ्रत होता है कि हैमलेट का अभिनेता बुनकर या किसान के साथ शायद बातचीत और भोजन करना भी पसन्द न करेगा, इस कारण अभिनेताओं का मंच बनाना कठिन है। मंच उन्हीं व्यवसायों में संगठित किये जा सकते हैं जिनमें लोग बड़े-बड़े समूहों में साथ-साथ काम करते हों, एक ही पदोम में रहते हों, एक ही सामाजिक श्रेणी के हों और समान वेतन पाते हों। इंग्लैण्ड में कोयले की खानों के खनिकों ने, लकाशायर के कपड़े के कारखानों के बुनकरों ने, मिडलैण्ड के लोहे के कारखानों में लोहा पिघलाने और ढालने वालों ने सर्व प्रथम स्थायी और दृढ़ संघ संगठित किये। राज, खाती आदि इमारती काम करने वाले मजदूर भी मालिकों की ओर से किये जाने वाले असह अनुपाय से क्षुब्ध हो कर संगठित होते और अपनी शिकायतें मालिकों के सामने रखते। इसके बाद अपना काम निबल जाने पर, या शहर जाने पर तबतक के लिए विरतर जाते जबतक कि उन्हें कोई ऐसा ही अवसर आ जाने पर पुनः

संगठित होने की जरूरत न होती। किन्तु जब वे बेकारी से सरस्राख पाने के लिए ब्रोमा-कोष बनाने लगे तो उन्हें अपने संगठन को स्थायी-रूप देना पडा। इस प्रकार ये संघ क्षणिक उपद्रवों से आजकल के जैसे दृढ व्यवसाय-संघों में परिणत हो गए।

अब श्रमजीवी-संघों की उपयोगिता पर विचार किया जाता है। यदि व्यवसाय-संघों का पर्याप्त संगठन हा जाय तो वे श्रमिकों को मालिकों के आगे खडा हाने के योग्य बना देते हैं। उनके मालिक उन्हें व्यवसायों से निकल जाने की धमकी नहीं दे सकते। यदि किसी शहर के सभी ईंट जमाने वाले अपना संघ बनाले और प्रति सप्ताह थोड़ा-थोड़ा चन्दा उसमें देकर जरूरत के वक्त के लिए एक कोष जमा करले ता मालिकों द्वारा मजदूरियाँ घटाई जाने पर वे काम छोड़ कर उस कोष पर अपना निर्वाह कर सकते हैं और रूप के परिमाणानुसार मालिकों के काम को हस्तों या महीनों बिल्कुल बन्द कर सकते हैं। इसको हडताल कहते हैं। मजदूरियाँ घटाने पर आपत्ति स्वरूप ही नहीं, मजदूरियाँ बढ़वाने, काम के घन्टे कम करवाने या और किसी बात के लिए माँ, जिसके सम्बन्ध में मजदूरों और मालिकों में शान्तिपूर्वक समझौता न हो सके, हडताल का आसक्ति है। हडतालों की सफलता या असफलता मालिकों के व्यवसायों की स्थिति पर निर्भर होती है। यदि मालिक चाहें तो कोष की समाप्ति पर हडतालियों के झुकने तक हडताल को बर्दाश्त कर सकते हैं, किन्तु यदि व्यापार उन्नति कर रहा हो और उन्हें लाभ अधिक हो रहा हो तो वे मजदूरों की भांगे जल्दी स्थाकार कर लें।

ऐसे अक्सर भी आते हैं जब व्यापार सुस्त हो जाता है और मालिक यह अनुभव करते हैं कि यदि उनके व्यवसाय कुछ समय तक बन्द भी रहें तो अधिक हानि नहीं होगी। ऐसे समय वे मजदूरों की मजदूरियाँ घटा देते हैं और उन घटी हुई मजदूरियों को स्वीकार न करने वाले सभी मजदूरों के लिए अपने कारखानों के दरवाजे बन्द कर देते हैं। यद्यपि गलती में लोग इनको भी हडताल ही कहते हैं; किन्तु इन्हें तालाबन्दी कहना ठीक होगा। व्यावसायिक तेजी से हडतालें और व्यावसायिक

मन्दी से तालेबन्दियाँ होनी हैं और प्रायः दाना ही सफल हो जाती है। यूरोपीय महायुद्ध के बाद पूर्णरूप के कारखानों में भयंकर तेजी और मन्दी के कारण ग़ुन हडतालें और तालेबन्दियाँ हुईं जिन से सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि हडतालें और तालेबन्दियाँ किसी भी देश के लिए हितकर नहीं हैं। एक व्यवस्थित समाज में उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता।

हडतालों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक था कि व्यवसायों में काम करने वाले सभी आदमी व्यावसायिक संघों में शामिल हों। कारण, व्यवसायों के मालिक हडताल तोड़ने के लिए बाहरी मजदूरों में हडताल करने वालों का काम करा सकते थे। जो मजदूर व्यवसाय-संघों के सदस्य न बनकर ऐसे अवसर पर व्यवसायों में काम करने को राजी हो जाते वे स्वार्थी मजदूर-द्रोही आदि नामों से सम्बोधित किये जाते और धृष्टता की दृष्टि से देखे जाते थे। कारखानों के दरवाजों पर मजदूरों के जल्थे मजदूर-द्रोहियों को भीतर जाने से रोकने के लिए नियुक्त किए जाते थे। यदि उनकी रक्षा के लिए वहाँ काफी पुलिस का प्रबन्ध न किया जाता तो वे अपनी रक्षा न कर सकते थे। इंग्लैण्ड के मैन्चेस्टर आदि शहरों के कारखानों में तो अन्त में मजदूर-द्रोहियों का अन्त करने के लिए बम तक रखे जाते थे, जो काम करते समय फट जाते थे और मजदूर-द्रोहियों के टुकड़े टुकड़े उड़ा देते थे। यंत्रों और काम के साधनों को काम करने वालों के लिए ग़तरनाक बना दिया जाता था और कारखानों की चिमनियों को विस्फोटक पदार्थों के लेपन से चूर-चूर कर दिया जाता था। इन कृत्यों को बन्द करने के लिए सरकार ने अपराधियों को दण्ड देने के अनिरीक्त व्यवसायों के मालिकों को इस बात के लिए विवश किया कि मजदूरों को उच्छेदना न दे। उसने उन्हें लकड़ी चीरने के कारखानों में धूल-शोषक यंत्र लगाने के लिए बाध्य किया। लॉहे के कारखानों में भी वैसे ही यंत्र लगाए गए। इन यंत्रों के कारखानों में लगाने से पूर्व उनमें काम करने वाले मजदूरों को धूलभरी घातक हवा में साँस लेनी होती थी जिससे परिणाम-स्वरूप फेफड़े खराब हो जाने से वे घोर कष्ट सहन करते थे।

मजदूर केवल मजदूर-सघों द्वारा निश्चित मजदूरी से कम मजदूरी लेकर ही अपने साथी मजदूरों का अहित न कर सकते थे, वे मजदूर-सघों द्वारा निश्चित कार्य से अधिक कार्य करके भी उन्हें नुकसान पहुँचा सकते थे। इस कारण से सघों ने मजदूरों को यह हिदायत दी थी कि कोई भी मजदूर यदि काम पर रक्खा जाय तो वह निश्चित काम से थोड़ा भी अधिक काम न करे। इसके विरुद्ध मालिक यह करते थे कि वे हर एक आदमी कितना काम करे यह तय करने के लिए किसी तेज-से-तेज और परिश्रमी आदमी को चुनते थे और वह जितना काम करता उतना हर एक मजदूर से कराने की काशिश करते थे।

इस तरह पूँजीवाद मालिकों को मजदूरों से अधिक-से-अधिक काम लेने और मजदूरों को मालिकों के लिए कम से-कम काम करने को विवश करता है, किन्तु मालिकों और मजदूरों के इस संघर्ष के परिणाम-स्वरूप राष्ट्रीय के उद्योग-धन्धे अभी तक नहीं मरे। इसका कारण यह है कि पूँजीवाद ने मानव-स्वभाव पर अभी इतनी विजय नहीं पाई है कि हर एक आदमी सर्वथा व्यावसायिक सिद्धान्तों का ही अनुसरण करने लगे। सभी राष्ट्यों के जन-साधारण मालिकों द्वारा जो कुछ मिल जाता है वह नम्रता और अज्ञता के साथ ले लेते हैं और यथाशक्ति काम करते हैं। हिंदुस्तान के किसानों की तरह कुछ इसे अपने भाग्य का दोष समझते हैं और श्रुतियों की तरह स्वाभाविक भी मानते हैं।

इंग्लैण्ड में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या १ करोड़ ४० लाख थी, जिन में से केवल १५ लाख व्यवसाय-संघों में शामिल थे। इसका यह अर्थ हुआ कि इतने मजदूरों में से केवल १५ लाख मजदूर पूँजीवादी व्यावसायिक सिद्धान्तों के अनुसार अपना श्रम बेचते थे। प्रायः लगभग ४५ लाख मजदूर पूँजीवाद के अनुयायी हो गए हैं और नियमानुसार संघर्ष-तत्पर सघों के सदस्य बन गए हैं। वर्ष में ६००-७०० व्यावसायिक संघर्ष होते हैं। इससे इंग्लैण्ड में कितने दिनों के काम की हानि होती है, यदि इसका हिसाब लगाया जाय तो दिनों की संख्या लाखों पर पहुँचेगी। पूँजीवाद का यह भयंकर



दुष्परिणाम उस देश को भोगना पड़ रहा है। अन्य देशों में भी कम या अधिक ऐसी ही अवस्था है। किन्तु लोग अज्ञान से इसको समाजवाद समझते हैं। मजदूर जब पूँजीपतियों को अपनी पूँजी से, व्यवसायियों को अपने व्यवसायों से और धन-मपोजकों को अपनी धन-संग्रह करने की कला से अनाप-रानाप धन कमाते देखते हैं तो उन्हें भी अपने श्रम में अधिक से-अधिक रुपया कमाने के लिए सघों के रूप में संगठित होने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस सघर्ष का परिणाम यह होगा कि उद्योगों की गति कभी बन्द हो जायगी। अन्त में या तो सम्पत्ति श्रम को अपनी शक्ति से गहरी गुलामी में ढकेल देगी या श्रम विजयी होकर सम्पत्ति का स्वामी बन जायगा।

जब इंग्लैण्ड में पहिले-पहल इस खुले सघर्ष की घांघणा की गई तो मालिकाने श्रमजीवियों को अपराधी के तौर पर दण्डित करने के लिए अपनी पार्लिमेण्टी सत्ता का उपयोग किया। सघों को पड़यंत्रों में गिना गया और उनमें शामिल होने वाले मजदूरों को पड़यंत्रकारियों में। फलतः सघ गुप्त मन्थाओं में परिणत हो गए और उनका नेतृत्व अधिक-द-निश्चयी और कानून की कम उपाह करने वाले लोगों के हाथ में चला

। अन्त में सरकार ने समझ लिया कि दमन से इनकी शक्ति और भी बढ़ती है। कारण, यह केवल थोड़े से लोगों का दण्ड दे पाती जो दण्डित हो कर और भी अधिक मजदूरों की श्रद्धा के पात्र हो जाते। मार्क्सवादी आन्दोलन होने से भी सघवाद को अधिकाधिक उत्तेजन मिलता था।

इसके बाद मालिकों ने अपने हथकड़े आजमाए। उन्होंने सघों के सदस्यों को अपने करारवाना में नौकर रखना अस्वीकार कर दिया; किन्तु यह व्यर्थ सिद्ध हुआ। कारण, सघ-संगठन से बाहर के मजदूर काफी सख्या में न मिलते थे। उन्हें सघों के सदस्यों को ही काम पर रखना पडा; किन्तु सघों के सदस्यों ने दूसरे मजदूरों के साथ काम करने से इन्कार कर दिया। मालिकों ने, मजदूरों के एक प्रतिनिधि के साथ बातचीत न करके उनमें से एक-एक के साथ बातचीत करने की कोशिश

नी श्रे: किन्तु वे इतने मजदूरों से पृथक-पृथक बातचीत करने में असमर्थ थे। अन्त में उन्होंने मधों के मंत्रियों के साथ काम की शर्तें तय करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मधों को मालिकों की स्वीकृति मिली। पॉले उन्हें कानूनी सख्खण भी मिला जो इतना अधिक था जितना दूसरों मामूली सस्थाओं को प्राप्त न था। सत्रों की शक्ति धीरे-धीरे इतनी बढ़ी कि उनके साथ व्यवहार करने के लिए मालिकों को भी अपने सत्र स्थापित करने को मजबूर होना पड़ा।

यद्यपि कुछ लडाइयों मजदूरों को सताने के वाग्य होती हैं, किन्तु प्रायः भगड़े, दिनम हार या जीत अधिक महत्व रखते हैं, मजदूरियों और काम के शर्तों के कारण होते हैं। हमको समझने के लिए हमें यह संबंध का जान लेना आवश्यक है कि मजदूरियाँ दो प्रकार से दी जाती हैं, एक तो समय के हिसाब से और दूसरी काम के हिसाब से। जो मजदूरियाँ समय के हिसाब से दी जाती हैं उनमें मजदूरियों की मासिक, साप्ताहिक या दैनिक दर निश्चित की जाती है। काम चाहे कितना ही कम या अधिक क्यों न हो। और जो मजदूरियाँ काम के हिसाब से दी जाती हैं उनमें काम का परिमाण नियत होता है और उसके लिए नियत मजदूरी मिलती है। यंत्रों के आविष्कार ने पहिले मालिक काम के मुताबिक मजदूरियाँ देने और मजदूर समय के हिसाब से मजदूरियाँ लेना पसन्द करते थे। किन्तु यंत्रों के आविष्कार के बाद स्थिति बदल गई, मालिक जब काम के मुताबिक मजदूरियाँ देते तो वे इस बात का खयाल रखते थे कि मजदूर नियत काम को कार्ण समय में पूरी मेहनत करने पर ही पूरा कर सकें। इस प्रकार वे वास्तव में समय के हिसाब से दी हुई मजदूरियाँ ही होती थी। किन्तु इन मशीनों का उद्योगों में प्रवेश हुआ तो उतने ही समय में काम पहिले की अपेक्षा अधिक होने लगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी नई मशीन पर काम करने वाले मजदूर पहिले से दूना काम कर सकते थे तो वे पहिले कितना वेतन खाया मान या खाया सप्ताह या आधा दिन काम का वह ही कमा सकते थे और बाकी आधे समय में छुट्टी मना सकते थे,

यद्यपि वे अपने जीवन-निर्वाह का माप-दण्ड पहिले जितना ही रख सकते थे। किन्तु मालिक इसे पसन्द न करते थे। वे उनकी आधी मजदूरी काट कर उन्हें पूरे समय काम करने के लिए विवश करते थे अर्थात् वे मशीन का लाभ पूरा का-पूरा स्वयं ही उठाना चाहते थे।

संघर्ष का कारण यही था और अब भी यही कारण होना है। शुरू में तो मजदूरों ने मालिकों को घमकी दी कि यदि वे उनके वेतनों में कमी करेंगे और नई मशीन का लाभ उनको न देंगे तो वे नई मशीन को चलावेंगे ही नहीं। उन्होंने नई मशीनों के कारण दंगे किये और नई मशीनों के परिणाम-स्वरूप हड़तालें और ताले-बन्धियाँ द्रुई। मालिकों के भी सघ बने और उनके तथा व्यवसाय-सघों के मंत्रियों के बीच शान्ति पूर्वक बातचीत होने लगी। बार-बार काम के हिसाब से मजदूरियों निश्चित की जाने लगी और परिणाम-स्वरूप नई मशीनों का लाभ मजदूरों को भी मिलने लगा। किन्तु यह मशीनों के कारण होने वाली आश्चर्यजनक राष्ट्रीय उत्पत्ति को देखते हुए इतना कम है कि मालिकों के लाभ के मुकाबिले में वह नगण्य-ना है।

इंग्लैण्ड के व्यवसाय-सघ रैजी के समय हड़तालों से जो कुछ प्राप्त करते थे, मन्दी के समय तालेबन्धियों से वह छिन जाता था। अतः उनको जल्दी ही यह अनुभव हुआ कि वे जो रियायतें श्रम की विजय प्राप्त करते हैं उन्हें उनको कानून द्वारा स्थायी बना लेना चाहिए। उन्होंने देखा था कि पार्लमैण्ट ने छोटे बच्चों से कारखानों में काम लेना कानूनन बन्द कर दिया था, (यद्यपि उन्होंने दरिद्रता के कारण स्वयं उसका विरोध ही किया था।) इससे उनको यह विश्वास हो गया था कि यदि पार्लमैण्ट चाहे तो व्यावसायिक मजदूरों की दशा उन्नत करने वाले मुधारों को इतना दृढ़ बना दे सकती है कि मालिक लोग उनकी उपेक्षा न कर सकें। वे काम के घटे कम कराना चाहते थे; उन्होंने आठ घंटे का दिन मानने का आन्दोलन करना शुरू किया। शुरू में यह आदर्श असम्भव प्रतीत होता और आज भी उसके प्राप्त होने में बहुत देर दिखाई देती है; किन्तु बच्चों

और तरुणों के लिए दस घंटे का दिन सम्भव और ठीक प्रतीत हुआ। प्रौढ़ पुरुषों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि ऐसे हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह चाहे जितने घंटे काम करे। उनके काम के घंटे नियत करके उनकी स्वतन्त्रता पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। किन्तु कारखानों में से जब स्त्रियों, छोटे बच्चे और तरुण घर चले जाते हैं तो कारखानों के एन्जिन बन्द हो जाते हैं और एन्जिनो के बन्द हो जाने पर प्रौढ़-पुरुषों को भी काम नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार स्त्रियों, बच्चों और तरुणों के काम के घंटे कानून द्वारा कम होने पर पुरुषों के काम के घंटे भी कानून द्वारा कम हो गए।

यद्यपि उस समय पार्लमैण्ट में मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं थे, फिर भी पार्लमैण्ट से इस प्रकार के लोकहितकारी कानून उन्होंने किस प्रकार बनवा लिये? उस समय पार्लमैण्ट में भूस्वामियों, पूँजीपतियों और कारखानेदारों की ही भरमार थी। उन्होंने ये कानून मजदूरों की हित-भावना से प्रेरित होकर नहीं बन जाने दिये थे। उस समय इंग्लैण्ड में भूस्वामी कारखानेदारों को तुच्छ व्ययसायी कह कर घृणा की दृष्टि से देखने थे और कारखानेदार उनके विशेषाधिकारों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। उन्होंने इंग्लैण्ड के बादशाह और अमीर, उमराओं को फ्रांस की मन् १७८६ की जैमी क्रान्ति की धमकी देकर सन् १८३० में राज-मुधार कानून बनवा लिया और पार्लमैण्ट का नियंत्रण वशानुगत भूस्वामियों के हाथों से छीन कर अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने उनके जुल्मों का गूँथ भड़ापोड किया। उन्होंने बताया कि भूस्वामियों ने किस प्रकार भेड़ों और हिरनों के लिए जगह कराने के लिए पूरी आत्रादियों को देश से निजाल दिया, किस क्रूरता के साथ उन्होंने शिकार के कानूनों पर अमल किया जिनके अनुसार थोड़े से नरगोशों या पत्तियों की चोरी करने के अपराध में लोगों को निकृष्ट अपराधियों के साथ रहने के लिये भेज दिया जाता था, उनकी जागारों में मजदूरों की जैमी नरात्र हालत थी। उन्हें वे किन्ती थोड़ी मजदूरियाँ देते थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी जागीरों में चर्च आब इंग्लैण्ड के सिवा अन्य मत के ईसाइयों को, जो धर्मादम्बर-

विरोधी थे, सताया और उन्हें धर्मस्नान नहीं बनाने दिया। इस प्रकार के लोक-आन्दोलन से उन्होंने भूस्वामियों के प्रति जनता में इतना रोष उत्पन्न कर दिया था कि वे सुधार-कानून का विरोध करने में असफल रहे।

किन्तु भूस्वामी अपनी इस पराजय को शिर झुका कर सह लेने के लिए तैयार न थे। उन्होंने लार्ड शेफ्ट्सवरी के कैबिनेटरी कानूनों के लिए गुरु किये गए आन्दोलन का समर्थन करके कारखानेदारों से इसका बदला लिया। उन्होंने जतलाया कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अमेरिका और वेस्ट इंडीज के रेतों में काम करने वाले गुलामों से भी बदतर हालत है, खराब-से-खराब भूस्वामियों की खराब-से खराब भूमिपट्टियों में कारखाने वाले कस्बों के मजदूरों के संकीर्ण धरो की अपेक्षा ताजा हवा तो मिलती है। यदि कारखानेदार इस बात की पर्वाह नहीं करते कि उनके कारखानों में काम करने वाले सनातनी ईसाई हैं या सुधारक, तो वे इस बात की पर्वाह भी नहीं करते कि वे सुधारक हैं या नास्तिक। कारण, उनका शैतान के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। वे व्यवसायसभ-पाटियों को कैद करवा कर अपनी शक्तिभर उन-उत्पीड़न करते हैं और यह कि किसानों और भूस्वामियों के बीच जो व्यक्तिगत और बहुधा दयापूर्ण सम्बन्ध रहते हैं, भूस्वामियों के यहाँ गृह-काय करने वाली स्त्रियों को शिष्टाचार और सदृष्टस्वी की परम्पराओं का जो शिक्षण मिलता है, विशाल जागीरों में वृद्धा और बीमारों के प्रति जो कोमल व्यवहार होता है, वह सब खानों और कारखानों की बस्तियों में पाई जाने वाली गन्दगी और दीनता, निर्दयता और पागलपन, व्यभिचारोत्तेजक अत्यावास और गन्दगी से उत्पन्न होने वाले रोग प्रकोपों के बीच गायब हो जाता है।

यद्यपि यह सब विलकुल सही था; किन्तु यह तो बड़ी बात हुई कि तपेली कैबिनेट को अपने से अधिक काली कड़े। कारण, उसके बाद न कभी भूस्वामियों ने मुनाफे का वह धरा लेने से इन्कार किया जो कारखानेदार खानों और कारखानों में उनके लिए पैदा करते थे, न उन्होंने अपनी लकाशयर की भूमि में कारखाने और मजदूरों के आवास बनाने

में बाधा ही डाली और न कारखानेदारों ने कारखानों से मजदूरी पैदा कर लेने के बाद देहातों में भूमि खरीद कर भू-स्वामी बनने में ही सकोच किया। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमिस्वामियों और कारखानेदारों में अधिकार-प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुआ, उसके फलस्वरूप मजदूर दिनगारी कानून बन पाये। यह सब उस समय हुआ जब पार्लमैण्ट में श्रमजीवियों को व्यापक मताधिकार प्राप्त न था।

इंग्लैण्ड की पार्लमैण्ट में भूमिस्वामियों ने अनुदार दल कायम किया और कारखानेदारों ने उदार दल। दोनों दल एक दूसरे के मुकाबिले में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इसलिए तीसरे पक्ष प्रथमतः मजदूर दल को बन आई। उदार दल वाले अपने-आप को सुधानवादी ख्याल करते थे, क्योंकि उन्होंने ही वाटशाह से शासन-सुधारों की योजना मंजूर करवाई थी। उन्होंने यह समझा कि मजदूरों का समर्थन उन्हीं को मिलेगा, इसलिए उन्होंने मजदूरों को मताधिकार दिये जाने का प्रभाव किया। पहले तो अनुदार दल ने इसका विरोध किया, किन्तु अपने नेता बैजमिन डिस्राइली के समझाने पर वह चुप हो गया। इस प्रकार मजदूरों को कुछ मताधिकार मिला और उसके द्वारा उन्होंने और भी अधिक मताधिकार पाने की कोशिश की। फल-स्वरूप सभी को मताधिकार प्राप्त हो गया और स्त्रियों भी उसमें वंचित न रही। अवश्य ही स्त्रियों को इसके लिए उग्र आन्दोलन करना पड़ा। गत महायुद्ध के समय उन्होंने देश का काम इस खूबी के साथ किया कि उनका अधिकार परवम स्वीकार कर लिया गया।

इसके बाद जो श्रमजीवी मतदाना गुरु में अनुदार और उदार दल के उम्मीदवारों के बीच किमी एक का पलड़ा भारी कर दे सकते थे, वे अब स्वयं अपने ही उम्मीदवार चुनने लगे। किन्तु प्रारम्भ में उन्होंने डरने-डरने अपने सिर्फ दर्जन भर उम्मीदवार पार्लमैण्ट में भेजे, किन्तु उदार दल के साथ मिल कर काम किया। इस क्रम में कार्ल मार्क्स और अमेरिका के हेनरी जार्ज के विचारों का प्रचार बढ़ रहा था और महाजनाद संस्थाओं का जन्म होने लगा था। इन संस्थाओं

ने श्रमजीवियों में वर्गगत भावना पैदा की और उदार दल से उनका सम्बन्ध छुड़वा दिया। मन्दाताओं को अब यह मिलाया गया कि मजदूरों की दृष्टि से अनुदार और उदार दोनों ही दल गये-बीते हैं। कारण दोनों के हित मजदूरों के हितों से मेल नहीं खाने। वास्तव में असंली दल दो हैं। एक और पूँजीवादियों का दल है और दूसरी और श्रमजीवियों का। इन दोनों दलों में देश की जमीन और पूँजी पर अर्थात् उत्पत्ति के साधनों पर प्रभुत्व पाने के लिए वर्गगत आधार पर संघर्ष हो रहा है, जिसने कि आज समाज को दिला दिया है।

समाजवाद शुरू में मध्यवर्ग का आन्दोलन था। पूँजीवाद के अन्यायो और अत्याचारों के विरुद्ध शिक्षित स्त्री-पुरुषों के दिलों में विद्रोह की भावना जगी और उन्होंने समाजवादी आन्दोलन को जन्म दिया। किन्तु वे श्रमजीवी जीवन से पूरी तरह परिचित न थे। इसलिए उनका आदर्शवाद अधिक कारगर साबित नहीं हुआ। अन्त में सन् १८८०-९० में समाजवादियों की फेडियन सभ्या ने समाजवाद को पार्लमैण्ट के कानूनों द्वारा श्रमली रूप देने की कोशिश की। सिडनी वेब इस सभ्या के नेता थे। उन्होंने श्रमजीवी संगठनों का इतिहास लिखा और यह बताया कि उनकी नींव पर ही समाजवाद की इमारत खड़ी की जा सकती है। फेडियन सभ्या ने उदार और अनुदार दोनों दलों का विरोध किया और पार्लमैण्ट में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की जो आगे चलकर मजदूर दल में बदल गया। इस दल को व्यवसाय-मणों और समाजवादी सस्थाओं का सहयोग मिला और इसकी शक्ति धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि अन्त में सन् १९२३ में मि० मैकडोनल्ड के नेतृत्व में मजदूर सरकार कायम हो गई।

पहले ही सरकारों की अपेक्षा यह सरकार अधिक योग्य साबित हुई। कारण, इसके सदस्यों ने अपनी योग्यता द्वारा ही उन्नति की थी और वे अपने विरोधियों की अपेक्षा अधिक शिक्षित और अनुभवी थे। उदार और अनुदार दलों को यह आशा न थी कि मजदूर सरकार सफल हो सकेगी। इसलिए जब परिणाम उनकी आशाओं के विपरीत आया तो वे

बड़े विवर्त हुए और मजदूर सरकार को गिराने के लिए आपस में मिल बैठे। उन्होंने मजदूर सरकार के विरुद्ध यह झूठा आरोप लगाया कि उसका रुम की उन्मत्तवादी सरकार से सम्बन्ध है और इस प्रकार जनमत के भङ्गवाने की कोशिश की। इस समय पार्लमैण्ट का जा चुनाव हुआ, उसका नतीजा यह निकला कि मजदूर-दल तो अपनी स्थिति बनाये रहा, किन्तु उदार दल कहीं का न रहा। किन्तु सरकार अनुदार दल वालों के हाथ में चली गई। इसके बाद एकवार और मजदूर सरकार स्थापित हुई, किन्तु आर्थिक मन्दी और संसार-व्यापी युद्ध के बढ़ते हुए डर के कारण वह अधिक न टिक पाई। साथ ही मजदूर दल में फूट भ फैल गई। मि० मेकडोनल्ट मजदूर-दल से अलग हो गये और उन्होंने सम्मिलित अर्थात् सभी दलों की सरकार बनाने में सहयोग दिया। इस कारण, यद्यपि मजदूर-दल का बल कम हो गया है, किन्तु वह आज भी पार्लमैण्ट में सिरोधी दल के रूप में मौजूद है और अपने अस्तित्व का समय-समय पर परिचय देता रहता है।

अब सवाल यह है कि राष्ट्र की जमीन, पूँजी और उद्योग पर राष्ट्र का स्वामित्व और नियंत्रण हो अथवा मुट्ठी भर निजी आदमी उनका मनमाना उपयोग करते रहें ? यह निश्चय है कि जबतक जमीन, पूँजी और उद्योगों का नियंत्रण सरकार के हाथ में न हो, तबतक श्रम का भविष्य वह पैदावार का अथवा श्रम का समान-विभाजन नहीं कर सकती है। दूसरा सवाल यह है कि जबतक पूँजीवाद कायम रहता है तबतक प्रभुत्व किमका रहे, धनिक का या श्रमिक का ? मजदूर दल में जो लोग व्यवसाय-संघों के तरीकों को मानते हैं, वे उद्योग-घन्धों में इस शर्त पर पूँजीवादी तरीका जारी रहने दे सकते हैं कि मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा मजदूर को मिल जाया करे। आज को अपेक्षा उन देशों में पूँजीवाद को कायम रखना ज्यादा आसान होगा। हर एक देश में श्रमजीवियों की संख्या ही अधिक होती है, अतः इस व्यवस्था के अधीन ज्यादातर आदमियों को सन्तुष्ट रक्खा जा सकेगा। बिना सरकार का अधिकतर मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो, यह



भुस्वामियों और पूँजीपतियों से आय-कर और अतिरिक्त आय-कर आसानी से वसूल कर सकती है। वह पैतृक सम्पत्ति पर बेहिसाब कर लगाकर, कारखानों के कानून बना कर मजदूरियों निश्चित करने के लिए समितियाँ और कीमते स्थिर करने के लिए कमीशन नियुक्त करके तथा जिन व्यवसायों में मजदूरियों कम हों, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए आयकर का उपयोग करके राष्ट्रीय आय को इस प्रकार विभाजित कर सकती है कि आजकल के धनी कगाल और मजदूर धनी हो जायें। जब पार्लामेंट की लगाम सम्पत्तिवानों के हाथ में थी, तब उन्होंने मजदूरों से अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की कोशिश की। अब यदि आय का समान रूप से बाँटने का सिद्धान्त स्वीकार न किया गया तो मजदूर-वर्ग सम्पत्तिवानों से अधिक-से-अधिक रूपसा छीनने की कोशिश क्यों न करेगा ? आज तो पूँजीपति समाजवाद से रक्षा पाने के लिए व्यवसाय-सघो की आड़ ले रहे हैं, किन्तु वह समय आ रहा है जब पूँजीवादियों को मजदूर-पूँजीपतियों से रक्षा पाने के लिए समाजवाद की पुकार मचानी पड़ेगी।

: ६ :

## पूँजीवाद में निजी पूँजी

अबतक हमने सामूहिक रूप में पूँजीवाद का विचार किया। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि अपनी खुद की थोड़ी पूँजी रखने वालों पर व्यक्तिगत पूँजीवाद का क्या असर होता है। मान लीजिए कि आपने अपनी आमदनी में से कुछ रुपया बचा लिया और आप उस रुपये को पूँजी के तौर पर काम में लाना चाहते हैं, ताकि आपकी आमदनी में थोड़ी वृद्धि हो सके। आप उस रुपये से कपड़े मीने की मशीन खरीद लेते हैं और उसकी नहायता से अपनी आमदनी बढ़ा लेते हैं। लोग कहेंगे कि यह मशीन ही आपकी पूँजी है। किन्तु असल में पूँजी तो वह रुपया था जो मशीन खरीदने के लिए बचाया गया था और

चूँकि वह रुपया मशीन बनाने वाले मजदूरों को पहले ही दिया जा चुका, अतः वह रुपया रहा ही कहाँ ? अब तो सिर्फ मशीन आपके हाथ में है जो बराबर धिमती जायगी और अग्रीर में उसकी कीमत पुराने लोहे के बराबर रह जायगी। यदि आगे चलकर आपको मशीन की जरूरत न रह जाय तो आप इसको बेच सकते हैं, किन्तु दूसरे लोग भी यदि अपनी-अपनी मशीनें बेच डालने की फिरक में हों तो आपको मुश्किल पड़ जायगी।

काई भी सोदा करने के लिए हमेशा दो पक्षों की जरूरत होती है, किन्तु दोनों पक्षों को अलग-अलग चीजों की जरूरत होना चाहिए। यदि दोनों पक्षों को एक ही चीज की जरूरत हो तो सोदा नष्ट हो सकता है। यदि आप के पास सो रुपया बचा हुआ है, तो आप यह रुपया उस आदमी को दे सकते हैं जिसको अपना कारबार जमाने के लिए सो रुपये की जरूरत हो। आप उसको सो रुपया दीजिए और वह अपनी आमदनी में से ६ रुपया वार्षिक आपको दे दिया करेगा। लोग समझेंगे कि आपने सो रुपये किसी कारबार में लगा दिये, जिसका मूल्य सो रुपया ही रहेगा और इस प्रकार आपने देश की पूँजी में सो रुपये की वृद्धि की। दूसरी तरफ यह कहा जायगा कि उस आदमी को, जिसे आपने रुपया दिया, पूँजी मिल गई। किन्तु इस लेन-देन का असली मतलब इतना ही होगा कि आपने अपने सो रुपये खर्च-पका जाने के लिए दूसरे आदमी को दे दिये और आपको यह अधिकार मिल गया कि देश को आप में से आप प्रति वर्ष बिना कोई काम किये छः रुपये ले लिया करें। अतः न तो हम मशीन को पूँजी मानकर चल सकते हैं और न उन रुपये को, जो छः रुपया सैकड़ा के हिसाब से प्राप्त होता है। यदि कोई सरकार इस तरह की पूँजी को पूँजी मानकर कर लगाने की कोशिश करे तो उसे निराशा ही होना पड़ेगा। कारण, वह कर कभी बसूल न हो सकेगा।

जो पूँजी हम लगा चुकते हैं या खर्च कर चुकते हैं, वह पूँजी पूँजी नहीं रहती है, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि रोटी खाई न जाय

और पेट भर जाए। जमीन जायदाद आदि से हम व्यक्तिशः समय पर लाभ उठा सकते हैं, क्यों कि हम उसको बेच सकते हैं। किन्तु यदि हम उम भर कर लगा कर सार्वजनिक लाभ उठाना चाहें तो हम सफल नहीं हो सकते। उस हालत में सभी को अपनी-अपनी जायदादों को बेचने की जरूरत पैदा हो जायगी और उनका भिकना मुश्किल हो जायगा। रेलों, कारखानों आदि में जो कगोड़ों रुपया लग चुका है, वह हिमात्र की पोथियों में भले ही दर्ज रहे, किन्तु हम उसे बसूल नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी देश तो निर्धन ही रहेगा।

पूँजीवादी समाज में कपड़े-बाजार की तरह रुपया-बाजार का भी अस्तित्व होता है। इस बाजार में रुपये की खरीद-फरोख्त होती है और तेजा-मन्दी का हमेशा जोर रहता है। इस बाजार के खिलाड़ी कभी बहुत प्रसन्न और कभी बहुत खिन्न नजर आते हैं। इसके तरीका को समझना बग मुश्किल होता है। यहाँ परोपकार जैसी चीज के लिए कोई स्थान नहीं बना। जब हम रुपया उधार लेते हैं तो हमको उसके बदले कुछ अतिरिक्त रकम और चुकानी पड़ती है। माधारण भाषा में इसी को सूद कहते हैं। यदि हम अपना बचा हुआ रुपया दूसरे के पास जमा कराते हैं और उसके बदले में कुछ रकम भी मचने करते हैं तो इसको अर्थ-शास्त्री अप्रत्यक्ष सूद कहेंगे। किन्तु यदि हम अपना बचा हुआ रुपया दूसरे को उधार देते हैं और उसके बदले में कुछ रकम बसूल करते हैं तो यह प्रत्यक्ष सूद कहा जायगा। आजकल रुपया लेने में कुछ मिलता नहीं, उल्टा देना ही पड़ता है। इसका कारण यह है कि समाज में आय का समान बंटवारा न होने के कारण ऐसे लोग बहुत कम हैं जो रुपया उधार दे सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोगों की बहुतायत है जो रुपया उधार लेने और उसका अच्छा मुद्राबिजा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किन्तु यदि हमारे समाज में गरीबों के बनाय धनिकों की सख्या अधिक होजाय तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो सकती है। उस हालत में बैंक हमारा बचा हुआ रुपया जमा रखने के

लिए बहुत ऊँची कीमत वसूल करेगा। किन्तु जबतक पूँजीवाद है तब-तक यह स्थिति पैदा नही हो सकती।

रुपया-बाजार में बचे हुए रुपये के बदले वार्षिक आयदैनियों खरीदी जाती हैं। सौ रुपये के बदले कितनी वार्षिक आय खरीदी जा सकती है, यह हम बात पर निर्भर करेगा कि बाजार में कितना रुपया मौजूद है और उसका लेने वाला की संख्या कितनी है। सुरक्षितता और परिस्थितियों के अनुसार कभी वह तीन रुपया सैकड़ा, कभी छः रुपया सैकड़ा और कभी नौ रुपया सैकड़ा भी हो सकती है। किन्तु गरीब लोगों की रुपया-बाजार में गुजर नहीं होती। वे निजी व्यक्तियों से रुपया उधार लेते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत अधिक रकम बतौर मूद के देनी पड़ती है। बैंक की रुपया उधार देने की दर छः रुपया सैकड़ा होने पर भी उनको वहाँ से रुपया नहीं मिल सकता। उन्हें ३७। फी सैकड़ा अथवा कभी-कभी ७५ फी सैकड़ा तक मूद देना पड़ता है। इसका वजह यह है कि गरीबों से रुपया वापस मिलने की उतनी निश्चिन्तता नहीं होती। बैंक से तो सरकार, कारखानेदार और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आसानी से रुपया ले सकती हैं, क्योंकि उनका रुपया डूबने की आशका नहीं होती। फिर बैंकों को दस-दस बीस-बीस रुपयों पर मासिक सूट उगाहने के बजाय हजारों और लाखों रुपयों पर छुमाही या वार्षिक सूट वसूल करने में कम खर्च और सुविधा होती है, इसलिए वे मालदारों के साथ ही लेन देन करना पसन्द करते हैं।

शहरों में आजकल व्यवसायी लोग खास-खास तरह के बड़े-बड़े व्यवसाय जारी करने के लिए कंपनियाँ कायम करते हैं और उनके लिए लोगों से रुपया उधार लेते हैं। किन्तु यहाँ उधार लेने निजीपूँजी और का तरीका साधारण तरीके से थोड़ा भिन्न होता है? सम्मिलित पूँजी जो लोग इन कंपनियों को रुपया देते हैं, वे हिस्सेदार वाली कंपनियाँ कहलाते हैं। उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि व्यवसाय जारी होने पर वह उनके नियंत्रण में रहेगा और जो मुनाफा होगा वह बर्ज की मात्रा के अनुसार उनमें बाँट दिया

जायगा। यदि कम्पनी को मुनाफा न हो तो लोगों का रुपया डूब जाता है, किन्तु कम्पनी के घाटे की जिम्मेदारी हिस्सेदारों पर नहीं होती है। इसे हिस्सेदारा की मर्रादिन जिम्मेदारी ( Limited liability ) कहते हैं। कम्पनियों में कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिन पर मूद्र की दर छुः या सात रुपया मैकड़ा निश्चित कर दी जाती है। माधारण कर्जदाताओं को कुछ भाँ मिलने के पहले इन हिस्सा का मूद्र चुकाया जाता है, किन्तु इन हालत में यदि कम्पनी का अधिक मुनाफा हो तो ये हिस्सेदार उसका लाभ नहीं पा सकत। ये हिस्से 'डिवेंचर' अर्थात् विशेष प्रकार के शेयर कहलाते हैं।

कम्पनियों के शेयर ( हिस्से ) उनमें प्रचलित मूल्य के अनुसार बाजार में बेचे जा सकते हैं और नकद रुपया प्राप्त किया जा सकता है। जिब जगह ये शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उसको 'स्टॉक एक्सचेंज' कहते हैं और वहाँ काम करने वाला को 'शेयर दलाल' और स्टॉक जावर के नाम से पुकारा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार में मट्टा भी होता है जिसमें काल्पनिक शेयरों पर काल्पनिक कीमतें लगाई जाती हैं। किन्तु अभी हम स्थापित कम्पनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री पर ही विचार करगे। राष्ट्र के हित की दृष्टि से यह महत्व की बात है कि हमारी पूँजी नई कम्पनियों की स्थापना अथवा पुरानी कम्पनियों के यन्त्रों और कार्य-क्षेत्र के विस्तार में लगे। किन्तु शेयर बाजार में ऐसा कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए आप किसी रेलवे कम्पनी के पचास हजार रुपये के शेयर खरीदते हैं, किन्तु यह रुपया रेलवे के विस्तार के लिए अथवा मुमाफियों की सुविधा के लिए खर्च न होगा। जो होगा वह यही कि हिस्सेदारों की सूची में हमारे नामों के बजाय आपका नाम लिग जायगा और जो आमदनी पहले दूसरों को होती थी वह आपको हाने लगेगी। साथ ही आपका रुपया शेयर बेचने वालों की जेब में चला जायगा, जिसका वे जुए, शराब आदि में मनमाना उपयोग कर सकते हैं। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन का लेन-देन देश की औद्योगिक पूँजी में नाम के लिए लाखों रुपये की वृद्धि कर सकता है, किन्तु वास्तव में वह

रूपया विलास और अनाचार में रमते हैं। सकता है और व्यक्तियों को कंगाल बना सकता है।

इस सम्भावना से बचने के लिए नई कम्पनियों के शेयर खरीदे जा सकते हैं। किन्तु नई कम्पनियों में बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। आजकल धूर्त लोग किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के नाम पर कम्पनियाँ खड़ी करते हैं और शेयरों द्वारा अधिक-से-अधिक रूपया इकट्ठा कर उसे कई तरह में उड़ा देते हैं और बाद में कम्पनियों की इति-श्री कर देते हैं। ऐसी धोखा-धड़ियों से जनता को रक्षा करने के लिए सरकार को कानून बनाने पड़े हैं, किन्तु वे अभी पूरी तरह बन्द नहीं हुई हैं। कुछ कम्पनियों ईमानदार लोगों द्वारा शुरू की जाती हैं, किन्तु वे ठोस पाये पर खड़ी नहीं होती। उनको बीच में ही नाम-मात्र के मूल्य पर दूसरी कम्पनियों के हाथ बिक जाना पड़ता है और इस प्रकार उनके प्रवर्तकों का शुरू का मारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है और प्रारम्भिक हिस्सेदार बड़े घाटे में रहने हैं। ऐसी दशा में सुस्थापित पुरानी कम्पनी के शेयर खरीदना ही निराल्प होता है। चाहे ग्रामदनी कम हो, किन्तु यदि सरकारों अथवा म्युनिमिपैलिटिया-जैसे सस्थाओं को कर्ज दिया जायगा तो वह पूँजी का सत्र से अच्छा विनियोग कहा जायगा।

हमारे शहरों में भट्टे का आम प्रचार है। यह एक प्रकार का जुआ है जिसको पूँजीवाद ने जन्म दिया है। स्टॉक एक्सचेंज में बिना तत्काल रूपया या शेयर-सर्टिफिकेट दिये शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। सोदे की अगली तागिख को, जो पन्द्रह दिन बाद तक निश्चित

**निजी पूँजी  
और सट्टा**

हो सकता है, रूपया या शेयर-सर्टिफिकेट दिये जाते हैं। अब इन पन्द्रह दिनों में ही शेयरों की कीमत में जमीन-आसमान का अन्तर पड़ सकता है। कम्पनियों के शेयरों

का कम या अधिक बिकना या हिस्सेदारों में सालाना कम या अधिक मुनाफा घटना विभिन्न चीजों की पैदावार पर निर्भर करता है। रबड़, फोपला, तेल, अनाज आदि चीजों की फसलों के अच्छे बुरे होने के अनुसार सम्मिलित पूँजी पर चलने वाली कम्पनियों के व्यवसाय और

उन्नति के लक्षणों में जैसे-जैसे घटा-बढ़ी होती है, वैसे वैसे उनका विकास और पतन होता है और लोगों में शकायें और आशकायें पैदा होती हैं। इस कारण शेयरों की कीमतें न केवल मालासाल, बल्कि रोज-रोज, घन्टे-घन्टे और उत्तेजना के समय मिनट-मिनट पर बदलती रहती हैं। जो शेयर वगैरे पहले सौ रुपये में खरीदा गया हो, उससे एक हजार रुपये वार्षिक आय भी हो सकती है और तीस रुपये भी, वह एक लाख रुपये में भी बेचा जा सकता है और तीस रुपये में भी। साथ ही यह भी सम्भव हो सकता है कि उस शेयर पर न केवल आमदनी हो न हो, बल्कि उसका बेचने जाये तो एक कौड़ी भी बचल न हो। इस प्रकार चूँकि शेयरों के भाव बदलते रहते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का रूपया या सर्टिफिकेट तस्काज देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लोग यह करते हैं कि अपने ख्याल के अनुसार जिस कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ने की सम्भावना हो, उसके शेयर खरीद लेते हैं और जिस कंपनी के शेयरों की कीमत घटने की सम्भावना हो, उसके शेयर बेच देते हैं। यदि उनका अनुमान सही निकलता है तो वे भुगतान की तारीख के पहले, अपने खरीदे हुए शेयर मुनाफे के साथ बेच देते हैं और बेचे हुए शेयर खरीद लेते हैं। बाद में, भुगतान के दिन बेचे हुए शेयरों का रूपया और खरीदे हुए शेयरों के सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाते हैं और वे मूल भाँदे के अनुसार खरीदे हुए शेयरों की कीमत और बेचे हुए शेयरों के सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस प्रकार शेयरों के खरीद-बिक्री वाले दिन के भावों में और भुगतान के दिन वाले भावों में जो अन्तर होता है, वह उनकी जेब में रह जाता है।

स्टॉक एक्सचेंज में अजब तरह के शब्द काम में आते हैं। अमुक तरह का सौदा करने वाले साड और अमुक तरह का सौदा करने वाले मालू कहलाते हैं। जो लोग आंशिक कीमत देकर नई कंपनी के पूरी कीमत के शेयर अपने लिए सुरक्षित कर लेते हैं और पूरी कीमत चुकाने का समय आने के पहले उन शेयरों को मुनाफे के साथ बेच देने की आशा रखते हैं, वे 'हिरण' कहलाते हैं।

यह जरूरी नहीं है कि लोंगा का अनुमान सही ही निकले, वह गलत भी निकल सकता है। जिन शेयरों के भाव घटने की उम्मीद हो, उनके भाव बढ़ सकते हैं, इस प्रकार लाभ के बजाय घाटा भी हो सकता है। किन्तु यह भावों के अन्तर जितना हा होगा। वह साधारणतः फी सैंकडा पाँच दस रुपये से अधिक नहीं होता है। 'माड' हर्जाना देकर और 'भालू' जुर्माना देकर अपने हिमायत का भुगतान अगली तारीख तक लम्बा कर भी सकते हैं। सट्टे के इस खेल में लोग लाखों रुपया खोते और कमाते हैं। कुछ धनवान मध्य सट्टा न करके शेयर-दलालों को मारफत सट्टा करते हैं। इसके अलावा कुछ सट्टा-महायुक्त दुकानें भी होती हैं, जो अपने ग्राहकों में थोड़ा रकम लेकर उनके लिए दस गुनी कीमत तक के शेयरों की खरीद-विक्री करती हैं। उस दशा में यह हाता है कि या तो ग्राहक की सब रकम ही झूट जाती है या कई गुनी रकम उसके पल्ले पड़ जाती है। इन दुकानों पर स्टॉक एक्सचेंज मस्या का कोई बन्दन नहीं होता, जैसा कि नियमित शेयर दलालों पर होता है। इसलिए यदि वे अपने चाहों को धाम्या देनी हैं तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता।

स्टॉक एक्सचेंज में कई तरह में जुगा खेला जाता है और उसकी शक्तों के अलग-अलग नाम निश्चित हैं। लन्दन की बेपल कार्ट में, न्यूयार्क की वाल स्ट्रीट में, यूरोप के बोरोमा ( विभिन्न बाजारों ) में, बम्बई, कलकत्ते के स्टॉक एक्सचेंज भवनों में रोज लाखों रुपया का सट्टा होता है। न खरीदने वालों के पास रुपया होता है और न बेचने वालों के पास माल, सब काम जशानी जमा-बचत से चल जाता है, किन्तु किसी को यह खयाल न करना चाहिए कि इस सट्टे से देश धनी होता है। लोग इस काम में जितनी शक्ति, साहस और बुद्धिमानी बर्च करते हैं, यदि उसको ठीक दिशा में लगाया जाय तो हमारे गन्दे घरों, रोग-कोषों और अधिकांश जेलों का, जिनमें पैदा करने में पूँजीवाद को कई वर्ष लगाने पड़े हैं, कुछ ही घंटों में खान्मा हो जाय।

बैंक लोगों को साख पर उधार रुपया देने का काम करता है और उसके बदले एक निर्दिष्ट रकम उनसे वसूल कर लेता है। निर्दिष्ट कमीशन



पर हँडिया भी सिकारता है। बैंक की दर कम हो जाने पर व्यवसायी खुश और बढ़ जाने पर परेशान हो जाते हैं। बैंक की दर निजी पूँजी और बैंक कम होने का यह अर्थ होता है कि बैंक के पास अतिरिक्त रुपया उधार देने के लिए काफी मात्रा में मौजूद है और उधार लेने वालों का संख्या कम है। इसके विपरीत जब बैंक की दर बढ़ती है तो समझना चाहिए कि बैंक के पास उधार देने के लिए रुपया अधिक नहीं है और रुपया मागने वाले ज्यादा हैं। जब पिछली हालत होती है तो बैंक के अलावा और जगह भी रुपये का भाव तेज हो जाता है, अर्थात् मूद्र की दर बढ़ जाती है।

सवाल यह है कि बैंकों के पास लोगों को उधार देने के लिए रुपया कहाँसे आता है? बात यह है कि लोग अपना बचा हुआ रुपया बैंकों में जमा करते हैं और आवश्यकतानुसार वापस लेने रहते हैं। इस प्रकार बैंक के पास हजारों आदमियों का लाखों रुपया जमा रहता है। इसी रुपये को वे उधार देकर बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं। यदि बैंकों में रुपया जमा कराने वाले एक साथ अपना सब रुपया वापस निकालने की सोच ले तो बैंकों के लिए मुश्किल हो जाय और उन्हें अपना कारबार बन्द कर देना पड़े।

बैंक जो रुपया उधार देते हैं उसको अतिरिक्त अजीबिका ही समझना चाहिए। किन्तु बैंक ऐसा नहीं समझते भालूम होते हैं। वे तो इस विश्वास पर रुपया देते हैं कि कर्ज लेने वाला प्रासानी से रुपया वापस चुका देगा। किन्तु क्या मास्त्र के आधार पर मरानु, करगाने आदि बनाये जा सकते हैं? नहीं। वास्तव में रुपया उधार देने का मतलब होता है कि बैंक ने हमारे लिए वे भद्र टोम चीजे सुलभ कर दी हैं जिनकी हमको जरूरत हो सकती है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि एक बैंक ने पाँच हजार रुपया उधार देकर उनके साथ पाँच हजार रुपये की सान्ध भी दी है और इस प्रकार दस हजार रुपये का व्यवहार किया है, वे भूल करते हैं। साल के आधार पर उद्योग का विस्तार नहीं हो सकता। दो रुपया दो ही रुपये का काम देगा, चार का नहीं।

रुपये की दर पूर्ति और माग (Supply and demand) के सिद्धान्त के अनुसार स्थिर होती है। जब रुपया कम हो जाता है और माग बढ़ जाती है तो उसकी दर बढ़ जाती है और जब रुपया अधिक मात्रा में सुलभ होता है और माग कम होती है, तो उसकी दर घट जाती है।

बैंक जब अपना रुपया विवेक-पूर्वक उधार देते हैं तो मुरझित रहते हैं। यदि वे हानिकारक कामों में रुपया लगावें, गलत लोगों पर भरोसा करें या सट्टा करें तो अपने-आपको और अपने ग्राहकों को बर्बाद कर दे सकते हैं, जब बहुत सारे बैंक थे, तब बहुधा ऐसा होता था। किन्तु अब बड़े बैंक छोटे बैंकों का हड़प कर इतने कम और इतने बड़े हो गये हैं कि वे एक दूसरे को नहीं टूटने देने और न सरकारें ही उनको टूटने देती हैं।

किन्तु यदि कोई सरकार पूँजी और मास्य पर भारी कर लगाव तो नतीजा यह होगा कि सब मास्य नष्ट हो जायगी, बैंक दिवाला निकाल देंगे और शेयर आदि कोड़ियों के भाव भी न निक सकेंगे। धनी निधन हो जायेंगे और उन पर आश्रित बहुसंख्यक गरीब बेकार। उस दशा में यदि सरकार उद्योगों की व्यवस्था अपने हाथ में न ले तो लूट-मार और दंगे हो सकते हैं और इसके बाद वच्चे हुए लोग किमी नेपोलियन या मुमोलिनी के आगे खुशी-खुशी घुटने टेक दे सकते हैं और वह निरंकुश सत्ताधिकारी अशिक्षित जनता की हिसात्मक शक्तियाँ का सङ्घटित करने पुरानी अवस्था का पूर्ण या अरातः पुनः कायम कर दे सकता है।

: ७ :

## सिद्धा और उसकी सुविधायें

अवगत हमने अनिरीक रुपये अर्थात् निजी पूँजी के बारे में विचार किया। किन्तु सब रुपया, जो काम में आता है, अनिरीक रुपया नहीं होता। दुनिया में खाने, पहनने और रहने पर शेरों आदि की अपेक्षा कहीं अधिक खर्च होता है। अतः मजाल यह है कि रुपया क्या है और यदि अतिरिक्त रुपया न हो तो रुपये की कीमत कैसे स्थिर हो ?

रुपया वास्तव में चीजों खरीदने का एक सुविधा-जनक साधन और मूल्य का माप है। यदि वह न हो तो खरीद बिक्री अशुभव हो जाय। अदृश्य ही चीजों के बजाय चीजा का लेन-देन भी हो सकता है, किन्तु उसमें कई तरह की दिक्कतें पैदा आती हैं। प्रथम तो चीजों को हमेशा साथ लेकर नहीं धूमा जा सकता, दूसरे चीजों में चीजा का मूल्य ठीक-ठीक बगल करना मुश्किल होता है और तीसरे सामने वाले पक्ष के लिए अमुक प्रकार की चीजें बदले में लेना अनुकूल या प्रतिकूल भी हो सकता है। इसलिए सरकार मुविधाजनक आकार और निर्दिष्ट वजन वाले मोने के सिक्के जारी करती है, जिनका आसानी से माप में ले लिया जा सकता है। जिन कामों के लिए मोने जैसी मूल्यवान धातु की आवश्यकता नहीं होती; उनके लिए सरकार चाँदी और कासे के सिक्के बनाती है और कानून द्वारा यह तय कर देती है कि इतने चाँदी के सिक्के मोने के एक सिक्के के बराबर माने जायेंगे। इन सिक्कों के द्वारा लोग इच्छानुसार चीजें खरीद सकते हैं।

रुपया आजीविका का चिह्न है, इस अर्थ में कि उसके द्वारा खाने-पीने और पहनने की चीजें खरीदी जा सकती हैं। किन्तु सरकारी नोट या धातु के सिक्का भी हमें व्या, पी या पहन नहीं सकते। यदि बाजार में मकखन का धी न हो तो हमारे खजाने में लाखों रुपये होने पर भी हम को मूर्खी रोटी खाकर ही गुजर करना पड़ेगा।

चीजों की कीमत मस्ती और महगी होती रहती है। जब कोई चीज अधिक मात्रा में होती है तो वह मस्ती; और कम मात्रा में होती है तो महगी हो जाती है। किन्तु चीजों के सस्ते और महगे होने का यही एकमात्र कारण नहीं होता। रुपये की अधिक या कम मात्रा का चीजों के मूल्य पर असर पड़ता है। यदि सरकार अपनी टक्काल से प्रचलित रुपये जितना ही रुपया और निम्न दे तो जिस चीज के लिए पहले एक रुपया देना पड़ता था, उसके लिए दो रुपया देना पड़ेगा, हालांकि यह हो सकता है कि उस चीज की मात्रा में कोई कमी न हुई हो।

खाने का सिक्का सब से सुरक्षित सिक्का समझा जाता है। सरकारों

के पलट जाने पर भी उसके मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता । यदि सरकार आवश्यकता में अधिक सिक्के टालने लगे तो उन सिक्कों को गलाकर दूसरे काम में—जेवर आदि बनाने के काम में—लाया जा सकता है । किन्तु आजकल सोने के सिक्कों का मूल्य बहुत कम हो गया है । उनके स्थान पर कागज के टुकड़े जारी हो गये हैं, जिनका मूल्य स्वतन्त्र रूप से कुछ नहीं के बराबर होता है ।

सरकार सिक्कों के मामले में बड़ा गोलमाल कर सकती है । इंग्लैण्ड के बादशाह हेनरी आठवें ने कम वजन के सिक्के जारी करके अपने लेनदारों को धोखा दिया था । जब इस प्रकार के धोखों का पता चलता है तो चीजों की कीमतें और मजदूरियाँ बढ़ जाती हैं । ऐसी दशा में देनदारों को लाभ होता है, क्योंकि वे हल्के वजन के सिक्कों में अपना कर्ज चुका देते हैं । इस प्रकार जितना लाभ देनदारों का होता है उतना ही नुकसान लेनदारों का हो जाता है । कहने का आशय यह है कि वर्तमान राजा देश के लिए बड़ा खतरा होता है । किन्तु आज तो भ्रमजीवी मन्दालग्यों द्वारा निर्वाचित प्रजातन्त्री सरकारें भी सिक्के के मामले में ऐसे उपाय काम में लाती हैं कि निर्दोष विधवाएँ, जिनके लिए उनके पति वर्षों कष्ट सहकर धीमे धीमे चुकाते हैं और आराम की जिंदगी की व्यवस्था करते हैं, भूखों मरने लगती हैं, जीवनभर सम्मानपूर्वक और कठिन सेवा के बाद मिली हुई पेंशने बेकार हो जाती हैं और बिना किसी योग्यता के एक आदमी धनवान बन जाता है तथा दूसरा बिना किसी अपराध के दिवालिया हो जाता है ।

आजकल हम सोने के सिक्का का उपयोग नहीं करते । उसके बजाय हम कागज के टुकड़े अर्थात् सरकारी नोटों का उपयोग करते हैं, जिन पर बड़े-बड़े अक्षरों में पांच रुपया, दस रुपया, सौ रुपया लिखा होता है । हम इन कागज के टुकड़ों द्वारा अपना कर्ज चुका सकते हैं और हमारे लेनदार को चाहे पसन्द हो या न हो, इन नोटों को लेकर कर्ज का भुगतान कर लेना पड़ेगा । मान लीजिए कि हमारी सरकार को ७ अरब ७० करोड़ रुपया कर्ज देना है । यदि वह चाहे तो ७ अरब ७० करोड़ के कागज के

नोट छापकर अपना कर्ज चुका सकती है। उसको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इसका नतीजा यह हो सकता है कि उन हजारों नोटों से एक समय चूल्हा जलाने जितना ईंधन भी न खरीदा जा सके।

यद्यपि कोई अमम्भव बात नहीं है। ऐसा हाल ही में हो चुका है। गत महायुद्ध के बाद जब विजयी राष्ट्रों ने हर्जाने के नाम पर जर्मनी से शक्ति से अधिक रुपये की मांग की तो उसने अन्धाधुन्ध कागज के नोट जारी कर दिये। इसका नतीजा यह हुआ कि जर्मन रुपया बहुत मस्ता हो गया और देनदारों ने अपने लेनदारों के कर्ज का बड़ी आसानी से भुगतान कर दिया। इससे जर्मन लोगों और विदेशियों को समान रूप से हानि-लाभ उठाना पड़ा। जो लोग लेनदार थे, वे घाटे में रहे और जो देनदार थे वे नफे में। जर्मन कारखानेदारों ने अपना साग कज चुका दिया और अन्य देशों के बाजारों में मस्ता माल बेचने लगे। उस समय कोई भी रुपया इकट्ठा करने की कोशिश न करता था, क्योंकि उसकी कीमत घण्टे-घण्टे में कम होती रहती थी। जो भोजन एक घण्टे पहले पचास लाख में मिला सकता था उसको घण्टे भर बाद ७० लाख कीमत हो जाती। इसलिए मनुष्यों का यही ध्यान रहता कि रुपया खर्च कर दिया जाय और उसके बदले कोई ऐसी ठोस चीज खरीद ली जाय जिसकी उपयोगिता नष्ट न हो और मूल्य बराबर कायम रहे। इस उथल-पुथल का उस समय अन्त हुआ, जब जर्मन सरकार ने नये सोने के सिक्के जारी किये और पुराने नोटों का गद्द कर दिया।

रुपये का मूल्य कैसे कम या उपाटा होता है, यह हमने देखा लिया। चूंकि रुपये का मूल्य कम होने से लेनदारों का और तेज होने से देनदारों को धोखा होता है, इसलिए सरकार का यह अत्यन्त पवित्र आर्थिक कर्तव्य है कि वह रुपये का मूल्य स्थिर रखे। किन्तु सरकारें रुपये के मूल्य के साथ पिसवाब कर सकती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उनमें ऐसे आदमी हों जो ईमानदार हों और रुपये को भली भांति समझते हों।

प्राक्कलन दुनिया में एक भी ऐसी सरकार नहीं है, जो इस मामले में पूरी ईमानदार हो। कम या अधिक सभी सरकारें कागजी नोट जारी

करके अपना काम चलाती हैं। कुछ लोग, जो अपने-आपको ग्रथ विशेषज्ञ मानते हैं, समझते हैं कि अधिक मात्रा में रुपया जारी करके उद्योगों के लिए पूँजी सुलभ की जा सकती है अथवा देश का ढोलन बढ़ाई जा सकती है। किन्तु यह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि एक रुपये को दो रुपया मान कर देश के धनी होने का स्वप्न देखा जाय।

अब यदि रुपये का मूल्य एक ही सतह पर स्थिर रखना आवश्यक हो तो यह मराल पैदा होता है कि वह सतह क्या हो ? मौजूदा सतह ही वह उचित सतह हो सकती है, किन्तु यदि वह बहुत घटी या बड़ी हो तो घटा-बढ़ी के पहले वाली सतह कायम रखा जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि सिक्का और नोटा का उद्योगी चीज माना जाय और उन्हें इतनी काफी मरख्या में जारी किया जाय कि लागू की आवश्यकता पूरी हो सके। सिक्का और नोटों की कीमत चीजों की कीमत की तरह ही स्थिर होती है। जब चीजों की आवश्यकता में अधिक बनती है तो मन्गी हो जाती है। किन्तु जब उनकी कीमत इतनी अधिक घट जाती है कि और अधिक नहीं घटाई जा सकती तो वही उनकी स्थिर कीमत हो जाती है। यही बात सोने के सिक्के के बारे में कही जा सकती है। सोना और किमी चीजों की अपेक्षा सिक्कों के लिए अधिक उपयोग होता है, इसलिए गिनतियों के रूप में एक ग्राम सोना पाट के एक ग्राम सोने की अपेक्षा अधिक मूल्य वाला होगा। किन्तु यदि सरकार आवश्यकता से अधिक गिनतियाँ बनावे तो उनका भाव पाट के सोने में कम हो जायगा और सब चीजों के भाव बढ़ जायगे। इसका नतीजा यह होगा कि लोग गिनतियों को गलाकर उन सोने की दूसरी चीजें बनाने लगेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अधिक मुनाफा होगा। फलतः गिनतियों की मरख्या घट जायगी और उनकी कीमत बढ़ जायगी। इस प्रकार जबतक रुपया सोने का रहता है और उसका गलाना लाभकारी होने ही रोका नहीं जा सकता, तबतक सोने के सिक्के का मूल्य निश्चित और अपने-आप स्थिर रहता है।

इस प्रकार सोने के रुपये का मूल्य स्थिर हो जायगा और सब कीमतें

सोने में स्थिर की जा सकेंगी। किन्तु सोने के पैसे आने तो नहीं बनाये जा सकेंगे, क्योंकि वे इतने छोटे होंगे कि उनको काम में ला सकना कठिन होगा। इसी प्रकार जब लाख-पचास हजार रुपया देना-लेना हो तो हजारों गिनियों का बोझ ढाना भी मुश्किल होगा। अतः पहली कठिनाई को हल करने के लिए तांबे के पैसे और काँसे तथा चाँदी के आने जारी किये गए और यह तय कर दिया गया कि एक गिनी ३२० आने और १२८० पैसे के बराबर मानी जायगी। दूसरी कठिनाई को हल करने के लिए सरकार ने पचास, सौ और हजार के कागज के नोट जारी किये, जिन पर सरकार की ओर से यह वायदा लिखा रहता है कि जिस स्थान से यह नोट जारी किये गए हैं, वहाँ से इन नोटों के बदले नकद रुपया मिल सकेगा। लोग इन नोटों को सोने जैसा ही समझ कर खरीदने-बेचने के समय एक-दूसरे को देते रहते हैं।

इस प्रकार हम कागज के नोटों और तांबे तथा चाँदी के सिक्कों को काम में लाते हैं और देखते हैं कि वे सोने के सिक्कों के बग़र ही काम देते हैं। तब यह सवाल उठता है कि जब सोने के सिक्कों के बिना काम चल जाता है तो फिर सोने के सिक्के रखे ही क्यों जायें? अवश्य ही यदि सरकारों को ईमानदारी पर भरोसा किया जा सके तो सोने के सिक्कों को हम उठा सकते हैं, किन्तु यह बहुत बड़ी 'यदि' है। जब सिक्का विशुद्ध सोने का होता है तो सिक्का की खरीदने की शक्ति सरकार की ईमानदारी पर निर्भर नहीं रहती। बहुमूल्य धातु के रूप में वे मूल्यवान् होंगे हैं और यदि सरकार खरीद-बिक्री की आवश्यकता से अधिक उनको जारी करे तो उनका दूसरा उपयोग भी किया जा सकता है। किन्तु सरकार कागजी रुपया बनाना तब तक जारी रख सकती है जब तक कि उसका कोई मूल्य ही न रह जाय। कुछ चीजों की कीमत अमुक कारण से घट या बढ़ सकती है। किन्तु जब चीजों की कीमत एकसाथ घटती या बढ़ती है तो चीजों की नहीं, रुपयों की कीमत बदलती है। जिन देशों में कागजी रुपया चलता हो, वहाँ की सरकारों को इन हलचलों को सावधानी के साथ देखते रहना चाहिए और जब कीमतें एक साथ बढ़ें तो कीमतें घट

जाने तक नोटों का प्रचलन कम कर देना चाहिए। इसके विपरीत जब सब कीमते एक साथ घटे तो सरकारों को कीमतें बढ़ाने तक नये नोट जारी करना चाहिए। जरूरी बात यह है कि देश में इतना रुपया हा कि उससे नरुद खरीद बिक्री का सारा काम किया जा सन। ईमानदार और समझदार सरकार का यह काम है कि वद माग के अनुसार पूर्ति का समन्वय करके रुपये का मूल्य स्थिर रखले।

आधुनिक बैंक ने सिक्को, नोटों या किसी प्रकार के रुपयों के बिना ही प्रचुर परिमाण में व्यवसाय का होना सम्भव कर दिया है। उदाहरण के लिए जब आपको किसी काम के लिए रुपया अदा करना होता है तो आप नकद रुपया देने के बजाय अपने बैंक के नाम चेक काट देते हैं। यह चेक मिकरने के लिए किसी भी बैंक को दिया जा सकता है। इस प्रकार रोज जितने चेक कटते हैं, वे अलग-अलग बैंकों के पास पहुँच जाते हैं और हर एक बैंकों का पता चलता है कि कुछ चेकों का तो उसे दूसरे बैंकों को रुपया देना है और कुछ का दूसरे बैंकों से वसूल करना है। यदि इन सब चेकों की रकम इकट्ठी जोड़ी जाय तो लाखों रुपये तक हो सकती है, किन्तु दो जाने और ली जाने वाली रकम का अन्तर कुछ सौ रुपया या इससे भी कम हो सकता है। इस तरह बैंकों ने Clearing house नाम की सस्था खड़ी की है जो यह मालूम करती है कि हर एक बैंक को शेष कितनी रकम देनी या लेनी है। इस तरह भारी-भारी रकमों के व्यवहार कुछ सौ रुपये इस बैंक से उस बैंक को भेज देने मात्र में निपट जाते हैं। किन्तु अब बैंक ने कुछ सौ रुपया भी इधर-से-उधर भेजने की दिक्कत को मिटा दिया है। वे एक बड़े बैंक में अपने हिस्सा में गोल देते हैं, जिससे उनके आपस के हिसाब बड़े बैंक के रजिस्ट्रारों में दो-चार अंक इधर-उधर लिख देने से ही तय हो जात है और लाखों करोड़ों का व्यापार सिक्कों या नोटों का उपयोग किये बिना ही हो जाता है। इस प्रकार हिस्सा का रुपया अविशुद्ध असली रुपये का स्थान ले रहा है और जो माल खरीदा या बेचा जाता है, उसके लिए भिक्के और नोट मुलभ करने का खर्च प्रतिशत बराबर कम होता जा रहा है।



रुपये की कीमत अधिक हो या कम, वह स्थिर रहनी चाहिए। जब वह स्थिर नहीं रहती तभी लोगों को अडचन होती है। इसलिए यह जरूरी है कि उसकी स्थिरता कायम रखी जाय। सरकार को कागज के द्वारा यह स्थिरता कायम रखनी पड़ती है। यदि सोने के सिक्के का प्रचलन हो तो उसका मूल्य अपने-आप भी स्थिर रह सकेगा। नई माने की ग्वानो का पता लगने के कारण सोना अधिक मात्रा में मुलभ हो जाय तो भी सोने के सिक्के का मूल्य स्थिर रहेगा। इसका विचित्र कारण यह है कि दुनिया में सोने की मांग प्रायः अनन्त है। इसलिए जबतक पूँजीवादी-प्रणाली जीवित है तबतक सरकारों की ईमानदारी के बजाय सोने की स्वाभाविक स्थिरता पर विश्वास करना ही अधिक बुद्धिमानी का काम होगा।

### तीसरा खण्ड

: १ :

## उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीयकरण

हमने देखा लिया कि बैंक और रुपया सभ्यता के आवश्यक अंग बन चुके हैं। जहाँ तक रुपया बनाने के व्यवसाय का ताल्लुक है, उसका पूरी तरह राष्ट्रीयकरण हो चुका है। सब रुपया सरकारों के काल में ही बनाया जाता है। निजी तौर पर सिक्के बनाना या बैंकों का राष्ट्रीयकरण उनको लगाना कानून की रू से अपराध करार दे दिया गया है। यदि ऐना नहीं किया जाता तो लोग चाहे जैसे और चाहे जितने सिक्के बनाकर अपना मतलब मिद्ध करते और समाज में अव्यवस्था फैल जाती। अवश्य ही लोग रुपये के बजाय हुण्डियों और चेकों का उपयोग करते हैं, किन्तु यह तर्मा तक सम्भव है, जबतक कि राष्ट्रीय रुपये का चलन है।

बैंकों का अभी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। अतः बड़े व्यापारी तो प्रचुर कमीशन देकर लाखों रुपया पा लेते हैं, किन्तु छोटे व्यापारियों को,

जिनकी जरूरतें भी छोटी ही होती हैं, बहुधा रूढ़ की बहुत ऊँची दर पर गूढबोरा से रुपया उधार लेना पड़ता है। कारण, बैंक उनको रुपया देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। किन्तु जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा, तब उनका उद्देश्य ग्राहकों के हितों को पालन करने के मुनाफा कमाना न होगा, बल्कि वे देश के भले के लिए सब छोटे-बड़े व्यवसायों के लिए सस्ते से-सस्ते भाव पर पूँजी मुलभ करेंगे।

इसके विरुद्ध बैंकों के संचालक यह दलील देते हैं कि बैंक-व्यवसाय इतना रहस्यपूर्ण और कठिन है कि कोई भी सरकारी विभाग उसका मजलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता। जो लोग ऐसा करतें हैं वे खुद भी अपने व्यवसाय को अधूरा ही समझते हैं। यह उनकी गलत मलाह का ही परिणाम था कि गत महायुद्ध के बाद यूरोप में मजनाश के दृश्य दिखाई दिये। बैंक का काम है कि रुपये मुद्रित बना रक्मों और ग्राहकों की आवश्यकतानुसार देता-लेता रहे। दर कोई कठिन काम नहीं है। सरकार का डाक-महकमा उसको करता ही है। हाँ, बैंक के पास जो बहुत सारा रुपया जमा रहता है, उसमें उधार देने के काम में अवश्य विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। किन्तु आखिर इस काम को करता कौन है ? बैंक संचालक नहीं, बैंक मैनेजर ही इस काम को करते हैं। उनका आर्थिक और सामाजिक स्थिति उच्च श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों से कुछ अधिक अच्छी नहीं होती। अतः क्यों नहीं वह व्यक्तियों की नौकरी करने के बजाय राष्ट्र की नौकरी करना अधिक पसंद करेंगे।

किन्तु जिन लोगों ने बैंकों में पूँजी लगा रखी है, उसका क्या होगा ? जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो सरकार पूँजीपतियों पर कर लगा कर पैसा इकट्ठा करेगी और उसके द्वारा लोगों के बैंक-शेयरों को खरीद लेगी। इस प्रकार लोगों को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कोई नुकसान न होगा। यही तरीका हम भूमि, रेलों तथा खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए भी काम में ला सकते हैं।

इस तरीके को हमें मली भाति समझ लेना चाहिए। इस तरीके

द्वारा सरकार बिना क्षति पूर्ति किये क्षति पूर्ति कर देती है। यह वास्तव में सम्पत्ति के अपहरण का ही एक प्रकार है, जिसमें राष्ट्र को कुछ भी स्वर्च नहीं करना पड़ता। यदि सरकार कोई जमीन का टुकड़ा, रेल, बैंक या कोयले की खान भरी देती है, और राजकीय करों द्वारा उसका मूल्य चुकानी है तो यह स्पष्ट है कि वह सम्पत्ति सरकार को मुफ्त में मिल जाती है; करदाताओं को ही उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। और यदि वह कर आय-कर जैसा कर दे, जिससे कि राष्ट्र का अधिकतर भाग पूर्णतः या अंशतः मुक्त होता है, अथवा वह अतिरिक्त आय-कर या मृत्यु-कर ही जो पूँजीपति वर्गों से ही लिया जाता है, तो सरकार पूँजीपति वर्ग को अपने में से ही किसी एक की सम्पत्ति खरीद कर बिना किसी क्षति पूर्ति के उसे किसी राष्ट्र को भेंट कर देने के लिए विवश करता है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति समीकरण का एक उपाय है, जिनके द्वारा व्यक्ति-विशेष को जिनकी जमान, बैंक के शेयर या अन्य सम्पत्ति सरकार लेती है, सब नुकसान नष्ट सहना पड़ता, बल्कि सारा पूँजीपति वर्ग उममें हिस्सा वंशना है। उस व्यक्ति-विशेष का उनका ही नुकसान होता है, जितना हिस्सा कि कर के रूप में वह सरकार को देता है। इसमें बढ़कर युक्ति-संगत, विवि-विहित और परम्परानुकूल बात और क्या हो सकती है ?

यह कल्पना-जगत की बात नहीं है, बल्कि ऐसी बात है जो की गई है और की जा रही है। इस योजना के अनुसार बहुत सारी निजी सम्पत्ति राष्ट्र की सम्पत्ति हो चुकी है। साथ ही धनिकों पर करों का बोझ भी काफी बढ़ गया है। सरकार आय-कर और अतिरिक्त आय-कर के रूप में और म्यूनिसिपैलिटियों म्यूनिसिपल करों के रूप में धनवानों से काफी पैसा छीन लेती हैं। हिन्दुस्तान में स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहाँ करों का अधिकतर बोझ गरीबों को ही सहन करना होता है और धनवान अपेक्षाकृत बचे हुए हैं। किन्तु जैसे-जैसे शासन में गरीबों की भावना बढ़ेगी, यहाँ भी वही होने वाला है जो पश्चिमी देशों में हो चुका है।

क्षतिपूर्ति के अलावा प्रतिस्पर्धा द्वारा भी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

हो सकता है। सरकार जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहे उनको स्वयं जारी करे और जिन प्रकार एक बड़ा भण्डार छोटी दुकानों को खत्म कर देता है, उसी प्रकार वह सस्ती चीजें बेचकर और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों का आश्रय लेकर निजी उद्योगों को खत्म कर सकती है। किन्तु प्रतिस्पर्धात्मक उपाय अत्यन्त अपव्ययी उपाय होते हैं। जिस जगह दुध की एक ही दुकान काफी हो, वहाँ दूसरी दुकान खोलने का यह अर्थ होगा कि खर्च पहले की अपेक्षा दुगुना हो जाय। आवश्यकता से अधिक चीजें पैदा करने का नतीजा बेकारी के रूप में प्रकट होता है। यदि इस उपाय द्वारा रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो सरकार को निजी रेलों के साथ-साथ सरकारी रेलों का जाल रचना होगा और किराया इतना कम कर देना होगा कि सारा आवागमन सरकारी रेलों के हाथ में चला जाय। इसका नतीजा यह होगा कि निजी रेलें बर्बाद हो जायगी। किन्तु क्या यह मूर्खतापूर्ण अपव्यय न होगा? प्रथम तो आवागमन के उपयोगी और पर्याप्त साधन, जिन पर भारी रकम खर्चे हुई है, बर्बाद हो जायगे। दूसरे सरकार को नये साधन खर्च करने के लिए व्यय ही लाखों रुपया खर्च करना होगा। इसकी अपेक्षा तो शेयर होल्डरों (हिस्सेदारों) की क्षतिपूर्ति करके विद्यमान रेलों को अपने हाथ में लेना सरकार के लिए अधिक बुद्धिमानी का काम होगा।

प्रतिस्पर्धात्मक उपायों के विरुद्ध एक आपत्ति और है। यदि सरकार निजी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे तो उसे निजी उद्योगों को भी प्रतिस्पर्धा करने की स्वतन्त्रता देनी होगी। किन्तु यदि राष्ट्रीयकरण का पूरा लाभ उठाना हो तो यह व्यावहारिक न होगा। आज डाक का महकमा हमारे लिए जो काम करता है, वह कोई भी मुनाफाखोर व्यक्ति नहीं कर सकता। यह इसलिए सम्भव है कि निजी व्यक्तियों को महकमा डाक का कोई काम हथियाने की स्वतन्त्रता नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी तभी सफल होगा, जब निजी मुनाफाखोरों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति न होगी।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सारी राष्ट्रीय-प्रवृत्तियों पर राष्ट्र का एकाधिकार रहेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद तो निजी प्रवृत्तियों के लिए बहुत सुविधाएँ हो जावेगी। किन्तु लोक-सेवा के बड़े-बड़े माधनों का मनेवासी बनाना होगा; उन पर जितना ग्वर्च पड़ेगा, उसकी तुलना में एक स्थान पर अधिक और दूसरे स्थान पर कम मूल्य लेना पड़ेगा, अतः वर्कगत प्रतिस्पर्धा से उनकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। साथ ही किसी उद्योग या सेवा-माधन का राष्ट्रीयकरण करते समय यह याद रखना चाहिए कि जर्मन खरीद कर राष्ट्र की सम्पत्ति बना ली जाय। क्योंकि यदि जर्मन केवल किराये पर ली जायगी तो राष्ट्रीयकरण का आर्थिक लाभ जर्मन के मालिक को दे देना पड़ेगा।

प्रतिस्पर्धा द्वारा निजी उद्योगों का स्वाम्य करने का एक निष्पत्त परिणाम यह होता है कि उन उद्योगों में काम करने वाले लोग धीरे-धीरे कमाल और नष्ट हो जाते हैं। पूँजीवादी तो, दूसरे चाहे मरे या लीये, अपना ही स्वाथ देखता है। किन्तु राष्ट्र को तो हानि उठाने वाले और लाभ उठाने वाले दोनों वर्गों का विचार करना चाहिए। उन्हें निर्मा को भी दरिद्र न बनाना चाहिए।

हमने राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त समझ लिया और यह भी देख लिया कि वह सर्वथा युक्ति-मगत है। किन्तु उसको व्यावहारिक रूप देने के लिए यह घोषणा कर देना ही काफी न होगा कि अमुक-अमुक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। किसी उद्योग या राष्ट्रीयकरण सेवा-माधन को वास्तव में राष्ट्र के हाथ में लेने के कैसे होगा? पहले हमको राज-कर्मचारियों के एक नये विभाग की रचना करनी पड़ेगी। जिस प्रकार आज सेना, पुलिस, खजाना, डाक आदि को सम्हालने के लिए अलग-अलग महकमे कायम हैं, उसी प्रकार बैंकों, खानों, रेलों आदि को सम्हालने और चलाने के लिए नये महकमे कायम करने पड़ेंगे और उनमें योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। इस प्रकार के महकमे स्थायी और अत्यन्त संगठित सरकारों द्वारा ही स्थापित हो सकते हैं। क्रांतियों, तानाशाही

सरकारों अथवा उन सरकारों द्वारा, जहाँ कर्मचारी स्थायी नहीं होते, यह काम नहीं हो सकता। क्रांति से तो इतना हो सकता है कि राष्ट्रीयकरण-विरोधी वर्ग की राजनीतिक सत्ता नष्ट हो जाय। इसके विपरीत यह भी सम्भव है कि क्रांति के बाद जो सरकार स्थापित हो, वह वर्तमान राष्ट्रीय उद्योगों को भी न चला सके और उनको निजी व्यवसायियों के हाथों में सौंप देने के लिए विवश हो जाय।

राष्ट्रीयकरण-पक्षपाती सरकार को रुपये जैसे के धारे में ईमानदार और राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञा होना चाहिए। वह राष्ट्रीयकरण को सामान्य आमदना बढ़ाने का जरिया भी न बनाये और न कुप्रबन्ध द्वारा उद्योगों का बदनाम और नष्ट भ्रष्ट करे। कभी कभी राजकीय कुप्रबन्ध के उदाहरण भी सामने आते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश भारत की निजी कंपनियों द्वारा संचालित रेलों से रियामती रेलों की तुलना की जा सकती है। रियामती रेलों की दशा सचमुच बड़ी शान्तीय प्रतीत होती है। इसलिए लागू निजी प्रबन्ध की तारीफ करते सुने जाते हैं। किन्तु निजी उद्योगों की क्या दुःशा नहीं होती? अन्तर निफ यही होता है कि उनकी जिम्मेदारी कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है, इसलिए उन उद्योगों का बहुत कम ध्यान जाता है। इसके विपरीत राजकीय कुप्रबन्ध ग्रान्दालना और क्रांति का कर्म देता है। अतः यह जरूरी है कि निजी उद्योगों की तरह राष्ट्रीय उद्योगों में भी पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम लिया जाय। उदाहरण के लिए यदि महकमा डाक से मुनाफा होता है तो उनका उपयोग काङ्ग-लिफाफों की दर घटाने में किया जाना चाहिए, ताकि सब-साधारण को लाभ पहुँचे। किन्तु हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि देश का भला-बुरा करना लोक-प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं है।

हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो क्षतिपूर्ति का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि यदि सम्पत्ति का मालिक चोर ही है तो उसे बुराई से विमुक्त करने और भलाई की शिक्षा देने के लिए क्षतिपूर्ति की क्या

आवश्यकता ! यदि करो द्वारा हम समस्त पूँजीपति वर्ग से क्षतिपूर्ति का कोशले को खाने खरीदने का खर्च ले सकते हैं और विरोध इस प्रकार उस सीमा तक उनकी सम्पत्ति को राष्ट्रीय-सम्पत्ति बना सकते हैं तो उनकी शेष सम्पत्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाने के लिए ही राष्ट्रीय सम्पत्ति क्यों नहीं बना सकते ? सम्मिलित पूँजी पर चलने वाली कम्पनियों हिस्सेदारों के बदल जाने पर भी उतनी ही अच्छी तरह चलती रहती हैं। यही हाल रेलों बैंकों आदि का भी होगा। सरकार के अधिकार में चले जाते के बाद भी वे पूर्ववत् चलते रहेंगे। तब पूँजी पर एतदम इतना कर क्यों न लगा दिया जाय कि पूँजीपतियों का अपने शेयर सर्टिफिकेट आदि समस्त साम्पत्तिक अधिकार-पत्र सरकार को देने के लिए विवश हो जाना पड़े ? इस प्रकार जमीन, खानों, रेलों और अन्य सब उद्योगों का, जो इस समय पूँजीपतियों की सम्पत्ति है, बिना क्षतिपूर्ति किये राष्ट्रीयकरण हो सकता है।

किन्तु इसका यह परिणाम होगा कि पूँजीपति कगल हो जायगे और अपने बहुसंख्यक आश्रितों को कोई काम न दे सकेंगे। यह दूसरा सवाल है कि पूँजीपति जो काम देते हैं वह निष्पयोगी काम है। किन्तु उस काम के बदले जो रुपया मिलता है, उससे धनिकों के आश्रितों जीवन-निर्वाह करने में कोई बाधा पैदा नहीं होती।

का विद्रोह अतः पूँजीपतियों के निर्धन होजाने पर उनके आश्रितों यानी नौकर-चाकरों के लिए हमारे पास उत्पादक काम न हो तो उन्हें भूखों मरना होगा या चोरी और विद्रोह करना होगा। यदि उसकी संख्या अधिक हुई तो वे सरकार को उखाड़ कर फेंक दे सकते हैं, और वास्तव में उनकी संख्या कम नहीं है। उनके बल पर ही आज कई पैमे वाले म्यूनिसिपैलिटियों और धारा-सभाओं के लिए चुने जाते हैं। यदि वे उनका समर्थन करते हैं तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि भ्रमजीवियों की लूट का कुछ हिस्सा अपने मालिकों द्वारा उन्हें भी मिल जाता है।

इसके अलावा खानों, रेला और बैंको को जब जब्त किया जायगा तो उनके शेयरों से जो आमदनी हिस्सेदारों को होती थी वह सरकार को होने लगेगी। दूसरे शब्दा में हिस्सेदारा की क्रयशक्ति सरकार के हाथ में चली जायगी। नतीजा यह होगा कि हिस्सेदारों की क्रयशक्ति पर निर्भर हर दुकान और कारखाने को बन्द करना पड़ेगा और उनमें काम करने वाले मजदूर कर्मचारियों को छुट्टी दे देना पड़ेगा। हिस्सेदारा की सचय करने की शक्ति का अर्थ है नये उद्योग जारी करने और पुगने उद्योग के विस्तार के लिए आवश्यक पूँजी देने की शक्ति। यह शक्ति भी सरकार के हाथ में चनी जायगी। इस प्रकार जो प्रचुर धन-राशि सरकार के पास बना होगी, उसका वह क्या करेगी। यदि वह उसको केवल तहखानों में डाल कर बैठ जाय तो उसका अधिकांश भाग नष्ट हो जायगा और साथ ही काम न मिलने के कारण बहुत से लोग भी नष्ट हो जायगे। सरकार के सामने महान् सकट पैदा हो जायगा। उस दशा में यदि सरकार अपने-आपको तानाशाही सरकार घोषित कर दे और एक-तिहाई जनता से दूसरी तिहाई जनता पर गाली चलवावे और शेष तिहाई जनता अपने धन द्वारा इस सहार का खर्च चलावे तो शायद वह बच सकती है, अन्यथा इसके सिवा वह क्या कर सकती है कि अग्र-रित सम्पत्ति उसके मालिकों को क्षमा-याचना के साथ लीया दे !

सरकार बेकार-शक्तियों के रूप में रूपया वांट सकती है। किन्तु इस से ब्रेटे-डाले जीवन-निर्वाह करने की बुराई का ही विस्तार हागा, जिसमें नष्ट करना कि जब्ती का उद्देश्य था। इससे ता यह अधिक युक्ति-संगत होगा कि सब रूपया जन्तुशुदा बैंकों में डाल दिया जाय और अभूतपूर्व सस्ते भावों पर कारखानेदारों को उधार दिया जाय, ताकि नये उद्योग जारी किये जा सकें और पुरानों का विस्तार हो सके। एक उपाय यह हो सकता है कि जन्तुशुदा उद्योगों में मजदूरियाँ बढ़ा दी जायें जिन्में श्रमिकों की क्रयशक्ति बढ़ जाय और धनिकों के अवसर-प्राप्त आश्रितों को काम मिल सके। दूसरा मनमनीदार उपाय,

संचित धन  
का उपयोग



जो किमी भी तरह अममभय नहीं, यह है, युद्ध छेड़ दिया जाय और जो धन पहले धनिकों पर खराब किया जाता था, वह सैनिकों पर खराब किया जाय । ये उपाय एक दूसरे का बहिष्कार नहीं करते, उन पर एकसाथ अमल किया जा सकता है । उनमें सश्रुत तो पैदा होगा, किन्तु उससे क्या ? पूँजीवाद ने काफी आर म्यशक्ति को एक से दूसरे हाथों में बदला है, बहुसंख्यक नागरिकों को बेकार बनाया है । जब हमने हमेशा गोलमाल किया है तो अब भी क्या न करे ? हम कर सकते हैं । किन्तु जब सरकार न केवल एकाध पूँजीपतियों को, बल्कि उनके लिए विलास-सामग्री बनाने वाले बहुसंख्यक श्रम-जीवियों को तत्काल उत्पादक काम देने की तैयारी किये बिना ही सारे सम्पत्तिमान वर्ग को कुल सम्पत्ति जन्म करेगी तो उसके फलस्वरूप, जो भयकर विस्फोट होगा, उसकी मिसाल पूँजीवाद के इतिहास में न मिलेगा ।

जिस प्रकार जीवन के लिए रक्त का प्रवाहशील होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार सभ्य देश के लिए यह आवश्यक है कि रुपया एक से दूसरे हाथों में जाता रहे । किन्तु निजी सम्पत्ति की आम जन्ती के कारण राष्ट्रीय कोष में रुपया अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जायगा और उसे देश के विभिन्न हिस्सों में बँपन भेजने का प्रश्न सरकार के लिए जीवन और मरण का प्रश्न बन जायगा । इस रुपये का एक बड़ा हिस्सा शहरों और कम्पों का जन्तशुदा भूमि के किरायों से आयेगा । वर्तमान मालिक इन किराया का बर्तों इच्छा होती है, वहाँ लुच कर रहे हैं, वे उन स्थानों में क्वचित ही लुच करते हैं, जहाँ के अधिवासियों के श्रम से कि वे किराये पैदा होते हैं । अतः कस्बों में रहने वालों को आजकल काफी मात्रा में म्युनिमिपल कर देने पड़ते हैं जो उनके लिए बहुत कष्टदायक और भारी पड़ते हैं । यदि वे कर राज्य-कोष से बड़ी-बड़ी रकमों के रूप में दिये जायें तो करदाता इसका स्वागत ही करेंगे । इस उपाय द्वारा राज्य-कोष को रुपये की गर्दी से छुटकारा मिल सकता है ।

इसके अलावा सड़कों पर, समुद्र के भीतर से जमीन निकालने पर, जंगल बनाने पर, जल-प्रपातों पर बड़े-बड़े बाँव बाँवने पर, तग और

गन्दे मकान वाले कस्बों का गिराने पर, और उनके स्थान पर सु-व्यवस्थित, स्वास्थ्यकर और सुन्दर बाग-बगीचों वाले शहर बनाने पर और इसी तरह की अन्य सैकड़ों बातों पर अपना खर्च किया जा सकता है। पूँजीवाद इन बातों को स्वयं मर्मा कल्पना नहीं करना, क्योंकि उनसे मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। किन्तु ये ऐसे काम हैं कि जिन पर काम करने योग्य सब बेकारों को लगाया जा सकेगा।

यह सब बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है, किन्तु कुछ ही क्षण के विचार से पता चलता है कि यह जितना सुन्दर है उतना आमान नहीं है। नगरों को आर्थिक सहायता देने के लिए बड़ी-बड़ी याजनाय बनाने की होगी और उन पर धारा समाजों को महीनों बाढ़ बिबाद करना होगा। पूँजी ग्मी और प्रचुर मात्रा में मिलने का यह अर्थ होगा कि प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों की बाढ़ आजायगी, पैदावार आवश्यकता से अधिक होने लगेगी और अनुमत्त लोग निष्क्रमे उद्योग म्वाल बैठेंगे। सत्तेप में तेजी के बाद मन्त्री आयागी और उसके साथ हमेशा की बेकार, उचित दिवालियेपन आदि का दौर आयेगा। अतः रुपये पर नियन्त्रण प्रार्थ रकने के लिए यह आवश्यक होगा कि राज्य-कोष का नया विभाग कायम किया जाय, नये बैंक म्वाले जायें और उनमें शिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाय। इसी प्रकार अन्य उद्योगों में पुराने प्रबन्धकों के स्थान पर नये कर्मचारी नियुक्त करना होगा, क्योंकि पुराने प्रबन्ध अपने-आप को नई व्यवस्था के अनुकूल मुश्किल ही से बना सकेंगे। इसी प्रकार सड़क बनाने, राह बनाने जैसे सार्वजनिक निर्माण-कार्य मनमाने तौर पर जारी नहा किये जा सकते। उन सब बातों के लिए काफी विचार और व्यावहारिक तैयारी की जरूरत होगी। बिना निश्चित योजना के कुछ नहीं हा सकेगा और योजना बनाने के लिए समय चाहिए। उसके पहले ही सम्पत्ति की ग्राम जती के कारण जो लोग बेकार होंगे, वे मर मिटेंगे।

अतः बिना क्षति-पूर्ति किये सामूहिक राष्ट्रीयकरण अनर्थकारी भिद्द होगा, चिकित्सा का अनर्थ होने के पहले ही रोगी रक्त हो जायगा।

क्रांति हो जायगी। कहा जा सकता है कि क्रांति तो स्वागत करने की वस्तु है। किन्तु क्रांतियों से किमी चीज का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता, बल्कि वह बहुधा मुश्किल ही बनता है। यदि पूँजीपतियों के कालाहल-पूर्ण और अदम्य विरोध के मुकाबिले में अकुशल समाजवादियों द्वारा क्रांति हो जाय तो प्रगति के ध्यान पर प्रतिक्रिया होगी और पूँजीवाद को नया जीवन मिल जायगा। इसलिए उचित यही है कि सावधानी-पूर्वक योजना बना कर क्षति-पूर्ति के साथ एक के बाद एक उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो। यहाँ हमें यह न भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के लिए योग्य होने के पहले उद्योग एक-दूसरे के साथ इतने मिले रहते हैं कि परस्पर मिश्रित आधे दर्जन अन्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किये बिना एक उद्योग का राष्ट्रीयकरण प्रायः असम्भव होता है।

इसके अलावा सम्भव है, बड़े बड़े उद्योगों और थोक-व्यवहारों का राष्ट्रीयकरण करत समय हमें बहुत सारे निजी फुटकर व्यवसायियों को मामूली विभाजन का काम करने के लिए खुला छोड़ देना पड़े। अवरण

ही उनको निर्दिष्ट से अधिक कोमते धमूल नहीं करने

सरकारी

दी जायेगी, किन्तु पूँजीपतियों और भूस्वामियों की

सहायता प्राप्त अपेक्षा हम उनको आजीविका के अच्छे साधन मुलभ

निजी उद्योग

वरेगी और दिवालियेपन के डर में मुक्त कर देंगे।

ग्रामीण लुहारों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने और ग्रामीण लुहारों को सार्वजनिक कर्मचारी बनाने के पहले हम रेलों और कोयले को पाना का राष्ट्रीयकरण करेंगे। कलाकारों, कारीगरों और वैज्ञानिकों को छेड़ने से पहले हम घर-घर बिजली की रोशनी पहुँचाने का प्रबन्ध करेंगे। हम जमीन और बड़े पैमाने पर होने वाली खेती का राष्ट्रीयकरण करेंगे, किन्तु शौक के लिए की जाने वाली फलों की खेती और घरेलू शाक भाजी के बगीचा पर हाथ न डालेंगे।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यह आसान हो जायगा कि निजी उद्योग उन्हीं हद तक चलने दिए जायें जिस हद तक उनको चलने देना सुविधाजनक हो। यदि निजी उद्योगों में अधिक ग्रामदनी होने लगे तो कर लगा कर

इसे सामान्य सीमा तक घटाया जा सकता है। किन्तु सम्भावना यही है कि निजी उद्योगों में काम करने वालों को सरकारी नौकरों की अपेक्षा कम आमदनी होगी। कारण, समाजवाद के अधीन श्रमजिवियों की लूट सम्भव नहीं होगी। उस दशा में निजी उद्योग अपने कर्मचारियों की आमदनी राष्ट्रीय मतह के बराबर रखने के लिए सरकार से सहायता की माँग कर सकते हैं। सरकार उन्हें सहायता दे भी सकती है। उदाहरण के लिए किमी दूरवर्ती गांव या घाटों के लिए, जहाँ इतना आवागमन न होगा हो कि आवागमन के साधन का स्वर्च चल सके, सरकार अथवा म्युनिसिपैलिटी किमी स्थानीय किमान, दुकानदार या होटल वाले को मोटर-लारी चलाने के स्वर्च का एक हिस्सा दे सकती है।

आजकल पूँजीपति सरकारें भी निजी उद्योगों को अधिक मदद देती हैं। इंग्लैण्ड की सरकार ने कुछ वर्षों पहले कोयले की खानों के मालिकों को एक करोड़ पाउण्ड की सहायता दी थी। जब निजी उद्योगों में काफी मुनाफा नहीं होता, तब उन्हें अधिक सहायता देने की समाजवादी पद्धति मुद्द पूँजीपतियों ने ही स्थापित की है। पूँजीपति अब निजी उद्योग चाली करने के लिए खुले तौर पर सरकार से अधिक सहायता की माँग करने लगे हैं जैसा कि वायुयान कम्पनियों के उदाहरण से स्पष्ट है। किन्तु पूँजीवाद के अधीन इसका यह परिणाम हो रहा है कि नये उद्योग चाली करने की मारी जाखिम राष्ट्र के मिर पर थोप दी जाती है, पूँजीपति साग मुनाफा स्वयं हटप कर जाते हैं और क्रोमते यथासाध्य ऊँची से ऊँची रखते हैं। इसके विपरीत होना यह चाहिए कि जब निजी उद्योगों को सहायता दी जाय, तो उनमें कर-दाताओं अर्थात् राष्ट्र का हित भी स्थापित किया जाय। बिना किमी शर्त के निजी व्यवसायियों को अधिक सहायता देना गण्यक्रोप की लूट और करदाताओं की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है।

कुछ समाजवादियों को इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि समाजवादी सरकार निजी उद्योगों को न केवल रखने ही देगी, बल्कि सहायता भी देगी। किन्तु समाजवादी सरकार का काम निजी उद्योग-मात्र को दवाना नहीं है, बल्कि श्राय की समानता लाना और उनको

कायम रखना है। निजी उद्योगों के बजाय सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई माधुन्य में से केवल एक साधन है। अतः किसी विशेष उदाहरण में यदि निजी उद्योग द्वारा वह उद्देश्य अधिक पूरा किया जा सके तो समाजवादो सरकार निजी उद्योग को कायम रहने देगी और आर्थिक सहायता भी दे सकती है। किन्तु जब कोई निजी व्यावसायिक प्रयोग, जिसको सरकार ने आर्थिक सहायता दी हो, किसी नये उद्योग या आरिष्कार को स्थापित करने में सफल हो जायगा, तो वह राष्ट्र के अधिकार में ले लिया जायगा और निजी व्यक्तियों का आज की तरह उन उद्योगों में, जो प्रयोगावस्था में आगे निकल चुके होते हैं, मुनाफा कमाने देने के बजाय नये प्रयोगों में अपना कौशल आजमाने के लिए खुला छोड़ दिया जायगा। उदाहरण के लिए रेलों के उद्योग के बारे में मारी आते मालूम हो चुकी हैं, अतः उनका राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया है, किन्तु वायुयान उद्योग अभी प्रयोगावस्था में है, अतः जबतक रेल-उद्योग की भाँति वह सुस्थापित नहीं हो जाता, उसे राज्य सहायता-प्राप्त निजी उद्योग माना जा सकता है।

इंग्लैण्ड में पूँजीपतियों की सम्पत्ति का काफी मात्र में अपहरण हुआ है। जब पार्लमैण्ट में मून्वार्मिणो, पूँजीपतियों और कारखानेदारों का बहुमत था उस समय श्रमजीवी-वर्गों पर अधिक से-अधिक करों का व'भार डालने की कोशिश की जाती थी और पूँजीपतियों से कर उन्ही समय वसूल किया जाता था, जब आय का उदाहरण और कोई जगिया नहीं रह जाता था। उस समय आयकर, जो केवल पूँजीपतियों को ही देना पड़ता है, प्रति पाँड छः पेन्स में घटा कर दो पेन्स कर दिया गया था। किन्तु जब पार्लमैण्ट में मजूर दल का जोर बढ़ा तो उसने यह कोशिश की कि पूँजीपतियों से श्रमजीवियों की अपेक्षा अधिक कर वसूल किये जायें। अब स्थिति यह है कि आयकर, अतिरिक्त आयकर, मृत्युकर आदि करों द्वारा प्रति वर्ष कराजा रुपा पूँजीपतियों से छुड़ा लिया जाता है। मजा यह है कि जो ब्रिटिश अनुदार सरकार साम्यवाद की निन्दा करती है, सम्पत्ति के

समाजवादी अपहरण को इकैती घोषित करती है, वही सबसे अधिक उसका अनुसरण करती है। इससे बचने के लिए बेन्चॉर इन्लैण्ड के पूँजीपति वर्ष में मात महीने दक्षिणी फ्रान म जाँर रहने लगे हैं।

यद्यपि बड़े-बूढ़ों के मतानुसार धनिकों से जो प्रति वर्ष रकम ली जाती है, वह विस्मयोत्पादक है, किन्तु धनिक जितना दे सकते हैं या सरकार जितना खर्च कर सकती है, उससे अधिक नडा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि क्रयशक्ति धनिकों से गरीबों के हाथों में चली गई है और बहुत से पुराने धनों निर्धन हो गये हैं। किन्तु साथ ही पूँजीवाद का इतना विश्वास हुआ है कि पहले की अपेक्षा धनिकों की संख्या बढ़ गई है और धनी अधिक धनी हो गये हैं, फलतः विनाश की चीजों के व्यवसायों का विस्तार हुआ है और श्रमिकों का अधिक काम मिला है। इससे मिद्ध हुआ कि सम्पत्ति से हाने वाली श्रम को निश्चिन्त होकर श्रम किया जा सकता है, यथा कि उसका तत्काल पुनर्विभाजन किया जा सके। राष्ट्रीयकरण के लिए यह आवश्यक है कि मान्दिकता की क्षतिपूर्ति की जाय और उद्योगों के मन्त्रालयों की पूर्ण तैयारी हो। किन्तु जब उद्देश्य राष्ट्रीयकरण न हो, बल्कि क्रयशक्ति एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी के लोगों के अर्थात् आमतौर पर धनिकों ने गरीबों के हाथ में देकर पूँजीवादी प्रणाली के भीतर ही श्रम को पुनर्विभाजन करने का इरादा हो तो परिवर्तन की रफ्तार इतनी तेज न होनी चाहिए कि जिसे पूँजीवादी व्यापारी अपना न सके अन्यथा उनमें से बहुतों का दिवाला निकल जायगा।

गत महायुद्ध में जन-धन का भीषण महार हुआ। देश के नवयुवकों को उनकी इच्छा-अनिच्छा को परवाह न करते हुए मेना में काम करने के लिए विवश किया गया, किन्तु पूँजीपति सरकार होने के कारण पूँजीपतियों को रुपया देने के लिए विवश नहीं किया गया। पूँजीपतियों से जो रुपया लिया गया, वह की हकीकत फर्न। मैकडा वार्षिक व्याज पर उधार लिया गया। गत महायुद्ध के पहले इन्लैण्ड का राष्ट्रीय-श्रमण ६६ करोड़ था,

यह युद्ध के बाद ७ अरब हो गया। इंग्लैण्ड इस ऋण पर पैतीस करोड़ से अधिक प्रति वर्ष सूद अदा करता है। यह रुपया कहा से आता है ? सम्पत्ति के मालिकों से, आयकर, अतिरिक्त आयकर और मृत्युकरों के रूप में ३८ करोड़ वार्षिक वसूल किया जाता है, उसी में से यह चुकाया जाता है। इस प्रकार इंग्लैण्ड की सरकार इंग्लैण्ड के पूँजीपतियों को एक हाथ से ३२ करोड़ पचास लाख सूद देती है और ३८ करोड़ २० लाख करो द्वारा दूसरे हाथ से वसूल कर लेती है। पूँजीपतियों को अपनी सम्पत्ति का यह खुला अपहरण क्यों नहीं अखरता ? बात यह है कि युद्ध-ऋण सभी पूँजीपतियों ने नहीं दिया, किन्तु कर सभी पूँजीपतियों को देने पड़ते हैं। इसलिए, यद्यपि सामूहिक रूप में पूँजीपति घाटे में रहते हैं, किन्तु युद्ध-ऋण देने वाले न देने वाले पूँजीपतियों के बलिदान पर लाभ उठाते हैं। इस विचित्र स्थिति को देखते हुए मजदूर दल इस कारण यह कह सकता है कि राष्ट्रीय ऋण को मसूल कर दिया जाय, जिससे राष्ट्र को यह शिकायत न करनी पड़े कि वह अपने ही ऋण के असह्य भार के नीचे लड़खड़ा रहा है, और कुल मिला कर पूँजीपतियों को भी लाभ हो। इस प्रकार ऋण को मसूल करने का यह अर्थ होगा कि नमस्त राष्ट्र की दृष्टि से बिना एक पैसा खर्च किये नागरिकों के एक वर्ग में आय का पुनर्विभाजन हो जायगा।

सरकार को जो रुपया उधार दिया जाता है, वह जबतक चुका नहीं दिया जाता, तबतक ऋणदाता को बिना कुछ किये निश्चित आय होती रहती है। इसलिए यह विचित्र दृश्य देखने को मिलता है कि ऋणदाता अपना रुपया वापस पाने को उत्सुक नहीं होते। सरकार को ऋण प्राप्त करने के लिए यह वादा करना पड़ता है कि इतने वर्ष पहले ऋण अदा न किया जायगा। पूँजीवादी नैतिकता के अनुसार जो लोग सूद के धजाय पूँजी पर निर्वाह करते हैं वे अपव्ययी समझे जाते हैं। अतः पूँजीपति हमेशा इस बात का खयाल रखते हैं कि उनकी पूँजी कहीं-न-कहीं लगी रहे और उससे होने वाली आय बन्द न हो। किन्तु जो पूँजी किसी उद्योग में लगाई जाती है, उसे तो उद्योग में काम करने वाले

श्रमिक ला जाते हैं और जब पूँजी एक चार खा ली गई तो फिर कोई मानवी-शक्ति उसको अस्तित्व में नहीं ला सकती।

गत महायुद्ध में इंग्लैण्ड का जो रूपया खर्च हुआ, वह उत्पादक कार्य में नहीं, बल्कि संहार कार्य में खर्च हुआ। यद्यपि वह रूपया कमी का हवा में उड़ चुका। फिर भी कहा यह जाता है कि इंग्लैण्ड के चन्द पूँजीपति ७ अरब के मालिक हैं। एक ओर कहा जाता है कि देश की सम्पत्ति में ७ अरब की वृद्धि हुई और दूसरी ओर ३५ करोड़ हर साल उन लोगों को दे दिए जाते हैं जो रत्ती भर काम नहीं करते और देश को दरिद्र बनाते हैं। यदि यह ऋण चुकाने में इन्कार कर दिया जाय तो ३५ करोड़ सालाना बच जाय और निम्नले पूँजीपति अपने निर्वाह के लिए परिश्रम करना शुरू कर दे। इसके विरुद्ध आपत्ति है तो यही कि ऐसा करना बचन-भंग करना होगा, जिसके फलस्वरूप इंग्लैण्ड का सरकार को आगे कोई कर्ज देने को तैयार न होगा।

कड़ने का आशय यह है कि युद्ध में जो प्रचुर व्यय हुआ, उससे सम्पत्ति के साधना में वृद्धि होने के बजाय उनका सर्वनाश ही हुआ है और पहले की अपेक्षा विभाजन के लिए आय कम रह गई है। युद्ध ने तीन साम्राज्यों को उग्राड फेरा और यूरोप में एकत्री के स्थान पर प्रजातन्त्री शासन-व्यवस्था स्थापित कर दी। इस राजनीतिक परिणाम को कोई पसन्द या नापसन्द कर सकता है, किन्तु युद्ध का आर्थिक बाँझ तो राष्ट्रों पर उग्रों-का त्यों पड़ता रहेगा। अवश्य ही युद्ध ऋण की मौजूदा व्यवस्था से पूँजीपतियों में आय का पुनर्विभाजन होता है, किन्तु उससे न तो आय की समानता स्थापित हो सकती है, न आलस्य का खात्मा। हाँ, इस उदाहरण से यह साधित हो जाता है कि यदि सरकार बहुसंख्यक भ्रमजीवियों को काम में लगा सके, चाहे वह संहारक काम ही क्यों न हो, तो पूँजीपतियों की करोड़ों की पूँजी का अपहरण किया जा सकता है।

यदि सरकार ऋण अदा करने से इन्कार करदे तो उस की माख नष्ट हो जायगी। किन्तु यही ऋण पूँजी पर कर लगा कर उड़ाया जा



सकता है। वह इस तरह की सरकार से रुपये कि पूँजी पर सौ रुपया कर लगा दे। यह सम्पत्ति का विगुड अपहरण ऋण-विमोचन होगा। यदि एक साथ ऐसा करने से गड़बड़ होने का उपाय को सम्भावना हो तो सौ प्रतिशत के बजाय कर पचास, दस अथवा पाँच प्रतिशत के हिमात्र से और हर दस वर्ष में एक बार लगाया जा सकता है। इस तरह इंग्लैण्ड की सरकार उन करों को हटा सकती है, जिन्हें वह युद्ध-ऋण का गूद चुकाने के लिए लेती है। यदि वह अनुदार टल की अर्थात् पूँजीपति सरकार हुई तो वह पूँजीपतियों के कर कम कर देगी और मजदूर सरकार हुई तो उस रुपये को श्रमजीवियों की भलाई में खर्च करेगी। इस उपाय द्वारा जहाँ एक ओर धनिकों को और धनी बनाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों के सुख में भी वृद्धि की जा सकती है।

किन्तु यदि लोगों को यह मालूम होजाय कि सरकार इस प्रकार के करों द्वारा उनकी सम्पत्ति को कभी भी जब्त कर सकती है तो उनकी निश्चितता की भावना नष्ट हो जायगी। वे रुपया इकट्ठा करना बन्द कर देंगे और अन्धाधुन्ध खर्च करेंगे। जब प्लेग का जोर होता है तो लोगों को अपने जीवन के बारे में कोई स्थिरता मालूम नहीं देती, अतः वे एक दिन के मौज-मजे के लिए चरित्र की कोई चिन्ता नहीं करते। इसी प्रकार नियमित वार्षिक आयकर के अलावा सम्पत्ति पर लगाये जाने वाले अन्य प्रत्यक्ष कर आर्थिक प्लेग के द्योतक हैं। वे व्यावहारिक भले ही मालूम पड़ें, किन्तु हैं अविवेकपूर्ण !

अवतक के विवेचन से हमने जान लिया कि समाजवाद का उद्देश्य समाज में आय की समानता कायम करना है। इन उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो।

हमने देखा कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का सबसे निरापद

अन्तिम तरीका यह है कि सब पूँजीपतियों पर आयकर लगाकर निष्कर्ष मालिकों की क्षतिपूर्ति की जाय। साथ ही हमने यह भी मालूम किया कि उद्योगों से पैदा होने वाली आय को सरकार

किस प्रकार बाट सकती है। अब समाजवाद का सारा कार्यक्रम हमारे सामने है। उसकी व्यावहारिकता के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आंशिक रूप में वह कई जगह अमल में आ रहा है। उसमें आश्चर्य का बात है तो यही कि उसमें कोई विचिन्ता नहीं है। किन्तु एक सवाल बाकी रह जाता है, वह यह कि आय के विभाजन का काम सरकार के हाथ में चले जाने के बाद यदि सरकार चाहे तो आय का असमान बंटवारा कर सकती है और वर्तमान असमानता को कम करने के बजाय और बढ़ा सकती है। जॉन वैनियन ने, जो एक प्रसिद्ध तत्वचिन्तक हुए हैं, कहा है कि स्वर्ग के द्वारों से भी नरक को जाने का रास्ता है और इसलिए स्वर्ग का रास्ता नरक का रास्ता भी है। उस रास्ते जो आदमी नरक का जाता है, उसका नाम है अज्ञान। अतः यदि हम अज्ञानी बन कर समाजवाद के रास्ते पर चलेंगे तो राज्य-पूँजीवाद (State Capitalism) के समुद्र में गर्क हो जावेंगे। अवश्य ही राज्य-पूँजीवाद पूँजीवादी एकतन्त्र (फासिज़्म) द्वारा वर्तमान काल की कुछ भयंकर बुराइयों को नष्ट करके जनता का अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा, मजदूरियों को बढ़ावेगा, मृत्यु-श्रोतन घटावेगा, गोग्य स्त्री-पुरुषों के विकास का मार्ग खोलेंगा, अन्यवस्था का दमन करेगा, किन्तु आर्थिक असमानता के अनर्थ के आगे उसकी कुछ न चलेगी। इसलिए यह अत्यन्त महत्व की बात है कि हम समाजवाद का बृद्धिपूर्वक अनुसरण करें और उसके उद्देश्य को अर्थात् आय के समान विभाजन को अपनी श्रॉलों से कभी शोभल न होने दें।

: २ :

## क्रान्ति बनाम वैध पद्धति

हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है और उसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय का समान विभाजन हो सकता है। किन्तु अब सवाल यह पैदा होता है कि जड़तक राज्य-मत्त पूँजीपतियों के पाम में समाजवादियों के

हाथ में न आ जाय, तबतक यह कैसे सम्भव होगा। यदि देश का शासन जनतन्त्रात्मक पद्धति पर होता है तो यह मानी हुई बात है कि चुनाव में जिस दल का बहुमत होगा, उसी के हाथ में राज्य-सत्ता होगी। यह बिल्कुल सम्भव है कि धारग-सभा के किसी चुनाव में ऐसे लोगों का बहुमत हो जाय जो समाजवाद के पक्षपाती हों। इस पर यदि पूँजीपति चुप हो जाते हैं तो कोई बाधा उपस्थित न होगी, किन्तु यह हो सकता है पूँजीपति चुनाव के निर्णय को स्वीकार न करें और लड़ने के लिए कटिबद्ध हो जायँ। उस दशा में टिकाय इसके और कोई उपाय नहीं रह जाता कि दोनों पक्ष खुले मैदान में अपनी-अपनी ताकत को आजमाइश करले। जो अधिक बलशाली होगा, अन्त में वही विजयी होगा। किन्तु यह नहीं मान लेना चाहिए कि इस संघर्ष में पूँजीपति एक तरफ होंगे और सब श्रमजीवी दूसरी तरफ। यह बिल्कुल सम्भव है कि वे बहु-संख्यक, जो अपनी आजीविका के लिए पूँजीपतियों पर निर्भर करते हैं, पूँजीपतियों का साथ दे। ऐसी हालत में संघर्ष और कड़ा और लम्बा हो सकता है।

किन्तु देश की सरकार पूँजीपतियों के पास से समाजवादियों के हाथ में कैसे भी जाय—चाहे वैध पद्धति में, चाहे भयकर रक्तपात द्वारा—केवल इतने से ही व्यावहारिक रूप में समाजवाद की स्थापना नहीं हो जायगी। रूस का उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। उस देश में सन् १९१७ की महान् राज्य-क्रान्ति के फलस्वरूप मार्क्स के अनुयायी साम्यवादियों की ऐसी विजय हुई कि वे जार से भी अधिक शक्तिशाली सरकार कायम कर सके। किन्तु रूस में जार ने समाजवादी सस्थाओं को पनपने नहीं दिया था, इसलिए रूस की नई सरकार के सामने रास्ता साफ न था। उसने हर तरह के नोसिलिये प्रयोग किये। अन्त में उसको यह स्वीकार करना पड़ा कि किसान जमीन पर अधिकार रख सकते हैं और उसकी उत्पत्ति बेच सकते हैं। इसके अलावा देश के उद्योगों को भी बहुत कुछ निजी कारखानेदारों के हाथों में छोड़ देना पड़ा।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि रूस की क्रान्ति असफल हुई। रूस में अब यह बात मान ली गई है कि पूँजी मनुष्य के लिए बनाई गई थी,

मनुष्य पूँजी के लिए नहीं। बालकों को पूँजीवाद की स्वार्थपरायण नीति के बजाय साम्यवाद की ईसाई नीति की शिक्षा दी जाती है। धनिकों के महल और विलास गृह श्रमिकों के मनोरंजन के लिए काम में आते हैं। आलसी स्त्री-पुरुषों को तिरस्कार की दृष्टि में देखा जाता है और श्रमिक आदर पाते हैं। कला के भण्डार सर्व-साधारण के लिए सुलभ कर दिये गए हैं। गिरजाघर भूठ और दम्भ की शिक्षा नहीं दे सकते। यह सब इतनी अच्छी अवस्था है कि लोगों को उसकी सच्चाई में मन्देह हो जाता है। किन्तु यह समाजवाद नहीं है। वहाँ आय की काफी अनमानता विद्यमान है, जो साम्यवादी प्रजातंत्र को फ्राम और अमेरिका-जैसे पूँजीवाद प्रजातन्त्र में बदल दे सकती है।

यद्यपि रूसी राज्य-क्रान्ति के फलस्वरूप रूसी लोगों के स्वाभिमान में वृद्धि हुई है और रूसी सरकार का सब पूँजीपति-विरोधी हो गया है, फिर भी वह उतना समाजवाद स्थापित नहीं कर सकी है जितना कि इंग्लैण्ड में मौजूद है। रूस में मजदूरियाँ भी इंग्लैण्ड में बहुत कम मिलती हैं। इसका कारण यह है कि जिस हद तक पूँजीवाद का विस्तार हो चुका है, उसी हद तक समाजवाद का विस्तार हो सकता है। समाजवाद का विस्तार वर्तमान आर्थिक सम्यता के विनाश पर नहीं, विकास पर निर्भर करता है। समाजवाद पूँजीवाद से उत्तराधिकार में मिली हुई सम्यति को नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी नये ढंग से व्यवस्था करना चाहता है, और चाहता है उससे पैदा होने वाली आय को नये ढंग से बाँटना। रूस में पूँजीवाद का उस हद तक विकास नहीं हुआ था, बोल्शेविकों के पास इतने सगठित पूँजीवादी उद्योग नहीं थे, कि जिनके आधार पर वे अपनी इमारत खड़ी करते। रूसी लोगों को ठेठ नाव से शुरूआत करनी पड़ी।

इसका यह अर्थ हुआ कि यदि पूँजीपति वैध परिवर्तन को स्वीकार न करें तो उसकी सत्ता को नष्ट करने के लिए राजनैतिक क्रान्ति आवश्यक हो सकती है। किन्तु न तो हिंसात्मक क्रान्ति से और न शान्तिपूर्ण परिवर्तन से स्वयमेव समाजवाद की रचना हो सकती है। यही कारण

है कि जो समाजवादी अपने लक्ष्य को समझते हैं, वे रक्त-पात के विरुद्ध हैं। वे दूसरे लोगों की अपेक्षा कुछ नरम नहीं हैं, किन्तु वे जानते हैं कि रक्तपात से उनकी उद्देश्य-सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए वे क्रमिक विकास में विश्वास करते हैं। यह मानी हुई बात है कि हिंसात्मक क्रांति में धन जन का भीषण संहार होना है और समाज में बड़ा गोलमाल फैल जाता है। उसको ठीक करने के लिए अन्त में पुनः स्थायी शासन-व्यवस्था की शरण लेनी पड़ती है। कामवेल, नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर और लेनिन-जैसे शक्तिशाली और दृढ़ शासक सामने आते हैं, किन्तु वे या तो शीघ्र ही मर जाते हैं या अपनी शक्ति खो देते हैं। राजाओं, सेनापतियों और भ्रमजीवी मत्ताधीशों को समान रूप से पता चलता है कि किमी-न-किमी प्रकार की कॉन्सिलो या पार्लमैण्टों के बिना अधिक काल तक वे अपना काम नहीं चला सकते। यह अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि प्रतिनिध्यात्मक शासनतंत्र ही सब से अधिक सफल और स्थायी शासनतंत्र होता है, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना भ्रमभूत-से-भ्रमभूत सरकार भी टूट जाया करती है। आयरलैंड में अंग्रेजों की सरकार की यह दशा हुई थी।

इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि क्रांति के बाद भी हम को वैध पद्धति से ही समाजवाद की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। हमको पुनः धारा-सभायाँ और बहुमत का सहारा लेना पड़ेगा। हमको कानून द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करनी होगी। किन्तु कानून बना देने मात्र से समस्या हल नहीं हो जायगी। उदाहरण के लिए यदि हम ऐसा कानून बनावे कि देश के हर बालक को काफी दूध-रोटी और रहने के लिए अच्छा भवन मिलना चाहिए तो जबतक हम आवश्यक पाक-शालायाँ, गोशालायाँ और मकानों की व्यवस्था न करलें, वह कानून मृत-कानून ही रहेगा। इसी प्रकार यदि हम ऐसा कानून बनावे, कि हर स्वस्थ बालिक आदमी को अपने देश के लिए नित्य आठ घण्टे काम करना चाहिए तो जबतक हमारे पास सब लोगों को देने के लिए काम न हो, जबतक हम उस कानून पर किस प्रकार अमल कर सकेंगे ? रचनात्मक

और उत्पादक योजनाओं को जारी करने के लिए बहुमूल्यक लोगों को काम पर लगाना होता है, कार्यालय स्थापित करने होते हैं, शुरुआत के लिए प्रचुर मात्रा में रुपये की व्यवस्था करनी होती है और मार्ग-प्रदर्शन के लिए विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की सेवाएँ प्राप्त करनी पड़ती हैं। इन सब माधनों के बिना समाजवाद के लिए जागी की गई राजकीय घोषणाओं का रही कागज के टुकड़ा से अधिक मूल्य नहीं हो सकता। हम सिविल और म्यूनिसिपल सर्विमा के विस्तार, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और निर्दिष्ट वार्षिक योजनाओं द्वारा ही आय की समानता के आदर्श के अधिकाधिक निकट पहुँच सकेंगे।

हम इस प्रकार आदर्श के इतने नज़दीक पहुँच सकते हैं कि यदि बाद में थोड़ी बहुत असमानता बाकी रह भी जाय तो हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। इस समय जबकि एक ओर एक बालक लाम्बा की सम्पत्ति का स्वामी होता है और दूसरी ओर लाखों बालक अपर्याप्त आहार के मारे मर रहे हैं, आय की समानता के आदर्श के लिए आवश्यक हो तो लडा और मरा जा सकता है। किन्तु देश के सर बालकों का पेट भर जाता हो और उनके बाद किसी बालक के माता पिता पाच-दस रुपया अधिक प्राप्त करले तो यह इतनी बड़ी घटना न होगी कि जिसको रोकने के लिए हम कमर कम कर मैदान में उतर पडे। समस्त सामाजिक मुद्धारों की अपनी सीमा होती है। उन पर तार्किक मन्गूर्णता या गणित जैसी सूक्ष्मता के साथ अमल नहीं किया जा सकता। अतः यदि हम सब समान रूप से सम्बल हो जाने हैं और कोई भी आदर्शों बिना ऊँच नीच के ग्वयाल के हर कर्षी अपनी सन्तान के शादी-ब्याह कर सकता है तो हमको राष्ट्रीय आय के विभाजन में एकाध पैसे के अन्तर पर नहीं भ्रगडना चाहिए। सार यह कि आय की समानता मूल-भूत सिद्धान्त रहना चाहिए और उसका अधिकाधिक पालन किया जाना चाहिए।

## कितना समय लगेगा ?

अब प्रश्न यह है कि परिवर्तन में कितना समय लगेगा ? यदि बहुत समय तक परिवर्तन न हो या बहुत धीरे-धीरे हो तो हिंसात्मक क्रान्ति हो सकती है जो राय जन सख्या को तबाह करके भयानक समानता पैदा कर दे सकती है; किन्तु इस प्रकार पैदा हुई समानता स्थायी न होगी। जहाँ दृढ़ सरकार हो, कानूनों का विस्तृत समूह हो, समाज व्यवस्थित और अत्यन्त सभ्य हो, वहाँ आर्थिक समानता स्थापित की और कायम रखी जा सकती है। जिस सरकार में सशर्पात्मक शक्तियों का जोर हो, वह दृढ़ सरकार नहीं हो सकती। दृढ़ सरकार वही होती है जिसको बहु-संख्यक लोगों का नैतिक समर्थन प्राप्त हो। नीति-भ्रष्ट सरकार टिक नहीं सकती और न समाजवादी परिवर्तनों पर अमल कर सकती है। वे परिवर्तन विचारपूर्वक थोड़ी-थोड़ी मात्रा में और इतने लोक-प्रिय होने चाहिए कि दृढ़ता-पूर्वक स्थापित हो सके।

यह दयनीय बात है कि परिवर्तन अधिक तेजी के साथ नहीं किया जा सकता। जब हजरत मूसा ने मिश्र में इजराइलवासियों को बन्धन-मुक्त किया तो वे स्वतन्त्रता के इतने अप्रोग्य हो गये थे कि उनको चालीस वर्ष तक रेगिस्तान में चारों ओर भटकना पड़ा, जबतक कि बन्धन में रहे हुए अधिकतर लोग मर न गये। जिस स्थान पर उन लोगों को पहुँचना था, वहाँ चालीस सप्ताह में आसानी से चल कर पहुँचा जा सकता था, किन्तु गुलामी की अवस्था में वे सुगन्धित और आराम में रहे थे, इस लिए खतरा और कठिनाइयों का सामना करने में उनकी शक्ति नष्ट हो गई थी। यदि हम उन लोगों पर, जिनको तैयार नहीं किया गया है, एकमात्र समाजवाद लादने की कोशिश करेंगे तो हमको भी उसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वे समाजवाद

को ताड़ डालेंगे। कारण, वे न तो उसको समझ सकेंगे और न उसकी मस्यात्रा को चला सकेंगे। मार्क ट्वेन ने एक जगह कहा कि मुधार के लिए समय गुजर चुका, ऐसा कभी नहीं होता। और जो परिवर्तन से भय वाते हैं वे हम आश्वामन पर सन्नाह मान मरते हैं कि परिवर्तन जल्दी होने की अपेक्षा देरी से होने में ज्यादा खतरा है। वह जितना ही धीरे आवेगा, उतना ही अधिक कष्टदायी होगा। यह अच्छा ही है कि हम में से जो लोग अपने विकास क्रम के कारण समाजवाद के मर्वाथा अयोग्य हैं, वे हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। यदि हमारे लिए इतना ही सम्भव हो जाय कि हम अपने बच्चों को विगाडना बन्द कर सके तो हमारे राजनैतिक अन्ध-विश्वास और पक्षपात हमारे साथ ही खत्म हो जायेंगे और आगामी पीढ़ी जेरिनों की दीवारा को धराशायी कर सकेंगी।

इसके अलावा अधिक स्वाथ साधुता के खिलाफ लोक मत का नैतिक दबाव अपना काम करेगा ही। समाजवाद के अधीन वह राष्ट्रीय अन्तःकरण का उसी प्रकार अग हो जायगा जिस प्रकार कि पूँर्जावाद के अधीन औरों की अपेक्षा अधिक रुपया कमाना और उसके लिए कोई श्रम न करना सफल जीवन का शानक समझा जाता है। आज भी लोग हमेशा वही धन्धा नहीं चुनते हैं जिसमें सब से अधिक रुपया पैदा होने की सम्भावना होती है। वे अपने स्वभाव के अनुकूल काम प्राप्त करने के लिए अत्यधिक आर्थिक लाभकारी धन्धे को भी छोड़ देते हैं। किन्तु अब वे अपना काम पसन्द कर लेते हैं तो उसके बदले में अधिक से- अधिक रुपया पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए भविष्य में भी जिस हद तक उनको काम पसन्द करने की स्वतन्त्रता रहेगी, वे उसका उपयोग करेंगे। आजकल बहुत कम लोगो को ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त है। किन्तु यह कल्पना की जा सकती है कि समाजवादी भविष्य में अपने पडोसियों की अपेक्षा अधिक आर्थिक लाभ पाने का प्रयत्न इतना खराब समझा जायगा कि धोखेबाज ताश के गिलडी की भाँति सामाजिक प्रतिष्ठा को खोये बिना कोई उसका आश्रय न ले सकेगा।



## रूसी साम्यवाद

रूस दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है। वह दुनिया के एक-छूटे हिस्से में फैला हुआ है। उसकी आबादी १७ करोड़ ५० लाख है और घरावर बढ़ रही है। इस देश ने पूँजीवाद को उन्नाद फेंका है और उसके स्थान पर साम्यवाद को अपनी नीति और सिद्धान्त बनाया है। वह मार्क्स को अपना देवता मानता है।

रूस में मन् १९१७ में क्रान्ति हुई। उसके बाद शुरू के कुछ वर्षों, वहाँ ऐसी खराब हालत रही कि लोग साम्यवाद को एक अतन्भव मन् समझने लगे। किन्तु आज राम वर्ष बाद रूस दुनिया के सामने यह उदाहरण पेश कर रहा है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी दृष्टियों से पूँजीवाद की अपेक्षा समाजवाद सैफो गुना श्रेष्ठ है। क्रान्ति के बाद रूस की आगडोर जिन लोगों के हाथ में आई उन्हें शासन का कोई ग्याम अनुभव न था और इसलिए उनके हाथों बहुत-सी गलतियों भी हुईं। किन्तु उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाया नहीं और पूँजीपतियों की तरह लोगों को धोखे में नहीं रक्खा। ज्योंही उन्हें अपनी भूल महसूस हुई कि उन्होंने खुले दिल से दुनिया पर उसे प्रकट किया और तेजी के साथ अपना रास्ता बदल दिया।

उन्होंने कार्ल मार्क्स की पूजा की। इसमें कोई शक नहीं कि मार्क्स महापुरुष हुआ है, किन्तु महापुरुष किमो व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाना नहीं जानते। फ्रेड्रिक एन्गल्स कार्लमार्क्स का बड़ा पक्का दोस्त था। इन दोनों ने मिल कर वह प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणापत्र लिखा जो आधुनिक ग्रन्थों में अपना अन्पतम स्थान रखता है। उन्होंने साम्यवाद को वैज्ञानिक जामा पहनाने की कोशिश की है। किन्तु विचार ~~के~~ व्यवहार दो अलग-अलग चीजे हुआ करती हैं। जैसाकि पहले

बनाया जा चुका है कि निजी सम्पत्ति और व्यक्तिगत मुनाफारोगी की प्रथा को तभी उठाना चाहिए जबकि सरकार सब लोगों को काम देने की व्यवस्था कर सके और उत्पादन एक क्षण के लिए भी न रुके। अन्यथा देश को बेकारी और गरीबी का सामना करना पड़ेगा।

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आजकल किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जहा मजदूरों की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रबन्धकों और कुशल कारीगरों के बिना भी काम नहीं चल सकता। वगैरे मजदूर जहाज के मल्लाहों के समान होते हैं जो कप्तान के अभाव में जहाज को निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा सकते। अवश्य ही कारखानों के प्रबन्धक, जब वे पूँजापतियाँ के अधीन होते हैं, मजदूरों के प्रति बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए जब क्रान्ति होती है तो उन्हें लोगों का शत्रु समझा जाता है और निकाल बाहर किया जाता है। किन्तु जबतक नई सरकार के पास उनकी जगह लेने वाले योग्य व्यक्ति न हो तब तक ऐसा करना उचित नहीं होता।

दूसरी विचारणीय बात यह है कि सरकारी नौकर अपने वेतन पर ही मस्तोप नहीं करते। जो काम उन्हें साधारणतः करना चाहिए, उसे करने के लिए वे जनता से रिश्तन खाते हैं। पूँजापतियों समाज में यह बीमारी इतना घर कर गई है कि कई देशों में सरकारी नौकर अपने पातइतों की तनखवाहें चुराते हैं और यह मिलमिजा ऊपर से लगा कर नीचे तक जारी रहता है।

तीसरे यह परम्परा बन गई है कि सरकारी नौकरों को जनता के प्रति उद्दण्ड व्यवहार करने में सकोच नहीं होता और जो वेतन उन्हें मिलता है, उसके बदले वे कोई काम नहीं करते।

रूस में जारशाही का ख़ात्मा सन् १९१७ में लिबरल क्रान्ति द्वारा हुआ और उसके स्थान पर पार्लैमेंटरी सरकार स्थापित हुई। उसके कर्णधारों ने बातें तो बड़ी-बड़ी बोलनी शुरू कीं, किन्तु हालत में कुछ सुधार न किया। रूस किसानों का देश है। इन किसानों को सन् १९१४-१८ के युद्ध में मित्रराष्ट्रों के पक्ष में लड़ने के लिए सेना में भर्ती

किया गया था। मन् १९१७ के लगभग उनका सारा उत्साह टण्डा पड़ गया, जो लडाई के मोर्चे पर पहली बार जाने के समय पैदा होता है। उस समय इंग्लैण्ड में सेना की नई भर्ती मन्द पड़ गई थी और लोगों को खाइयों में ख़वने के लिए अनिवार्य-सैनिक-सेवा का कानून जारी करना पड़ा था। अंग्रेजी सेना के पास हथियारों की कमी न थी और खाने को भी भरपूर मिलता था। उनके परिवारों को भी उचित आर्थिक सहायता दी जाती थी। किन्तु रूसी सैनिक इस सब से वंचित थे। उनमें से कइयों के पास न हथियार थे और न अन्य साधन-सामग्री। लडाई उनकी समझ के बाहर की बात थी। वे सिर्फ यह जानते थे कि एक विदेशी राजपुरुष को, जिसका उनके साथ कोई सम्बन्ध न था, किसी ने मार डाला है और इसीलिए यह लडाई हो रही है। सुगठित जर्मन सेना ने मन् १९१७ के लगभग चारों ओर से रूसी सेना को सहार और परास्त करना आरम्भ किया। फलतः रूसी सैनिक बड़ी तादाद में भागने लगे। उन्होंने अक्सरों पर अफसरी करने के लिए कमेटियों भी सुगठित कीं। किन्तु इससे हार न रुकी। आखिरकार आगी सैनिक, जिनके पास अपने खेत थे, वे खेत पर लौट आये। जिनको खेतों पर मजदूरी मिली, वे मजदूरी करने लगे। किन्तु अधिकतर बेकारों की टोली में शामिल हो गये और शान्ति तथा भूमि के लिए शोर मचाते हुए पेट्रोग्रोट की सड़कों पर भटकने लगे।

रूस की उदार सरकार बातें बनाती रही और लडाई को इस तरह जारी रखना मानों कुल्लु हुआ ही न हो। इस मौके पर लेनिन सामने आया। वह आग उगलने वाला नेता ही नहीं, बल्कि अपने जमाने का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ साबित हुआ। लेनिन ने सैनिकों और नाविकों को शान्ति का आश्वासन दिया और थल और जल सेना का प्रेम-पात्र बन गया। किसानों को, जिनमें से अधिकांश फिर सिपाही बन गये थे, जमीन देने का वादा किया। इस प्रकार इन ताकतों को अपनी पीठ पर करके लेनिन ने करेन्सकी के सरकार को उखाड़ फेंका और देश से निकाल बाहर किया। उसने जर्मनी के साथ मुलह कर ली और

इस प्रकार शान्ति स्थापित करने का वादा पूरा किया। इसके लिए उसे रूसी पोलैण्ड छोड़ना पड़ा और बाल्टिक प्रान्तों में स्वतन्त्र प्रजातन्त्रों का कायम होना बर्दाश्त करना पड़ा। इस पर मित्रराष्ट्रों ने और वहाँ के अनेक उग्र क्रान्तिकारी समाजवादियों तक ने लेनिन की इस कार्य के लिए निन्दा की कि उसने अपने देश को यूरोप के शत्रु अर्थात् तत्कालीन जर्मन सरकार के हाथ बेच दिया।

लेनिन और उसके मट्टीभर अनुयायियों को इसके सिवा कुछ चिन्ता न थी कि साम्यवाद की स्थापना हो। किन्तु वे अधिकारारूढ़ उन किसानों, सैनिकों और मजदूरों की महायता से हुए थे जो साम्यवाद से उतने ही अपरिचित थे, जितने कि गणित से। वे केवल शान्ति के लिए ही उत्सुक न थे, बल्कि जमीन पर किसानों का स्वामित्व चाहते थे, जिसे कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का उग्र और कट्टर रूप कहना चाहिए। ऐसे लोक-समर्थन के सहारे इन मट्टीभर आदमियों ने ऐसी सेना खड़ी की है जो दुनिया में सबसे बड़ी है और खेती की ऐसी पद्धति जारी की है जिसका सम्मिलित रूप मुख्य अंग है। मुजिक किसानों ने, जो कभी बदल ही नहीं सकते, अपनी आँवों से देख लिया कि उनके बच्चों को उनसे बिल्कुल भिन्न बना दिया गया है।

किन्तु जिम तरीके से यह परिणाम आया, वह कुछ अच्छा न था। अवश्य ही यह उतना कठोर और लम्बा न था, जितना कि कारगणों का पूँजीवादी विकास का तरीका होता है। वर्षों तक परित्यक्त बच्चों की छोटी-छोटी टुकड़िया देश में जहाँ-तहाँ घूमती हुईं नजर आती थीं। उनका काम था भीख मागना और चुराना। शिक्षाधिकारियों ने इन बच्चों को पकड़ने और सुधारने के लिए घोर श्रम किया। वे बार-बार भाग जाते थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया जा सका कि इधर-उधर मारे-मारे फिरने की अपेक्षा अनुशासित जीवन वास्तव में अधिक स्वतन्त्र और सुखी जीवन है। बाद में इसमें से कुछ ऊँचे-ऊँचे ओहदे पर भी पहुँचे, किन्तु इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है कि उनमें से हजारों प्यास, शीत और रोगों के शिकार बन गये।

आज रूस में एक भी शालक ऐसा न मिलेगा, जो भूखा हो, फटे-हाल हो अथवा अपने अनुकूल शिक्षा न पा रहा हो। लेकिन यह जानता था कि साम्यवाद की मफलता उम पीढ़ी पर निर्भर करती है जो दुनिया के लिए विल्कुल नई हो। उसने जो शासन व्यवस्था स्थापित की, उसमें शालिग व्यक्तियों को शुरू में पेट पर पट्टी बाँधनी पड़ी और रूग्ना-रूग्ना खाकर कठोर परिश्रम करना पड़ा, किन्तु बच्चों का अमीरो की भाँति लालन-पालन किया गया और ऐसा करने में रत्न की कुछ परवाह न की गई। उसका नतीजा यह हुआ कि चार के जमाने की अपेक्षा साम्यवाद के अधीन १६ वर्ष के लडके-लडकी दो इंच लम्बे और चार पौण्ड भारी होते हैं।

मार्कस ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार न किया जाय। बोल्शेविका ने तदनुसार दुकानदारों का दुकानों से निकाल बाहर किया और चोर्जों का एक जगह ढेर लगा दिया। फलस्वरूप मार्स्को में कोई दूकान बाकी न बची। अश्य ही लोगों को क्रय-विक्रय करना पड़ता था। इसके लिए वे गलियों और बाजारों में रुंढे हो जाते। ऊँचे-ऊँचे घगनों की औरते म'भूलो निनेताओं के हाथ अपने जेवर बेचती हुई दिखाई देती थी और शाम होने पर उन कमरों में रुंढे के लिए चली जाती थी, जिनमें दस दस श्रमजीवी एक साथ सोया करते थे। और चूँकि मकानों की दुर्दस्ती के लिए कोई खास व्यक्ति जिम्मेदार न था, इसलिए उनकी हालत शीघ्र ही शोचनीय हो गई। एक मजिल से दूसरी मजिल में जाने के लिए खटोलों ने काम करना बन्द कर दिया. विजली की वृत्तिशो बन्द हो गई और मफाई की दशा ध्यान नहीं की जा सकती। किन्तु यह सब साम्यवाद न था, पूँजीवाद की बर्गदी का नजारा था। पर सन् १९३१ के लगभग रूस की हालत विल्कुल बदल गई। मि० बर्नार्ड शा लिखते हैं कि जब वह रूस में गये तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया माना वह स्वयं कार्ल मार्क्स हो। उन्हें कहा उन भयकरताओं के दर्शन नहीं हुए जो पूँजीवादी पश्चिमी राष्ट्रों में मजदूरों को तंग

कोटरियों में पाई जाती हैं।

रूस में वृष्टियों की ओर आँख नहीं मोची जाती। उनको बिना किसी लगा लपेट के दूर करने का कोशिश की जाती है। इसका कारण यह है कि रूस में पूँजीवादी स्वार्थों के साथ मेल नहीं बिठाना पड़ता। वर्गों की ओर गडबडी के कुछ वर्ष अवश्य आते, किन्तु इस अर्थ में भी श्रमजीवियों में आशा और स्वाभिमान का मन्त्र किया गया, जिसका कि पूँजीवाद देशों के श्रमजीवियों में सर्वथा अभाव पाया जाता है। लेनिन ने खुले तौर पर अपने साथियों से कहा कि उन्हें व्यवसाय का व्यावहारिक ज्ञान कुछ नहीं है। उसने कटु अनुभव के बाद यह महसूस किया कि जबतक सार्वजनिक व्यापार की आयोजना नहीं होती तबतक व्यक्तिगत मुनाफाखोरी को बन्द न करना चाहिए। उसको अपनी नई अर्थनीति की घोषणा करनी पड़ी, जिसके अनुसार गानगी व्यापारियों को अगली सूचना मिलने तक काम करने की स्वतन्त्रता मिल गई। इस पर पूँजीवादी देशों में बड़ी खुशियाँ मनाई गईं, और इस कार्य को साम्यवाद के टूटने और पूँजीवाद की ओर लौटने का द्वांरिक समझा गया।

इससे पहले जब हालत बहुत खराब थी, पूँजीवादी राष्ट्र ने जार के समर्थकों को विद्रोह करने के लिए हथियारों और रुपयेपैसे की सहायता पहुँचाई। उन्होंने कहा कि जिस उदार सरकार का लम्बा उलट चुका है, वही रूस की असली सरकार है और सोविएट लुटेरों का एक गिरोह है। इंग्लैण्ड ने दस करोड़ पौण्ड इस कार्य के लिए दिया। इतनी रकम पार्लैमेंट ने युद्ध के लिए भी मंजूर न की थी। उस समय मि० चर्चिल युद्ध-मन्त्री थे। जब इंग्लैण्ड में 'रूस से दूर रहो' आन्दोलन शुरू हुआ तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय रूस के विरुद्ध या और किसी देश के विरुद्ध खुला युद्ध सम्भव न था। महायुद्ध ने राष्ट्रों की कमर तोड़ दी थी। वे जार के सेनापतियों की फँट जरूर टोक सकते थे। शुरू में ऐसा मालूम पड़ा कि सोविएट के पाँव उगड़ जावेंगे। हमलावर दल मफेद सेना के नाम से मशहूर हुआ। उसने जब कजान नामक स्थान को हथिया लिया तो बोल्शेविकों की दशा अत्यन्त

निराशापूर्ण होगई। पीटर्मर्ग का पतन चन्द्र घण्टों की बात मालूम होती थी। किन्तु दो साल के भीतर हमलावर दल को पूरी तरह हरा दिया गया और लाल पौज ब्रिटिश चूट और खाकी वर्दी पहन कर ब्रिटिश हथियारों से सजित होगई, जिन्हें मि० चर्चिन ने उनके विनाश के लिए भेजा था।

यह कैसे हुआ, यह समझने के लिए जमीन के प्रश्न पर विचार करना होगा। लेनिन शान्ति स्थापित करने और किमानों को जमीन देने के वाइदे पर अधिकारारूढ हुआ था। जर्मनी के आगे आत्म-समर्पण करके शान्ति तो उसने स्थापित कर दी, किन्तु जमीन का सवाल टेढ़ा था। किसानों ने जमींदारों को हकाल दिया या मौत के घाट उतार दिया और उनकी हवेलियों को लूट लिया या जला दिया। उन्होंने सोविएट पंचायतें कायम कीं, जमीन को बाँट लिया और खाद्य सामग्री पैदा करने लगे। किन्तु किमान बड़े व्यक्तिवादी होते हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि केन्द्रीय सरकार उनसे यह आशा करती है कि वे अपने गुजर लायक अन्न रख लेने के बाद शेष उपज राष्ट्रीय भण्डार में दे दें ताकि शहर के श्रमजीवियों को खाना खिलाया जा सके तो उन्होंने अतिरिक्त अन्न पैदा करना ही बन्द कर दिया और अपने पशुओं को बन्नी से बचाने के लिए मार डालना ज्यादा पसन्द किया। दवाव बेकार मावित हुआ। मास्को पुलिस के हाथ में यह था कि यह उन्हें निर्गसित करती, खानों में कड़ी मजदूरी करवाती अथवा गोलियों से भून डालती, किन्तु इसका अर्थ यह होना कि सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी स्वतः हो जाती। साधन अल्प थे और विद्रोही ताकतों से लड़ने का सवाल सामने था।

किन्तु किसान मार्क्स के सिद्धान्तों से चाहे जितने दूर थे, फिर भी एक डर उन्हें था और वह यह कि कहीं पुराने जमींदार उन्हें सनाने के लिए फिर न आजायें। मास्को के अधिकारियों को अब भी यह बात ईरानी में डाल देती है कि जार के जमाने के किमी निर्वासित भूस्वामी की मृत्यु का समाचार सरकार के पास पहुँचने के पहले किस प्रकार पहले सम्बन्धित देहातों में फैल जाता है। जब क्रान्ति-विरोधी विद्रोह शुरू हुआ तो किसानों ने यही समझा कि यह भूस्वामियों के पुनः लौट

आने का प्रयत्न है। उनके लिए यह काफी था। ट्राट्स्की जोरदार बक्ता और कुशल सेनापति के रूप में आगे आया। जब उसने क्रान्ति की रक्षा के लिए सैनिकों की मर्ग की तो गाँव के-गाँव उलट पड़े। ट्राट्स्की इस हलचल का केन्द्रीय सचालक था। उमका युद्ध-कार्यालय एक रेल के डिब्बे में था, जिम में वह अठारह महीने तक रहा। स्थानीय सेनापति ट्राट्स्की की शतरंज के खिलाँने-मात्र न थे। खासकर स्टालिन बिना ट्राट्स्की की योजनाओं की परवाह किये जो भी रास्ते में आया, उससे मिड पडा। उसको पीछे धकेलना मुश्किल था, क्योंकि उसे अपनी लबाइयों में शानदार नफलना मिली थी। किन्तु अन्त में ट्राट्स्की ने लेनिन से कहा कि या तो मेरा प्रभाव रहे या स्टालिन का। लेनिन ने बीच-बचाव किया, किन्तु यह घटना उल्लेखनीय है, क्योंकि यही से ट्राट्स्की और स्टालिन के बीच मत-भेद की शुरुआत होती है। बाद में ट्राट्स्की को निर्वासित होना पडा और उन घड्यत्रों का सूत्रपात हुआ, जिनके फल-स्वरूप अनेक पुराने बोलशेविकों को फामी दी गई।

अनेक अभूतपूर्व विघ्न-बाधाओं के होते हुए भी सोविएट की इतनी गहरी विजय हुई कि पूँजीवादियों को अपनी जिहाद छोडनी पडी। डॉ. उन्होंने निन्दा और ईर्ष्या का अहिंसक व्यापार जारी रक्खा। इस सम्बन्ध में सबसे धृष्टित घटना यह हुई कि रूस सहायक-मध्य के लन्दन दफ्तर में चोरी करवाई गई। इन सब कार्रवाइयों का रूस पर बहुत ज्यादा बोझ पडा। इसी समय वोल्गा जिले में भयंकर दुष्काल पडा। अन्य राष्ट्र रूस को रुपया देने को तैयार न थे, क्योंकि वे इन्हे अपने ही विरुद्ध लडाई में महायत्ना देना समझते थे। इसके अलावा उस समय रूस की मान्य भो कुछ नहीं समझी जाती थी। भात्री पीढी के लालन पालन और शिक्षा का बोझ सोविएट रूस ने दृढता के साथ सहन किया। यदि कोई पूँजीवादी देश होना तो सबसे पहले यही ग्वर्च कम किया जाता। रूस का शिक्षा-प्रोपागन्दा काफी खर्चीला था। पूँजीवादी देशों में बच्चों को स्कूल-नामधारी कैदखानों में भर दिया जाता है और दस साल पढ चुकने के बाद भी वे न तो खुद अपनी भाषा भली प्रकार बोल



सकते हैं और न अच्छी तरह चिट्ठी ही लिख सकते हैं । उनमें से कुछ को ही उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलती है और वे विश्वविद्यालयों से पूँजीवादी मशीन के पुर्जे बन कर निकलते हैं । रूसी विश्वविद्यालयों की शिक्षा समाजवाद के अनुकूल होती तो भी लाखों रूसी बच्चों का एक प्रतिशत भी उनमें न समा सकता था । रूस को तो सयुक्त कृषि-शालाओं और यंत्र-शालाओं की जरूरत थी । किन्तु सयुक्त कृषि बिना ट्रेक्टर ( यांत्रिक हलां ) के नहीं हो सकती और यंत्र शालाओं के लिए बहु-मूल्य औजारों से सज्जित प्रयोगशालाएँ चाहिए । इनको खरीदने के लिए रुपये की जरूरत थी और रुपया कोई देश रूस को देने का तैयार न था । कच्चा तेल तो रूस के साथ व्यापार करना ही बन्द कर दिया । ज्यों-ज्यों करके रूस का अपने-आप चीजे निर्माण करनी पड़ीं । रूस में सभी अनभिज्ञ थे । रूस-जैसा विशाल देश के मुकाबिले में वहाँ के उद्योग बहुत छोटे थे । जो थे, उनकी कारखानों की जन्ती और मुनाफाखोरों के बहिष्कार के कारण काफी बुरी हालत होगई थी, इस में तबतक सुधार न हुआ जबत- या तो पुराने प्रबन्धकों को वापस न बुलाया गया या माध्यवादी दल ने नये प्रबन्धक तलाश न कर लिये ।

रूस में रेलें भी बहुत कम थीं । ज्योंही उनकी जन्ती घोषित की गई कि लोग सरकारी नौकरी को मुफ्तखोरी का जरिया समझने लगे । जिस समय लोगों को भूखों मरने से बचाने के लिए निहायत पुर्तों की जरूरत थी, उस समय देहाती स्टेशन-मास्टर बड़े आराम के साथ काम करने लगे । उनकी लापरवाही से तग आकर यातायात के मिनिस्टर ने एक बार खुद एक स्टेशन के कर्मचारियों को गोर्ला से उड़ा दिया । आखिर मुफ्तखोर और मुस्त कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक पुलिस दल मगट्रिड किया गया । यह दल 'चेका' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह अब रूसी पुलिस का खुफिया विभाग है । उसने शुरू-शुरू में अपनी सख्ती की धाक जमा दी ।

'चेका' सरकारी नौजरो में जिम्मेदारी की भावना लाने में सफल हुआ । उसने देखाव तले उन्होंने महसूस किया कि यदि वे इन बूझ कर

सरकारी काम को नुकसान पहुँचावेगे तो उन्हें गोली से उड़ा दिया जायगा या गलती का तो उन्हें पौग्न पदभ्रष्ट कर दिया जायगा। इसका नतीजा यह हुआ कि रोजमर्रा का निर्दिष्ट काम बराबर होने लगा। किन्तु इजीनियरो और विजली-विशेषज्ञों की पूर्ति इससे न हुई, जिनकी कि बड़ी तादाद में रूस को आवश्यकता थी।

रूसी सरकार ने अमेरिका से इजीनियर बुलाये। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कारखानों का निर्माण और प्रबन्ध करना चाहिए। उनकी देख रेख में योरोपीय और एशियाई रूस में नये-से नये टंग के फौलाद और काच के कारखाने बड़ी तादाद में खुले और यह आशा की गई कि अब आवश्यक सामग्री बड़े परिमाण में तैयार होने लगेगी। किन्तु जिन मजदूरों को इन कारखानों में काम पर लगाया गया, वे बिल्कुल नये थे और जानते न थे कि किस प्रकार यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। फलस्वरूप जहाँ पचास ट्रेक्टर रोजाना तैयार होने की आशा की गई, वहाँ मुश्किल से तीन-चार तैयार होत और वे भी ठीक तरह काम न कर पाते, किन्तु सरकार ने डिम्बन न हारी और अमेरिकनों के अलावा चेल्सियम, इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि देशों से साधारण मजदूरों का नेतृत्व करने के लिए कुशल कारीगर बुलाये। इसके बाद कारखाने ठीक तरह से काम करने लगे। कुल ही असें बाद रूसी लोगों ने इन कारखानों का संचालन अपने हाथों में ले लिया। जगह-जगह बाँध बाँधे गये और नहरे निकाली गई। कैदियों को इन कामों में लगा दिया गया। जेला की थोड़ी मशकत से यह काम खुद कैदियों को भी बड़ा लाभदायक प्रतीत हुआ।

इस बीच व्यापारी अपना काम करते रहे। रूस में किसानों का एक वर्ग है जो 'कुलक' कहलाता है। ये विशाल पैमाने पर खेती किया करते थे। बोल्शेविक सरकार ने मार्क्स के सिद्धान्तों के अनुसार इनकी जमीनें छीन लीं। किन्तु आम किसान उनका स्थान न ले सकते थे। फलतः खेती बर्बाद हो गई। जब सरकार ने नई अर्थ-नीति अपनाई तो कुलक लोगों को वापस बुलाया गया और काम पर लगाया गया।

मध्यम श्रेणी के शिक्षितों पर भी नई व्यवस्था में पाबन्दिया लगाई

गई। उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उनके बच्चों को बची-खुची शिक्षा-मुविधा पर संतोष करना पड़ा। ग्वयाल यह था कि इन लोगों का पूँजीवादी स्वभाव कठिनता से बदलेगा और आम लोगों में सवालन की योग्यता काफ़ी मात्रा में विद्यमान है, केवल उसको विकास का अवसर नहीं मिला है। सिद्धान्त की दृष्टि से यह ठीक है, किन्तु स्वाभाविक योग्यता के साथ साक्षरता और थोड़ा व्यावसायिक अनुभव भी होना चाहिए। राज्य ने जिन कारखानों को कायम किया था, उनमें पढ़े-लिखे लोगों की भी क़ाफ़ी भरूरत थी। आखिर मध्यम श्रेणी के लोगों को काम पर लगाया गया। सिर्फ़ उन्हें इतना कहना पड़ा कि उनके माता-पिता किसान थे। उनको बाढ़ में बौद्धिक श्रमजीवी के नाम से पुकारा जाने लगा। इनमें ऐसे भी कुछ लोग थे जो किसी काम के लायक न रह गये थे या नई व्यवस्था में काम करना पसन्द न करते थे। उनकी हालत बुरी हुई, किन्तु उनके बच्चा ने जल्दी ही साम्यवादी तत्वों को ग्रहण लिया। जा शोषण करने वाले वर्ग थे, जैसे कि भूस्वामी, मकान मालिक और ऊँचे पदानों वाले, वे सब दूसरे देशों को भाग गये और यथामुम्भव मौज से ग्रहणी जिन्दगी बसर करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि रूस में फिर पुराना जमाना आयगा, किन्तु अभीतक तो उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई है।

रूस का शाही परिवार भगोड़ों में शामिल न हो सका। उदारवादी क्रान्ति ने जब उसे पदच्युत किया तो करन्ट्की और उसके साथियों को यह नहीं सूझा कि उसका क्या किया जाय। जिस प्रकार इंग्लैण्ड और फ्रांस में राजाओं को मोत के घाट उतारा गया, उसी प्रकार रूस के जार को भी क्रान्तिकारी अदालत के सामने पेश करके गोली से उड़ाया जा सकता था, किन्तु इससे जार के अनुयायियों को बड़ा धक्का लगता, जो यद्यपि कमजोर पड़ गये थे, किन्तु अिर्लुल शक्तिहीन नहीं हो चुके थे। जब बोल्शेविकों ने लिबरलों की जगह ली तो उन्होंने भी जार और उसके परिवार को सफेद सेना की पहुँच से दूर एक प्रान्तीय देहात में पड़ा रहने दिया।

दुर्भाग्यवश चैकोस्लोवाकिया की एक फौजी टुकड़ी उस समय रूस में

होकर गुजर रही थी। चैक लोगों ने अपने नेता मसारिक की अधीनता में तत्कालीन स्थिति का लाभ उठाया और राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों से मिल गये। उन्होंने रूसी सफेद सेना का अपना मित्र और रूसी लाल सेना को शत्रु समझा। चैक सेना जार के निवास-स्थान के इतनी नजदीक पहुँच गई थी कि शायद वह जार को कैद से छुड़वा लेती। स्थानीय बोल्शेविक अधिकारी इसके लिए तैयार न थे। उन्होंने बड़ा विचित्र और अभूतपूर्व तरीका अख्तियार किया। उन्होने जार के निवास-स्थान पर पादरों को भेजकर विशेष प्रार्थना का प्रवचन किया और उसके बाद जार और उसके परिवार का दूसरे स्थान के लिए खाना हाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। वेचारों को जरा भी पता नश था कि कुछ ही क्षण के भीतर वे इस दुनिया से विदा हो जायेंगे। अचानक बन्दूकबारी सेनिका का एक दल कमरे में घुसा और पलक मार्ग में जार को, उनकी बंगी को, उसके लडके और तीन लडकियाँ को धडा-धड गोलियाँ का शिकार बना दिया। बाद में उन सब के शव जगजग में ले जाये गये और घामलेट का तेल छिड़क कर जना दिये गये। दुनिया के एक शक्तिशाली सम्राट और उसके परिवार का यह किना कर्ण अन्त था। सोविएट सरकार की बाद में जेमी शानदार विजय हुई, उसने देखते हुए यदि चैक-सेना ने जार को बचा लिया होता या भी कुछ विगड न जाता। दूसरे पदच्युत घाटशाहों की भाँति वह भी यात्रियों के मनोरंजन का साधन बना।

कोई भी सरकार जो पूँजीवाद के स्थान पर साम्यवाद को स्थापना करने की इच्छुक हो, उसे जान-बूझ कर घोटाली करने वाला की मनोवृत्ति का मुकाबिला करने की तैयारी रखना चाहिए। पूँजीवादी व्यवस्था में यह देखने में आता है कि कारीगर लोग अपने काम में कुछ-न-कुछ दोष रहने देने हैं जिमसे थोड़े अमें में उनकी फिर जरूरत पडती है और उनको पैसा पाने का मौका मिल जाता है। किन्तु रूस में उन लोगों ने, जो बोल्शेविकों से घृणा करते थे, जान-बूझ कर मशीनों को विगाड दिया, हिंसाओं में गोल-माल किया और आगामी फल के

बीजों तक को बेकार कर दिया। इसकी वजह थी। जो लोग क्रान्ति के पहले आराम से जिन्दगी बसर कर रहे थे और जो हम बात से अपरिचित थे कि उनके आराम के साथ गरीबों के दुखों का अनिवार्य सम्बन्ध है, जब उनके घरों पर विद्रोही श्रमजीवियों ने अधिकार जमा लिया, उनकी आय के साधन जब्त कर लिए, उनका पूर्व आदर-सम्मान जाता रहा, उनका बोट देने का अधिकार छीन लिया गया, उनके बच्चों की शिक्षा-दत्ता की उपेक्षा की गई तो उनको बुरा क्याकर न लगता? उनमें बदला लेने की भावना जाग्रत हुई और उन्होंने शरारत में ही सन्तोष माना। इन लोगों का दो ही तरह से इलाज किया जा सकता था। या तो उन्हें 'चेन्न' (पुलिस) के सिपुर्द किया जाता जो उन पर मुकदमा चलाती और गोली में उड़ा देती या उनके लिए फिर आराम की जिन्दगी सुलभ की जाती। यह आसान न था क्योंकि जबतक लोग उन्हें आदर-दृष्टि से देखना शुरू न करते, तब तक उन्हें सन्तोष न होता। फिर इस विद्वेष को अधिक दिन तक जारी भी नहीं रहने दिया जा सकता था। मोभाग्यवश उनके बच्चों का लालन-पालन दूसरी परिस्थिति में हुआ और वे व्यवस्था को न्वाभाविक और अनुकूल समझने लगे कुछ घोटाला करने वालों में, जो चालाक थे, जब देखा कि सोविएटवाद लाभदायक है तो पश्चात्ताप किया और ठीक राह पर आगये। किन्तु यह बिल्कुल सम्भव है कि जबतक जार के जमाने के मध्यम श्रेणी के लोग सब ग्यत्म न हो जायगे, तबतक जान-बूझ कर होने वाली शरारत जारी रहेगी।

लोगों की अक्सर यह धारणा होती है कि क्रान्ति के बाद सब हालात बिल्कुल बदल जायगे। इसलिए आने वाले स्वर्ग की प्रतीक्षा में वे पहले से ही हाथ-पर-हाथ धर कर बैठ रहने हैं। किन्तु वे भूल जाते हैं कि साम्यवाद को चलाने के लिए पूँजीवादी जमाने से भी ज्यादा कुशल कारीगरों और विशेषज्ञों की जरूरत होती है।

क्रान्ति के परिणामों के बारे में महिलाओं का कुछ विचित्र ही खयाल बना। जो अधिक कल्पनाशील थीं, उन्होंने सोचा कि श्रमजीवियों की दृष्टि में स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध ररच्छन्दता-पूर्ण होंगे

और सामाजिक मर्यादाओं को एकदम हटा दिया जायगा। सोविएट शासक यद्यपि अपने व्यक्तिगत जीवन में मध्यमशील थे, किन्तु अधिकार और सत्ता से उन्हें इतनी चिढ़ हो गई थी कि उन्होंने नासमझ महिला-मित्रों की वेहूदगी को वर्दाशत किया, नैतिक नियमों में इतना परिवर्तन किया कि तलाक़ बढ़ा भरल हो गया। किन्तु अनुभव लोगों को अब स्पष्टता से समय को ओर ले जा रहा है।

यदि हम साम्यवाद का विश्लेषण करें तो हमें मालूम होगा कि ग्राय की समानता साम्यवाद का मार है। किन्तु मार्क्स व्यक्तिगत सम्पत्ति की बुरादियों से इतना अभिभूत था कि वह इस समस्या की ओर ध्यान ही न दे सका। जब रूस में नई अर्थ-नीति सामान्य स्मृद्धि लाने में असमर्थ रही और सोविएट सरकार पर लोगों को कम देने और उनको मजदूरी स्थिर करने का भार पड़ा तो उसे अनुभव हुआ कि स्टेशन-मास्टर्स अथवा शराबी मजदूरों को गोली से उड़ा देने से आवश्यक उत्पादन नहीं हो सकता और न ही मजदूरों की वे दुकड़ियाँ सारगर हो सकती हैं जो देश में एक मिरे से दूसरे मिरे तक लोगों को अपने उदाहरण में काम करना सिखाती फिरती थीं। आवश्यकता इस बात की थी कि काम के प्रकार निश्चित किये जाते और मजदूरों का भी विभाजन किया जाता। हर प्रकार के काम के लिए सिलसिलेवार बढी हुई मजदूरी तय की जाती। इस प्रकार निम्न श्रेणी के मजदूरों को उच्च श्रेणी का काम करने की योग्यता प्राप्त करने पर अधिक मजदूरी पाने का एक हेंगा। कुछ चालशेखि नेता अब भी यह मानते हैं कि ग्राय की समानता समाजवाद का अंग नहीं है और काम और मजदूरी का विभाजन मानवी योग्यता में विद्यमान स्वाभाविक विपन्नताओं का रूप के रूप में भूल्य थाकना है। किन्तु बात ऐसी नहीं है। इसे तो विशेष मेहनत करने की प्रेरणा मात्र समझना चाहिए।

असलियत यह है कि जन्मजात योग्यता, कद, वजन, रूप-रंग आदि में कितना ही अन्तर क्यों न हो, सब लोगों के खान-पान और निवास के लिए बराबर रकम की जरूरत पडती है। सब लोगों को समान मतह पर लाने के लिए पहला कदम गह उठाया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति के

लिए एक रकम निश्चित की जाय। जहाँ तक मामूली मजदूरों का ताल्लुक है, सभी देशों में इस समय भी समान मजदूरी निश्चित है। यदि साम्यवादी सरकार हर एक की आमदनी उस हद तक घटाने की कोशिश करेगी तो उसे प्रथम श्रेणी के दिमागी कार्यकर्ता मिलने मुश्किल हो जायेंगे जो दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, अतः उनको कुछ अधिक मजदूरी दी जानी चाहिए, ताकि वे कुछ अधिक सुसंस्कृत और एकान्तिक जीवन बिता सकें। इस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जाय और जब काफी उत्पादन होने लगे तो अन्य लोगों की मजदूरी भी उस सीमा तक बढ़ा दी जाय। यदि उत्पादन के दौरान में यह मालूम पड़े कि किसी श्रमिक को आर्थिक प्रोत्साहन देने से वह पहले की अपेक्षा दुगुना उत्पादन कर सकता है तो कोई कारण नहीं कि उसे ऐसा प्रोत्साहन क्यों न दिया जाय ? चूँकि ऐसे प्रयोग पूँजीवादी व्यवस्था में किये जाते हैं, केवल इसी-लिए हमें उनका बहिष्कार न करना चाहिए। पूँजीवादी व्यवस्था तो इसलिए टूटी कि उसमें आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया गया। समाजवादी व्यवस्था में यह होना चाहिए कि जब लोगों की आमदनी एक सीमा तक पहुँच जाय तो बाद में राज्य आय-कर, उत्तराधिकार-कर आदि लगा कर उसे सीमा से आगे न बढ़ने दे, ताकि समाज में ऊँच नीच की भावना पैदा न हो और लोग बिना किसी अडचन के अपने बाल-बच्चों के शादी-विवाह कर सकें। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आय की समानता और उसके फलस्वरूप कायम होने वाली सामाजिक समानता मानव-समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है और आय की समानता की कमौटी यह है कि सब लोग बिना किसी भेदभाव के आपस में शादी-विवाह कर सकें।

रूस की सोविएट सरकार की सफलताओं का घोड़े में बर्णन नहीं किया जा सकता। इंग्लैण्ड के दो ग्रन्थकारों—सिडने और रिड्रिस वेब ने 'सोविएट साम्यवाद : एक नई सभ्यता' नामक अपनी ११४३ पृष्ठों की पुस्तक में उन सब का विस्तार से बर्णन किया है। सन् १९३६ में

नास्को में नया विधान जारी किया गया है। इस विधान के द्वारा यूरोप और अमेरिका के लोकमत को खुश करने की कोशिश की गई है। किन्तु इसकी उपयोगिता का अभी परीक्षा होनी शेष है।

ट्राट्स्की का खयाल है कि रूस को यूरोप के श्रमजीवियों का शत्रु बनाना चाहिए और इस प्रकार पूँजीवादी राष्ट्रों के साथ हमेशा युद्ध की स्थिति में रहना चाहिए। स्टालिन इस बात से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि पहले अपने घर पर शक्ति लगानी चाहिए और वहाँ आदर्श समाजवाद का स्थापना कर लेना चाहिए। इस बारे में विजय स्टालिन की हुई है। ट्राट्स्की आज रूस से निर्वासित है। स्टालिन की विजय विवेक की विजय है।

फासिस्टवाद—यहाँ फासिस्टवाद का थोड़ा जिक्र कर देना भी अप्रामाणिक न होगा। फासिस्टवाद दुनिया के लिए कोई नया वाद नहीं है। आज के फासिस्टवाद और पुराने फासिस्टवाद में यदि कोई अन्तर है तो केवल यही कि उनका प्रयोग भिन्न परिस्थितियों में हो रहा है। जब राज्य-मस्था की गति इतना धीमी हो जाती है कि वह अपना काम ठीक नहीं कर सकती तो कोई माहमी पुरुष आगे आता है और बग़ावत का झंडा खड़ा करके राज्य-सत्ता का हथिया लेता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। राम के जूलियस सीजर, इंग्लैण्ड के क्रोमवेल, और फ्रान्स के नेपोलियन तथा उसके भतीजे लुई नेपोलियन की गणना ऐसे ही लोगों में की जा सकती है। ये पुराने जमाने के फासिस्ट नेता थे। सो वर्ष पहले राज्य सन्धाओं को सिर्फ पुलिस का काम करना पड़ता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग-धन्धों आदि कामों से उनका कोई सरोकार न होता था। उस समय लोगों में इतना असन्तोष न होता था, जितना कि आजकल की पालमैण्ट-पद्धति की मुलती और सरकारी नौकरों की अयोग्यता के प्रति पाया जाता है। इसका कारण यह है कि आजकल सरकारों का कार्य-क्षेत्र बहुत बढ गया है। उन्हें राष्ट्रीय जीवन के हर विभाग की व्यवस्था करनी पड़ती है।

जनता की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूरोप में



लोकतंत्रान्मक शासन-प्रणालियों का सूत्रपात किया गया। किन्तु इनमें बहस-मुचाहिसा अधिक होता है और जो काम तत्काल होना चाहिए, वह महीनों और सालों बीत जाने पर भी नहीं हो पाता। रूस ने जिन बातों को अल्पकाल में सिद्ध कर दिखाया अर्थात् बेकारी और दरिद्रता जैसे भयकर मानव-शत्रुओं को मार भगाया, उनको कथित लोकतंत्री देशों में अनिवार्य बनाया जाता है। इंग्लैण्ड का ही उदाहरण लीजिए। मताधिकार को व्यापक बनाने के लिए वहाँ बड़े बड़े आन्दोलन हुए और यह आशा की गई कि उनके परिणाम-स्वरूप आदर्श समाज-व्यवस्था कायम की जा सकेंगी। सन् १९१८ में स्त्रियों को मताधिकार मिलने के बाद जनता को बालिग मताधिकार मिल गया और इस प्रकार पार्लमैण्ट पर अधिक-से-अधिक लोक-नियंत्रण स्थापित हो गया। किन्तु इसका नतीजा क्या हुआ? स्त्रियों को मताधिकार मिलने के बाद पार्लमैण्ट का जो चुनाव हुआ, उसमें केवल एक महिला चुनी जा सकी। इतना ही नहीं, मजदूर-दल का समाजवादी नेता तक चुनाव में हार गया। वे सब आशाएँ हवा में उड़ गईं जो बालिग मताधिकार के कारण पैदा हुई थीं और स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा। शासन-सूत्र उन चन्द पूँजीपतियों के हाथ में ज्यों-का-त्यों बना रहा जो पैसे के जोर पर लाखों स्त्री-पुरुषों के वोट खरीद सकते थे। लोकतंत्र प्रणाली की इस विफलता के कारण ही जर्मनी और इटली में फासिस्ट नेताओं ने पार्लमैण्टों को पीछे धकेल दिया है और रूस में कांग्रेस साल में एक-बार बुलाई जाती है और आवश्यक सुधार-योजनाएँ उससे मंजूर करवा ली जाती हैं। इन योजनाओं को बनाने में उसका कोई हाथ नहीं हाता।

पार्लमैण्ट-प्रणाली में एक बड़ा दोष यह आगया है कि कोई भी आदमी तबतक सत्ता और सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, जबतक कि वह पार्लमैण्ट या धारान्मभा में चुना न जाय। और चुनाव-कार्य इतना पतनकारक और खर्चाँला हो गया है कि एक गरीब आदमी तबतक उसमें सफल नहीं हो सकता जबतक वह अपने जीवन का अच्छे-से-अच्छा भाग उसके लिए न लगादे। इसके विपरीत एक धनवान,

जिनका बड़े लोगों से सम्बन्ध हो, चन्द हफ्तों में किमी निर्वाचन क्षेत्र से कामयाब हो सकता है। गरीब वर्ग के उम्मीदवार कामयाब होने के बाद भी ब्रह्म करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उनमें यदि कोई अपना व्यक्तित्व रखना हो तो वह प्रधान-मंत्रों भी बन सकता है, किन्तु यह तभी होना है जब पार्लमैण्ट को यह विश्वास हो जाता है कि वह बात करने के अलावा कुछ न करेगा। किन्तु ऐसे उदाहरण नवयुवक क्रान्तिकारी नेताओं के लिए शिक्षाप्रद सिद्ध होते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि यदि उनको पगुपन से बचना हो तो उन्हें पार्लमैण्ट में जाने का मोह छोड़कर अपने व्यक्तिगत अनुयायियों का एक सैनिक दल तैयार करना चाहिए, ताकि उसके जरिये पार्लमैण्टी ताकत को दबाया जा सके।

किन्तु ऐसा करना कुछ आसान नहीं होता। इस प्रकार के प्रयत्न में अनेकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। पर कुछे असाधारण रूप से सफल भी हुए। यद्यपि दोना नेपानियन परास्त होकर या तो कैटरमने-में या निर्वाचन में मरे, किन्तु एक तरह वष तक और दूसरा अठारह वष तक सम्राट रहा। अभी यह कहना कठिन है कि हमारे जमाने के प्रासिद्ध तानाशाह बेनितो मुसोलिनी और हेर ट्रिटलर का क्या भविष्य होगा। किन्तु यह सत्य है कि दोनों ही अनेक वर्षों से अपने राष्ट्र के प्रधान सूत्रधार हैं।

थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप मच्चे और याग्य सुधारक हैं। आप देखते हैं कि अमुक राजा के राज्य अथवा लोकनयन में सभ्यता का पतन हो रहा है और सिवाय धाते बनाने और दलबन्दिता के भग्नाड के और कुछ नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? क्या आप यह नहीं कहें उठेंगे कि यदि पाँच या दस साल के लिए मेरे हाथ में सर्वाधिकार हो तो मैं क्या नहीं कर सकता? यह आवश्यक है कि आप को क्रोनवेल या आयरिश नेता रोबर्ट एमेट की भाँति पार्लमैण्ट अथवा जनता के बारे में कोई गलत धारणा न होनी चाहिए। क्रोनवेल ने पार्लमैण्ट को इंग्लैण्ड के राजा का सिर उतारने के लिए प्रेरित किया, किन्तु अब उसने पार्लमैण्ट में सर्वश्रेष्ठ लोगों को भरने की कोशिश की तो वह बुरी तरह असफल हुआ और उसको मौजूद कानून के जरिये इंग्लैण्ड का

शासन चलाना पडा। आयरिश नेता एमेट ने यह आशा की थी कि उसकी पुकार पर लोग आजादी के लिए उठ खड़े होंगे, किन्तु यह उसकी दुरारा सिद्ध हुई और उसे फाँसी पर लटका दिया गया। हमारे आधुनिक अधिनायक ऐसे किन्हीं भ्रमों के शिकार नहीं हैं। वे भ्रमजीवी आन्दोलन और संगठन तथा गुप्त पद्धतियों की प्रत्येक धारा का अनुसंधान करते हैं और कुछ वर्षों की जेल भी काट आते हैं। इससे उन्हें मालूम हो जाता है कि भ्रमजीवी सस्थाये और उनके नेता या तो बहुत कम व्यावहारिक होते हैं या ऐसे आदर्शवादी और सनकी होते हैं कि जिनको शासन की वास्तविकताया का कोई ज्ञान नहीं होता और न जिनमें लड़ने की कोई ताकत ही होती है। ये लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं और सब-के-सब अत्यन्त श्रल्प सख्या में होते हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे कभी कोई अच्छा या बड़ा काम कर सकेंगे।

ऐसी दशा में नेपोलिन, डिटलर, मुसोलिनी या कमालपाशा' जैसा आदमी क्या करेगा? वह अपने आप को छोटी-छोटी राजनैतिक दल-बन्दियों से अलग कर लेगा और उनके मुकाबिले में विशाल जन समूह को संगठित करने का प्रयत्न करेगा। ग्राम जनता की एक अजीब मनोवृत्ति होती है। वह प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध घड़्यत्र करने का खयाल भी नहीं करती। वह समझती है कि पुलिस को राज्य-विरोधी सस्थाओं को दबा देना चाहिए। वह अच्छे कपड़े पहिन कर मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों या मेलो-टेलो में जाती है, हाकी फुटबाल, टेनिस या कबड्डी खेलती है। राज-दरबारा, शाही शादियों या बुद्धोद्घ के प्रदर्शनों में शरीक होती है, किमी राजा, सन्त या औलिशा के शव-दर्शन के लिए लावों की तादाद में जमा हो जाती है, अपना खास धर्म और आचार समझती है, किन्तु करती वही है जो सब करते हैं। जो नहीं करता, उस पर त्रिगड़ पड़ती है। पहिलियों का हल निकालने में अपना दिमाग खपाती है और खेल तमाशों में अपना शरीर। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो इन सब बातों से दूर रहते हैं और कमाने तथा अपने

१. गन वर्ष मृत्यु हो गई।

बाल-बच्चों का पालन पोषण करने में जीवन गुजार देने हैं। जो लोग राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दिलचस्पी लेते हैं, उनको आम जनता शका और अरुचि की निगाह से देखती है या सनकी समझती है। किसी किसी का वह आदर भी करती है, पर वह नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों करती है। ये लोग अपने आपको देश-भक्त समझते हैं। क्योंकि उनके खयाल में परमात्मा ने उनका दूररे देश के लोगों से ऊँचा बनाया है। इस दम्भ को सन्तुष्ट करने के लिए वे कौर्तियों के प्यासे होते हैं अर्थात् यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि उनके बहादुर भाइयों और पुत्रों ने कितनी लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। इतिहास उनके लिए युद्धों की एक शृंखला होती है, जिसमें उनके पक्ष की हमेशा विजय होती है।

वदि ऐसे विराल जन-समाज को राजनैतिक रूप में संगठित किया जाय तो कहना न होगा कि वह राजनैतिक दृष्टि से जाग्रत छोटे-छोटे दलों को पृथ्वी तल पर से निःशेष करने के लिए मत दे सकता है और आवश्यक हो तो स्वयं भी उन्हें मौत के घाट उतार सकता है। ऐसी दशा में अधिनायक यही कर सकता है कि वह मूर्खों के साथ उनकी मूर्खता के अनुकूल बर्ताव करे अर्थात् जेमी बातें उन्हें पसंद हों, वैसी बातें बनाने और लगन के साथ ऐसे मुधार जाग करने पर त्रुट जाय जो सबके लिए लाभदायक और ममक में आने योग्य हों तथा प्रचलित व्यवस्था की प्रकट खराबियों को रोक दें। वह पहला काम यह करेगा कि स्थानीय व्यापारियों की छोटी छोटी कौंसिलों को रद्द कर देगा जो टैकम लगाने और देश पर शासन करने के लिए पार्लैमेंट का निर्माण करती हैं। उनके स्थान पर वह जिलों की हालत सुधारने के लिए उल्हाही और कार्यक्षम युवक अफसर मुकर्रर करेगा जिनको अधिनायक को ओर से पूरे अधिकार प्राप्त होंगे। इस प्रकार वह स्थानीय शासन-प्रबन्ध में न केवल फौरन सुधार कर सकेगा; बल्कि जन-साधारण की इस आकांक्षा की भी तृष्टि कर सकेगा कि पुराने बदनाम गुट को हटा कर उसके बजाय किस एक योग्य व्यक्ति को कार्य भार सौंपा जाय।

अधिनायक का दूसरा काम यह होगा कि वह अपनी सत्ता से स्वतंत्र

लोगों के आर्थिक और राजनैतिक सगठनों को छिन्न-भिन्न कर देगा। यह विशुद्ध हिंसा द्वारा आमानों से किया जा सकता है। अत्यन्त निर्दोष सहयोग समितियों और प्रतिष्ठित भ्रमजोषों लोगों को अराजकवादी अथवा साम्यवादी गुन-सवों के साथ शामिल कर दिया जायगा और उन्हें राजद्रोह और राष्ट्रनायक के शत्रुओं का अड्डा घोषित किया जायगा। उनके बाद अभिनायक के लिए प्राण न्यायावर करने वाले नोजवानों का दल उन सस्थाओं के दरमते में पुनः पड़ेगा, उनमें रहने वालों को मारेगा-पोंटेगा; फर्नीचर को नांड फोंड डालेगा, तिजोरी खाली कर लेगा और सदस्यों की मूची हस्तगत करके उनका पता लगाने लगेगा और उनको मार पीट करके ठाक कर देगा। पुलिस की सहानुभूति इस दल के साथ होगी और प्रत्याक्रमण होने की हालत में वह उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहेगी।

जब सन्ध्या-भजन का काम पूरी तरह हो चुकेगा तो राष्ट्रनायक अमन कायम करने की आरम्भ करेगा। जिन सन्ध्याओं के पास दरम-पैसा और बनाने जायदाद तथा बड़ा कारवार हाता है, उनको उपरीक्त तरीके से नष्ट नष्ट किया जा सकता है। फासिस्ट शासक ऐसी सन्ध्याओं की जायदाद जप्त कर लेते हैं और राजकीय नियन्त्रण के अधीन उन्हें राजस्व विभाग बना देते हैं। विशुद्ध राजनैतिक सस्थाएँ, जिनके पास पैसे कुद्द नहीं हानी और जिनका प्रचार ही एकमात्र काम होता है, वे इस आक्रमण के फलस्वरूप खत्म हो जायेंगी और उनको पुनः जीवित करने के सब प्रयास सर-कानूनी घोषित कर दिए जाते हैं।

उदार दल के अनुसारी इन कार्यवाहियों के विरुद्ध बड़ा शोर मचाते हैं। वे कहते हैं कि स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के उदार मिद्धान्तों का कुचल दिया गया है और भाषण स्वातन्त्र्य, विचार-स्वातन्त्र्य, निजी सम्पत्ति और निजी धनार के अधिकार पर, जिन पर कि उनका पूर्वाचार आधारित है, आक्रमण किया जा रहा है। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि इसमें बहुर लोक-तन्त्रात्मक शक्त और क्या होगी कि विशाल जन-समूह को संगठित किया जाय और सर्वजनिक कार्य उनकी कल्पना के अनुसार संचालित किया जाय अर्थात् अधिक कार्यक्षम व्यक्ति के हाथ में अपनी

बात मनवाने की पूरी सत्ता हो । जब राष्ट्रनायक उदारवादियों तथा उनके अधिकारों और स्वतन्त्रता का घृणा के साथ उल्लेख करता है और अनुरासन व्यवस्था, शान्ति, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की अपील करता है तो जनता उमका उल्हास-पूर्वक उत्तर देती है और उदारवादी काले-पानी के टापुओं, नजरबन्द कैम्पों और जेलखानों में सड़ते रहते हैं अथवा आम सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी हुई नजर आती हैं । अधिनायक-तन्त्र में न केवल श्रमिक नागरिक के विचारों को कार्य-रूप दिया जाता है, बल्कि ऊपरी तौर पर तत्काल और असाधारण सफलता नजर आने लगती है । अमुक विभाग का प्रधान, जो उल्हास युवक होता है, छोटी-छोटी सुट्टियों को दूर कर देता है और जिन अन्यायपूर्ण सार्वजनिक कामों को जारी करने में पुराने कर्मचारियों को छः साल लगते हैं, उनको वह छः महीने में जारी करवा देता है । पेरिस का पुनर्निर्माण लुई नेपोलियन के जमाने में हुआ और इटली में पहली बार रेलों के समय पर म्मोलिनी के जमाने में दौड़ी । इस बीच अधिनायक इस बात की सावधानी रगता है कि शान शौकत का खूब प्रदर्शन हो, व्याख्यानों में बड़ी-बड़ी बातें बनावी जाय, अखबारों द्वारा प्रचार हो, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में फासिस्ट शिक्षा दी जाय और उसके शासन की कम से-कम आलोचना हो । इस प्रकार एक अच्छे नेता की अधीनता में कुछ समय के लिए फासिस्टवाद फलता-फूलता है और पूर्णतः लोकप्रिय और लोकतन्त्रात्मक सिद्ध होता है । यही कारण है कि लोगों का फासिस्टवाद की ओर झुकाव है । और यह बात भी है कि श्रमिक नागरिक स्वभाव से और शिक्षा से फासिस्ट होता है और वह सुधारकों और क्रान्तिकारियों को राजद्रोही सनकियों का अल्प-मख्यक दल समझता है । यद्यपि हिंसा-और लूट मार द्वारा श्रमजीवी सस्थाओं के विनाश की बात हमारे अन्त-करण को आघात पहुँचाती है, किन्तु उनका राजकीय विभागों में परिवर्तित होजाना एक सयुक्त मोर्चे को जन्म देता है और जो श्रमजीवी शक्तियाँ प्रवाहशील और विरोधी दुर्बलियों में बड़ी होती हैं, वे एक ठोस तत्व के रूप में एकत्र हो जाती हैं । लोकतन्त्र का यह सिद्धान्त है कि

सार्वजनिक कार्य सब का कार्य है, किन्तु व्यवहार में यह सिद्धान्त काम नहीं देता, क्योंकि सबका काम किसी का काम नहीं हुआ करता। इस सिद्धान्त के कारण सार्वजनिक कामों के प्रति वास्तविक जिम्मेदारी की भावना नष्ट हो जाती है। अतः फासिस्टवाद में एक अधिनायक या प्रधान अफसर मुक़र्रर किया जाता है जो किसी भी दशा में अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा नहीं कर सकता। यह खयाल भ्रमभूषण है कि चुनाव द्वारा जो म्यूनिसिपल या पार्लमैण्ट का मेम्बर बनता है वह उस अफसर के समान ही जिम्मेदार होता है जिसे कि पहली गलती पर या अयोग्य सिद्ध होने पर तुरन्त बर्खास्त किया जा सकता है।

फासिस्टवाद की एक विशेषता यह भी है कि वह दलगत बेहूदा विरोध का खात्मा कर देता है। पार्लमैण्ट-प्रणाली में यह होता है कि एक दल शासन करने का प्रयास करता है और दूसरा उसके मार्ग में रुकावट डालता है। जिस व्यवस्था में इतने लाभ हों, वहाँ कोई नेपोलियन पार्लमैण्ट को उखाड़ दे सकता है और लोग उसे राष्ट्र का चाता बह कर वोट दे सकते हैं। किन्तु इसकी पकड़ यह है कि प्रतिभाशाली फासिस्ट व्यक्ति अमर नहीं होते और जैसा कि नेपोलियन का उदाहरण है, उनकी शक्ति उनके जीवन-काल में भी क्षीण हो सकती है। यदि वे फासिस्ट व्यवस्था को अयोग्य हाथों में छोड़ जायें तो उसका परिणाम महा भयकर हो सकता है। रूस के ज़ार पीटर ने रूस में बड़े-बड़े परिवर्तन किये; पीटर्सबर्ग का निर्माण किया। ज़रीना कैथरिन द्वितीय ने महिलाओं के विचारों और सस्कृति में बड़ा उत्कर्ष किया। किन्तु उसका उत्तराधिकारी ज़ार पॉल अपना दिमाग ठिकाने न रख सका और अपने दरबारियों द्वारा मार डाला गया। रोम के सम्राट नीरो की देवताओं के समान पूजा की गई, जिससे बेचारा पागल हो गया। आखिर उसको भी बुरी तरह मारा गया। इसका कारण यह था कि उसमें पूर्व रोमन सम्राटों—जूलियस सीज़र और ऑगस्टस—जैसा मनोबल और राजनैतिक बुद्धिमानी नहीं थी। अतः राष्ट्र को ऐसे विधान की आवश्यकता है कि जो एक योग्य और दूसरे अयोग्य शासक के बीच के

जमाने में ठीक तरह काम दे सके । निरकुश शासकों का सारा इतिहास यह बताता है कि बीच-बीच में राष्ट्र गड़बड़ी और खराबियों के शिकार हुए और समय-समय पर योग्य राजा या प्रधान मन्त्री ने उनको पुनः ठीक दशा में पहुँचाया । हमारे वर्तमान फासिस्ट नेता भी यह नहीं कह सकते कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और न ही यह शक मिट सकती है कि न जाने कब इन की बुद्धि का दियाला निकल जाय और कुल्लू-का-कुल्लू हो जाय । यही कारण है कि राजनीति विशारद पार्लमैण्टरी प्रणाली से चिपटे हुए हैं, जिममें अधसाधारण अच्छा या बुरा कुल्लू नहीं हो सकता ।

फिर जन-साधारण में सैनिक महत्वाकांक्षा भी होती है जिसे फासिस्ट नेताओं को सन्तुष्ट करना पड़ता है । रूस की ज़ारीना कैथराइन द्वितीय ने जब देखा कि उसकी प्रजा गड़बड़ करने लगी है तो उसने लोगों के लिए युद्ध का मोर्चा खड़ा कर दिया । यद्यपि, आज युद्धों का रूप अत्यन्त भयंकर बन चुका है, फिर भी फासिस्ट नेता बराबर अपनी तलवार खड़-खड़ाते रहते हैं और प्रजा को सन्तुष्ट रखने के लिए युद्ध को आखरी साधन बना सकते हैं ।

किन्तु फासिस्टवाद की सब से बड़ी कमजोरी यह है कि वह पूँजीवादी सभ्यता के पतन के गड़बड़े की ओर जाने से नहीं रोक सकता । यदि आम लोगों को उनके अज्ञान के आधार पर मगठित किया जाय तो यह हो सकता है कि अयोग्य सरकारों का तख्ता उलट दिया जाय, एक नेता की पूजा हाने लगे, युद्ध के लिए सैनिकों का कूच करते देखकर लोग राष्ट्र प्रेम में उन्मत्त हो जाय । प्रदर्शनी और व्याख्यानों के अवसर पर आकाश गुँजा दिया जाय और गरीबों की असमठित सस्थाओं का नामोनिशान मिटा दिया जाय । किन्तु इस प्रकार सभ्यता की रक्षा नहीं की जा सकती । यह तो उसके विनाश का खुला मार्ग है । फासिस्ट नेता ईमानदारी के साथ यह चाह सकता है कि इतिहास उसको शक्तिशालियों को नाचे लाने वाला और गरीबों को ऊँचा उठाने वाला बनावे । आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है । उसके बिना आधुनिक राष्ट्रों में स्मृद्धि और शान्ति नहीं हो सकती । किन्तु फासिस्ट यह प्रयोग नहीं कर सकते । उनके विषय में तो यही कहना पड़ेगा कि धनवानों को



उन्होंने और धनवान बनाना और गरीबों को खाली पेट रवाना किया। वे गरीबों की संस्थाओं के कार्यालयों को जला सकते हैं, किन्तु यदि उन्हें किसी भूस्वामी का बगला जलाने को कहा जाय तो वे कहने वाले को पागल टहरा देगे। वे भूत को डुला तो सकते हैं किन्तु उसे वापस भेजना नहीं जानते।

फासिस्ट नेता गरीबों की लूट-खसोट के बाद जब यह अनुभव करता है कि समाज-रचना की महान योजनाओं के लिए उसे धनवानों को लूटना चाहिए तो वह अपने को बेवश पाता है। इसमें शक नहीं कि गुण्डे लोग, जो किसी भी हिंसात्मक आन्दोलन में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ते हैं, भूस्वामी अथवा बैंकर को उतनी ही आसानी से यमराज के घर की राह बता सकते हैं, जितनी आसानी से कि वे किसान या मजदूर को। किन्तु फासिस्ट नेता के लिए शीघ्र ही यह आवश्यक हो जाता है कि वह उन पर काबू प्राप्त करे और उनको अपने योग्य स्थान अर्थात् जेल में पहुँचा दे। इसके बाद उनकी सेना का जो मुख्य भाग बच रहता है, उसमें से कुछ को उसे नियमित पुलिस-दल में भर्ती कर लेना पड़ता है और शेष काम-धन्धों में लगा दिये जाते हैं। यदि फासिस्ट नेता व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत मुनाफाखोरी को जड़-मूल से मिटाने की चेष्टा करे तो उसके बहुसंख्यक अनुयायी उसका हगिज समर्थन न करेंगे। अर्थात् ही वह उनके अधीनस्थ उद्योग-धन्धों में अत्यधिक स्वार्थपरता पर खाड़ा प्रतिबन्ध लगा सकता है। वह छोटे कारखानेदारों को आधुनिक मशीनरी लगाने और बुद्धिसंगत तरीके काम में लाने के लिए विवश कर सकता है। इसमें उनको तो फायदा ही होगा है। यदि बर्बाद होते हैं तो वही जो अत्यधिक गरीब होते हैं। फासिस्ट नेता छोटे कारखानेदारों को बड़े कारखानों में शामिल होने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि छोटे कारखानेदार बड़े कारखानेदारों के आगे, जिनकी पूँजी करोड़ों रुपया होती है, टहर नहीं सकते। वह फासिस्ट-विरोधी शक्तियों को भय दिखाकर एक बड़ी जल और थल सेना रखने के लिए उनके मुनाफों पर टैक्स लगा सकता है। वह उन्हें समझा सकता है कि मामूली आर्थिक सुधार व्यापारिक दृष्टि से भी लाभदायक

हैं। वह उनको और उनके सम्मिलित व्यापारिक मधो को राष्ट्र के विधान में भी स्थान दे सकता है, किन्तु वे इसे पसन्द न करेगे और उसे लीपा-पोती करने से आगे न बढ़ने देंगे।

यदि फासिस्ट नेता समाजवाद की दिशा में इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो वह क्रान्तिकारी या बोल्शेविक हो जायगा। फासिस्ट नेता के हाथ में सभसे अधिक कारगर हथियार यह रहता है कि वह बोल्शेविकों से समाज की रक्षा करने आया है। वह चाहे जिस श्रमजीवी आन्दोलन को बोल्शेविक नाम दे सकता है। वह किसी भी सार्वजनिक काम को, यदि वह अपने अनुकूल हो तो फासिस्ट और अनुकूल न हो तो बोल्शेविक बता सकता है। किन्तु यदि वह समाजवाद की तरफ जरा भी पैर बढ़ाने का प्रयास करता है तो धनिक वर्ग के कान खड़े हो जाते हैं। कल्पना करो कि फासिस्ट नेता अपने देश की राजधानी को पुनर्रचना प्रारम्भ करता है। उसके इस काम की हर कोई तारीफ करेगा। किन्तु इनका परिणाम यह होगा कि जमीन का कौमते बहुत बढ़ जायगी और यह रूपया जमीन के मालिकों की जेबों में चला जायगा। सामान्य नागरिकों का हालत में कोई परिवर्तन न होगा। उन्हें पहिले के समान ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और गरीबी का सामना करना पड़ेगा। शहरों में मोटरों और लारिना वाला की मुविधा के लिए प्रशस्त राजमार्ग बनवाये जाते हैं और इन सड़क के दोनों तरफ की जमीन इमारतें बनाने के लिए काम में लाई जाती हैं। इस प्रकार पहले जिस जमीन का मूल्य भौ या पचास रूपया होता है, उसी का हजार-पन्द्रह मो रूपया हो जाता है। पूँजीवाद का हमारे समाज में इतना जोर है कि इस प्रकार बिना कुछ परिश्रम किये कुछ लोगों की जेबों में हजारों रूपया चला जाता है। और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता।

यदि लुई नेपोलियन ने पेरिस में प्रशस्त सड़कें बनाने के साथ ही इमारतें बनाने और किराये वगूल करने का काम म्यूनिमिपैलिटी को सौंपा होता तो उसे दस वर्ष पहले ही अपने तख्त से हाथ धो लेना पड़ता। यदि हम इस बात की तुलना करें कि सन् १६२६ की मर्दा के बाद रुम ने किननी प्रगति की है और फासिस्ट देशों ने उसमें दूने असें में कितनी

प्रगति की है तो हमें मालूम हो जायगा कि फासिस्टवाद में पूँजीवाद की सारी कमियाँ और बुराइयाँ विद्यमान हैं और वह सभ्यता की रक्षा नहीं कर सकता. उद्योगों में वह जो मुगार करता है, उसका परिणाम भी यही होता है कि बेकारों की संख्या बढ़ती है। यह बेकार-वृत्तियाँ देता है, इसलिए कि बेकार कहीं उपद्रव न कर बैठें। जब मजदूर भूस्वामियों को धनवान बनाने के लिए गड्ढा को भरने और सबके बनाने का काम पूरा कर चुकते हैं तो यह सवाल पैदा होता है कि पेट भरने के लिए वे आगे क्या करें? फासिस्ट कहता है कि जमीन और पूँजी व्यक्तिगत सम्पत्ति है, अतः उसका मजदूरों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके मुकामिले में साम्यवाद कहता है कि मजदूरों को इस तरह संगठित किया जाना चाहिए कि वे दूसरों का धनवान बनाने के बजाय अपना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिश्रम करें।

यह बताया जा चुका है कि फासिस्ट सरकार गरीबों को मनमाने तौर पर लूट सकती है, किन्तु धनवानों को नहीं लूट सकती। कभी कभी धनिकों में से एक वर्ग जब अधिक धनवान हो जाता है तो उसको लूटने का लोभ संवरण करना बंठिन होता है। किन्तु इसके लिए उस वर्ग के विरुद्ध धार्मिक, राजनैतिक अथवा जातीय आधार पर पहले जनता में काफी विरोध पैदा करना जरूरी होता है। इंग्लैंड के बादशाह हेनरी आठवे ने चर्च की आपदा लूटी और कैथोलिक पादरों कोना जुर्म करार दे दिया, किन्तु उसे फोरने लूट का भाल छोड़ना पडा और अपने प्रादेशिक अफसरों में बांट देना पडा। इसी प्रकार हिटलर ने भी जर्मनी में यहूदियों को लूटा है और यहूदी होना पाप ठहरा दिया है। किन्तु जब्तशुदा सभ्यति का प्रयोग जर्मनेन कारखानेदार कर रहे हैं, जो यहूदियों की तरह ही मजदूरों का शोषण करते हैं। हिटलर की निगाह लूथर और कैथोलिक गिरजा की तरफ भी लगी हुई है, किन्तु जर्मनेन जनता पर भौतिकवाद और सैनिकवाद का अभी इतना असर नहीं हुआ है कि वह अपने इरादों को पूरा कर सके। हिटलर ने यहूदियों और उनके मित्रों को अपना शत्रु बनाकर तथा गिरजाघरों को निश्चिन्तता को भग करके बड़ी जोखिम उठाई है। उसने रूस के विरुद्ध भी यूरोप में एक गुट बनाने की

कोशिश की थी, किन्तु उसे अपना कठम पाछे हटाना पड़ा और आज वह रूस के मित्र के रूप में युद्ध का टाव खेल रहा है।

फासिस्टवाद के लिए बड़ा खतरा यह है कि उसके नेता की जान के ग्राहक कम नहीं होते। इटली के फासिस्ट नेता मुसोलिनी पर कई बार हमले हो चुके, किन्तु वह अभी तक अपने सिर को सही-सलामत रख सका है। यद्यपि मुसोलिनी के माथी पादरियों के सख्त विरोधी हैं और स्वयं मुसोलिनी हमेशा नागरिक भाषा में बोलता है, फिर भी उसने पोप के साथ समझौता कर लिया है और अपने शासन को धर्म-विरोधी समस्याओं से मुक्त रक्खा है। इटली में मजदूरों को नहीं सनाया जाता। वहाँ राजा है, कौंसिल है, मिनेट और धारमभा है, २१ वर्ष या इससे अधिक उम्र वाला व्यक्ति और यदि शादी शुदा हो तो १८ वर्ष की उम्र का व्यक्ति मत (वोट) दे सकता है। प्रान्तीय कौंसिलें और स्थानीय म्युनिमिपैलिटियों भी हैं, जो संयुक्त प्रान्तीय शासन तंत्र के अधीन काम करती हैं। इस प्रकार वहाँ वे सब सस्थाये विद्यमान हैं, जिनसे लोग एक अर्थ में परिचित हैं। राजा शून्य के बराबर है अथवा पार्लमैण्ट में फासिस्ट नेता ही मंत्र कुल्ल हैं, इन बात ने लोगों को कुछ मतलब नहीं होता। उनके लिए तो इतना ही काफी है कि पार्लमैण्ट का भवन पना हुआ है और उसमें समय-समय पर पार्लमैण्ट की बैठकें हो जाती हैं। साधारणतः लोग परिवर्तन नहीं चाहते। जर्मनी में फासिस्ट क्रान्ति ने जो परिवर्तन किये, उनका लोगों ने इसलिए स्वागत किया कि सन् १८ की पराजय ने जर्मनी की दशा इतनी खराब कर दी थी कि उसको बर्दाश्त करना असम्भव था।

साम्यवाद और फासिस्टवाद दो विरोधी तन्त्र हैं, किन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ विषयों में दोनों का परिणाम एक-सा होता है। उदारवादी जिसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र कहते हैं, उसका दानों ही सपाया करते हैं। उदारवादियों के मतानुसार स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि राजकीय हस्तक्षेप न हो और लोकतंत्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अमर्यादित राजनैतिक मामलों लेकर जन्म लेता है, जो न केवल अपना, बल्कि सारे देश का हित साँच सकता है, और छुट्टे-से-छुट्टे कर्मचारियों से लगाकर प्रधान-मन्त्री तक सबको चुनने की योग्यता रखता है। लोकतन्त्र

में सार्वजनिक मामलों का अन्तिम निर्णय मन-गणना द्वारा किया जाता है। फासिस्ट नेता भी इन उपाय को पसन्द करते हैं। हिटलर इसका कई मूर्तवा आश्रय ले चुका है। स्वतन्त्रता का शब्द सम्पत्ति के मालिकों की जवान पर हमेशा रहता है। जमीन और पूँजी का अधिकारा भाग उनके कब्जे में होता है और वे उनका राष्ट्रीयकरण पसन्द नहीं करते। वे कहते हैं कि सरकार का जितना कम हस्तक्षेप होगा, उतने ही लोग स्वतंत्र होंगे। इस स्वतन्त्रता के नाम पर पार्लियामेंट में ऐसे लोग चुने जाते हैं जो हमेशा मौजूदा व्यवस्था का समर्थन करते हैं। फलस्वरूप स्वतन्त्रता और लोकतंत्र, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस समय तक ठीक काम देते हैं, जब तक कि सरकार पुलिस के काम के अलावा और कुछ नहीं करती, किन्तु जब कोई फासिस्ट नेता शासन की अन्धेरगर्दी को दूर करने के लिए आगे आता है या सोविएट-तंत्र पूँजीवाद को नष्ट करके लोगों का घेठ भरने के लिए सब प्रकार के काम हाथ में लेता है तो स्वतन्त्रता और लोकतंत्र की उपरोक्त परिभाषाओं को रद्दी की टोकरी में फेंक देना पड़ता है।

दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वतन्त्रता न होने पर भी स्वतन्त्रता की और शान्ति न होने पर भी शान्ति की रट लगाते हैं। ऐसे लोग हास्यास्पद मनावृत्ति का परिचय देते हैं। फासिस्टवाद और साम्यवाद में उत्पादन के तरीका अथवा औद्योगिक अनुशासन के सम्बन्ध में अन्तर नहीं है, अमली भेद विभाजन के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में पूँजीवाद धुरी तरह अमफल हुआ है। इसका एकमात्र इलाज साम्यवाद है, किन्तु फासिस्टवाद लोगों को साम्यवाद से घृणा करने का शिक्षा देता है। फासिस्टवाद के पक्ष में यदि कुछ कहा जा सकता है तो यही कि वह लोगों को अपने छोटे स्वार्थों की अपेक्षा राष्ट्रीय स्वार्थों का विचार करना सिखाता है।

इस प्रकार फासिस्टवाद उदारवाद से अच्छा है, क्योंकि वह राष्ट्र की शक्तियों को मगडित करता है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करता है। किन्तु जनक वह व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा करता है, तबतक समाज में एक और असाधारण अमीरी और दूसरी ओर असाधारण गरीबी कायम रहेगी और भ्रमजोयी क्रान्ति का भय हमेशा बना रहेगा। यदि फासिस्टवाद पूँजीवाद ही आगिरी ओट बना रहता है तो उसका अन्त निश्चित है।